सत्यमेव जयते

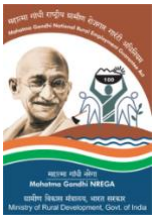

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

वार्षिक मास्टर परिपत्र

2021-22

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

दिनांक 6 जनवरी 2022

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृ. स.
1.	**अधिनियम और अनुसूची** 1.1 अधिनियम 1.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भागीदारी 1.3 संशोधन 1.4 अधिनियम का अनुपालन न करना अपराध होगा	1
2.	**महात्मा गांधी नरेगा के तहत हकदारियां** 2.1 महात्मा गांधी नरेगा के तहत हकदारियां 2.2 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक मास्टर परिपत्र 2.3 वार्षिक मास्टर परिपत्र - एक व्यापक दस्तावेज	2
3.	**हकदारी I - जॉब कार्ड का अधिकार** 3.1 जॉब कार्ड रखने का अधिकार 3.2 जॉब कार्ड में प्रविष्टियों का नियमित अद्यतनीकरण 3.3 अभियानों के माध्यम से जॉब कार्ड का सत्यापन/अद्यतनीकरण 3.4 जॉब कार्ड रद्द करने का अधिकार 3.5 फ्रेश/नए जॉब कार्ड 3.6 नए जॉब कार्ड के लिए सांकेतिक रूपरेखा का कार्यान्वयन 3.7 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) कमजोर परिवारों को सक्रिय रूप से शामिल करना	3
4.	**हकदारी II - 15 दिनों के भीतर काम की मांग करने और प्राप्त करने का अधिकार** 4.1 काम की मांग 4.2 कार्य का आबंटन 4.3 काम की मांग के लिए एकाधिक तंत्र 4.4 दिनांकित रसीद 4.5 रोजगार दिवस 4.6 ई मस्टर रोल	7
5.	**हकदारी III – बेरोजगारी भत्ता का अधिकार** 5.1 राज्य सरकार की जिम्मेदारी 5.2 बेरोजगारी भत्ते की गणना और भुगतान	13

	5.3 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए राज्य सरकारों को सुझाई गई प्रक्रिया 5.4 बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए देयता की अस्वीकृति 5.5 बेरोजगारी भत्ते के दावे को खारिज करना 5.6 बेरोजगारी भत्ते का स्वत: भुगतान 5.7 बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले श्रमिक	
6.	**हकदारी IV – योजना बनाने और परियोजनाओं की एक सूची तैयार करने का अधिकार** 6.1 श्रम बजट की तैयारी और परियोजनाओं की पहचान के लिए वार्षिक तालमेल योजना अभ्यास 6.2 कमजोर परिवारों और समुदायों पर ध्यान देना 6.3 जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना 6.4 ग्राम पंचायतों के संरक्षक के रूप में कार्यों की सूची 6.5 प्रत्याशित परिणाम 6.6 एमआईएस में कार्यों की प्रविष्टी और निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का कार्यान्वयन 6.7 तालमेल 6.8 योजना बनाने के लिए सुझाई गई समय-सीमा	**17**
7.	**हकदारी V- महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य** 7.1 महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य निष्पादन 7.2 कार्यों के प्रकार 7.3 कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्य 7.4 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य - मिशन जल संरक्षण (एमडब्ल्यूसी) 7.5 विशेष ध्यान देने योग्य कार्य 7.6 वनीकरण, वृक्षारोपण और बागवानी 7.7 ग्रामीण अवसंरचना 7.8 मत्स्य पालन को बढ़ावा देना 7.9 महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) 7.10 सफाई कर्मियों के वेतन का भुगतान 7.11 अधूरे काम को पूरा करने की कार्यनीति	**31**

	7.12 महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव	
8.	**हकदारी VI - कार्यस्थल पर सुविधाओं का अधिकार** 8.1 महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यस्थल पर सुविधाओं की श्रमिक हकदारी	**91**
9.	**हकदारी VII और VIII- अधिसूचित मजदूरी दर का अधिकार और 15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार** 9.1 मजदूरी दर अधिसूचित करना 9.2 महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी अर्जकों का लेखा-जोखा 9.3 मजदूरी का भुगतान 9.4 व्यापार संवाददाता (बीसी) 9.5 दरों की अनुसूची 9.6 अकुशल मजदूरी, अर्ध-कुशल मजदूरी और कुशल मजदूरी 9.7 भुगतान प्रणालियों की संरचनाओं को सक्षम बनाना 9.8 विलंब क्षतिपूर्ति	**93**
10	**हकदारी IX - सभी महात्मा गांधी नरेगा योजना व्यय की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने का अधिकार** 10.1 सामाजिक लेखा परीक्षा का आयोजन 10.2 लोकपाल 10.3 शिकायत समाधान 10.4 सतर्कता 10.5 अनिवार्य अग्र-सक्रिय प्रकटीकरण 10.6 पारदर्शिता और जवाबदेही के न्यूनतम सिद्धांत 10.7 रिकॉर्ड रखना	**100**
11.	**सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) कार्यविधियाँ** 11.1 सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) 11.2 आईईसी कार्यविधियों के लिए व्यय 11.3 राष्ट्रीय आईईसी कार्यनीति 11.4 वार्षिक योजना की तैयारी 11.5 संदेशों में एकरूपता 11.6 राज्य नोडल अधिकारी का नामांकन 11.7 प्रभावी आईईसी कार्यनीति के लिए एकीकरण	**120**

	11.8 अच्छी पद्धतियों का प्रसार 11.9 एमआईएस में पुस्तकालय 11.10 जल संरक्षण सफलता की कहानियो का वेबपेज 11.11 मशीनी अनुमेय उपयोग के लिए आईईसी 11.12 व्यक्तिगत लाभार्थियों के लाभ के लिए आईईसी	
12.	**प्रबंधन सूचना प्रणाली (नरेगासॉफ्ट)** 12.1 नरेगासॉफ्ट 12.2 नरेगासॉफ्ट परिवर्तन प्रबंधन प्रणाली 12.3 ई मस्टर रोल 12.4 एमआईएस मापन पुस्तिका	**125**
13.	**जियो मनरेगा - महात्मा गांधी नरेगा के तहत जीआईएस कार्यान्वयन** 13.1 जियो मनरेगा चरण -I (पूर्ण परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग) 13.2 जियो मनरेगा चरण -II (3 चरणों में जियोटैगिंग) 13.3 जियो मनरेगा के तहत छूट 13.4 भावी रुपरेखा 13.5 जनमनरेगा- नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन 13.6 एमआईएस रिपोर्ट आर 24.8	**128**
14.	**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आधार प्लेटफॉर्म** 14.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 14.2 आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) 14.3 आधार अधिनियम के प्रावधान 14.4 अपेक्षाएं और व्यवस्थाएं 14.5 डीबीटी कार्यनीति 14.6 आधार आधारित भुगतान प्रणाली में खातों के रूपांतरण की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (एबीपीएस) 14.7 एबीपीएस का स्वचालन	**140**
15.	**महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तपोषण** 15.1 निधियों का रिलीज 15.2 प्रशासनिक व्यय 15.3 शिकायतें और निधि रिलीज	**149**
16.	**महात्मा गांधी नरेगा के तहत कौशल और क्षमता निर्माण** 16.1 बेयरफुट टेक्निशियन	**157**

	16.2 परियोजना उन्नति 16.3 क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी) 16.4 तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण 16.5 प्रशिक्षण अपेक्षित मूल्यांकन और वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की तैयारी	
17.	**नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी** 17.1 नागरिक समाज संगठनों की भूमिका 17.2 यूनिक आईडी 17.3 सहयोगी सहभागिता 17.4 कार्यान्वयन आर्किटेक्चर 17.5 समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)	**166**
18.	**महात्मा गांधी नरेगा के तहत पुरस्कार** 18.1 महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक पुरस्कार	**169**
19.	**महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनुसंधान** 19.1 अनुसंधान और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए दो-आयामी कार्यनीति	**171**
20	**प्रमुख पदाधिकारी और उनकी भूमिकाएँ** 20.1 ग्राम पंचायत स्तर 20.2 तकनीकी सहायक 20.3 ब्लॉक स्तर 20.4 जिला स्तर	**173**
21.	**सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैल्कुलेशन यूज़िंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट (सीक्योर)** 21.1 सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैल्कुलेशन यूज़िंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट (सीक्योर) 21.2 सिक्योर के लाभ 21.3 हितधारकों और अपेक्षित कौशल 21.4 सिक्योर का अवलोकन 21.5 सिक्योर में कार्यविधियाँ 21.6 अनुमान तैयार करना	**180**
22	**भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यों की योजना बनाना** 22.1 जीआईएस आधारित योजना की प्रक्रिया 22.2 ग्राम सभा में जीआईएस आधारित समेकित कार्य	**194**

	योजना के मसौदा पर चर्चा और इसके कार्यान्वयन पर चर्चा 22.3 ग्राम पंचायत में जीआईएस आधारित योजना का दस्तावेजीकरण 22.4 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण 22.5 प्रगति की निगरानी	
	अनुबंध महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की अनुमेय सूची	**201**

अध्याय 1

अधिनियम और अनुसूची

1.1 अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पहले 'महात्मा गांधी' शब्द जोड़े गए(यहां से आगे इसे अधिनियम कहा गया है)। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है, इसमें उन जिलों को छोड़ दिया गया है जहां शत-प्रतिशत शहरी आबादी है।

1.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भागीदारी

राज्यों ने अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार अपनी-अपनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाओं को अधिसूचित किया है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना में इस अधिनियम की अनुसूची-। के तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं के प्रावधान होने चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई किसी भी राज्य योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति इस अधिनियम की अनुसूची-।। में सूचीबद्ध न्यूनतम सुविधाओं के हकदार होंगे। राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

1.3 संशोधन

राज्यों को इस अधिनियम और इसकी अनुसूची में समय-समय पर किए गए संशोधन(नों) के अनुसार अपनी-अपनी महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं में संशोधन/आशोधन करने होते हैं।

1.4 अधिनियम का अनुपालन न करने को अपराध माना जाएगा

महात्मा गांधी नरेगा के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने को महात्मा गाँधी नरेगा के अनुसार अपराध माना जाएगा और ऐसी दशा में इस अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय 2

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारियां

2.1 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारियां

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनेक उपबंधों के माध्यम से ग्रामीण कामगारों को अनेक कानूनी हकदारियां प्रदान की गई हैं। हालांकि मूल रूप से इस अधिनियम में प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए कम से कम 100 दिनों के कार्य का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह उन अधिकारों और हकदारियों का एक सुदृढ़ कानूनी फ्रेमवर्क बन है जो कि प्रति वर्ष 100 दिनों के कार्य को संभव बनाने के लिए एक साथ कार्य करते हैं।

2.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक मास्टर परिपत्र

पूर्व की भांति ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक मास्टर परिपत्र कार्य की मांग करने वाले कामगारों की प्रमुख हकदारियों और उस व्यवस्था पर केंद्रित है, जो कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में सक्षम बनाती है।

2.3 वार्षिक मास्टर परिपत्र - व्यापक दस्तावेज

वार्षिक मास्टर परिपत्र एक व्यापक दस्तावेज है, जिसमें समय-समय पर संशोधित महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम,2005 तथा अनुसूची-। और ।। के उपबंधों के अधीन महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

अध्याय 3

हकदारी । - जॉब कार्ड का अधिकार

हकदारी । - जॉब कार्ड का अधिकार

किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक परिवार जॉब कर्ड का हकदार है जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के फोटोग्राफ और नाम होते हैं, ताकि वे काम की मांग और प्राप्त कर कें। जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले कामगारों की हकदारियां दज रहती हैं। इसमें मांगे गए और प्राप्त किए गए कार्यों, भुगतान की गई मजदूरी इत्यादि का अद्यतन ब्यौरा होता है। इसी कारण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अद्यतन किया हुआ जॉब कार्ड परिवार के पास हर समय रहे।

कामगारों की हकदारियां

पैरा 1, अनुसूची ।।: "प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, कार्य कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

पैरा 2, अनुसूची ।।: "ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करे..."

3.1 जॉब कार्ड रखना

सभी जॉब कार्ड संबंधित कामगारों के पास रहेंगे और मनरेगा योजना कर्मियों तथा पीआरआई सहित किसी अन्य व्यक्ति के पास जॉब कार्ड का होना अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। यदि जॉब कार्ड को अद्यतन करने के लिए लिया जाता है तो इसे अद्यतन करने के पश्चात तुरंत लौटाना होगा। यदि किसी भी पंचायत या महात्मा गांधी नरेगा कर्मी के पास बगैर किसी वैध कारण के जॉब कार्ड पाया जाता है तो इसे अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार की है कि जॉब कार्ड संबंधित जॉब कार्ड धारक व्यक्तियों के पास ही रहे।

3.2 जॉब कार्डों में प्रविष्टियों का नियमित अद्यतनीकरण

यह संबंधित ग्राम रोजगार सहायक या प्राधिकृत कर्मी का दायित्व होगा कि वे सभी कामगारों द्वारा काम की मांग किए जाने, उन्हें कार्य आवंटित किए जाने तथा भुगतान प्राप्त करने वाले सभी कामगारों के जॉब कार्डों का अद्यतनीकरण इनमें से किसी भी घटना की तारीख से 15 दिनों के भीतर करें।

3.3 अभियानों के माध्यम से जॉब कार्डों का सत्यापन/अद्यतनीकरण

राज्य जॉब कार्डों का सत्यापन/अद्यतनीकरण करने के लिए आवधिक रूप से समयबद्ध अभियान चला सकते हैं। इस बात को सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलक्टर तथा राज्य सरकार का दायित्व है कि ये सत्यापन अभियान समयबद्ध ढंग से चलाए जाएं। जॉब कार्ड के सत्यापन/अद्यतनीकरण के लिए निम्नलिखित की जांच-पड़ताल की जा सकती है:

i. एसईसीसी टीआईएन नंबर, यदि कोई हो, बैंक खाते/डाकघर खाते के नंबर का सत्यापन किया जाए और जॉब कार्ड में इसकी प्रविष्टि की जाए।
ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित पूरे परिवार का फोटो या कामगारों के फोटो या उस परिवार में अलग-अलग व्यक्तियों के फोटो (अधिमानतः) अनिवार्य है।
iii. मांग, आवंटन, किए गए कार्य तथा भुगतानों के ब्यौरे जॉब कार्ड में अद्यतन किए गए हों।

3.4 जॉब कार्डों को रद्द किया जाना

नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग न किए जाने/रिपोर्ट न किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द न किया जाए। जॉब कार्डों को विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब

i. परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुका हो या
ii. यह डुप्लिकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो चुका हो, या
iii. इसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत किया गया हो (अर्थात जो प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जारी न किया गया हो और/या नकली आईडी के आधार पर किसी व्यक्ति/फर्जी व्यक्ति को जारी किया गया हो)।
iv. यदि कोई परिवार दूसरी ग्राम पंचायत में पलायन कर गया है।

इसके अतिरिक्त, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका/नगर निगम घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को मौजूदा जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाली रोजगार की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे सभी जॉब कार्डों को स्वत: ही रद्द मान लिया जाएगा। डीपीसी यह सुनिश्चित करेगी कि इन्हें ऐसी अधिसूचना के तुरंत बाद रद्द किया जाए।

संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहगामी परिवर्तन भी किए जाएंगे जिन्हें इसे मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।

सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निदेश दे सकता है। नामों को जोड़े जाने/हटाए जाने/रद्द किए जाने की समस्त कार्रवाई सार्वजनिक की जाएगी और इसे ग्राम सभा/वार्ड सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी तथा इसे एमआईएस में अपडेट किया जाएगा।

3.5 नए जॉब कार्ड

उन मामलों में जहां विगत में जारी किए गए जॉब कार्डों का आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नए जॉब कार्ड उसी विशिष्ट संख्या के साथ ही जारी किए जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक/राज्य सरकार की होगी। परिवार के नए सदस्योंं के वयस्क हो जाने पर मौजूदा जॉब कार्डों में नए नामों की प्रविष्टि की जाएगी, विवाह इत्यादि की वजह से परिवारों में नए सदस्यों के आने से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जो ग्रामीण परिवार मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करना चाहते हों लेकिन जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं, उन ग्रामीण परिवारों को ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद नए जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि कोई परिवार किसी अन्य ग्राम पंचायत के क्षेत्र में पलायन कर जाता है तो उस परिवार को संबंधित ग्राम पंचायत नया जॉब कार्ड जारी कर सकती है।

3.6 नए जॉब कार्डों के लिए सुझावपरक फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से उन आधारभूत/न्यूनतम अपेक्षाओं के संबंध में जॉब कार्ड के लिए 'सुझावपरक फ्रेमवर्क' तैयार करके जारी कर दिए हैं, जिन्हें पूरे देश में लाभार्थियों को जारी किए जारी किए जाने वाले प्रत्येक महात्मा गाँधी नरेगा जॉब कार्ड में निम्नलिखित के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाना चाहिए:-

i. विषयवस्तु
ii. नक्शा
iii. लागत
iv. कार्यान्वयन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नए जॉब कार्डों के डिजाइन और उपयोग में इन सांकेतिक दिशानिर्देशों को शामिल कर सकते हैं। नए जॉब कार्ड को मुद्रित करने के लिए यदि व्यय करने की आवश्यकता हो तो उस व्यय की पूर्ति राज्य की महात्मा गाँधी नरेगा निधियों की 6 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय से की जाएगी।

3.7 सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार अभावग्रस्त परिवारोें को अपनी ओर से मनरेगा के अंतर्गत शामिल करना:

एसईसीसी के अनुसार अभावग्रस्त या वंचित परिवारों के रूप में सूचीबद्ध परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड जारी किए जाने चाहिए। इस बात की संभावना है कि 'आजीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर आश्रित भूमिहीन परिवार' की श्रेणी (एसईसीसी 2011 के अनुसार) में आने वाले अनेक परिवारों को अब भी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत न किया गया हो। राज्योें/सं.रा.क्षेत्रोें को अपनी ओर से इन भूमिहीन तथा दिहाड़ी मजदूर परिवारों तक पहुंचना चाहिए और उन परिवारों को पंजीकृत करना चाहिए, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं किंतु वे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक हैं।

अध्याय 4

हकदारी ।। - कार्य की मांग करने और इसे 15 दिनों के भीतर पाने का अधिकार

कामगार की हकदारी

पैरा 6, अनुसूची ।।:
"पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और ऐसे सभी आवेदनों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा, तारीखयुक्त रसीद दी जाएगी और कम्प्यूटर सिस्टम में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

पैरा 11, अनुसूची ।:
कार्य की मांग के पंजीकरण की तारीख या अग्रिम आवेदनों के मामले में जिस तारीख को कार्य की मांग की गई है, इनमें से जो भी बाद का हो, उस तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।"

4.1 कार्य की मांग

4.1.1 कार्य की मांग का पंजीकरण करना महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यों के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया निरंतर खुली रखी जाए। कार्य की प्रत्येक मांग प्राप्त होने पर तारीख का उल्लेख करते हुए रसीद जारी किया जाना अपेक्षित है।

4.1.2 सामान्यतः कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए और एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदनों की प्रस्तुति के लिए प्रावधान इस योजना में किए जाएंगे, बशर्ते कि जिन अवधियों के लिए रोजगार की मांग की गई हो, उनके बीच अतिव्याप्ति न हो।

4.2 कार्य का आवंटन

4.2.1 कार्यक्रम अधिकारी और कार्यान्वयन एजेंसियोंं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार के जरूरतमंद कामगारों के आवेदन की प्राप्ति या अग्रिम आवेदन की स्थिति में कार्य मांगे जाने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उस तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उन कामगारों को उपलब्ध करा दिए जाएं।

4.2.2 इस अधिनियम का उद्देश्य अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित आदिवासी परिवार के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों के अलावा) का प्रावधान किया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

4.2.3 महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(4) के तहत किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्डधारकों को एक वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिन्हें सूखा या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय के अनुसार) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराने की अधिसूचना को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

4.2.4 महात्मा गाँधी नरेगा की अनुसूची-। के पैरा 9, के उपबंधों के अनुसार, “काम की अपेक्षित मांग की पूर्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यों की पर्याप्त सूची इस प्रकार रखेगी कि मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने के लिए कम से कम एक श्रम सघन सार्वजनिक कार्य, जिसमें अत्यधिक कमजोर वर्गों विशेषकर बुजुर्गों और विकलांगों के लिए उपयुक्त कम से कम एक कार्य शामिल हो, को सदैव खुला रखा जाएगा।”

अनुसूची-। के पैरा 10 के अनुसार, “सार्वजनिक कार्यों की श्रेणी में कार्य खोलते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मौजूदा या अधूरे कार्य पहले संपन्न किए जाने चाहिएं।”

4.3 काम की मांग के लिए विविध तंत्र

4.3.1 राज्य सरकारों को ऐसे विविध तंत्र बनाने के निदेश दिए गए हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य की मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

4.3.2 कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करने के विविध साधनों में अनिवार्य रूप से कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव/अन्य अधिकारी, सरपंच, वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मी, मेट, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/ग्राम संगठन, ग्राम स्तरीय राजस्व कर्मी, साझा सेवा केंद्र, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत उत्पादक समूह और महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक समूह शामिल होने चाहिए।

4.3.3 मांग के पंजीकरण में विविध माध्यमों के जरिए किए गए प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिएं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित कर्मियों को इन विविध साधनों और माध्यमों के बारे में जानकारी दी जाए तथा इनमें से किसी एक के भी माध्यम से प्राप्त मांग को वैध माना जाए और 15 दिनों की समयसीमा के भीतर इनकी पूर्ति की जाए। विविध साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. काम की मांग के लिए मौखिक, विधिवत लिखित रूप में दर्ज किया गया आवेदन
ख. लिखित आवेदन (विशिष्ट फॉर्मों/फार्म 6/कोरे कागज पर)
ग. टेलिफोन के माध्यम से आवेदन (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस)/कॉल सेंटरों के जरिए)
घ. राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कियॉस्कों के जरिए
ङ. ऑनलाइन आवेदन (नरेगासॉफ्ट या उपयुक्त सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचित किसी अन्य वेब माध्यम के जरिए)

4.3.4 रोजगार दिवस के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय तथा कार्यस्थल पर भी मांग का पंजीकरण किया जा सकता है।

4.3.5 यथास्थिति ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी कार्यों के वैध आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

4.3.6 राज्य बायोमीट्रिक या एमएमएस सुविधा के जरिए कार्य-स्थलों पर मांग के पंजीकरण और कार्यों के आवंटन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

4.3.7 इसके अलावा, मंत्रालय अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय आईवीआरएस और नरेगासॉफ्ट (वर्कर मॉड्यूल) के जरिए कार्यों की मांग के आवेदनों के प्रत्यक्ष पंजीकरण में मदद कर सकता है।

4.4 तारीखयुक्त रसीद

कार्य की मांग किए जाने पर निश्चित रूप से तारीखयुक्त रसीद दी जानी चाहिए। कार्य की मांग के लिए आवेदन प्राप्त होने के तत्काल बाद जीआरएस/संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय पदाधिकारी तारीखयुक्त रसीद जारी करेंगे, जिसमें उस मांग की प्राप्ति का उल्लेख किया गया हो। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी स्वचालित प्रणाली से प्राप्त होने वाले कार्य की मांग के आवेदन के परिणामस्वरूप तारीखयुक्त रसीद स्वतः तैयार हो, जिसमें उस आवेदन की प्राप्ति का उल्लेख किया गया हो। तारीखयुक्त रसीद न दिए जाने को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

4.5 रोजगार दिवस

पूरी नहीं की गई मांग को सटीक रूप से पंजीकृत करने, कामगारों को उनके अधिकारों एवं हकों की प्रभावी रूप से जानकारी देने और शिकायतों के निवारण के लिए मांग पंजीकरण और शिकायत निवारण के साधन के रूप में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोजगार दिवस के आयोजन से पूर्व समुचित आईईसी कार्यकलाप कर लिए जाएं। ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से रोजगार दिवस कैलेंडर की जानकारी दी जानी होगी।

4.5.1 रोजगार दिवस के आयोजन से संबंधित भूमिकाएं एवं जिम्मेवारियां निम्नानुसार हैं:

क. जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि रोजगार दिवस का आयोजन जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मासिक कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाए। इस कार्यक्रम की जानकारी मंत्रालय को दी जाएगी तथा इसे पब्लिक डोमेन में भी डाला जाएगा। ग्राम पंचायत और/या वार्ड स्तर पर एक माह में कम-से-कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए।

ख. ग्राम पंचायत प्रधान/पदनामित ग्राम पंचायत स्तरीय पदाधिकारी इस रोजगार दिवस का संचालन करेंगे। जीआरएस/मेट/एसएचजी संघ के सदस्य इसका प्रबंध करेंगे तथा कार्यवाहियों को रिकॉर्ड करेंगे।

ग. जिला कार्यक्रम समन्वयक रोजगार दिवसों के नियत दिनों में निगरानी दौरे करने के लिए लिंक अधिकारियों को तैनात करेंगे। रोजगार दिवस के कार्यवृत्त सार्वजनिक जांच एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे तथा संगत पैरामीटरों से संबंधित आंकड़ों को नरेगासॉफ्ट में डाला जाएगा, ताकि श्रम दिवसों के सृजन से उनकी सह-संबद्धता बनी रहे।

घ. राज्य को रोजगार दिवस के आयोजन से संबंधित रिपोर्टें भेजी जाएंगी। राज्य सरकार मांग की जानकारी रखने के लिए नियमित आधार पर जिला रिपोर्टों की समीक्षा करेगी।

4.6 ई-मस्टर रोल

सभी ग्राम पंचायतों में ई-मस्टर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि शत-प्रतिशत कवरेज वांछनीय है, फिर भी एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि के कारण ई-मस्टर में क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं। इसलिए सोच-समझकर विचार-विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात विनिर्दिष्ट ब्लॉकों के लिए पेपर मस्टर जारी करने की अनुमति दे सकती है। राज्य सरकारों को कार्यस्थलों पर मांगों के पंजीकरण को सरल बनाने वाली उपयुक्त व्यवस्था बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मनरेगा अधिनियम की धारा 15(7) के अनुसरण में राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि कार्यक्रम अधिकारी के सभी या कोई भी कार्य ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

4.6.1 ई-मस्टर रोल के विशिष्ट संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है:

क) ई-मस्टर रोल नरेगासॉफ्ट से तैयार किए जा सकने वाले ऐसे मस्टर रोल हैं, जिनमें किसी कार्यस्थल के लिए आबंटित कामगारों के नाम पहले से छपे होते हैं।

ख) कोई कार्य शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करेगी, ताकि कार्यक्रम अधिकारी अपेक्षित ई-मस्टर रोल जारी कर सके।

ग) यदि ग्राम पंचायत से भिन्न अन्य कोई संस्था कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता प्राधिकरण हो तो संबंधित ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करेगी, जो अपेक्षित मस्टर रोल के साथ कार्य आदेश संबंधित परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को जारी करेगा।

घ) यदि लाइन विभाग ने अपना कार्यक्रम अधिकारी (एलडी) अधिसूचित किया हो तो यही कार्य संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

ड.) जिस तारीख को पीआईए कार्य शुरू करने के अपने मंतव्य की घोषणा करती हैं उस तारीख से 3 दिनों की अवधि में कार्यक्रम अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी(एलडी) द्वारा इन ई-

मस्टर रोल को प्राधिकृत और ग्राम पंचायतों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित मस्टरों को ही भुगतान आदेश (एफटीओ) जारी करने के लिए प्रमाणिक माना जाता है। जारी किए गए मस्टर रोलों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाएगा और उसकी निरंतर निगरानी की जाएगी। ई-मस्टर के मामले में मस्टर रोल के नंबर सॉफ्टवेयर से तैयार होते हैं और इसलिए इन्हें प्रणाली में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।

च) ई-मस्टर तैयार करने के लिए निम्नलिखित ब्यौरा दर्ज किए जाने की आवश्यकता है:

i. पंचायत का नाम
ii. कार्य का कोड
iii. ..... (तारीख) से ..... (तारीख) तक
iv. कामगार की श्रेणी (अकुशल या कुशल/अर्धकुशल)
v. एक मस्टर रोल में शामिल कामगारों की संख्या

छ) एमआईएस में वर्तमान प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत नरेगासॉफ्ट में संबंधित लॉग-इन पासवर्डों की सहायता से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित/जारी ई-मस्टर मुद्रित कर सकती है।

ज) 2.2.6 में जारी अनुदेशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से पेपर मस्टर जारी किए जा सकते हैं।

अध्याय 5

हकदारी III - बेरोजगारी भत्ते का अधिकार

कामगार की हकदारी

महात्मा गाँधी नरेगा की धारा 7(1): "यदि योजना के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी बाद में हो, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।"

दैनिक बेरोजगारी भत्ते की दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम एक चौथाई तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम आधी होगी।

5.1 राज्य सरकार की जिम्मेवारी

तदनुसार, राज्य सरकारों से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है:

5.1.1 देय बेरोजगारी भत्ते की दर को विनिर्दिष्ट करना जो कि वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम एक चौथाई तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम आधी होगी।

5.1.2 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रियाविधि को नियंत्रित करने वाले नियम बनाना।

5.1.3 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करना।

5.2 बेरोजगारी भत्ते की गणना और भुगतान

5.2.1 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रविष्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी भत्ते की गणना करने का प्रावधान नरेगासॉफ्ट में किया गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए वर्तमान दस्तावेज में महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस से संबंधित विस्तृत भाग का संदर्भ लिया

जा सकता है। नरेगासॉफ्ट मांगों के उन मामलों की भी जांच करेगा जिनमें मांग के पंजीयन की तारीख या जिस तारीख से कार्य की मांग की गई है, इनमें से जो भी बाद में हो, से 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्य का प्रावधान उस तारीख से प्रमाणित हो जाता है जिस तारीख को मस्टर रोल शुरू किया गया है।

5.2.2 इस आंकड़े के आधार पर, बेरोजगारी भत्ते की गणना कर ली जाएगी और इसे कार्यक्रम अधिकारी के लॉग-इन में रखा जाएगा, ताकि वह इस मामले में अपना निर्णय दे सके। कार्यक्रम अधिकारी के निर्णयों को नरेगासॉफ्ट की वेब रिपोर्टों में उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बेरोजगारी भत्ते से संबंधित सभी प्रविष्टियां केवल नरेगासॉफ्ट के माध्यम से की जाएं।

5.2.3 राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संबद्ध नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए कामगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) तथा कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस पर नजर रखेंगे और साथ ही ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं की पर्याप्त सूची तैयार करवाने जैसे सभी आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी करेंगे। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों और किए गए सुधारात्मक उपायों को राज्य स्तर पर निगरानी के लिए रिपोर्टों में अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा।

5.2.4 यदि किसी बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है तो उसकी राशि को जॉबकार्ड में दर्शाया जाना चाहिए। रजिस्टर-।।। (ग्राम पंचायत में रखे जाने वाला) में कामगारों को दिए गए बेरोजगारी भत्ते की अपेक्षित जानकारी रहनी चाहिए।

5.3 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए राज्य सरकारों को सुझाई गई प्रक्रियाविधि

प्रक्रियाविधि को अत्यंत सरल रखा जाना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाए:

5.3.1 कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (नरेगासॉफ्ट) में डाले गए आंकड़ों के आधार पर स्वचालित तरीके से भुगतान आदेश तैयार करना (जिसके लिए अलग से स्वीकृति आदेश की जरूरत नहीं है) और एसईजीएफ या इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी अन्य कोष से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना।

5.3.2 अधिक-से-अधिक 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना है। यदि 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह उस तारीख से अनुमोदित मान लिया जाएगा जिस तारीख से यह देय है या फिर प्राप्तकर्ता विलंब से दी गई मजदूरी के मुआवजे के लिए निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर मुआवजा पाने के हकदार बन जाएंगे।

5.3.3 मजदूरी भुगतान इत्यादि की तरह ही बेरोजगारी भत्ते की राशि बैंक/डाकघर खातों में जमा की जाएगी।

5.4 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की देयता को अस्वीकृत करना

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का राज्य सरकार का दायित्व तभी समाप्त हो जाएगा जब:

5.4.1 ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कामगार को खुद या उसके परिवार के कम-से-कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करके कार्य के लिए रिपोर्ट करने के निदेश देने के साथ कार्य का आवंटन कर दिया जाता है; या

5.4.2 वह अवधि, जिसके लिए रोजगार मांगा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए आगे नहीं आता है; या

5.4.3 आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम-से-कम 100 दिनों का कार्य पूरा कर लिया है; या

5.4.4 आवेदक के परिवार ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर इतनी राशि प्राप्त कर ली है जो कि वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों के कार्यों की मजदूरी के बराबर है।

5.5 बेरोजगारी भत्ते के दावे को अस्वीकृत करना

5.5.1 जो भी आवेदक अपने परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता/करती है; या कार्यक्रम अधिकारी अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए गए 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता/करती है; या संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी से अनुमति लिए बगैर एक सप्ताह से अधिक समय तक लगातार काम पर नहीं आता/आती है; या किसी माह में कुल मिलाकर एक सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता/रहती है तो वह तीन माह की अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा/होगी किंतु वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र होगा/होगी।

5.6 बेरोजगारी भत्ते का स्वत: भुगतान

5.6.1 निर्धारित समयसीमा में निर्णय न लेने और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने पर कामगारों के खाते में देय राशि का स्वत: भुगतान कर दिया जाएगा।

5.7 कामगारों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग

5.7.1 कामगार बेरोजगारी भत्ते के लिए भी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय को आवेदन दे सकते हैं।

अध्याय 6

हकदारी IV - परियोजनाओं की सूची की योजना बनाने तथा इन्हें तैयार करने का अधिकार

सभी कामगारों को ग्राम सभा/वार्ड सभा में भाग लेने तथा उनकी पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों और उनकी प्राथमिकता के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है।

कामगारों की हकदारियां

अधिनियम की धारा 16(1): ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायत किसी योजना के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

अधिनियम में पैरा 7, अनुसूची (1), "राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विस्तृत तौर-तरीकों के हिसाब से पंचायत के प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित, भागीदारीपरक आयोजना कार्य प्रत्येक वर्ष अगस्त से दिसम्बर माह के बीच कराया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों का निर्धारण किया जाएगा और इन्हें ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा मध्य-स्तरीय पंचायतों या अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले ऐसे कार्यों को मध्य-स्तरीय या जिला पंचायतों के समक्ष प्रत्याशित परिणामों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।"

6.1 श्रम बजट तैयार किया जाना तथा परियोजनाओं के निर्धारण के लिए तालमेलयुक्त वार्षिक आयोजना कार्य

6.1.1 परियोजनाओं की सूची का निर्धारण और श्रम बजट (एलबी) अनुमान एक अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना दस्तावेज है, जिसमें आयोजना, अनुमोदन, वित्तपोषण तथा परियोजना निष्पादन संबंधी तौर-तरीकों का उल्लेख किया जाता है। चूंकि परियोजनाओं की सूची और श्रम बजट महात्मा गांधी नरेगा की धारा 13 से 16 के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, इसलिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को आयोजना के स्तर से लेकर जिले में प्रत्येक ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की सूची के अनुमोदन तक

उर्ध्वगामी दृष्टिकोण के सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। हर वर्ष दिसम्बर माह में अगले वित्तीय वर्ष का श्रम बजट तैयार करने की जिम्मेदारी भी जिला कार्यक्रम समन्वयक की होती है, जिसमें उस जिले में अकुशल श्रम कार्य की मांग के अनुमानों का ब्यौरा दर्शाया जाता है।

6.1.2 महात्मा गांधी नरेगा योजना के वार्षिक आयोजना कार्य मंत्रालय के तालमेलयुक्त आयोजना कार्य का हिस्सा होंगे। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों और व्यक्तियों की भूमि पर स्थायी आजीविका को बढ़ाने और वैयक्तिक परिवारों के मवेशियों के बाड़ों का प्रावधान करने वाले आजीविका संबंधी कार्यों की आयोजना पर जोर दिया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत एनआरएम संबंधी कार्य प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और कमांड क्षेत्र एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) योजनाओं के साथ तालमेल से शुरू किए जाएंगे, ताकि जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण उपायों के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। आयोजना के लिए तकनीकी जानकारियां जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत, सीएसओ भागीदारों और अन्य संबंधित विभागों के पास उपलब्ध तकनीकी संसाधनों से ली जाएंगी। एनआरएम कार्यों की आयोजना के मामले में, तकनीकी जानकारी वाटरशेड प्रकोष्ठ सह डाटा सेंटर (डब्ल्यूसीडीसी), महात्मा गांधी नरेगा एकक, जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग में आईडब्ल्यूएमपी के तकनीकी कर्मियों के संयुक्त पूल से ली जाएगी। उत्खनन, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण (ईआरएम)/जल निकायों से संबंधित तकनीकी जानकारी केंद्रीय भूजल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी मांगी जा सकती है।

6.1.3 मनरेगा योजना के अंतर्गत खासतौर पर वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत आने वाले स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक समूहों को आयोजना कार्यों में पूरी तरह शामिल किया जाएगा।

6.1.4 ग्राम पंचायतें परियोजनाओं की सूची पर चर्चा करने और इनके प्राथमिकता क्रम को अंतिम रूप देते समय 500-1000 हेक्टेयर के लघु तथा सूक्ष्म वाटरशेड जिनमें अक्सर एक से दस ग्राम पंचायतें आती हैं, को ध्यान में रखेंगी। साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक एनआरएम आयोजना प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला सिंचाई योजना में यथा अनुमोदित वाटरशेड/कमांड क्षेत्र दृष्टिकोण से संबंधित अनुशंसित कार्य योजना सभी संबंधित ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्तर पर पुष्टि कराने और जांच के लिए भेजी जाएगी। तत्पश्चात वाटरशेड/कमांड क्षेत्र में मौजूद सभी ग्राम पंचायतों की सभी ग्राम सभाओं द्वारा अंतिम डीपीआर जिसमें सभी सामुदायिक सुझावों का उल्लेख किया गया हो, को अनुशंसित किया जाएगा। इसके साथ-साथ, वाटरशेड स्तर पर सामुदायिक संगठन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे कि परियोजना के

लिए वित्तीय संसाधन दिए जाने से काफी पहले समुदाय आधारित आयोजना एवं क्रियान्वयन संरचना बनाई जा सके।

6.1.5 ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ भी परियोजनाओं की सूची का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ताकि सभी मनरेगा कार्य जीपीडीपी में अवश्य शामिल हों।

6.1.6 ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा/वार्ड सभा के कार्यवृत्त को नरेगासॉफ्ट में संबंधित एलबी के संलग्नक के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस ग्राम सभा/वार्ड सभा में वह श्रम बजट और ग्राम सभा के लिए परियोजनाओं की सूची अनुमोदित की गई हो।

6.1.7 राज्य सरकार को इस आशय का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कार्यों की सूची और श्रम बजट तैयार करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा में किए गए उपबंधों को ध्यान में रखा गया है तथा कार्यों की सूची तैयार करने में उर्ध्वगामी दृष्टिकोण का अनुपालन किया गया है।

6.1.8 कार्य की मांग करने वालों को उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यों की मात्रा और कार्यक्रम की रूपरेखा दर्शाने वाली योजना के साथ-साथ कार्य की मांग की माह-वार अनुमानित मात्रा को श्रम बजट में शामिल किया जाना चाहिए।

6.1.9 श्रम बजट तैयार करने और इन्हें समेकित करने के उपाय: जिला कार्यक्रम समन्वयक जिले में अकुशल श्रम कार्य की अनुमानित मांग का आकलन सुनिश्चित करेंगे। ग्राम पंचायत भागीदारीपरक प्रक्रियाओं के जरिए समुदाय स्तर पर महात्मा गाँधी नरेगा के माध्यम से परिसंपत्तियों के सृजन की आवश्यकता का आकलन करेगी। इन प्रक्रियाओं के परिणामों को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित किए जाने तथा अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की जरूरत होगी।

क) योजना में निर्धारित किए गए विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ख) इसमें शामिल उप चरण इस प्रकार हैं:

i.मांग का आकलन

ii.जरूरतों का निर्धारण

iii.संसाधन क्षेत्र का निर्धारण

iv.प्रारूप विकास योजना तैयार करना

v. ऐसे मामलों में जहाँ जीआईएस आधारित आयोजना के लिए ग्राम पंचायत का निर्धारण किया गया है, वहाँ मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी कार्यों का निर्धारण

सैचुरेशन मोड में जीआईएस/आरएस साधनों के जरिए किया गया हो। ग्राम पंचायत संकल्प में उन चरणों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें कार्य शुरू किए जाने हैं।

vi. ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा अनुमोदन।

ग) **ग्राम पंचायत की भूमिका**: कार्यक्रम अधिकारी को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करनी होती है।

घ) **कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका**: कार्यक्रम अधिकारी को वार्षिक योजनाओं की इन मानदंडों के आधार पर जांच करनी होती है कि क्या ये कार्य अनुमेय कार्यों की सूची के अंतर्गत आते हैं और क्या समग्र मजदूरी सामग्री अनुपात को बनाए रखा गया है। कार्यक्रम अधिकारी तत्पश्चात इन योजनाओं को ब्लॉक योजना में समेकित करते हैं तथा इसे ब्लॉक पंचायत को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते हैं।

ङ) **अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों की भूमिका**: यदि कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य एजेंसियों को करना हो तो इन कार्यों का ब्यौरा इनके अपेक्षित परिणामों के साथ मध्यस्तरीय या जिला पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में अनुमोदनों की जानकारी कार्य शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत को दी जाएगी।

च) **ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत की भूमिका**: ब्लॉक तथा मध्यस्तरीय पंचायतें कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित श्रम बजट पर विचार करके इसे अनुमोदित करती हैं। ब्लॉक/मध्यस्तरीय पंचायत फिर इस अनुमोदित योजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास भेजती हैं।

6.1.10 जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) की भूमिका: ब्लॉक योजनाएं जिला स्तर पर समेकित और अनुमोदित की जाएंगी। डीपीसी के नेतृत्व में तालमेलयुक्त आयोजना के लिए जिला तालमेल स्थापित करने वाली इकाई होगी जहां डीपीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनरेगा योजना, आईडब्ल्यूएमपी और पीएमकेएसवाई से संबंधित वार्षिक कार्य योजनाओं का समेकन इस तरह से किया जाए कि क्षेत्र में मौजूदा योजनाओं के तालमेल से गांव/वाटरशेड/सीएडी एप्रोच के समेकित विकास के लिए आवश्यक सभी कार्यों/कार्यकलापों को समाविष्ट/समेकित करते हुए गांव/वाटरशेड/कमांड क्षेत्र की व्यापक परियोजना तैयार की जा सके। डीपीसी केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन और कृषि विभागों के साथ परामर्श करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मनरेगा योजना के श्रम बजट के एनआरएम घटक को अनिवार्य रूप से जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) का हिस्सा बना दिया जाए। ब्लॉक योजनाओं के समेकन के बाद अनुमोदन प्रक्रिया चलाई जाएगी। जिला स्तर पर अनुमोदन के लिए, ग्राम पंचायतों

और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए जिला स्तर पर मजदूरी और सामग्री में 60:40 के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए। जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला स्तर पर लागत की दृष्टि से शुरू किए गए कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल तथा वृक्षारोपण विकास के माध्यम से सीधे कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे। डीपीसी/कलक्टर आगे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यों की आयोजना इस तरह से की जाए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कम-से-कम 65 प्रतिशत व्यय देश के मिशन जल संरक्षण (एमडब्ल्यूसी) ग्रामीण ब्लॉकों के अंतर्गत निर्धारित 2129 ब्लॉकों में एनआरएम कार्यों पर किए जाएं। इन ब्लॉकों में कार्य-निष्पादन की निगरानी का प्रावधान एमआईएस में किया गया है।

6.1.11 राज्य सरकार की भूमिका: राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की समेकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जीआईएस आधारित आयोजना शुरू करने के लिए उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेन्सिंग को इस प्रक्रिया में शामिल करें और यह भी सुनिश्चित करें कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी अनुमेय कार्यों का सैचुरेशन मोड में निर्धारण किया जाए तथा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन की योजना में उन्हें शामिल किया जाए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मामलों में ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी हो, उन मामलों में कार्यों की पुष्टि संबंधित ग्राम सभा से कराई जाए। ग्राम पंचायत से भिन्न किसी अन्य क्रियान्वयन एजेंसी के मामले में अपेक्षित परिणामों के साथ कार्यों की पुष्टि मध्यस्तरीय या जिला पंचायत से कराई जानी चाहिए।

6.1.12 मंत्रालय की अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) की भूमिका: राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को यथार्थपूर्ण श्रम बजट प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिएं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित है कि वे कार्य-निष्पादन योजनाओं एवं कार्यनीतियों के साथ श्रम बजट प्रस्ताव मंत्रालय की अधिकार-प्राप्त समिति को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत कर दें। अधिकार-प्राप्त समिति की भूमिका प्रस्ताव पर व्यावहारिक रूप से विचार करना और निष्पादन, अपनाई गई आयोजना प्रक्रिया की समीक्षा, राज्य की पहलों और कार्यनीतियों के मूल्यांकन के माध्यम से और गरीबी (सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अभाव संबंधी आंकड़ों के आधार पर), सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि के संदर्भ में राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अनुमानित श्रम बजट तय करना है। अतः, इस प्रकार तय किया गया श्रम बजट किसी भी प्रकार से वास्तविक कार्य-निष्पादन की उच्चतम सीमा नहीं होता है। यदि जमीनी स्तर पर मांग हो तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने श्रम बजट से अधिक कार्य-निष्पादन कर सकते हैं।

6.2 कमजोर तबके के परिवारों और समुदायों पर विशेष ध्यान:

अनुमानित मांग, निजी भूमि पर कार्यों की सूची और व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचाने वाले अन्य कार्यों की सूची के लिए आकलन तैयार करते समय कमजोर तबके के परिवारों और समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गरीब तथा कमजोर तबके के परिवारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए तालमेलयुक्त आयोजना कार्य में एसईसीसी के स्वत: समावेशित एवं वंचित परिवारों के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

6.3 जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान:

मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ती है, भूजल का पुनर्भरण होता है तथा कृषि उत्पादन व कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि होती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मनरेगा को गरीबों की आजीविकाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु-परिवर्तन की समस्या का समाधान करने वाली सरकार की 24 प्रमुख पहलों में से एक माना है। मनरेगा के विशेषकर 'क' श्रेणी के कार्यकलाप प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित हैं।

जलवायु परिवर्तन को सहने की अभावग्रस्त ग्रामीण समुदायों की क्षमता सुनिश्चित करने और उन्हें दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों की आयोजना व रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेषकर निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

i. मनरेगा कार्यों की आयोजना और रूपरेखा में जिला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर अभावग्रस्तता के निर्धारण के साथ-साथ जलवायु-परिवर्तन, विशेषकर सूखे और बाढ़ की व्यापकता के ऐतिहासिक एवं अनुमानित आंकड़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
ii. परिसंपत्तियों का स्थायित्व और उन पर आश्रित समुदायों की जलवायु परिवर्तन को सहने की क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के पूरक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों, जैसे कि मेढ़ों पर पौधरोपण, खेत तालाबों और कम्पोस्ट पिट को जोड़ा जाना चाहिए।

6.4 कार्यों की सूची की अभिरक्षक के रूप में ग्राम पंचायतें:

जहाँ ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी होती है, वहाँ सभी कार्यों का अनुमोदन अनिवार्यतः ग्राम सभा से कराया जाएगा। ग्राम पंचायत परियोजनाओं की सूची की अभिरक्षक होती है और ग्राम पंचायत में कार्य कर रही सभी परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को अपनी योजनाओं की

रिपोर्ट ग्राम पंचायत को देनी चाहिए, जिसे उन योजनाओं को महात्मा गाँधी नरेगा की वार्षिक योजना में विधिवत शामिल करना चाहिए। ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य पीआईए द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों के लिए कार्य के स्तर के आधार पर ब्लॉक/मध्य-स्तरीय/जिला पंचायत से अनुमोदन लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची रोजगार की अनुमानित मांग से कम-से-कम दोगुनी होनी चाहिए।

6.5 अपेक्षित परिणाम:

प्रत्येक कार्य के निष्पादन से मिलने वाले अपेक्षित परिणाम अनिवार्य रूप से आकलन का हिस्सा होंगे। परिसंपत्ति-वार अपेक्षित परिणाम पैरा संख्या 7.12.2 में देखे जा सकते हैं।

6.6 एमआईएस में कार्यों की प्रविष्टि तथा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन:

एमआईएस में कार्यों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत/जिला पंचायत में निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही की जाएगी। ग्राम पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत/जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार ही कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा।

6.7 तालमेल:

राज्य और जिला दोनों स्तरों पर कृषि, वन, बागवानी, मत्स्यपालन, रेशम कीट पालन, पशुपालन, पंचायत के लिए एफएफसी/एसएफसी अनुदानों, सिंचाई, खनिज़, एनआरएलएम, पीएमएवाई, एमपीएलएडीएस, रेलवे, डीडब्ल्यूएस, स्कूली शिक्षा इत्यादि जैसे विभागों/योजनाओं के साथ तालमेल की अपार संभावनाएं हैं। तालमेल दो प्रकार से हो सकता है:-

(1) जहाँ तालमेल करने वाला विभाग मनरेगा योजना को अपनी तकनीकी जानकारियां प्रदान करता है। (2) जहाँ तालमेल करने वाला विभाग आंगनवाड़ी केंद्र भवन जैसे कार्यों के लिए मनरेगा योजना के साथ तालमेल हेतु निधियां भी उपलब्ध कराता है। इस मामले में भी निधियों के तालमेल के दो तरीके होते हैं। एक तरीके में तालमेल करने वाला विभाग अपनी निधियां एसईजीएफ में जमा कर सकता है और कार्य इन दोनों निधियों का उपयोग करके संपन्न किए जाते हैं। दूसरे तरीके में तालमेल करने वाला विभाग और मनरेगा योजना अपनी-अपनी निधियों से संपन्न की जाने वाली मदों का स्पष्ट रूप से निर्धारण इस प्रकार करते हैं कि कार्य संपन्न हो सके। तालमेल योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को परियोजनाओं की सूची में शामिल किए जाने से पहले सक्षम पंचायत अर्थात ग्राम पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत/जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि तालमेल के लिए निर्धारित कार्य को उपयुक्त पंचायत द्वारा वार्षिक योजना का अनुमोदन किए जाने के बाद शुरू किया जाना हो तो सक्षम पंचायत

के समक्ष ऐसे कार्यों के अनुमोदनार्थ उन कार्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे अनुमोदन के बाद ये कार्य वार्षिक कार्य योजना में शामिल हो जाएंगे।

राज्य की वार्षिक कार्य योजना में विभिन्न विभागों और योजनाओं के साथ किए जाने वाले तालमेल निम्नलिखित फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे:

राज्य तालमेल फ्रेमवर्क

क्र.सं.	**विभाग**	**कार्यक्रम/योजना**	**वित्तीय तालमेल**			**तकनीकी तालमेल**
			कुल लागत	**महात्मा गांधी नरेगा निधि**	**तालमेलकर्ता विभाग की निधि**	

6.7.1 महात्मा गाँधी नरेगा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), पीएमजीएसवाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) नामक पांच ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के बीच तालमेल करते हुए समेकित आयोजना को बढ़ावा दिया जाता है।

6.7.2 महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां सृजित करने तथा इन परिसंपत्तियों का लाभ उठाने के लिए महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) तथा डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत शुरू की गई कृषि आधारित अन्य स्थायी पहलों के अंतर्गत निर्धारित किसानों की मदद करते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रमों में आपसी तालमेल का उपयोग किया जाना चाहिए। महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत इन परिवारों को निम्नलिखित परिसंपत्तियां दिलाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।

i. खेत तालाब, कुएँ और अन्य जल संचयन संरचनाएं।
ii. वर्मी/नाडेप कंपोस्ट पिट
iii. मवेशी बाड़े, बकरियों के बाड़े, मुर्गियों के दड़बे, पिग स्टे इत्यादि।

राज्यों को लाभार्थियों का निर्धारण करने, मौजूदा जॉब कार्डधारक परिवारों का पता लगाने, ऐसे परिवारों, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं, किंतु वे मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने को इच्छुक हैं, को नए जॉब कार्ड जारी करने, श्रम बजट की वार्षिक कार्य योजना में कार्य और

मांग को शामिल करने तथा जॉब कार्डधारक एमकेएसपी/डीएवाई-एनआरएलएम महिला किसानों को कार्यों का आवंटन करने की जरूरत है।

मिशन के अंतर्गत गठित किए गए कलस्टर स्तरीय संघ कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से आजीविका संवर्धन करने वाली श्रेणी 'ख' (वैयक्तिक) परिसंपत्तियों के निर्माण मे सहायक हो सकता है। नर्सरी उगाने/मोरिंगा के पौधरोपण जैसे कार्यों में सीएलएफ को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। पीआईए के रूप में सीएलएफ की भूमिका में सहायता के लिए आगे और दिशा-निर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

6.7.3 अन्य विभागों/मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मनरेगा योजना का तालमेल:

अन्य विभागों/मंत्रालयों की योजनाओं के साथ तालमेल करते हुए मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलापों/कार्यों की सूची आगे दर्शाई गई है। भारत सरकार द्वारा जारी संगत दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

1. **आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी):**
   यह मनरेगा योजना और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) के बीच तालमेल की पहल है। पूरे देश में 4 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हस्ताक्षरों से संयुक्त तालमेल दिशानिर्देश 17 फरवरी, 2016 को जारी किए गए, जिनमें इस तालमेल की कार्यविधियों का ब्यौरा दिया गया है। इन दिशानिर्देशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र संख्या 14/1/2018-सीडी-।। द्वारा संशोधित किया है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 17 फरवरी, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ तालमेल के लिए सहमत हो गया है, जिसका ब्यौरा नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखा जा सकता है।

2. **ग्रामीण सड़क संपर्क:**
   यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा तथा पीएमजीएसवाई नामक दोनों योजनाओं के बीच तालमेल की पहल है। मनरेगा योजना और पीएमजीएसवाई के बीच संयुक्त दिशानिर्देश मंत्रालय के दिनांक 9 फरवरी, 2009 के पत्र डायरी संख्या 178/एसआरडी/09-मनरेगा द्वारा जारी किए गए और दिनांक 07 नवंबर, 2013 के पत्र सं. एल-11060/1/2011-मनरेगा द्वारा इनमें और अधिक संशोधन किया गया। इन दिशा-निर्देशों में तालमेल की कार्यविधियां

स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं।

3. रेशम कीट पालन

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और वस्त्र मंत्रालय के बीच तालमेल की पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय ने मिलकर 'मनरेगा योजना और कैटेलिटिक डेवेलपमेंट प्रोग्राम (सीडीपी) की योजना के तालमेल के माध्यम से रेशम कीटों के होस्ट प्लांट शुरू करने संबंधी दिशानिर्देश' 8 अक्टूबर, 2013 को जारी किए थे, जिनमें तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं।

4. रेल

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और रेल मंत्रालय के बीच तालमेल की पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के पत्र संख्या जे-11017/42/2013-मनरेगा (यूएन) द्वारा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और यह एडवाइजरी नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखी जा सकती है।

5. रबड़ पौधरोपण:

यह मनरेगा योजना और रबड़ बोर्ड के बीच तालमेल की पहल है। रबड़ बोर्ड द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2013 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं।

6. नारियल पौधरोपण:

यह मनरेगा योजना और नारियल विकास बोर्ड/अन्य केंद्रीय पहलों के बीच तालमेल है। मनरेगा योजना और नारियल विकास बोर्ड की क्षेत्र विस्तार योजना के तालमेल के माध्यम से नारियल की खेती शुरू करने संबंधी दिशानिर्देश मई, 2014 में जारी किए गए और 'मनरेगा योजना तथा नारियल विकास बोर्ड की रीप्लांटिंग एंड रीज्युवनेशन स्कीम के तालमेल के माध्यम से कोकोनट गार्डनों की रीप्लांटिंग एंड रीज्युवनेशन संबंधी दिशानिर्देश' में तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं।

7. मत्स्यपालन:

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और तत्कालीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के ब्ल्यू रिवोल्यूशन इंटीग्रेटिड डेवेलपमेंट एंड मेनेजमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंतर्गत तालमेल

की पहल है। दिनांक 09 नवम्बर, 2017 को पत्र संख्या एफ.नं. 27035/22/2016-एफवाई (IV) द्वारा जारी किए गए संयुक्त दिशानिर्देशों में तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं।

8. चारागाह:

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचएडी) के बीच तालमेल की पहल है। दिनांक 26 जून 2020 के पत्र संख्या- फा.सं. एल. 15060/11/2020-आरई-VII द्वारा जारी किए गए संयुक्त दिशानिर्देशों में तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं।

9. सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस) के बीच तालमेल की पहल है। दिनांक 6 जुलाई 2020 के पत्र संख्या एल-13060/48/2019-आरई-VII द्वारा जारी किए गए संयुक्त दिशानिर्देशों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बीच तालमेल की कार्यविधियां स्पष्ट की गई हैं और ये दिशानिर्देश नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखे जा सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा के तहत सीएससी के निर्माण के लिए अधिकतम 230 श्रमदिवसों के अकुशल श्रम घटक को शामिल किया जाएगा।

10. औषधीय पौधे

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय के बीच तालमेल की पहल है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत औषधीय पौधरोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय और गामीण विकास विभाग के बीच तालमेल के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश दिनांक 11.08.2021 के पत्र सं.एल-13060/05/202-21-आरई-VII द्वारा जारी किए गए हैं। तालमेल की कार्यविधियां नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखी जा सकती हैं।

11. बागवानी

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच तालमेल की पहल है। बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के साथ संयुक्त दिशा-निर्देश दिनांक 14.01.2022 के पत्र सं.एल-13060/11/2020-आरई-VII द्वारा जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों से तकनीकी विशेषज्ञता, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों और आजीविकाओं के लिए बागवानी को बढ़ावा देने के संबंध में प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। तालमेल की कार्यविधियां नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखी जा सकती हैं।

12. पोषण उद्यान

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और डीएवाई-एनआरएलएम के बीच तालमेल की पहल है। राज्य योजना और एनआरएलएम के साथ तालमेल करते हुए व्यक्तिगत लाभार्थियों एवं समुदाय के पोषण उद्यानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश दिनांक 04.05.2020 को जारी किए गए हैं। पोषण उद्यान को बढ़ावा देने के लिए भूमि को समतल बनाने, कुएं की खुदाई, पौधरोपण कार्यकलाप, सोख्ता गड्ढा, पुनर्भरण गड्ढा तैयार करने, मवेशियों के बाड़े, बकरियों के बाड़े, सूअरों के बाड़े, मुर्गियों के दड़बे बनाने, अजोला की खेती के लिए अवसंरचना तैयार करने, कृमि खाद अवसंरचना तैयार करने, बागवानी वृक्षों के रोपण, मत्स्यपालन, तालाब बनाने जैसे कार्यकलाप अनुमेय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यकलापों को बीज इत्यादि जैसी सहायता के लिए संबंधित विभागों के सहयोग से शुरू किया जा सकता है। इन दिशा-निर्देशों से तकनीकी विशेषज्ञता, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों और आजीविकाओं के लिए बागवानी को बढ़ावा देने के संबंध में प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। तालमेल की कार्यविधियां नरेगासॉफ्ट (http://nrega.nic.in) पर तालमेल के 'Circular/Guidelines' कैप्शन में देखी जा सकती हैं।

13. सीमा सड़क संगठन

महात्मा गांधी नरेगा योजना और रक्षा मंत्रालय ने 12 नवंबर, 2021 को पत्र सं. जे-11017/06/2021-आरई-VII द्वारा संयुक्त परामर्शिका जारी की है, जिसमें अधिकांशत: राष्ट्र की रक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए तालमेल की कार्यविधियों का ब्यौरा दिया गया है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी की भूमिका निभाएगा और केवल अकुशल श्रमिक घटक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण कार्यविधियां बीआरओ द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी भी सुनिश्चित करेगा। इन सड़कों के गुणवत्ता मानक भारतीय रोड कांग्रेस

(आईआरसी) या पीएमजीएसवाई या बीआरओ की संहिताओं, जो भी उपयुक्त हो, के अनुरूप होने चाहिए। प्रशासनिक स्वीकृति डीपीसी, महात्मा गांधी नरेगा योजना द्वारा और तकनीकी स्वीकृति बीआरओ द्वारा दी जाएगी।

14. मोरिंगा/ड्रम स्टिक पौधरोपण

यह महात्मा गांधी नरेगा योजना और एनआरएलएम के बीच तालमेल की पहल है। एनआरएलएम के साथ तालमेल करते हुए मोरिंगा/ड्रम स्टिक को बढ़ावा देने के विषय में संयुक्त परामर्शिका दिनांक 27 सितंबर, 2021 को पत्र सं.के-11060/05/2021-22/एलएच/मोरिंगा द्वारा जारी की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सभी अपरक्राम्य प्रावधानों (सभी कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा) का अनुपालन करते हुए मोरिंगा/ड्रम स्टिक पौधरोपण को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे। प्रगति की निगरानी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य सचिव, एसआरएलएम और आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा की जानी चाहिए। तालमेल की विस्तृत कार्यविधियों का उल्लेख मोरिंगा/ड्रम स्टिक को बढ़ावा देने के विषय में जारी परामर्शिका में किया गया है।

6.7.4 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण

ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण अनुमेय कार्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए के व्यय से ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया जा सकता है। तथापि, राज्य 20 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए अन्य संबंधित विभागों, वित्त आयोग की निधियों (जहां कहीं लागू हो) के साथ तालमेल पर विचार कर सकता है।

6.8 आयोजना के लिए सुझाई गई समय सीमाएं:

की जाने वाली कार्रवाई	समयावधि
ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया की शुरूआत तथा ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा आयोजना प्रक्रिया पर चर्चा	2 अक्टूबर
ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए विशेष ग्राम सभा	3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक
ब्लॉक पंचायत में ग्राम पंचायत स्तरीय योजना प्रस्तुत करना	5 दिसंबर तक
ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलक्टर को प्रस्तुत करना (ब्लॉक स्तर के लिए	20 दिसंबर तक

प्रस्तावित सभी कार्यकलापों सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	
मंत्रालय द्वारा परिचालित सुझावात्मक फॉर्मेट में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा डीपीसी के समक्ष ब्लॉक योजनाओं की प्रस्तुति तथा डीपीसी द्वारा इसका मूल्यांकन	19 जनवरी तक
जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलक्टर द्वारा जिला पंचायत में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के लिए प्रस्तावित सभी कार्यकलाप जिला स्तर पर अनुमोदित होनेे चाहिए)	20 जनवरी तक
जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। डीपीसी/एडीपीसी इस योजना को मंत्रालय द्वारा परिचालित सुझावात्मक फॉर्मेट में राज्य/सं.रा.क्षेत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और राज्य योजना में समेकन से पूर्व इनका मूल्यांकन किया जाएगा।	31 जनवरी तक
मंत्रालय द्वारा परिचालित सुझावात्मक फॉर्मेट में श्रम बजट केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना।	10 फरवरी तक
अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकेें तथा श्रम बजट को अंतिम रूप देना।	20 फरवरी के बाद से
मंत्रालय द्वारा राज्यों को श्रम बजट से अवगत कराया जाना तथा उसके बाद राज्यों द्वारा जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को इसकी जानकारी दिया जाना।	31 मार्च तक

अध्याय-7

हकदारी V - महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य

कामगार को अधिमानत: उसके निवास स्थान से 5 कि.मी. के अंदर काम दिया जाएगा। काम निश्चित रूप से उसी ब्लॉक में दिया जाएगा। यदि किसी कामगार को उसके निवास स्थान से 5 किमी. से अधिक की दूरी पर काम आबंटित किया जाता है तो वह यात्रा भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

अधिनियम की अनुसूची II, पैरा 18: *"जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर के दायरे में नियोजन प्रदान किया जाएगा।"*

अधिनियम की अनुसूची II, पैरा 20: *"यदि पैरा 18 में विनिर्दिष्ट दायरे से बाहर नियोजन प्रदान किया जाता है तो वह अवश्य ही ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।"*

7.1 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य का निष्पादन

अधिनियम का उद्देश्य गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में गारंटीयुक्त रोजगार के रूप में कम-से-कम 100 दिनों का अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराना है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊपन वाली लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन होगा।

गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना में विभिन्न प्रकार के कार्यों पर बल दिया जाता है जिनके बारे में अधिनियम की अनुसूची-। के पैरा 4 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

7.1.1 कार्यान्वयन एजेंसियां

महात्मा गांधी नरेगा के अनुसार, 'क्रियान्वयन एजेंसी' में किसी योजना के अंतर्गत शुरू किए गए किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, जिला परिषद, मध्य स्तरीय पंचायत, ग्राम

पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोक्ता संघ भी क्रियान्वयन एजेंसियां हो सकते हैं। लागत के संबंध में कम-से-कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन के लिए आवंटित किए जाएंगे।

ब्लॉक/जिला स्तर पर किसी संबंधित विभाग का अधिकारी भी कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) के रूप में कार्य कर सकता है जिसे पीओ (एलडी) कहा जाएगा।

महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों के संघों को उत्तरोत्तर रूप से शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

7.1.2 मजदूरी सामग्री अनुपात

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I, पैरा 20 के अनुसार "ग्राम पंचायतों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए अकुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

7.1.3 मशीनों का उपयोग

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I, पैरा 22 में यह निर्धारित है कि "जहां तक व्यवहार्य हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य, श्रमिकों के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे और श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।" तथापि, कार्यों के निष्पादन में ऐसे भी कार्यकलाप हो सकते हैं जिन्हें केवल श्रमिकों से पूरा नहीं किया जा सकता, वहां कार्यों की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन को बनाए रखने के लिए मशीनों का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत इस्तेमाल किए जा सकने वाली मशीनों की सुझावपरक सूची नीचे दर्शाई गई है:

क्र.सं.	महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 के पैरा 4 (1) के अनुसार कार्य का नाम	कार्यकलाप का नाम	इस्तेमाल किए जा सकने वाली मशीनों के नाम
1.	I.श्रेणी कः एनआरएम से संबंधित सार्वजनिक कार्य	(i) 15 से 23 से.मी. की सतह पर अधिकतम नमी के साथ मिट्टी के तटबंधों को मजबूत बनाना	i) प्लेट रैमर/वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर/ वाइब्रो टैंपर्स ii) 8-20 टन वजन के स्टैटिक स्मूथ चक्कों वाले रोलर/पावर

			रोलर/शीप फुट रोलर/न्यूमेटिक टायर्ड रोलर/वाइब्रेटरी रोलर/ग्रिड रोलर ।
2.	II. श्रेणी ख: (i) भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, डग वेल	(i) डगवेल की खुदाई/उसे गहरा करना	(i) पानी निकालने के लिए पंप सेट। (ii) पथरीली सतह के लिए ट्रैक्टर पर लगा कंप्रेसर हैमर (iii)लिफ्टिंग डिवाइस/चेन पुली (मोटर युक्त)।
3.	IV. श्रेणी घ: (ii) सड़क संपर्क	(i) 15 से 23 से.मी. की सतह पर अधिकतम नमी के साथ मोरम/रोड़ी को ठोस बनाना	(i) 8-20 टन वजन के स्टैटिक स्मूथ चक्कों वाले रोलर/ पावर रोलर/ शीप फुट रोलर/न्यूमेटिक टायर्ड रोलर /वाइब्रेटरी रोलर/ग्रिड रोलर। (ii) ट्रेलर पर लगा वाटर ब्राउजर।
		(ii) 15 से 20 से.मी. की सतह पर अधिकतम नमी के साथ मोरम/रोड़ी को ठोस बनाना	(i) 8-20 टन वजन के स्टैटिक स्मूथ चक्कों वाले रोलर/ पावर रोलर/ शीप फुट रोलर/न्यूमेटिक टायर्ड रोलर /वाइब्रेटरी रोलर/ग्रिड रोलर। (ii) ट्रेलर पर लगा वाटर ब्राउजर।
		(iii)सीमेंट कंक्रीट को मिलाना	(i)मैकेनिकल मिक्सर
		(iv)सीमेंट कंक्रीट को ठोस बनाना	(i)मैकेनिकल वायब्रेटर
		(v)सीमेंट कंक्रीट में ज्वाइंट की कटिंग	(i)कंक्रीट ज्वाइंट कटर
4.	IV. श्रेणी घ: (v) भवन निर्माण	(i)आरसीसी फूटिंग, कॉलम, बीम तथा छत	(i)मैकेनिकल मिक्सर और मैकेनिकल वाइब्रेटर
5.	IV.श्रेणी घ: (vii) निर्माण सामग्रियों का उत्पादन	(i) कंप्रेस्ड स्टेबिलाइज्ड अर्दन ब्लॉकों (सीएसईबी) को कंप्रेस करने के लिए	(i)सीएसईबी के लिए मशीन
		(ii)फ्लाई ऐश ईंटों/ब्लॉकों के उत्पादन के लिए	(ii)पैन मिक्सर तथा ईंट/ब्लॉक बनाने वाली मशीन (वायब्रेटरी टेबल/हाइड्रोलिक प्रेस)

6.	I. श्रेणी क: (v) सामान्य भूमि तथा वन भूमियों में वनीकरण, वृक्षारोपण	(i) पौधरोपण के लिए गड्ढों की खुदाई जो कि ऊसर क्षेत्रों में हाथ से नहीं की जा सकती, जहां कंकड़ की ठोस सतह है और 8.5 से अधिक पीएच वाली क्षारीय मिट्टी है।	(i) मैकेनिकल बरमा

ऊपर उल्लिखित मशीनों के इस्तेमाल की शर्तें इस प्रकार हैं:

क. उपर्युक्त सूचीबद्ध मशीनें प्राक्कलन में तकनीकी स्वीकृति का भाग होंगी और मशीनरी के उपयोग के लिए डीपीसी या सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट मंजूरी ली जाए। ऐसे प्रत्येक मामलों में इस तरह की मशीनों के संचालन का विधिवत रिकॉर्ड/प्रलेखित किया जाना चाहिए तथा इसे केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ख. अकुशल कार्य की प्रासंगिक मद के लिए परिणाम की गणना करते समय संघनन हेतु मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए और मशीन और श्रम के साथ एक ही क्रियाकलाप की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एसओआर को संशोधित किया जाना चाहिए। अकुशल श्रम कार्य के लिए अलग एसओआर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जिसमें मशीनरी का उपयोग करके संघनन किया जाता है।

ग. महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के आकलन में उस क्षेत्र में राज्य/संबंधित विभागों की दरों की मौजूदा अनुसूची (एसओआर) के अनुसार निर्धारित मशीन की दर का उल्लेख होना चाहिए।

घ. ऐसे कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा विशेष रूप से कराई जाएगी। मशीनों के उपयोग तथा उनकी अनुमानित लागत और जिन प्रयोजनों के लिए मशीनों का उपयोग किया गया, से संबंधित ब्यौरे कार्यस्थल पर डिस्प्ले बोर्ड में स्थानीय भाषा में अनिवार्य रूप से दर्शाए जाने चाहिए। यदि सामाजिक लेखा परीक्षा में/एनएलएम द्वारा या किसी शिकायत के रूप में मशीनों के इस्तेमाल से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला आता है, तो ऐसी परियोजना के लिए केंद्र की ओर से किसी धनराशि की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

यदि निर्माण सामग्रियों (सीएसईबी, फ्लाईऐश ईंट, पेवर ब्लॉक इत्यादि) के उत्पादन जैसे कार्यों में बार-बार उपयोग के लिए मशीन लगाए जाने की जरूरत होती है, तो सहभागी कार्यक्रम से तालमेल के रूप में महात्मा गांधी नरेगा से अलग स्रोतों से ऐसी मशीनें खरीदने के प्रयास किए जाएं।

हर हाल में इस क्रियाकलाप के शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि राख से बनी ईंटें, पेवर ब्लॉक इत्यादि बाजार दर के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने वाली लागत पर तैयार किए जा रहे हैं। निर्माण सामग्रियों के उत्पादन की लागत की गणना करते समय मशीन की लागत को उपयुक्त तरीके से उसमें शामिल किया जाएगा अर्थात इसे परिशोधित किया जाएगा।

7.1.4 कार्यों को परिणामोन्मुख बनाना:

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 13(ग) में यह प्रावधान है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक कार्य में प्राक्कलन का सारांश, डिजाइन और तकनीकी नोट होगा जो कार्य को कार्यान्वित करने के संभावित परिणामों को दर्शाता हो।

7.1.5 वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा आकलन/डिजाइन तैयार किया जाना और तकनीकी पुनरीक्षा

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मनरेगा योजना के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों का आकलन और डिजाइन तैयार करने के लिए प्राधिकृत तकनीकी व्यक्ति सक्षम हैं और उनके पास इसके लिए अपेक्षित ज्ञान है। यदि घरेलू स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध न हो तो संबंधित लाइन विभाग से तकनीकी संसाधन की मांग की जा सकती है। मनरेगा योजना के अंतर्गत मौजूदा तकनीकी स्टाफ को संबंधित लाइन विभागों के विशेषज्ञों द्वारा इस तरह का आकलन तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके पूरा होने की अनुमानित अवधि तथा इसके संभावित परिणामों का उल्लेख किए बिना कोई तकनीकी मंजूरी नहीं दी जाती है।

परियोजना/कार्य की तकनीकी और लागत के आधार पर योजना की मंजूरी के लिए राज्य द्वारा एक प्रोटोकोल अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि उचित आकलन और एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, वरिष्ठ तकनीकी प्राधिकारी/कार्मिक द्वारा अनुमानित डिजाइन की पुनरीक्षा किया जाना अनिवार्य होगा और अधिमानत: संबंधित वरिष्ठ कार्मिक को उस संबंधित लाइन एजेंसी से होना चाहिए जो आमतौर पर इस तरह के कार्यों को निष्पादित करती है।

कार्यों का आकलन और आवश्यकता, जो अत्यधिक तकनीकी स्वरूप की होती है और जिसकी लागत बहुत अधिक होती है (बीस लाख रुपए से अधिक) जैसे नदी पुनरुद्धार, नदी तटबंध को मजबूत बनाना, नदी/नहर से गाद निकालना, एमआई टैंकों की क्रमवार संख्या, भूमिगत जल निकास नालियां, नहर का किनारा इत्यादि की पुनरीक्षा मनरेगा योजना के तहत अनुमोदित किए जाने से पहले सिंचाई/संबंधित सक्षम विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

SECURE (Software Estimate Calculation Using Rural Employment): SECURE एक आकलन की ऑनलाइन गणना करने वाला सॉफ्टवेयर है जिसे महात्मा गांधी नरेगा योजना में सभी स्तरों पर आकलन तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। आकलन की तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी।

कोई कार्य जिसका परिणाम/लाभ उसकी समग्र पूर्णता पर निर्भर करता है, उसे छोटे कार्यों में नहीं बांटा जाएगा जैसे किसी नहर की 10 कि.मी. तक गाद निकाली जानी है, तो उसके आकलन को छोटे-छोटे कार्यों में नहीं बांटा जाएगा।

7.1.6 निर्माण सामग्रियों का उत्पादन:

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय अनेक कार्यों में ईंटों, टाइलों, पेवर ब्लॉकों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ऐसी निर्माण सामग्रियों के उत्पादन से अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के निष्पादन में आवश्यक निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को निम्नानुसार अनुमति दी गई है; ऐसा उत्पादन 'स्टैंडअलोन' कार्यकलाप नहीं होगा अर्थात महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण सामग्रियों का उत्पादन महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में उपयोग किए जाने हेतु किया जाएगा और उन्हें न तो खुले बाजार में बेचा जाएगा और न ही किसी अन्य सरकारी योजना में उनका उपयोग किया जाएगा। निर्माण सामग्रियों का उत्पादन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पादन की लागत, बाजार दरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली है।

7.1.7 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामग्रियों की खरीद:

सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाना चाहिए:

क. सामग्री/वस्तुएं खरीदते समय भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों या राज्य वित्तीय नियमों में बताए गए सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और सभी संबंधित अभिलेखों को किसी प्राधिकारी या जनता द्वारा जांच के लिए अति सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए।

ख. सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की वित्तीय शक्तियां हों। किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक विकास खंड अधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की वित्तीय शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा।

ग. यदि कुछ मदों जैसे ईंटें, मजबूती देने वाली छड़ें इत्यादि का पूरे ब्लॉक में उपयोग किया जाना है तो संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की जरूरत को ब्लॉक स्तर

पर जोड़ा जाए। विकास खंड अधिकारी कुल सामग्रियों के लिए निविदा आमंत्रित करेगा ताकि सामग्रियां प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर खरीदी जाएं और उत्पादन में वृद्धि के साथ लागत में कमी आए। विकास खंड अधिकारी कुल सामग्रियों की खरीद दरों के साथ विक्रेताओं को मंजूरी देगा। ऐसे सभी मामलों में ग्राम पंचायतें बीडीओ द्वारा अनुमोदित किए गए विक्रेताओं के माध्यम से अनुमोदित दरों पर सामग्री खरीद सकते हैं। राज्य भी इन कुल सामग्रियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभारी प्रमुख सचिव की मंजूरी के बाद जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर खरीद सकते हैं।

घ. क्रियान्वयन एजेंसियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त तथा अनावश्यक चीजों को शामिल किए बिना विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खरीदी जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं (अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रमिक, मेट की सेवाओं को छोड़कर) की गुणवत्ता, किस्म इत्यादि और साथ ही मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। निविदा दस्तावेज में उल्लिखित निर्माण मदों के विशेष उल्लेख को राज्य के एसओआर से लिया जाना चाहिए। गैर-एसओआर सामग्रियों के विशेष उल्लेख को खरीद प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी द्वारा या इस संबंध में राज्य द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

ङ. सामग्रियों की अत्यधिक खरीद से बचा जाना चाहिए। सामग्री पहुंचाने का आदेश ऐसे समय पर देना चाहिए कि सामग्री पहुंचाए जाने के तत्काल बाद उसका उपयोग किया जा सके। किसी भी स्थिति में खरीदी गई सामग्री को उसकी आपूर्ति के बाद एक महीने से अधिक समय तक बिना उपयोग के नहीं रखा जाना चाहिए।

च. खरीदी गई सामग्री का भुगतान, श्रमिक मस्टर रोल को भुगतान के लिए स्वीकृति दिए जाने के बाद ही किया जाएगा अर्थात उस कार्य के लिए सामग्री का भुगतान करने से पहले मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

छ. निष्पक्ष, पारदर्शी तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव मंगाए जाने चाहिए।

ज. पीआईए को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि चुनिंदा प्रस्ताव जरूरतों को समुचित ढंग से पूरा करते हैं।

झ. पीआईए को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि चुनिंदा प्रस्ताव की कीमत सही है तथा अपेक्षित गुणवत्ता के अनुकूल है।

ञ. खरीद के प्रत्येक स्तर पर संबंधित पीआईए उन सभी चर्चाओं को संक्षेप में रिकॉर्ड में रखेगी जिन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए खरीद संबंधी निर्णय लिए गए थे।

ट. खरीद के लिए प्रस्तावित मदें/सामग्रियां केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के लिए होनी चाहिए।

ठ. की गई सभी खरीद अर्थात खरीदी गई मात्रा, खर्च की गई कुल राशि, कार्य/योजना जिसके लिए सामग्री खरीदी गई है, सामग्री प्रदान करने की तारीख इत्यादि को निगरानी के लिए एमआईएस में डाला जाना चाहिए।

ड. बागवानी तथा पौधरोपण में लगे हुए वैयक्तिक लाभार्थियों के मामले में, लाभार्थी द्वारा रोपण सामग्रियों की खरीद डीपीसी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्धारित दरों पर सरकारी नर्सरियों, सरकार द्वारा अनुमोदित निजी नर्सरियों से की जाएगी।

ढ. निजी भूमि पर वैयक्तिक कार्यों जैसे खेतों में तालाब, डग वेल, आईएचएचएल इत्यादि के लिए लाभार्थी परिवार सक्षम प्राधिकरी द्वारा अनुमोदित दरों पर टीआईएन नंबर वाले किसी भी विक्रेता से आवश्यक सामग्रियां खरीद सकता है।

ण. खरीदी गई सामग्री को उचित तरीके से रखा जाना चाहिए और उसकी मात्रा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। उपयोग में लाई गई सामग्री और बची हुई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

त. यदि निर्माण सामग्रियों के लिए प्राप्त दर एसओआर से अधिक है, तो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी निविदा को अंतिम रूप देने वाले प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर का होगा।

7.2 कार्यों के प्रकार

अनुमेय कार्यों की सूची:

7.2.1 अधिनियम की अनुसूची-I में 4 भागों में वर्गीकृत अनुमेय कार्यों की सूची दी गई है। अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न कार्यों के आधार पर कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के 262 प्रकारों को कवर करने वाले 45 कार्यों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सूचीबद्ध किया गया है (यह लाइब्रेरी लिंक https://rural.nic.in/sites/default/files/nrega/Library/Books/MGNREGS Permissible Work List(English).pdf) पर भी उपलब्ध है)। प्रत्येक कार्य को स्वामित्व, कार्य के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और दो अन्य क्वालिफायर्स के अनुसार उप-वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इच्छित उपयोग और उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कार्य, स्वामित्व और क्वालिफायर्स के उपरोक्त संयोजन के आधार पर कार्यों के 262 प्रकार के संयोजन हैं जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय हैं। इसमें से 182 कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित हैं जिनमें से 85 कार्य जल से संबंधित हैं। 164 कार्य कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित हैं। अनुसूची-I के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय कार्यों के फ्रेमवर्क के भीतर उपर्युक्त श्रेणियों के विभिन्न संयोजनों के संबंध में प्रत्येक संभव कार्य का पूरा विवरण तैयार करने में एमआईएस को सक्षम बनाया गया है। नीचे दी गई तालिका स्वतः-स्पष्ट है और कार्य का निर्धारण करते समय इसका संदर्भ दिया जा सकता है:

क्र. सं.	कार्य	स्वामित्व	कार्रवाइयां	क्वालीफायर **1 (**प्रकार**)**	क्वालीफायर **2 (**प्रकार**)**
1	भवन	वैयक्तिक सामुदायिक समूह	निर्माण मरम्मत और रखरखाव	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत कृषि उपज भंडारण, आंगनवाड़ी ग्राम पंचायत/पंचायत भवन खाद्य अनाज भंडारण एसएचजी/फेडरेशन/निर्माता समूह/निर्माता उद्यम किचन शेड मकान (पीएमएवाई-जी) मकान (राज्य) भारत निर्माण सेवा केंद्र	
2	बांध	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव	परिसर/खेत/मैदान समोच्च वर्गीकृत	मिट्टी कंकड़ पत्थर
3	नहर	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण नवीकरण मरम्मत और रखरखाव	फीडर, डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर, सब- माइनर वाटर कोर्सेस फील्ड चैनल्स	
4	चैनल	समुदाय	निर्माण नवीकरण मरम्मत और रखरखाव	डाइवर्जन फ्लड	
5	चरागाह	समुदाय	विकास	सिल्वीपास्चर/चरागाह	
6	भूमि	वैयक्तिक समुदाय	विकास सुधार शेपिंग लेवलिंग नाला	बड़े-बड़े गड्ढों (चौर) के नवीनीकरण के माध्यम से बंजर	

				भूमि (परती भूमि, खारी/क्षारीय बंजर भूमि जल-जमाव वाली भूमि) का विकास	
7	आजीविका कार्यकलाप के लिए कार्यस्थल	समूह	निर्माण		
8	चैक डैम	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव	चैक/ऐनिकट	झाड़-झंखाड़ मिट्टी बोल्डर सीमेंट रोड़ी
9	कम्पोस्ट पिट	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव		
10	कम्पोस्टिंग संरचना	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव	वर्मी/एनएडीईपी बर्कले कम्पोस्ट गड्ढा कम्पोस्ट गड्ढा	
11	श्मशान	समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव		
12	पुलिया	समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव		
13	तूफान के पानी के लिए निकास नाला	समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव	तट की सुरक्षा इंटरमीडिएट और लिंक डायवर्जन के लिए तूफान का पानी	

14	ग्रे वाटर निकास	समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव	खुला /ढका हुआ	
15	डग-वेल्स	वैयक्तिक सामुदायिक समूह	निर्माण	सिंचाई	
16	मछली सुखाने के लिए यार्ड	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत और रखरखाव		
17	वृक्ष	वैयक्तिक समुदायिक समूह	पंक्तिबद्ध पौधरोपण ब्लॉक पौधरोपण रेस्टॉरेशन वनीकरण	बागवानी कृषि वानिकी वानिकी रेशम के कीड़ों का पालन जैव निकासी शेल्टर बेल्ट कोस्टल शेल्टर बेल्ट	नहर का किनारा सड़क का किनारा सरकारी भवन परिसर, समुद्र तट, मैदान, बंजर भूमि
18	गली प्लग	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव	अर्दन स्टोन बोल्डर ब्रशवुड	
19	पौधशाला	वैयक्तिक समुदायिक समूह	विकास		

20	मिनी परकोलेशन टैंक	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव		
21	तालाब	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव नवीनीकरण	कृषि स्थायित्व मछली पालन समुदाय	
22	रिचार्ज पिट्स	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव		
23	सड़क	समुदाय	निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव	बिटुमेन टॉप बजरी वाली सड़क इंटर-लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक/टाइलें डब्ल्यूबीएम धातु (पहला कोट) धातु (दूसरा कोट) मिट्टी मुर्रम खड़ंजा (ईंट/पत्थर) सीमेंट कंक्रीट	गांव के अंदर की सड़कें लिंक सड़कें खेत की सड़कें
24	अच्छी तरह से रिचार्ज के लिए रेत फिल्टर	वैयक्तिक समुदायिक समूह	निर्माण	बोरवेल ओपेनवेल	
25	पशुधन शेल्टर	वैयक्तिक समूह	निर्माण	पशु बकरी सूअर पालन	

				मुर्गी पालन	
26	सोख्ता चैनल	समुदाय	निर्माण		
27	सोख्ता गढ्ढा	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण		
28	स्पर	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव नवीनीकरण	वायरक्रेट (गेबियन) स्टोन अर्दन	विचलन पर ध्यान दिलाने वाली होल्डिंग
29	छत	वैयक्तिक समुदाय	निर्माण	लेवल बेंच टेरेस अपलैंड बेंच टेरेस	
30	शौचालय	वैयक्तिक आंगनवाड़ी स्कूल	निर्माण	सिंगल यूनिट मल्टी टॉयलेट यूनिट	
31	ट्रेंच	समुदाय	निर्माण	स्टैगर्ड ट्रेंच कंटीनिवस कंटूर ट्रेंच वाटर अब्जार्पशन ट्रेंच	
32	एजोला की खेती के लिए अवसंरचना	वैयक्तिक समूह	निर्माण		
33	तरल बायो खाद के लिए अवसंरचना	वैयक्तिक समूह	निर्माण		

34	भूमिगत डाइक	समुदाय	निर्माण	उप-सतह डाइक	
35	तटबंध	समुदाय	निर्माण सुदृढ़ीकरण	बाढ़ सुरक्षा	
36	गांव/ग्रामीण हाट	समुदाय			
37	साइक्लोन शेल्टर	समुदाय			
38	खेल का मैदान	समुदाय			
39	सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की चारदीवारी	समुदाय			एलएसटी-एसटीसी
40	निर्माण सामग्री का उत्पादन	समुदाय			एसडब्ल्यूसी
41	समुद्र तट की सुरक्षा के लिए तूफान के पानी की निकासी	समुदाय			
42	स्थिरीकरण तालाब	समुदाय			

43	निर्माण सामग्री का उत्पादन	समुदाय			
44	सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल का संचयन	समुदाय	निर्माण, मरम्मत और रखरखाव		
45	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	समुदाय	निर्माण	महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सीएसी के निर्माण के लिए 230 श्रमदिवसों तक अकुशल श्रम घटक	

7.2.2 गैर-अनुमेय कार्य

वे कार्य जो अमूर्त हैं, मापने योग्य नहीं हैं और बार-बार किए जाने वाले हैं, उन्हें मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू नहीं किया जाएगा।

7.3 कृषि और संबद्ध कार्यकलापों पर ध्यान दिए जाने वाले कार्य

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के नीचे परंतुक में यह निर्धारित किया गया है कि "जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी जिले में लागत के संबंध में शुरू किए जाने वाले कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से सीधे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे।" आजीविका विकास पर विशेष जोर देते हुए वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए अभिसरण आयोजना प्रक्रिया में प्राथमिकता प्राप्त कार्यों को तरजीह दी जाएगी।

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के अनुसार कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से सीधे जुड़े महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की सूची नीचे दी गई है:

अनुसूची-I के अनुसार श्रेणी	कार्य
(1)	(2)
I. श्रेणी क : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित जन कार्य	पेयजल स्रोत सहित भू-जल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान देते हुए भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भू-जल में वृद्धि और सुधार करने के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं ; कंटूर ट्रैंच, टैरेसिंग, कंटूर बांध, बोल्डर रोक बांध, गैबियन स्ट्रक्चर और स्प्रिंग शेड विकास जैसे वाटरशेड प्रबंधन कार्य जिससे वाटरशेड का व्यापक उपचार हो सके; सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, नवीनीकरण और रखरखाव; सिंचाई टैंकों और अन्य जल निकायों की गाद निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण। पैरा 5 में दिए गए परिवारों को उपभोग का विधिवत अधिकार प्रदान करते हुए सार्वजनिक और वन भूमि, सड़क के किनारे की भूमि, नहर तटबंद, टैंक के किनारों और तटवर्ती क्षेत्रों में वनीकरण, पौधरोपण, और बागवानी; चरागाह विकास/चारा खेत; स्टाइलो जैसी बारहमासी घास इत्यादि बांस, रबर और नारियल पौधरोपण शामिलात भूमि में भूमि विकास कार्य

II. श्रेणी ख : सामुदायिक परिसंपत्तियां या वैयक्तिक परिसंपत्तियां	खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराते हुए भूमि विकास के माध्यम से पैरा 5 में विनिर्दिष्ट परिवारों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना; बागवानी, रेशम पालन के लिए पौध रोपण, अन्य प्रकार के पौध रोपणऔर कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना; अनुसूची-I के पैरा 5 में परिभाषित परिवारों की परती भूमि या बंजर भूमि का विकास ताकि इसे जुताई के अंतर्गत लाना जा सके; चरागाह विकास/चारा खेत; स्टाइलो, वेटिवर जैसी बारहमासी घास इत्यादि बांस तथा रबर और नारियल पौधरोपण; पशुधन के संवर्धन के लिए मुर्गी दड़बा (ब्रूडर हाउस), बकरी बाड़ा, सुकर बाड़ा, पशु बाड़ा, पशुओं के लिए चारा नांद जैसी अवसंरचना का सृजन; मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली सुखाने का यार्ड, भंडारण सुविधाएं जैसी अवसंरचना सृजित करना और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन को बढ़ावा देना; जैव उर्वरक (एनएडीईपी, वर्मी-कंपोस्टिंग इत्यादि)
III. श्रेणी ग : एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना	जैव उर्वरक और कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाओं सहित फसल की कटाई के बाद की सुविधाओं के लिए आवश्यक टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए कार्य;
IV श्रेणी घ : ग्रामीण अवसंरचना	(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का निर्माण;

7.4 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य - मिशन जल संचयन (एमडब्ल्यूसी)

7.4.1 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श और करार करके नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ जल प्रबंधन कार्यों की वैज्ञानिक आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिए अभिसरण संबंधी ढांचा को अनिवार्य बनाया गया है। एमडब्ल्यूसी के अंतर्गत पहचाने गए 2129 ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7.4.2 महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-। के अनुसरण में, 262 प्रकार के कार्यों/कार्यकलापों का निर्धारण अनुमेय कार्यों के रूप में किया गया है जिनमें से 182 प्रकार के कार्य केवल एनआरएम से संबंधित हैं और इन 182 एनआरएम कार्यों में से 85 कार्य जल से संबंधित हैं। कुल कार्यों में से 164 कार्य कृषि तथा कृषि संबंधी कार्य हैं।

7.4.3 मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों में केवल 'राहत कार्य' के तरीके से वैयक्तिक, स्टैंड-अलोन कार्य करने के स्थान पर आईएनआरएम के परिप्रेक्ष्य में कार्य किया जाना चाहिए। भूमि का योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विकास और वाटरशेड सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए वर्षा जल के उपयोग को देश भर में मनरेगा कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए ताकि खेतों की उत्पादकता और निर्धन लोगों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाया जा सके। यहां तक कि वाटरशेड प्रबंधन के सिद्धांतों का समेकित तरीके से अनुपालन करते हुए निजी भूमि पर कार्य किए जाने चाहिए।

7.4.4 जीआईएस प्रौद्योगिकी (भुवन) का उपयोग करके वाटरशेड में अनुमेय कार्यों के निर्धारण और समग्र आयोजना के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र, इसरो से तकनीकी सहायता प्राप्त की जाएगी। जीआईएस योजनाएं व्यापक होंगी जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी पात्र कार्य शामिल किए जाएंगे और इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

7.4.5 भू-जल संसाधन को प्रभावित करने वाली संरचनाओं की आयोजना, निगरानी तथा निष्पादन के लिए केंद्रीय भू-जल बोर्ड से परामर्श किया जाना चाहिए जिसके पास भू-जल संसाधनों से संबंधित जानकारी का भंडार है और जल की कमी वाले ब्लॉकों के भू-आकृति विज्ञानी तथा जलवायु क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए उपयुक्त/आवश्यक डिजाइनों और संरचनाओं के संबंध में क्षेत्रीय/राज्य स्तर की तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध है।

7.4.6 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उन स्थानों पर अलग से वाटरशेड प्रबंधन कार्य शुरू किए जा सकते हैं जहां किसी आईडब्ल्यूएमपी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है/प्रस्ताव नहीं किया गया है, बशर्ते:

i. ग्राम पंचायत के पूरे वाटरशेड का व्यापक आकलन करने के पश्चात ही वाटरशेड प्रबंधन कार्य शुरू किए जाएंगे तथा इससे मृदा क्षरण, वर्षा जल संभरण और वनीकरण की सभी समस्याएं दूर होंगी।

ii. उपर्युक्त श्रेणी में बिना व्यापक वाटरशेड योजना के किसी भी स्टैंड-अलोन कार्य को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

iii. संरचनाओं का कई वर्षों तक निर्माण कार्य चलते रहने के बजाय इन्हें कामकाज के एक ही मौसम में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

iv. रिज-टू वैली ट्रीटमेंट की अवधारणा के अनुसार व्यापक वाटरशेड योजना तैयार की जाएगी। इस आयोजना कार्य के लिए सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। वाटरशेड आयोजना के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए (अध्याय-22 को देखें)।

v. उपयुक्त स्थलों का चयन करने और उपर्युक्त योजनाएं तैयार करने के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर अभियंताओं/तकनीकी सहायकों और मनरेगा योजना के मेटो को प्रशिक्षण दिया जाएगा और आईडब्ल्यूएमपी की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) तथा डब्ल्यूसीडीसी के तकनीकी कर्मी इस कार्य में सहायता प्रदान करेंगे और इसकी लागत की पूर्ति महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रशासनिक लागत से की जाएगी। ई-सक्षम, जो व्यापक रूप से ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, नरेगा साफ्ट पर उपलब्ध है जिसका उपयोग तकनीकी अधिकारी जीआईएस आधारित आयोजना के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

vi. वाटरशेड कार्यों को अधिमानत: क्लस्टर मोड में शुरू किया जाएगा।

7.4.7 जहां कहीं भी आईडब्ल्यूएमपी परियोजना पहले से ही मंजूर कर दी गई है वहां आईडब्ल्यूएमपी के साथ अभिसरण से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत गहन सामग्री वाले कार्य किए जाते हैं तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत गहन श्रम वाले अन्य सभी एनआरएम कार्य किए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में कार्यों को दोहराए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अभिसरण को सुनिश्चित करने तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना की सभी अ-परक्राम्य बातों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी नरेगा योजना और आईडब्ल्यूएमपी के कार्यक्रम अधिकारियों की होगी।

भूमि संसाधन विभाग ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं और शुरूआती चरण की परियोजनाओं को संबंधित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया है ताकि वे इन्हें अपने बजट से शुरू कर सकें। राज्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अभिसरण

करते हुए इन परियोजनाओं को शुरू करने को प्राथमिकता दें। परियोजनाओं के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा पत्राचार नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:

1. शुरू न की गई परियोजनाएं - https://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/2387Details_of_345_uninitiated_WDC-PMKSY_projects_transferred_to_State.pdf

2. शुरूआती चरण वाली परियोजनाएं - https://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/2388Details_of_Transfer_of_1487_Projects_letter_to_States_1.pdf

7.4.8 ऐसे क्षेत्रों जहां अपर्याप्तता के कारण डीपीआर पर पुन: विचार किए जाने की जरूरत है, वहां इन वाटरशेडों के ई-डीपीआर का उपयोग किया जाना चाहिए।

7.4.9 नई आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाएं **-** उन सभी भावी आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में, जहां आईडब्ल्यूएमपी की डीपीआर तैयार की जाएंगी, वहां महात्मा गांधी नरेगा योजना, वाटरशेड समितियों और ग्राम सभा के संबंधित अधिकारियों के साथ परामर्श करके महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से शुरू किए जाने वाले एनआरएम कार्यकलापों को डीपीआर में शामिल किए जाने और इन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने की जरूरत होगी। डीपीआर तैयार करने के लिए इन क्षेत्रों में वाटरशेड क्षेत्रों के तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों के लिए तकनीकी संसाधन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सीएसआर सहायता को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे कि अच्छी डीपीआर बनाई जा सके और प्रभावी निगरानी की जा सके।

7.4.10 कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण, पुराने सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम परियोजनाओं तथा जल निकायों का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण: सृजित की गई सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच बढ़ता हुआ अंतर सतही सिंचाई प्रणाली की एक प्रमुख चुनौती है। कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यों की अनदेखी करना, खासतौर पर फील्ड चैनल, फील्ड ड्रेन, फार्म ड्रेन इत्यादि जैसे कृषि विकास (ओएफडी) कार्यों में, इस बढ़ते हुए अंतर का मुख्य कारण है। मनरेगा के अंतर्गत आने वाले अनुमेय कार्य गाद निकालने, छोटी-मोटी दरारों की मरम्मत, जमीन को समतल बनाने, मिट्टी के पुश्तों की मरम्मत करने, तटों को ऊंचा करने तथा मिट्टी से कैनाल बेस को समतल बनाने, कैनालों की लाइनिंग करने, फील्ड ड्रेन और फार्मनेट सहित लघु, उप लघु तथा फील्ड चैनलों की एकबारगी पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक होंगे। नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यकलाप नहीं होंगे। इस बात की सलाह दी जाती है कि सिंचाई विभाग के साथ परामर्श करके ग्राम पंचायतों के सिंचाई चैनलों

के रख-रखाव के प्रस्ताव (ब्लॉक और जिला स्तर पर एकत्रीकरण के पश्चात) पर विचार किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत केवल उन मामलों पर विचार किया जा सकता है जहां रख-रखाव की जरूरत तय हो गई है, किंतु नियिमत रख-रखाव कार्य के हिस्से के रूप में इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, इनमें गाद निकालना, नहर तटबंधों का रख-रखाव तथा लाइनों की मरम्मत करना इत्यादि शामिल हो सकते हैं जिनके लिए मौजूदा एल-सेक्शन और डिजाइंड एल सेक्शन के साथ विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को ईआरएम कार्यों के लिए पूरी की गई एआईबीपी/अन्य परियोजनाओं की सूची का उपयोग करना चाहिए तथा बेकार पड़े जल निकायों की सूची का उपयोग आयोजना के लिए करना चाहिए। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की किसी अन्य योजना के संबंध में कोई दोहराव या दोबारा गिनती नहीं की जाएगी।

7.4.11 कुओं का निर्माण : मनरेगा के अंतर्गत व्यापक रूप से शुरू किया गया मुख्य कार्यकलाप कुओं का निर्माण करना है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचलित हाइड्रो-जियोलॉजिकल परिस्थितियों और संसाधन की मात्रा (गहराई) एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भूमिगत जल की निकासी की जाती है, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुओं की खुदाई शुरू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया जा रहा है:

i. किसी भी परिस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यकलापों के रूप में बोर वैल और ट्यूबवैल पर विचार नहीं किया जाएगा।
ii. ऐसे क्षेत्र जहां सीजीडब्ल्यूबी के नवीन मूल्यांकन के अनुसार कुओं को अतिदोहित या संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है, वहां कुओं का पुनर्भरण करने के लिए सेंड फिल्टर सहित केवल "सामूहिक कुएं" को अनुमति दी जाएगी बशर्ते वहां किसानों का समूह ऐसे "ग्रप वैल" के पानी को साझा करने के लिए सहमत हों। ऐसा प्रत्येक समूह में कम-से-कम 3 किसानों शामिल होंगे।
iii. सामूहिक कुएं से जल का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच एक औपचारिक समझौता (स्टेंप पेपर पर) किया जाना चाहिए। इस समूह के बीच समझौते का ग्राम पंचायत के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
iv. इस ग्रुप में एक परिवार से केवल एक सदस्य हो सकता है। वह एक से अधिक ग्रुप का सदस्य नहीं होगा।
v. ग्रुप वैल को राजस्व अभिलेखों में ग्रुप ईरिगेशन वैल के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए।
vi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा "सुरक्षित" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में अलग-अलग व्यक्तियों के लिए कुओं पर विचार किया जाएगा। ऐसे कुओं की गहराई और व्यास तथा दो कुओं के बीच की दूरी की पुष्टि क्षेत्र के हाईड्रोलॉजी के आधार पर की जानी चाहिए। कठोर चट्टान वाले

क्षेत्रों में व्यास अधिकतम 8 मीटर होना चाहिए। नरम चट्टान और जलोढ़ क्षेत्रों में कुओं का व्यास 6 मीटर से कम होना चाहिए। ऊपर बताए गए आकार में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए सक्षम विभाग से सलाह लेने के पश्चात राज्य संशोधन जारी करेंगे। यह सलाह दी जाती है कि कुओं का पुर्नभरण करने के लिए सेंड फिल्टर के साथ प्रत्येक कुएं का निर्माण किया जाए।

7.4.12 व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन

I., अधिनियम की अनुसूची-I, पैरा 5: "व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन करने वाले कार्यों को नीचे दी गई श्रेणियों के लाभार्थियों की जमीन या वास भूमि पर प्राथमिकता दी जाएगी:

क. अनुसूचित जाति
ख. अनुसूचित जनजाति
ग. खानाबदोश जनजाति
घ. विमुक्त जनजातियां
ड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य परिवार
च. महिला मुखिया वाले परिवार
छ. शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार
ज. भूमि सुधारों के लाभार्थी

I. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासयों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत आने वाले के लाभार्थी और उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के बाद कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत यथा-परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर बर्शते ऐसे परिवारों के पास जॉब कार्ड हो और उसका कम से कम एक सदस्य अपनी जमीन या वास भूमि पर शुरू की गई परियोजना में कार्य करने का इच्छुक हो।"

II. एसईसीसी, 2011 आंकड़ों का उपयोग अभाव कारकों के आधार पर पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए किया जा सकता है। सर्वप्रथम लाभार्थियों की पहचान उपर्युक्त पैरा-I में उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार की जाएगी। ऊपर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी में लाभार्थियों को एसईसीसी, 2011 के आंकड़ों में उनके अभावों के अनुसार स्थान दिया जाएगा अर्थात् सबसे अधिक अभाव वाले लाभार्थियों को सूची में ऊपर रखा जाएगा। व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन करते समय, उच्चतर रैंक वाले लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि किसी विशेष लाभार्थी का नाम एसईसीसी, 2011 के आंकड़ों में अंकित नहीं है तो उसका नाम, एसईसीसी, 2011 की सूची में शामिल नामों के साथ ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद ग्राम

सभा प्रत्येक श्रेणी में उनके अभावों के अनुसार रैंक किए गए लाभार्थियों की एक व्यापक सूची तैयार करेगी।

III. व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा भौगोलिक स्थानों और आर्थिक कार्यकलापों के अनुसार अलग-अलग होगी। जहां एक ओर योजना में लाभार्थियों की अधिक से अधिक संख्या कवर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर लाभार्थियों को ऐसी परिसंपत्तियां प्रदान की जानी चाहिए जिनसे उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो सके, उदाहरण के लिए एक सिंचाई कुँआ जिसकी लागत आमतौर पर 6 लाख रु. आती है, किसी किसान का जीवन बदल सकता है। सहायता की मात्रा निर्धारित किए जाने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाना होता है। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा के संबंध में निर्णय लिए जाने तक अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी 2 लाख रु. होगी।

7.5 ऐसे कार्य जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है

7.5.1 वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा:

क) जल जीवन मिशन में सहयोग करने और पर्वतीय क्षेत्रों में स्प्रिंग शेड के विकास को प्राथमिकता देने के लिए भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत जल स्रोत स्थायित्व के लिए अनुमेय कार्य।

ख) महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनुमेय चरागाह विकास कार्यों के माध्यम से चारे की उपलब्धता बढ़ाना

ग) ऐसी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन जिनसे आय में स्थायी वृद्धि हो। इन कार्यों में पशु बाड़ा, खेत तालाब, पौध रोपण, वर्मी/एनएडीईपी कंपोस्टिंग पिट, डगवेल, मछली सुखाने का यार्ड, भूमि विकास।

घ) मौजूदा ग्रामीण हाट का उन्नयन

7.5.2 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण (एडब्ल्यूसी) - उपयुक्त गहन श्रम एवं किफायती प्रौद्योगिकियों और स्थानीय निर्माण सामग्रियों का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण (एडब्ल्यूसी) शुरू किया जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 5 लाख रू. तक का व्यय करने की अनुमति दी गई है और राज्य विशेष अनुमान के अनुसार शेष लागत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) से संबंधित योजनाओं और अन्य योजनाओं से जुटाई जाए। एडब्ल्यूसी भवन का कुर्सी क्षेत्र कम से कम 600 वर्ग फीट होना चाहिए और इसका डिजाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

7.5.3 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण (आईएचएचएल) **:** महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आईएचएचएल के निर्माण कार्य से संबंधित योजना में जहां कहीं भी आवश्यकता हो प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) मकानों में आईएचएचएल के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आईएचएचएल की इकाई लागत 12000 रू. होगी और आईएचएचएल का डिजाइन एसबीएम (जी) के अनुसार होगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां महात्मा गांधी नरेगा निधियों का उपयोग आईएचएचएल के निर्माण के लिए किया जा रहा है, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसबीएम(जी) निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके। जहां कहीं भी शौचालय एसबीएम या इसकी पूर्ववर्ती या किसी अन्य योजना के तहत या लाभार्थी द्वारा बनाया गया है, वहां पीएमएवाई (जी) आवासों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आईएचएचएल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायत का ऐसा कोई लाभार्थी जिसका नाम एसबीएम सर्वे सूची में है और वह राशि की कमी के कारण शौचालय नहीं बनवा पा रहा है तो उसके लिए महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत प्राथमिकता आधार पर आईएचएचएल का निर्माण कराया जा सकता है। राज्य सरकारें ग्राम पंचायत सत्र पर महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत शामिल करने के लिए ऐसे लाभार्थियों की सूची उलपलब्ध कराएं। अन्य सभी ग्राम पंचायतों में जहां कहीं भी आवश्यकता हो केवल पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए ही महात्मा गांधी नरेगा निधियों का उपयोग किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आईएचएचएल का निर्माण करने के लिए खराब शौचालयों को नहीं लिया जाएगा।

7.5.4 स्कूल शौचालयों और आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण: इसके अलावा, स्कूल शौचालय इकाइयों और आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण या तो स्वतंत्र रूप से या अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण करके निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति के अनुसार गांवों के क्षेत्रों में आवश्यकताओं के अनुसार शुरू किया जा सकता है।

7.5.5 प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण या राज्य या केंद्र सरकार की इसी तरह की अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत मकानों का महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्माण **:** कम से कम 25 वर्ग फीट के कुर्सी क्षेत्र वाले किसी मकान का निर्माण करने के लिए आवश्यक अकुशल श्रम दिवसों की संख्या पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और आईएपी जिलों के लिए 95 श्रम दिवस एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 90 श्रम दिवस है। पीएमएवाई-

जी/अन्य आवास योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत के अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत इस राशि का भुगतान किया जा सकता है। निर्माण सामग्री का उत्पादन महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किया जा सकता है और निर्माण सामग्री की लागत पूरी तरह से वसूलने के बाद महात्मा गांधी नरेगा योजना की अनुसूची-I, पैरा 5 में सूचीबद्ध पीएमएवाई-जी या राज्य आवास योजना के लाभार्थियों को वितरित किया जा सकता है।

7.5.6 जिन गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों का अनुपात अधिक (50% से अधिक) है, वहां केंद्र एवं राज्य की योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से और ग्राम-दर-ग्राम आधार पर निधियां आवंटित करके गांवों का विकास करने के लिए वर्ष 2009-10 में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इस योजना को 5 राज्यों अर्थात राजस्थान, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार के 1000 गांवों में कार्यान्वयन करने की स्वीकृति दी गई। संबंधित राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के परिवारों की भू-जोतों पर वरीयता आधार पर वैयक्तिक परिसंपत्तियां निर्माण कार्य शुरू करने की सलाह दी गई है। जरूरतमंद अनुसूचित जाति के परिवारों की मांग दर्ज करने और उन्हें कार्य देने के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं।

7.5.7 भूमि विकास: खेत की मेड़ बनाकर, उसे समतल करके, आकार देकर, सीढ़ी बनाकर इत्यादि के माध्यम से गैर-कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए भूमि विकास कार्य की आवश्यकता है। सूखी पत्तियों को हटाना, घास काटना, मौजूदा मेड़ों का आकार बदलना इत्यादि जैसे कामों को भूमि विकास कार्य के अंतर्गत नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये कार्यकलाप महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं हैं।

7.5.8 एक पूर्ण विकसित न्यूट्रिशन गार्डन में परिवार के दैनिक आहार की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। इस स्कीम के तहत कुछ अनुमेय कार्यों से लोगों और समुदाय के लिए न्यूट्री-गार्डन बनाने में मदद मिलती है। राज्य योजना और डीएवाई-एनआरएलएम के साथ अभिसरण के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों और समुदाय के लिए न्यूट्री-गार्डन को बढ़ावा देने के दिशानिर्देश दिनांक 04 मई, 2020 के पत्र संख्या एल-13060/03/2020-आरई-VII द्वारा जारी किए गए हैं।

7.6 वनीकरण, पौधरोपण एवं बागवानी

7.6.1 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सार्वजनिक, वन और निजी भूमियों (अनुसूची-I के पैरा 5 में सूचीबद्ध परिवार) पर वनीकरण, पौधरोपण और बागवानी जैसे कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं अर्थात:

i. ऊसर वन भूमि
ii. बंजर भूमि
iii. सार्वजनिक एवं सामुदायिक भूमि, चरागाह भूमि
iv. नदी, नहर और बांध के दोनों ओर
v. पीएमजीएसवाई सड़कों एवं अन्य सड़कों के दोनों ओर
vi. निजी भूमि (बड़ी संख्या में पौधरोपण या कृषि भूमि की मेड़ पर पेड़ लगाना)
(घर के पिछले हिस्से/वासभूमि में पौध रोपण)

7.6.2 कार्यस्थल की आवश्यकताओं के आधार पर एक सीध में या ब्लॉक आधार पर पौधरोपण किया जा सकता है।

7.6.3 वन विभागों की भूमिका: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वन विभाग के साथ परामर्श करके महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वनीकरण योजना के साथ मेल करके वनीकरण एवं पौध रोपणकी रूपरेखा तैयार करनी होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के परिप्रेक्ष्य में कार्यों की आयोजना में पीआरआई की मदद करने के लिए वन विभाग के तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। यह वांछनीय है कि वन विभाग के समग्र तकनीकी पर्यवेक्षण में पौध रोपण/वनीकरण कार्यों का कार्यान्वयन किया जाए। जहां तक संभव हो, ऐसे कार्यों के लिए वन विभाग को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्रोत्साहित किया जाए।

7.6.4 पौधों की प्रजाति का चयन: कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों, बाजार के अवसरों, फॉरवर्ड लिंकेजों, आय सृजन इत्यादि के अनुसार पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। आयोजना प्रक्रिया शुरू करने से पहले बागवानी विभाग/वन विभाग/आईसीएआर/ आईसीएफआरई/कृषि विश्वविद्यालयों/केवीके/आयुष विभाग इत्यादि के विशेषज्ञों से विधिवत परामर्श करने के बाद ही अधिक उपज वाले क्लोन/प्रजातियों सहित आर्थिक रूप से लाभदायक पौधों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के साथ परामर्श करके टसर होस्ट प्लांट अर्जुन और असाना या औषधीय पौधों लगाने पर भी विचार किया जाए। पौधों की प्रजाति की इस सूची से, निर्धारित वंचित परिवारों (उपभोग अधिकार से लाभान्वित लाभार्थियों सहित) को श्रम बजट (एलबी) आयोजना कार्यों के दौरान बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। आकलन तैयार करने से पहले अंतिम रूप से तैयार की गई पौधों की प्रजातियों की तकनीकी विधि की आवश्यकता होती है।

इस अधिनियम के पैरा (5) अनुसूची-। में सूचीबद्ध व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए बारहमासी बागवानी की खेती केवल एक बार की जा सकती है।

7.6.5 लागतों का आकलन: तैयार किए गए आकलन के अनुसार श्रम एवं सामग्री घटक की लागत को पौधरोपण कार्य में शामिल किया जा सकता है जिसमें पौधरोपण कार्य 3 से 5 वर्षों (प्रजातियों के आधार पर) की रखरखाव अवधि भी शामिल है। इसमें पौधरोपण संबंधी सामग्री, गड्ढे खोदने एवं पौध लगाने के लिए श्रमिक, उर्वरक (मुख्यत: जैविक), पौधों को जल देने वाले उपकरण, पौधों को जल देने और उनकी सुरक्षा एवं रखरखाव करने वाले श्रमिक इत्यादि शामिल हैं। सभी लागतें एक अनुमान के रूप में होनी चाहिए। अन्य योजना के साथ अभिसरण करने पर नियोजित कार्यकलापों के लिए निधियों का उपयोग अभिसरण योजनाओं और नियोजित कार्यकलापों सहित महात्मा गांधी नरेगा से किया जाएगा।

नर्सरी विकसित करना और पौधरोपण करना प्राकृतिक विकास पद्धति के तहत चलने वाली जैविक प्रक्रिया हैं और इसलिए इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। पौधरोपण कार्य के सामग्री घटक के भुगतान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7.6.6 किसी विभाग की भूमि पर पौधरोपण करने से पहले उस विभाग की अनुमति ली जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अधिनियम की अनुसूची-। के पैरा 5 में सूचीबद्ध व्यक्तिगत लाभार्थी की भूमि के अलावा किसी अन्य निजी भूमि पर पौधरोपण कार्यकलाप नहीं किया जाना चाहिए।

7.6.7 लाभ पाने का अधिकार - जहां कहीं सामुदायिक भूमियों पर पौधरोपण किया जाता है, वहां सड़क किनारे, नहर के किनारे और अन्य मार्ग पर पौधरोपण में अधिमानत: 200 वृक्षों तक तथा ब्लॉक पौधरोपण में 400 या 400 से अधिक पौधों तक इन पौधों का लाभ पाने का अधिकार वंचित परिवारों को दिया जाए। तथापि, मौजूदा कानूनों के अनुसार वन भूमि पर पौधरोपण में अधिमानत: 200 वृक्षों तक के लाभ का अधिकार भी वंचित परिवारों को दिया जाए।

7.6.8 वृक्ष लगाने से संबंधित सामग्रियों की खरीद: निम्नलिखित से पौधे लिए जाने चाहिए:

i. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लगाई गई नर्सरियों से मुफ्त
ii. वन विभाग/सरकारी नर्सरियों से सरकारी दर पर
iii. डीपीसी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्धारित दर पर सरकार द्वारा अनुमोदित निजी नर्सरियों से।

7.6.9 महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नर्सरी: जिस जमीन पर नर्सरी बनाई जा रही है वह किसी सरकारी विभाग या ग्राम पंचायत या अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों की होनी चाहिए। इन नर्सरियों को वन या बागवानी या किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा विकासित किया जाएगा। नर्सरी को न्यूनतम 3 साल के लिए मंजूरी दी जाएगी ताकि ऊंचे पौधे विकसित

किए जा सकें जिससे उनके जीवित रहने की दर में सुधार होगा। कार्यान्वयन एजेंसी पौधरोपण के प्रयासों के लिए हर वर्ष पौधों की संख्या (आयु वार) उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क पौधरोपण के लिए अंकुरण का उपयोग किया जाएगा।

7.6.10 पौधरोपण की सुरक्षा: ब्लॉक पौधरोपण की सुरक्षा के लिए गहरी मेड़ वाली पौधों की बाड़ जैसे बांस इत्यादि और अलग-अलग पौधों की सुरक्षा के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध पौधों की सामग्री से बने सुरक्षा घेरा को वरीयता दी जानी चाहिए। फॉरेस्ट फायर लाइन का सृजन महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्य नहीं है।

7.6.11 चरागाह भूमि/चारा फार्म का विकास : महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत चरागाह भूमि/चारा फार्म के विकास के लिए और सूखा रोधन के लिए, चारे के पौधों या बागवानी पौधों या दोनों को मिलाकर तथा बारहमासी घास जैसे अंजन (सेन्क्रस सिलियरिस), फॉक्स टेल ग्रास (क्लोरिस गयाना), नेपियर (पनिसेटम पर्पुरियम) या राज्य के संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित किसी भी उपयुक्त फलियों जैसे स्टाइलो इत्यादि को लिया जा सकता है। यह संबंधित तकनीकी विभागों के परामर्श से किया जाना चाहिए। यह कार्यकलाप संबंधित तकनीकी विभागों के परामर्श से किसी विशेष भूमि में केवल एक बार किया जाएगा ।

7.6.12 वृक्ष जनित तिलहनों का पौधरोपण: वंचित वर्गों की आजीविका कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख वृक्ष जनित तिलहनों (टीबीओ) के पौधरोपण की सलाह दी जाती है। इन टीबीओ में जेट्रोफा (जटरोफा करकास), करंज (पोंगोरिया पिनाटा), जंगली खुबानी (प्रूनस आर्मेनिका), सिमरौआ (सिमरौदा ग्लाउका) महुआ (मधुका इंडिका), कोकुम (गार्सिनिया इंडिका), जोजोबा (सीमोंडेसिया चिनेंसिस), चेउरा (डिप्लोक्नेमा बटाइरेसिया), नीम (अज़ादिराचट्टा इंडिका, तुंग (अलेउराइट्स फोर्डी), जैतून (ओलिया यूरोपीया) और ऑयल पॉम ट्री शामिल हैं।

7.6.13 टसर होस्ट पौधों का रोपण: वंचित समुदायों के साथ टसर आधारित आजीविका कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन और आसन जैसे टसर पौधों के रोपण की सलाह दी जाती है। यह पौधरोपण उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत टसर आधारित आजीविका पहल शुरू की गई है।

7.6.14 पीएमजीएसवाई सड़कों के दोनों ओर पौधरोपण: महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पीएमजीएसवाई सड़कों के किनारे प्राथमिकता आधार पर पौधरोपण किया जाएगा। ऐसे कार्यों के अंतर्गत, वंचित परिवारों को उपयुक्त रख-रखाव अवधि (लगाई गई प्रजाति के आधार पर)

के साथ 200 वृक्ष आवंटित किए जा सकते हैं। रख-रखाव अवधि के अलावा उस परिवार को आवंटित वृक्षों से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। मासिक भुगतान पौधों के जीवित रहने और अधिसूचित कार्यों के निष्पादन पर आधारित होता है। (नरेगा वेबसाइट पर 'परिपत्र' खंड में उपलब्ध मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के पत्र सं. जे-11018/1/4/2015-महात्मा गांधी नरेगा-IV के अनुसार)

जो सड़क बन चुकी है उसके दोनों ओर पौधरोपरण किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा योजनाके अंतर्गत सड़क के दोनों ओर पौधे लगाते समय सड़कों की सुरक्षा के लिए पहली और दूसरी पंक्ति में छोटे से मध्यम आकार के पौधे लगाए जाने चाहिए और तीसरी पंक्ति में छाया देने वाले लंबे वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पहली पंक्ति में वृक्षों की दूरी मेड़ से 0.5 मीटर होनी चाहिए। पहली और दूसरी पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 4 से 6 मीटर और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी न्यूनतम 3 मीटर होनी चाहिए। पौधरोपण वाली पंक्तियों की संख्या राइट ऑफ वे में भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि तीसरी या अन्य पंक्तियों में जगह उपलब्ध नहीं है, तो पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति (लंबे और छायादार वृक्ष) सहित दो पंक्तियों (छोटे और मध्यम वृक्ष) पर विचार किया जाना चाहिए। सामान्यत: ग्रामीण सड़कों पर अधिकतर स्थान उपलब्ध नहीं होता है और जब केवल पहली पंक्ति के लिए स्थान उपलब्ध होता है तो, या तो छोटे या मध्यम आकार के वृक्ष या छोटे, मध्यम और लंबे वृक्षों पर विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में जगह का प्रबंधन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि लंबे और छायादार वृक्षों को बहुत अधिक स्थान की जरूरत होती है और छोटे एवं मध्यम आकार वाले वृक्षों को कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए 4 से 6 मीटर के बीच एक समान स्थान रखा जाता है, तब दो लंबे वृक्षों के बीच या तो एक या दो छोटे या मध्यम आकार वाले वृक्ष लगाए जाने की आवश्यकता होती है।

7.6.15 शीर्षक "कार्य" में संबंधित राज्य के नरेगा साफ्ट के पृष्ठ पर राज्य की रिपोर्ट सं. 5.5 में 'शुरूआत से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए कार्य' शीर्षक के रूप में और रिपोर्ट सं. 5.23 में 'शुरूआत से कार्य रिपोर्ट' शीर्षक के रूप में संबंधित विभागों द्वारा दी गई रिपोर्ट के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यों को देखने का प्रावधान नरेगा साफ्ट में है।

7.6.16 सड़क के दोनों ओर पौधरोपण करने के साथ-साथ पीएमजीएसवाई सड़कों की मैपिंग करने के लिए नरेगा सॉफ्ट सहित पीएमजीएसवाई के एमआईएस (ओएमएमएएस सॉफ्टवेयर) का समेकन पूरा कर लिया गया है। पीएमजीएसवाई सड़कों सहित पौधरोपण की आयोजना,

कार्यान्वयन और निगरानी के लिए इस रिपोर्ट (नरेगासॉफ्ट की रिपोर्ट 6.25) का उपयोग किया जा सकता है।

7.6.17 पौधरोपण के लिए कार्यकलापों की माह-वार सूची

पौधों के स्थायित्व और उत्पादकता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य पौधरोपण के लिए कार्यकलापों की माह-वार सूची और स्टेकहोल्डरों की जिम्मेदारी निर्धारित करे, यह कार्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगे। 0 वर्ष (शुरू किए जाने के वर्ष) से "पौधरोपण कार्यकलापों तथा जिम्मेदार स्टेक होल्डरों की माह-वार समय-सारणी" संदर्भ के लिए नीचे दी गई है। इसके बाद अलग-अलग प्रजातियों के लिए कार्यकलापों की समय-सारणी (3 से 5 वर्ष) तथा जिम्मेदार स्टेकहोल्डर भिन्न-भिन्न होंगे, जिसे राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा उसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

वर्ष	**माह**	**पौधरोपण के लिए कार्यकलापों की समय-सारणी**	**जिम्मेदार हितधारक**
(1)	(2)	(3)	(4)
0 वर्ष	अप्रैल से जुलाई	महात्मा गांधी नरेगा प्रचलानात्मक दिशा-निर्देश/ आयोजना प्रक्रिया, अभिसरण दिशा-निर्देश/परिपत्रों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारियों/ स्वयंसेवकों/संसाधन व्यक्ति/लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि कार्य योजना और श्रम बजट तैयार करने के लिए उचित आयोजना कार्य शुरू किए जा सके।	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं/संबंधित लाइन विभाग के अधिकारी
	अगस्त	ग्राम सभा के माध्यम से आयोजना शुरू करना, वैयक्तिक/सार्वजनिक/वन भूमियों पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाने के लिए उपयुक्त भूमि जैसे सड़क के किनारे, नहरों के किनारे, तालाब, तटाग्र, संस्थागत भूमियों, मरुभूमि भूमि, बंजर भूमि, निम्न श्रेणी की भूमियों इत्यादि का निर्धारण करना। लाभ प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए लाभार्थियों का निर्धारण करना, लाभार्थियों से पौधों की प्रजातियों की मांग का अनुमान लगाना (कृषि जलवायु की स्थिति के अनुसार सुझाई गई प्रजातियों में से) नर्सरी तैयार करने का कार्य	पीआरआई और ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित लाइन विभागों के अधिकारी

		करना। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की संभावनाओं पर कार्य करना	
	सितंबर से दिसंबर	ग्राम सभा द्वारा अनुसमर्थन, अनुमान तैयार करना और तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करना	पीआरआई और अधिकारीगण, पीओ, डीपीसी
1 वर्ष	जनवरी	कार्य आदेश जारी करना	कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)
		क्षेत्र का सर्वेक्षण और सफाई करना	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी और कामगार
	फरवरी	पौधरोपण के लिए निर्धारित स्थान की मिट्टी की जांच। भूमि विकास-बोल्डर हटाना (यदि कोई हो), मेड़ बनाना, गड्ढे एवं खाइयां खोदना	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कामगार
	मार्च	गड्ढे खोदना, खोदे गए गड्ढों में कीटनाशक छिड़कना। फेंसिंग या लाइव फेंसिंग या सोशल फेंसिंग लगाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल सामग्री की खरीदारी	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कामगार
	अप्रैल	फार्म यार्ड मेन्यूर (एफवाईएम), उर्वरकों की खरीद	जीआरएस/पीओ से सहायता प्राप्त लाभार्थी
	मई	एफवाईएम और मिट्टी से गड्ढों को भरना और किस प्रकार पौधरोपण करना है इस संबंध में लाभार्थियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देना	संबंधित विभाग/ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी
	जून	पौधों की ढुलाई और पौध रोपना, पौधों की बाड़ लगाना, सिंचाई, निराई और गुड़ाई करना	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कामगार
	जुलाई	पौधों की ढुलाई और पौध रोपना, पौधों की बाड़ लगाना, सिंचाई, निराई और गुड़ाई करना	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कामगार
	अगस्त	पौधों की ढुलाई और पौध रोपना, पौधों की बाड़ लगाना, सिंचाई, रख-रखाव	जीआरएस (क्षेत्रीय सहायक) की सहायता

			सहित लाभार्थी और कार्यगार
	सितम्बर	निराई, गुड़ाई और चार बार सिंचाई करना	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कार्यगार
	अक्टूबर	निराई, गुड़ाई और चार बार सिंचाई करना	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कार्यगार
	नवम्बर	निराई, गुड़ाई और चार बार सिंचाई करना	जीआरएस (क्षेत्रीय सहायक) की सहायता सहित लाभार्थी और कार्यगार
	दिसम्बर	निराई, गुड़ाई और रख-रखाव	जीआरएस/क्षेत्रीय सहायक से सहायता प्राप्त लाभार्थी और कामगार

7.6.17 वनीकरण, पौधरोपण और बागवानी से संबंधित अभिसरण कार्यकलाप :

क. **नारियल पौधरोपण:** महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नारियल पौधरोपण से संबंधित सभी श्रम गहन कार्यों को शुरूआती 2 वर्षों के दौरान अभिसरण कार्यों के साथ शुरू किया जा सकता है। नारियल विकास बोर्ड की योजनाओं या केंद्र/राज्य की अन्य पहलों के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति और तकनीकी सहायता सहित कार्यकलापों को शामिल किया जा सकता है। शेष कार्यकलापों को लाभार्थी के योगदान के रूप में लाभार्थी द्वारा पूरा किया जा सकता है।

नारियल के बहुत पुराने वृक्षों को हटाने के बाद महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नए पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत पुराने नारियल के पेड़ों को हटाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कोई भी लागत बुक नहीं की जाती है।

ख. रबर पौधरोपण: महात्मा गांधी नरेगा और केंद्र/राज्य सरकारों की योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से रबर के पौधे लगाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पौधरोपण कार्यों के लिए निधियां दी जा सकती हैं। अभिसरण भागीदार, रबर पौधरोपण एवं विकास के शुरूआती वर्षों के दौरान खेती शुरू करने तथा खेती के बाद के कार्यकलापों के लिए किसानों का क्षमता निर्माण करने, मूल्य वृद्धि में मदद (फारवर्ड लिंकेज) करने के लिए उन्हें मौके पर सहायता और सुदृढ़ मार्केटिंग नेटवर्क उपलब्ध करा सकते हैं।

ग. पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) तथा कृषि, सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी विकास के एकीकृत मिशन (जिसमें कृषि-वानिकी पर उप मिशन शामिल है) या केंद्र/राज्य की अन्य पहलों के साथ **वनीकरण से संबंधित अभिसरण** शुरू किया जा सकता है। जहां साझा भूमियों पर पौधरोपण का कार्य शुरू किया गया है, वहां वृक्षों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लाभ वंचित वर्गों को दिया जाएगा।

घ. वन भूमि पर कार्य शुरू करते समय कार्यान्वयन एजेंसियों को इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो।

7.7 ग्रामीण अवसंरचना

निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुदेश ध्यान देने योग्य हैं :

क) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग : महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-। के पैराग्राफ 13(क) में निर्माण कार्य में गहन श्रम वाली एवं किफायती प्रौद्योगिकियों तथा स्थानीय सामग्रियों का उपयोग अधिदेशित किया गया है। तदनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत भवन निर्माण में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें स्थानीय निर्माण परम्पराओं/अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है ताकि संरचना की मजबूती के साथ कोई समझौता किए बिना निर्माण कार्य में सीमेंट, रेत और स्टील के उपयोग को पर्याप्त रूप से कम किया जा सके। प्रत्येक भवन के लिए उपयुक्त निर्माण सामग्रियों का चयन किया जा सकता है और इसका उत्पादन महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्माण स्थल के पास किया जा सकता है। राज्य, पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण और इसको बढ़ावा देने के लिए आईईसी सामग्री की तैयारी/प्रसार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना पर विचार करें।

ख) ग्रामीण हाट: ग्रामीण हाट अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन से ग्रामीण कारीगरों और किसानों को बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी। ग्रामीण हाट का निर्माण गांवों या ब्लॉकों में विपणन के मौजूदा स्थान पर किया जा सकता है जहां साप्ताहिक/दैनिक हाट पहले से मौजूद हैं। प्रस्तावित ग्रामीण हाटों के लिए भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत/सरकार के पास होना चाहिए। भंडारण, पेयजल, शौचालय, कूड़े के लिए गड्ढे, पार्किंग स्थान इत्यादि सुविधाओं के साथ संरचना एक खुला और ढका हुआ प्लेटफार्म हो सकता है। सामर्थ्य तकनीकी नियमावली में नए हाट के निर्माण के लिए एक मॉडल योजना दी गई है। महात्मा गांधी नरेगा के अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (कृषि विपणन विभाग) के अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकते हैं ताकि ग्रामीण हाटों के विकास के लिए संभावित स्थानों और एसएचजी/उत्पादकों के समूहों की पहचान की जा सके।

ग) एसएचजी के लिए सामान्य अवसंरचना: डीएवाई-एनआरएलएम के स्व-सहायता समूहों/उत्पादक समूहों के आजीविका कार्यकलापों के लिए सामान्य कार्य शेड बनाने का काम एनआरईजीएस के अंतर्गत किया जा सकता है। इनमें प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन और मूल्य संवर्धन (एकमुश्त व्यय), कस्टम हायरिंग केंद्रों/टूल बैंकों के लिए भंडारण शेड, दूध संग्रह केंद्रों के लिए शेड और टसर कार्यकलापों के लिए शेड/भंडारण इकाइयों के लिए उत्पादक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हो सकता है। बुनियादी ढांचा निर्माण की केवल निश्चित लागत को ही महात्मा गांधी नरेगा निधियों से पूरा किया जाना चाहिए आवर्ती व्यय को नहीं।

घ) भंडारण गोदाम: महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन की पहल को बढ़ाने के लिए ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण गोदामों का निर्माण किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि-लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है ताकि प्याज, आलू और टमाटर के मूल्य में उतार-चढ़ाव को सीमित किया जा सके। दिनांक 11 नवंबर 2013 की अधिसूचना द्वारा उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के एसएचजी/निर्माता समूहों/उत्पादकों के उद्यमों को भंडारण, ग्रेडिंग इत्यादि में किसी भी कठिनाई का सामना किए बिना अपने व्यवसाय को चलाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भंडारण गोदामों का निर्माण किया जाए।

ड.) खेल के मैदान का निर्माण: महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत में केवल एक खेल का मैदान बनाया जा सकता है।

च) गांवों में सरकारी विद्यालयों के लिए चारदीवारी का निर्माण : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जहां विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है या उपलब्ध नहीं कराई गई है वहां महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत या अन्य

योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करके सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

छ) बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क (गैर-पीएमजीएसवाई सड़क मानकों के लिए निर्मित):

क. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-। के पैरा 4(1)IV.(ii) में उल्लेख है: *"सड़क संपर्कविहीन गांवों और निर्धारित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्का सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना; और गांवों में सड़क के किनारे जल निकासी और पुलिया सहित पक्की आंतरिक सड़क या गलियों का निर्माण;"*

ख. महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अभिसरण करके गैर-पीएमजीएसवाई बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए दिनांक: 17.11.2016 के पत्र संख्या: पी-17026/1/2015आरसी (एफएमएस सं.342023) द्वारा जारी मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:-

i. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो बसावटें पात्र नहीं हैं उन्हें ऐसे मानक स्तर पर मोटर चलाने योग्य एकल बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना, जिनका समय के साथ पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उन्नयन किया जा सके (या तो आबादी बढ़ने के कारण और/या इस उन्नयन के लिए सड़क को पात्र बनाने वाले अत्यधिक यातायात के कारण)।
ii. उन बसावटों के बीच सामाजिक-आर्थिक महत्व की सड़क और लिंक सड़कें, जिन्हें विविध लिंक होने के कारण पीएमजीएसवाई कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता है।
iii. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किसी बसावट में महत्वपूर्ण स्थान तक ही सड़कें बनाई जा सकती हैं, जो सामान्यत: ग्राम पंचायत (जीपी), सरकारी स्कूल या सामुदायिक सुविधा होते हैं। किनारे की नालियों सहित बसावट में सड़क के शेष भाग और अन्य गलियों का कार्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है।

बड़ी मात्रा में सामग्रियों और खेती उपकरणों की खेतों तक तथा कृषि उत्पाद की खेतों से बाजार केन्द्रों या भंडारण गोदामों तक ढुलाई को सुगम बनाने के लिए आर-पार निकासी अवसंरचनाओं (सीडी) और किनारे की नालियों सहित मोटर चलाने योग्य फार्म नेट रोड (बसावट से मैदानी रास्तों तक)।

योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:-

i. मैदानी क्षेत्रों में 500 से कम आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सड़कों से न जुड़ी हुई सभी बसावटों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 250 से कम आबादी वाली बसावटों को शामिल किया जाएगा।

ii. इस योजना के अंतर्गत केवल नया सड़क संपर्क ही उपलब्ध कराया जाएगा, उन्नयन नहीं किया जाएगा।

iii. इस योजना में केवल गांव की सड़कों (वीआर) और अन्य जिला सड़कों (ओडीआर) को ही कवर किया जाएगा।

iv. पी-नेट (पंचायत नेटवर्क) मैप सभी फार्म-नेट सड़कों और ग्राम पंचायत की अन्य ग्रामीण सड़कों का एक नेटवर्क है। पी-नेट मैप को ग्राम सभा के विधिवत अनुमोदन के बाद जिला आयोजना समिति, जो महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की सूची को अनुमोदित करती है, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

v. सड़कों की प्राथमिकता ग्राम सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी जबकि इन सड़कों की वांछित सतह/मानकों का निर्धारण (यातायात और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर) एसआरआरडीए के साथ परामर्श करके सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार तकनीकी एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

vi. माननीय सांसदों द्वारा निर्धारित सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों से जुड़ने वाली सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

vii. दो या दो से अधिक बसावटों को जोड़ने वाली सड़कों को अनसील्ड (या पतली सील वाली) किया जा सकता है।

viii. डिजाइन चार्टों में दर्शाए अनुसार ग्रेवल बेस की मोटाई के अतिरिक्त 40-50 एमएम की मोटाई वाली कंक्रीट की परत वाली अनसील्ड ग्रेवल सड़कें बनाई जा सकती हैं।

ix. बहुत खराब निम्न ग्रेड (सीबीआर 2) और टी-2 श्रेणी में यातायात तथा खराब निम्न ग्रेड (सीबीआर <4) और टी 3 श्रेणी में यातायात के मामले में बजरी वाली सड़कों की तारकोल से पतली सीलिंग की जा सकती है। सरफेस ड्रेसिंग या चिप सीलिंग के रूप में तारकोल से पतली सरफेसिंग की जा सकती है।

x. बसावटों के अंदर की सड़कों (गांवों की सड़कों) में जल निकासी की पर्याप्त सुविधाओं के साथ सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक वाले फुटपाथ या फ्लाई ऐश के ब्लॉक वाले फुटपाथ या स्टोन सेट वाले फुटपाथ बनाए जा सकते हैं।

xi. फार्मनेट रोड और बसावट के अंदर की सड़कों का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। बसावटों के बाहर की सड़कों और लिंक सड़कों का निर्माण मध्यवर्ती/जिला पंचायत या संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार भी राज्य विशेष कार्यान्वयन व्यवस्थाएं कर सकती है।

xii. नियमित रख-रखाव और उसके लिए धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रयोजन के लिए 14वें वित्त आयोग की निधियों और अन्य राज्य अनुदानों का उपयोग किया जा सकता है।

xiii. गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन जिला पंचायत या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित तकनीकी विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी या आरडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा।

xiv. गैर-पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के कार्य का निष्पादन पूरी तरह पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की संख्या तो अधिक होने की संभावना है, लेकिन आकार में कम (2 कि.मी. से कम लंबाई) हो सकती हैं और उन्हें स्थानिक रूप से बांटा जा सकता है। संभवत: आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की प्रकृति उच्च स्तरीय न हो, लेकिन स्वतंत्र तकनीकी परामर्श प्रणाली का होना बहुत जरूरी है ताकि समान मानक व्यवहार में लाया जा सके जो रख-रखाव के लिए निरंतर धन प्राप्त करने के लिए जरूरी है।

xv. राज्य सरकारें इस तरह की सड़कों के निर्माण और पर्यवेक्षण का कार्य आपनी किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी को दे सकती हैं। तथापि, गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं निगरानी के संबंध में पीएमजीएसवाई की तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर पीएमजीएसवाई की तकनीकी सहायता मांगी जा सकती है।

स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। जहां पर पूर्व में सड़कों का निर्माण कार्य किया गया था वहां पर सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क के मामले में कम-से-कम 10 वर्षों के लिए और ग्रेवल/ डब्ल्यूबीएम सड़कों के मामले में कम-से-कम 5 वर्षों के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। तकनीकी मंजूरी (टीएस) देने वाला प्राधिकरण टीएस दस्तावेजों में इनको सत्यापित और प्रमाणित करेगा। उपर्युक्त वर्ष से पहले सड़क के हिस्से के निर्माण का प्रमाण-पत्र कार्य फाइल का हिस्सा होना चाहिए।

7.8 मत्स्य-पालन को बढ़ावा

मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजना तालाबों को अपनाया जा सकता है जिससे नीली क्रांति में मत्स्य पालन के विकास में उनके उपयोग में अभिसरण किया जा सके। दिनांक 9 नवंबर 2017 के पत्र संख्या फा.सं.27035/22/2016-एफवाई(IV) (नरेगा साफ्ट वेबसाइट के 'परिपत्र' खंड में उपलब्ध) द्वारा संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दो प्रकार के तालाब हैं जिन्हें मत्स्य-पालन के उद्देश्य से शुरू किया जा सकता है-(1) मौजूदा सामुदायिक तालाब (2) महात्मा गांधी नरेगा निधि का उपयोग करके बनाए गए तालाब। राज्य के मत्स्य विभाग की मंजूरी के

बाद तालाब के आकार और गहराई, जल धारण क्षमता, जल धारण अवधि इत्यादि के आधार पर मछली बीज पालन और टेबल मछली उत्पादन दोनों के लिए इन दोनों तालाबों को मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है-

i महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत तालाबों की खुदाई/नवीनीकरण/बदलाव के मामले में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के अनुसार सभी निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं तथा इसकी अनुसूचियों के साथ-साथ एएमसी का अनुपालन किया जाएगा।

ii किसी भी परिस्थिति में फिंगरलिंग्स, खाद इत्यादि में आने वाली लागत को महात्मा गांधी नरेगा योजना से वहन नहीं किया जाएगा।

iii व्यक्तिगत खेत तालाबों का पुन: उत्खनन/नवीनीकरण महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यकलाप नहीं है।

iv महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सामुदायिक परिसंपत्तियों (इस मामले में सार्वजनिक भूमि पर तालाब) के रखरखाव की अनुमति है।

v व्यक्तिगत भूमि पर खेत तालाब सहित सभी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के रखरखाव की अनुमति महात्मा गांधी नरेगा योजना में नहीं है, अगर किसी व्यक्तिगत कृषि तालाब की खुदाई महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत की गई है और जलीय कृषि/मत्स्य पालन के उद्देश्य से उसका नवीनीकरण किया जाना है, तो नवीकरण लागत को लाभार्थी द्वारा या महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा किसी अन्य स्रोत के माध्यम से वहन किया जाएगा। तथापि, जलीय कृषि/मत्स्य पालन के लिए सार्वजनिक भूमि पर जल निकायों/तालाबों का नवीनीकरण/अनुकूलन महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।

7.9 महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 4(1) IV (i) में ग्रामीण अवसंरचना श्रेणी के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यों का प्रावधान है, जिसमें अन्य सूचीबद्ध कार्यों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य (एसएलडब्ल्यूएम) किए जा सकते हैं। तदनुसार, ग्रे-वाटर के निपटान के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल), सोख्ता गड्ढों, ग्रे-वाटर के निपटान के लिए गाँव की नालियों, ग्रे-वाटर के उपचार के लिए स्थिरीकरण तालाबों (3/5 तालाब प्रणाली) का निर्माण और कंपोस्टिंग के लिए अवसंरचना का निर्माण जैसे कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन कार्यों के रूप में शुरू किए जा सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के व्यापक प्रबंधन के लिए निम्न सलाह दी जाती है: -

i. एसडब्ल्यूएम कार्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य और स्थायी होना चाहिए।

ii. उन्हें उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए और मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

iii. यह प्रत्येक ग्राम पंचायत या बसावटों के क्लस्टर के लिए परियोजना मोड में होना चाहिए और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से आय के स्थायी स्रोतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसबीएम (जी) के दिशा-निर्देश यह निर्दिष्ट करते हैं कि 150 परिवार वाली ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 7 लाख रू., 300 परिवार वाली के लिए 12 लाख रुपये, 500 परिवार वाली के लिए 15 लाख रुपये और 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायत के लिए 20 लाख रुपये लागत की स्थायी एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सभी ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से परिवारों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित की गई वित्तीय सहायता से ग्राम पंचायत (जीपी) द्वारा एसएलडब्ल्यूएम शुरू किया जा सकता है। एसबीएम (जी) के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम परियोजना के लिए वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में प्रदान किया जाता है। एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं को अन्य कार्यक्रमों और वित्तपोषण के स्रोतों जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना से निधि प्राप्त करके वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सकता है। अन्य मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों से भी निधि जुटाई जा सकती है। यह स्पष्ट है कि एसडब्ल्यूएम को एसबीएम (जी) निधि से शुरू किया जा सकता है और ग्राम पंचायत/समुदाय के एसएलडब्ल्यूएम प्रयासों में सहायता करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनाकई संभावित स्रोतों में से एक है। निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य स्वत: ही स्थाई हो जाएगा:-

- परिवारों, दुकानों, झोपड़ी, सरकारी संस्थाओं से संग्रह शुल्क एकत्र करना,
- रिसाइकल/रियूज किए जाने योग्य अपशिष्ट पदार्थों की बिक्री और खाद/वर्मी-खाद का विक्रय।

iv. एसडब्ल्यूएम की डीपीआर में घरों, दुकानों, स्कूलों, आईसीडीएस, झोपड़ी, मैरिज हॉल इत्यादि से उत्पन्न सभी अपशिष्ट का बारीकी से विश्लेषण करना, एसडब्ल्यूएम यूनिट से दूरी, परिवहन और पृथक्करण, कार्बनिक और अकार्बनिक (रिसाइकल किए जाने योग्य सहित) अपशिष्ट को शामिल किया जाना चाहिए। कम्पोस्ट गड्ढे, वर्मी-कम्पोस्ट शेड, सेग्रीगेशन शेड, ट्राई-साइकिल पार्किंग, अपशिष्ट की सफाई और सुखाने, रीसाइकल वेस्ट शेड, कार्यालय-सह-गोदामों की जगह और अन्य स्टाफ सुविधाओं के लिए भूमि संबंधी आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए। एसएचएम इकाई और लैंडफिल क्षेत्र के लिए जगह की आवश्यकता परिवारों की संख्या और अन्य मानदंडों के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इन सभी कार्यकलापों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।

v. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत केवल वे अनुमेय कार्यकलाप/कार्य शुरू किए जाएंगे जो गैर-पुनरावृत्ति वाले, स्थायी और मूर्त स्वरूप के हैं।

vi. वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट, सेग्रिगेशन यूनिट, ट्राई-साइकिल शेड, ऑफिस रूम और स्टोर रूम, शौचालय, बाथरूम जैसी सभी स्थायी परिसंपत्तियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना से वित्तपोषित किया जा सकता है।

vii. एसबीएम-जी या वित्त आयोग अनुदान या ग्राम सभा के राजस्व के अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों का उपयोग ई-रिक्शा/घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने की धक्का गाड़ी, झाड़ू, टोकरियां, फावड़े, सुरक्षा किट, दस्ताने, बाल्टियां उपलब्ध कराने, कामगारों के टीकाकरण इत्यादि के लिए किया जा सकता है जिसमें स्वच्छता कर्मियों को मजदूरी का भुगतान, ई-रिक्शा का रखरखाव भी शामिल हैं।

viii. स्वच्छता कर्मियों, पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने के लिए आईईसी (विज्ञापन और जागरूकता) कार्यकलापों का डीएवाई-एनआरएलएम/सीएसआर या महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा अन्य निधियों से आयोजन किया जा सकता है।

ix. स्वच्छता कर्मियों (कूड़ा एकत्र करने और छांटने वाले), पर्यवेक्षकों और कार्यालय सहायकों की मजदूरी जैसे आवर्ती व्यय को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा अन्य किसी भी उपरोक्त सूचीबद्ध स्रोतों से वित्तपोषित किया जा सकता है।

x. इस मामले में मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2018 के पत्र संख्या जे-11017/41/2012-एमजीएनआरईजीए (यूएन) द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

7.10 यह पाया गया है कि कुछ राज्य अपशिष्ट को एकत्र और अलग-अलग करने वाले स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं, जबकि उनकी आवर्ती प्रकृति को देखते हुए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अपशिष्ट एकत्र और उसे अलग-अलग करने वाले स्वच्छता कामगारों तथा पर्यवेक्षकों की मजदूरी के भुगतान को रोक दिया जाएगा।

7.11 अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कार्यनीति

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मजदूरी की मांग करने वालों के लिए निरंतर आधार पर कार्यों की उपलब्धता हो और जारी तथा अधूरे कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। मजदूरी की मांग करने वालों की पात्रता को कम किए बिना ग्राम पंचायत को नए कार्य शुरू करने से पहले उन कार्यों को आवंटित करना चाहिए जो अधूरे हैं और जिनमें अपेक्षित श्रम रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है।

अधूरे कार्यों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- (1) कार्य के पूरा होने के अलग-अलग स्तरों के अनुसार वर्गीकरण (2) कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण अर्थात सड़कें, तालाब, व्यक्तिगत परिसंपत्तियां आदि। इन कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य की कार्यनीतियों में दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्रेणी (1) के अनुसार कार्यों को निम्नलिखित उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

क. 100% से अधिक व्यय

ख. 75% से अधिक व्यय

ग. पिछले एक वर्ष में किया गया व्यय 0% है

घ. व्यय केवल सामग्री घटक पर किया गया है।

नरेगासॉफ्ट की रिपोर्ट सं. (आर.6.2,6.18, 6.19) में आवश्यक विवरण हैं जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्रेणी (2) के अनुसार कार्यों को निम्नलिखित उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

क) ग्रामीण अवसंरचना

ख) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

ग) व्यक्तिगत परिसंपत्ति

घ) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप आदि।

राज्य को उन कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां व्यय 75% या अधिक है ताकि समुदाय/लाभार्थियों को लाभ मिल सकें। वे कार्य जो पिछले एक वर्ष में शुरू नहीं हुए हैं या जहां केवल सामग्री घटक पर व्यय हुआ है ऐसे मामलों में राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 में पूरे किए जा सकने वाले कार्यों का निर्धारण करने के बाद ऐसे कार्यों को बंद करने और यदि आवश्यक हो निधि की वसूली किए जाने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

कार्यों को पूरा करने पर पर्याप्त जोर देने के उद्देश्य से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्य को पूर्ण करने की अनुमानित अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए और किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के पास एक वित्तीय वर्ष से अधिक के अधूरे कार्य नहीं होने चाहिए, जो कार्य उस वर्ष में प्रस्तावित किए गए थे।

7.12 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण और रख-रखाव

7.12.1 गुणवत्ता नियंत्रण: महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत परिसम्पत्तियां सृजित करने में उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग और इष्टतम परिणाम प्राप्त करना

केवल तभी संभव होगा जब अपेक्षित गुणवत्ता प्रबंधन को समय से और व्यवस्थित ढंग से पूरा कर लिया जाएगा ताकि सृजित परिसम्पत्तियां किफायती, स्थायी और उपयोगी हों। इसकी प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य, कार्यस्थल का चयन, सर्वेक्षण, आयोजना, डिजाइन, खाका, निष्पादन, निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई तकनीकी मानकों के अनुसार हो।

राज्य और जिला स्तर पर एक गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए।

राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ के पास निम्नलिखित होने चाहिए:

- सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता के संवर्ग से 10 से 15 तकनीकी अधिकारियों को राज्य द्वारा सशर्त पैनल में शामिल किया जाना चाहिए। पैनल में शामिल तकनीकी अधिकारी राज्य के सीई/एसई की समग्र निगरानी और निर्देशन में कार्य करेंगे।
- पैनल में शामिल तकनीकी अधिकारी राज्य के प्रत्येक जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनाके अंतर्गत निष्पादित कार्यों के कम से कम 10% की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। इन 10% कार्यों में से कम से कम 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक का व्यय कच्चे कार्यों (भूमि) पर और पक्के कार्यों (चिनाई) पर 10.00 लाख रूपये और उससे अधिक का व्यय किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कार्य की निगरानी दो चरणों में की जानी चाहिए यानी निर्माण के दौरान और निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात।
- पैनल में शामिल इंजीनियरों को एक महीने में कम से कम 10 दिनों का दौरा करना चाहिए।
- वे कार्यों के लिए सुधारात्मक उपायों पर सलाह/सुझाव देंगे और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
- निगरानी किए गए कार्यों पर टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट डीपीसी/पीओ के पास सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नियमित रूप से भेजी जाएगी और राज्य द्वारा इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए।
- पारिश्रमिक का भुगतान दौरे के दिनों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य पैनल में शामिल किए गए तकनीकी अधिकारियों (राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के लिए पारिश्रमिक और अन्य भत्ते निर्धारित कर सकता है।
- दौरे के निष्कर्ष की समीक्षा करने और सचिव/आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभारी) को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए सीई/एसई की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
- निगरानी के निष्कर्ष को नरेगा वेबसाइट में अपलोड किया जाना चाहिए।

जिला गुणवत्ता निगरानी (डीक्यूएम) प्रकोष्ठ के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

- ईई/एसई के अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक अभियंता और उनसे ऊपर के संवर्ग में 10 से 15 तकनीकी अधिकारियों का पैनल।
- इंजीनियर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के कम से कम 10% की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। इन 10% कार्यों में से कम से कम 3.00 लाख रुपये और इससे अधिक का व्यय कच्चे कार्यों (भूमि) पर और 5.00 लाख रूपये और उससे अधिक का व्यय पक्के (चिनाई) कार्यों पर किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कार्य की निगरानी दो चरणों में की जानी चाहिए अर्थात् निर्माण के दौरान और निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात।
- इंजीनियरों को एक महीने में कम से कम 10 दिनों का दौरा करना चाहिए।
- वे कार्यों के लिए सुधारात्मक उपायों पर सलाह/सुझाव देंगे और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
- निगरानी किए गए कार्यों पर टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट पीआईए द्वारा नियमित रूप से प्राप्त की जाएगी और उसकी समीक्षा की जाएगी।
- पारिश्रमिक का भुगतान दौरे के दिनों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य, गुणवत्ता की निगरानी के लिए पारिश्रमिक और अन्य भत्ते तय कर सकता है।
- दौरे के निष्कर्ष की समीक्षा करने और डीपीसी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए सीई/एसई की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
- निगरानी के निष्कर्ष को नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

7.12.1.1 राज्य स्तर पर तकनीकी प्रकोष्ठ- जिन राज्यों का वार्षिक व्यय 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से अधिक है उनके मामले में प्रकोष्ठ का प्रमुख राज्य स्तर पर मुख्य अभियंता होगा। जिन मामलों में व्यय 1000 करोड़ रुपए से कम है, वहां अधिशासी अभियंता रैंक का अधिकारी ऐसे प्रकोष्ठ का प्रमुख होगा। ऐसे पद पूर्णकालिक आधार पर होंगे और राज्य सरकार के अन्य तकनीकी विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। राज्य सरकार जहां कहीं अपेक्षित हो एसई, ईई, एई आदि जैसे सहायक अभियंता भी उपलब्ध कराएंगी। ये पद पूर्णकालिक पद भी होंगे जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग अथवा तकनीकी विभागों से प्रतिनियुक्ति को प्राथमिकता देते हुए भरा जाएगा। उपर्युक्त इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों के संबंध में डिजाइन, कार्यान्वयन, गुणवत्ता निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

7.12.1.2 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उप जिला/प्रभाग स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर क्रमश: कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता को महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों से संबंधित सभी इंजीनियरिंग कार्यकलापों की देखरेख करने की पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

7.12.1.3 ऊपर पैरा 7.12.1.1 में यथोल्लिखित राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में निर्देश और उपरोक्त पैरा 7.12.1.2 में उल्लिखित जिला स्तर आदि पर सहायक स्टाफ का प्रावधान अपरक्राम्य है।

7.12.2 उत्पादकता/परिणाम: किसी भी कार्य को अनुमोदन हेतु ग्राम सभा/वार्ड सभा के समक्ष रखने से पहले उत्पादकता/परिणाम की सख्त निगरानी की जानी चाहिए और वास्तविक परिणामों को मापे बिना इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए अपेक्षित परिणामों पर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक मॉड्यूल तैयार करेगा और इसका उपयोग करने में पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा।

महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्ति की अपेक्षित अर्थव्यवस्था, स्थायित्व और निष्कर्ष/उत्पादकता की विशिष्ट इकाइयां संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैं: (ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला/राज्य) वार वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	**महात्मा गांधी नरेगा के कार्य**	**इकॉनामी**	**स्थायित्व**	**परिणाम/ उत्पादकता**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जल संचयन और जल संग्रहण संबंधी कार्य	जल संचयन की प्रति इकाई के अनुसार निर्माण की लागत/ लाभान्वित इकाई क्षेत्र	i) पक्का कार्य 15-25 वर्ष ii) कच्चा कार्य 5-10 वर्ष	पुनर्भरण किए गए कुओं की संख्या/ सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र/ उत्पादन में वृद्धि और भू-जल तालिका में वृद्धि(मि.मी. में)
2	वनीकरण और पौध रोपण	वृक्षों के बड़े होने तक प्रति इकाई क्षेत्र के अनुसार लागत	वनीकरण वृक्ष, 15-25 वर्ष	वृक्ष की परिपक्वता अवधि अर्थात 20-25 के अनुसार

				प्रति वृक्ष लाभ (रू. में)
3	सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहर	सिंचाई के अंतर्गत आने वाले प्रति इकाई क्षेत्र के अनुसार लागत	15-25 वर्ष	एक वर्ष में फसलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में उत्पादकता में वृद्धि (क्विंटल में) सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)
4	क)नहर/बागवानी/पौध रोपण को छोड़कर सिंचाई सुविधा ख) खेत की मेड़ बनाना/भूमि विकास	सिंचाई/पौधे के बड़े होने तक आने वाली प्रति इकाई क्षेत्र लागत/जब तक की यह उत्पादक नहीं बन जाता/विकसित किया गया इकाई क्षेत्र	क) 15-25 वर्ष ख) 10-15 वर्ष	सिंचाई/पौधरोपण/ भूमि विकास के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)/1 वर्ष में फसल की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि (% में)
5	तालाबों से गाद निकालने के साथ-साथ परम्परागत जल निकायों का पुनरूद्धार/रख-रखाव	प्रति इकाई जल संचयन क्षमता बढ़ाना/ हटाई गई गाद के अनुसार लागत	10-15 वर्ष	जल संचयन क्षमता में वृद्धि (घन मीटर में) और भू-जल स्तर को बढ़ाना (मि.मी. में)
6	भूमि विकास	विकसित किए गए क्षेत्र के अनुसार प्रति इकाई लागत	15-25 वर्ष	विकसित किया गया क्षेत्र(हेक्टेयर में)/प्रति वर्ष उत्पादकता में वृद्धि (% में)

7	बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ संरक्षण कार्य	विकसित किए गए क्षेत्र के अनुसार प्रति इकाई लागत	10-15 वर्ष	विकसित किया गया क्षेत्र(हेक्टेयर में)/प्रति वर्ष उत्पादकता में वृद्धि (% में)
8	ग्रामीण सड़क संपर्क क) सीसी रोड ख) बजरी वाली/ डब्ल्यूबीएम सड़क	सड़क संपर्क की प्रति कि.मी. की लंबाई के अनुसार लागत	क) 10-15 वर्ष ख) 5-10 वर्ष	लाभान्वित ग्रामीणों और गांवों की संख्या
9	भवन निर्माण कार्य	कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार प्रति इकाई लागत	45-60 वर्ष	लाभान्वित ग्रामीणों और गांवों की संख्या
10	कृषि संबंधी कार्य (जैविक-उर्वरक)	समय पर खाद उत्पादन की प्रति इकाई क्षमता के अनुसार लागत	5-10 वर्ष	प्रतिवर्ष कम्पोस्ट/ खाद के उत्पादन की क्षमता (कि.ग्रा. में)
11	पशुधन संबंधी कार्य (पशुशाला)	प्रति इकाई कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार लागत	10-15 वर्ष	उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें मुर्गी/बकरी/मवेशी उपलब्ध कराए गए (सं. में)
12	मत्स्य पालन संबंधी कार्य	प्रति वर्ष प्रति इकाई मत्स्य उत्पादन अनुसार लागत	5-10 वर्ष	प्रति वर्ष उत्पादन की गई मछलियां (क्विण्टल में)
13	तटीय क्षेत्रों पर कार्य क) मछली सुखाने वाले यार्ड ख) बेल्ट वेजीटेशन	क) कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार प्रति इकाई लागत ख) कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार प्रति इकाई लागत/पौधों की संख्या	क) 10-15 वर्ष ख) 15-25 वर्ष	क) प्रति वर्ष सुखाई जा सकने वाली मछलियां (क्विण्टल में)। ख)लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

14	ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य जैसे सोख्ता गड्ढे, पुनर्भरण गड्ढे	प्रति इकाई जल पुनर्भरण/जमीन की खुदाई की लागत	3-5 वर्ष	लाभान्वित क्षेत्र/ पुनर्भरण किए गए जल की मात्रा
15	ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य	प्रति इकाई शौचालय/ ठोस, द्रव अपशिष्ट प्रबंधन की लागत	10-15 वर्ष	लाभान्वित व्यक्ति (संख्या में)

7.12.3 रखरखाव:: केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों के संबंध में ही एकबारगी मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण करना और पुनर्वास की अनुमति है। परिसंपत्तियों के बार-बार रखरखाव की अनुमति नहीं है। प्राकृतिक आपदा अथवा परिसंपत्ति को किसी दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति के किसी विशीष्ट मामले के अलावा किसी भी परिसंपत्ति की मरम्मत अथवा पुर्नवास करने की न्यूनतम अवधि परिसंपत्ति के पूरा होने की तारीख से 5-10 वर्ष होनी चाहिए। समय से पहले रखरखाव के कारण का प्रमाण मामले की फाइल के साथ संलग्र किया जाना चाहिए।

सामुदायिक वनीकरण से संबंधित सभी कार्यों में सामान्यतः शुरूआत से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पौधे की रखरखाव लागत शामिल होती है। वनीकरण का रखरखाव नए कार्य के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

निजी भूमि पर वनीकरण (बागवानी वनीकरण भी शामिल है) सहित वैयक्तिक लाभार्थी के कार्यों का रखरखाव की अनुमति नहीं है।

7.12.4 कार्यों का मापन: किए गए कार्यों के सभी मापन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत और जारी की गई मापन पुस्तिका (एमबी) में दर्ज किए जाएंगे। किए गए कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए नरेगा साफ्ट में उचित प्रविष्टियां दर्ज की जानी हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किए गए कार्य के मूल्य को मापने के बाद और कनिष्ठ अभियंता/अधिकृत तकनीकी कर्मियों द्वारा चेक मापन के बाद ही सभी भुगतान किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर एमबी में मापन प्रविष्टियों को जेई/टीए/अधिकृत तकनीकी कार्मिकों द्वारा दर्ज किया जाएगा और एई/अधिकृत कार्मिक द्वारा जांच मापन की जाएगी।

7.12.5 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोर स्टाफ का प्रावधान:

आयोजना, अनुमान तैयार करने, जमीन पर मार्क-आउट करने और किए गए कार्य की माप करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस स्थल पर कोर स्टाफ उपलब्ध होगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निम्नलिखित कोर स्टाफ कार्यरत हैं:

क. हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), उत्तर पूर्वी राज्यों और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप) में कार्यस्थल पर अधिकतम 40 कामगारों तक प्रति 10 कामगारों के लिए एक 'मेट' तथा शेष राज्यों में {ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 06 मार्च, 2021 के पत्र सं. जे-11017/01/2021-आरई-VI (374849) के अनुसार} अधिकतम 40 कामगारों तक प्रति 20 कामगारों के लिए एक 'मेट' तथा 41 कामगारों से अधिक होने पर अधिकतम 80 कामगारों तक प्रति 10 कामगारों के लिए अतिरिक्त 'मेट' कार्यों के उचित पर्यवेक्षण के लिए तैनात किए जा सकते हैं। 'मेट' को अर्धकुशल मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और 'मेट' को सीमांकन करने, नाप लेने, फिल्ड मापन पुस्तिका का रखरखाव करने और किए गए कार्य की मात्रा तथा प्राप्त मजदूरी के संबंध में प्रत्येक कामगार के ब्यौरे सहित जॉबकार्ड को अद्यतन करने जैसे कार्य सौंपे जाएंगे। कार्य स्थल पर पर्यवेक्षक (मेट) कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए जिसमें स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ख. कार्य को मापने और एमबी में हर हफ्ते या मस्टर के बंद होने के तत्काल बाद, इनमें से जो भी पहले हो, माप को दर्ज करने के लिए प्रत्येक 2,500 सक्रिय जेसी के लिए एक 'तकनीकी सहायक' होगा।

ग. यदि राज्य सरकार ऐसा निर्णय लेती है, तो कामगार के घर से बेयरफुट तकनीशियन (बीएफटी) की सेवाएं ली जा सकती हैं। बीएफटी तकनीकी सहायक/जूनियर इंजीनियर की सहायता करेगा।

घ. तकनीकी कार्मिकों के भुगतान की लागत सहित मेट, टीए और बीएफटी सामग्री घटक का हिस्सा होंगे।

ड. सिक्योर (SECURE) में फ्लो डाइग्राम के अनुसार अधिकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार तकनीकी मंजूरी जारी करेंगे। ब्लॉक स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता' होंगे, जो माप पुस्तिका में दर्ज की गई माप की जांच करेंगे।

च. कार्य शुरू होने से पहले कनिष्ठ अभियंता द्वारा केस रिकॉर्ड/कार्य पंजी खोली जानी चाहिए।

केस रिकॉर्ड/कार्य मिसिल के लिए निर्देशात्मक ढांचा: केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल एक भौतिक फ़ाइल है जिसे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना/कार्य के लिए व्यवस्थित रखा जाना चाहिए। प्रासंगिक दस्तावेज और रिकॉर्ड क्रमबद्ध तरीके से केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल में भरे जाने चाहिए। इससे परियोजना/कार्य के निष्पादन के दौरान और पूरा होने के पश्चात कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और लेखा परीक्षा करने में मदद मिलेगी। देशभर में एकरूपता लाने के लिए केस रिकार्ड/कार्य फ़ाइल की मानक सामग्री को अनुकूलन के साथ, यदि कोई हो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल के लिए मानक सामग्री

क्र.सं.	**केस रिकॉर्ड/कार्य फाइल में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
1	कवर पृष्ठ	केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल को परियोजना/कार्य से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए एक हार्ड पेपर कवर में बांधा जाना होता है। परियोजना/कार्य अर्थात कार्य का नाम, स्थान (ग्राम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य, ग्राम पंचायत स्थान), कार्य की श्रेणी, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कार्य के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा, कार्य समाप्ति की तिथि, अनुमानित लागत (निगरानी तालमेल कोष, यदि कोई हो), वास्तविक व्यय, सामाजिक लेखा परीक्षा की तिथि। पीआईए विवरण, परिसंपत्ति का कार्य कोड और परिसंपत्ति की जियो टैगिंग की तारीख के बारे में संक्षिप्त जानकारी रखने के लिए केस रिकॉर्ड/कार्य फाइल के कवर का उपयोग किया जाना चाहिए।

2	दस्तावेजों की जांच-सूची	केस रिकॉर्ड/कार्य फाइल का पहला पृष्ठ विषय-वस्तु का पृष्ठ है जिसमें केस रिकॉर्ड/कार्य फाइल के अंदर रखे जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट शामिल है। सभी दस्तावेजों को उचित रूप से संबंधित पृष्ठ संख्या के संदर्भ में क्रमबद्ध किया जाना है। यह केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल में सभी दस्तावेजों के लिए संदर्भ बिंदु होगा।
3	वार्षिक कार्य योजना/ परियोजनाओं की सूची की प्रति	कार्य को रेखांकित करने वाली अनुमोदित सूची की प्रति (जिसके लिए केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल खोली जा रही है) के साथ-साथ ग्राम सभा संकल्प की एक प्रति संदर्भ के लिए केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल में रखी जानी चाहिए।
4	तकनीकी अनुमान और डिजाइन की प्रति	मॉडल तकनीकी अनुमान में अनुमान का कवर पृष्ठ शामिल होगा जिसमें कुल अनुमान, श्रम अनुमान, अनुमानित सामग्री और कार्य के पूरा होने के अनुमानित दिनों को दर्शाने वाले लागत अनुमान का सार होता है; परियोजना रिपोर्ट/ परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट/कार्य के कार्यान्वयन की प्रक्रिया और समुदाय/ व्यक्तिगत लाभार्थी को अपेक्षित लाभ के साथ वास्तविक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण व्यवहार्यता के संबंध में कार्य; दर के विश्लेषण के आधार पर कार्य के प्रत्येक मद के आयाम और लागत के संदर्भ में विस्तृत विवरण और कार्य की मात्रा की गणना के साथ विस्तृत अनुमान; राज्य की प्रचलित अनुसूची (एसओआर) के बारे में किसी परियोजना/कार्य की प्रत्येक वस्तु की लागत की गणना की दर का विश्लेषण, भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी

		की राशि शामिल होगी; संचालन और लिफ्ट विवरण: संचालन विवरण प्रत्येक सामग्री की इकाई लागत को दर्शाता है जो संचालन, खरीद का स्रोत, मूलभूत लागत, परिवहन लागत और रॉयल्टी लागत को दर्शाता है। स्वीकार्य संचालन/लिफ्ट दूरी/ऊँचाई के अतिरिक्त संचालन और लिफ्ट विवरण परिवहन सामग्री/भूमि उत्खनन के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता को भी दर्शाता है। सामग्री विवरण: एसओआर के अंतर्गत अनुमोदित दर के आधार पर सामग्री विवरण में परियोजना/कार्य के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा और किस्में शामिल हैं। क. श्रम सारांश: श्रम सारांश परियोजना/कार्य के कार्यान्वयन के लिए श्रम की आवश्यकता का सार है। यह परियोजना/कार्य के लिए आवश्यक कामगारों की संख्या और श्रेणियां बताता है जैसे कि कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रम। इसमें सभी प्रकार के कामगारों को अधिक से अधिक शामिल किया जाना चहिए ताकि कामगारों की अधिक या कम बेरोजगारी से बचा जा सके। ख. खाका और डिजाइन: तकनीकी अनुमान तैयार करने से पहले कार्य के प्रत्येक मद के आयामों की गणना करने के लिए परियोजना/कार्य का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए। कार्य के प्रत्येक मद के आयामों को इंजीनियरिंग खाका में बदला जाता है, जो एक

		ग्राफिकल भाषा है जो डिजाइनर से कार्यान्वयनकर्ता तक के विचारों और सूचनाओं के बारे में बताती है। यह परिसंपत्ति की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। ग. सर्वेक्षण डाटा: यह तकनीकी अनुमान तैयार करने के लिए एकत्र किया गया प्राथमिक और गौण डाटा है, जिसके आधार पर परियोजना कार्य का डिज़ाइन और खाका तैयार किया जाएगा। तकनीकी अनुमान की तैयारी के लिए की गई गणनाओं को मान्य करने के लिए इसे तकनीकी अनुमान में संलग्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा समीपवर्ती/आस-पास की संरचनाओं के साथ परिसंपत्ति के स्थान को भी मानचित्र में दर्शाया जाना चाहिए। तकनीकी अनुमान में मानकीकृत नागरिक सूचना बोर्ड की लागत भी शामिल होनी चाहिए।
5	तकनीकी स्वीकृति	तकनीकी स्वीकृति परियोजना/कार्य की अनुमानित लागत का मूल्यांकन और अनुमोदन है। इसमें परियोजना/कार्य के श्रम और सामग्री घटक दोनों की अनुमानित लागत शामिल है। तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता आदि जैसे तकनीकी कर्मचारियों द्वारा दी जाती है। तकनीकी स्वीकृति में कार्य की अनुसूची के संदर्भ में कार्य, श्रम और सामग्री घटक की कुल अनुमानित मात्रा भी शामिल होनी चाहिए (एसओआर)।

6	प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी	प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य की मंजूरी है, जिसमें राज्य के मौजूदा वित्तीय नियमों का पालन करता है। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं और इन्हें केस रिकॉर्ड/कार्य फाइल में रखा जाना चाहिए। क. ग्राम सभा के संकल्प की प्रति जिसमें परियोजना को मंजूरी दी गई है। ख. प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा परियोजनाओं की अनुमोदित सूची की प्रतिलिपि। ग. कार्य के स्वीकृत तकनीकी अनुमान की प्रति।
7	तालमेल निधि/सूचना, यदि कोई हो	अन्य योजनाओं या विभागों के साथ तालमेल जिसमें कार्य निष्पादन के रूप में स्थायित्व में वृद्धि करना या निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात आजीविका के लिए सहायता, जैसा भी मामला हो, किया जाना शामिल है। परियोजना/कार्य के संबंध में जिसमें परियोजना के एक निर्धारण योग्य हिस्से की लागत को पूरा करने के लिए अन्य योजनाओं से निधियां प्राप्त की जारी हैं, परियोजना के सभी क्रियाकलाप और बजट सहित पूर्ण परियोजना प्रस्ताव केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल का एक हिस्सा होगा।
8	डिमांड ऐप्लीकेशन फॉर्म	अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा

		मजदूरी चाहने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो आवेदन फॉर्म संलग्न किए जाते हैं। ये आवेदन फॉर्म एक साथ आवेदन करने वाले व्यक्तिगत परिवारों और कामगारों के समूह के लिए अलग-अलग हैं। परिवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रतियां प्रकरण अभिलेख/कार्य फाइल में रखी जाएंगी।
9	कार्य आवंटन फार्म	महात्मा गांधी नरेगा कामगारों से रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीओ इन कामगारों को कार्य का आवंटन करेगा। कार्य आवंटन नोटिस में परियोजना का विवरण जैसे कि परियोजना का स्थान, कार्य का नाम, प्रदान किए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या आदि शामिल हैं।
10	भरे हुए ई-मस्टर रोल की प्रति	कामगारों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्यस्थल पर उचित सीरियल नंबर वाला ई-एमआर रखना होता है। कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए किसी कच्चा एमआर (ऐसा दस्तावेज जो पीओ द्वारा अधिकृत या जारी नहीं किया गया है) का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कार्य की प्रत्येक मस्टर अवधि के लिए भरे हुए ई-मस्टर रोल्स की प्रतियां, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित किया गया हो, केस अभिलेख/कार्य फाइल में रखा जाना चाहिए। किसी भी राज्य द्वारा पेपर मस्टर रोल को व्यवस्थित रखे जाने की स्थिति में

		इन मस्टर रोल की प्रतियों को केस अभिलेख/ कार्य फाइल में रखा जाना चाहिए। अर्ध-कुशल और कुशल कामगारों की उपस्थिति की रिकॉर्डिंग एक पेपर मस्टर रोल में की जाती है। अर्ध-कुशल और कुशल कामगारों का भुगतान एसओआरएस के अनुसार कार्य की रूपरेखा के मापन के आधार पर किया जाना चाहिए और सामग्री घटक के अंतर्गत भुगतान के लिए अलग से बिल दिया जाना चाहिए।
11	मापन पुस्तिका की प्रति	किए गए कार्य की मात्रा की गणना करने के लिए अधिकृत तकनीकी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक कार्य का मापन किया जाता है। किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर, श्रम और सामग्री के लिए व्यय की गणना की जाती है। परियोजना/कार्य के लिए प्रत्येक मस्टर अवधि के भीतर मापन किया जाना चाहिए। किए गए कार्य के सभी मापन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत और जारी की गई मापन पुस्तिका (एमबी) में तकनीकी व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। एमआर के बंद होने से 3 दिनों के भीतर मापन कर लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम और गुणवत्ता की दृष्टि से कार्यों का निष्पादन तकनीकी और वित्तीय अनुमान के अनुसार की जाती है, राज्यों द्वारा उचित जांच मापन मानदंड अपनाया जाना चाहिए। संबंधित विभागों द्वारा कार्यों के निष्पादन के मामले में तकनीकी स्वीकृति देने वाले संबंधित विभाग

		के अधिकारी द्वारा कार्य पूरा होने के बाद चेक मापन किया जाना चाहिए। किसी विशेष मस्टर अवधि के संबंध में भरी हुई मापन पुस्तिका के पृष्ठों की प्रतियां/ई-एमबी की प्रिंट कॉपी (एमआईएस से) केस अभिलेख/कार्य फाइल में रखी जानी चाहिए।
12	सामग्री खरीद दस्तावेज और उपयोग	किसी परियोजना/कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों की मात्रा को कार्य के तकनीकी अनुमान का हिस्सा होना चाहिए। सामग्री की खरीद राज्य की मौजूदा खरीद/वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जानी होती है। खरीद के प्रत्येक चरण में खरीद प्रक्रियाओं का दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए और केस अभिलेख/कार्य फाइल में रखा जाना चाहिए। ये दस्तावेज कोटेशन मंगाने की सूचना, प्राप्त कोटेशन की प्रति, तुलनात्मक विवरण, दर की स्वीकृति, खरीद आदेश आदि हैं। ठेकेदारों (विक्रेताओं)/सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान वैध कर बिल और मापन पुस्तिका में गणना किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाना चाहिए।
13	मजदूरी सूची की प्रति	किसी विशेष मस्टर अवधि के कार्य के मापन के बाद मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी सूची तैयार की जाती है। मजदूरी सूची की प्रति केस अभिलेख/कार्य फाइल में रखी जानी चाहिए।

14	मजदूरी और सामग्री भुगतान एफटीओ की प्रतियां	कार्य की प्रत्येक मस्टर अवधि के लिए मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए तैयार किए गए एफटीओ की प्रतियां केस अभिलेख/कार्य फ़ाइल में रखी जानी चाहिए। इससे कार्यान्वयन अधिकारी को कार्य के अंतर्गत किए गए मजदूरी और सामग्री के भुगतान से संबंधित मुद्दों का पता चलने में सहायता मिलेगी।
15	सामग्री वाउचर और बिल	कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों (विक्रेताओं) को भुगतान करने के लिए बिल तैयार करने होंगे जिसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा, प्रति यूनिट कीमत और कुल देय राशि का उल्लेख होगा। बिल तैयार करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को सामग्री आपूर्ति वाउचर प्रस्तुत करने होंगे। इन वाउचर और बिलों की प्रतियां केस अभिलेख/कार्य फाइल में रखी जानी चाहिए।
16	दी गई रॉयल्टी की पावतियों की प्रतियां	सरकार को दी गई रॉयल्टी की पावतियों की प्रतियां (उदाहरण के लिए रेत, पत्थर आदि के संग्रहण के लिए स्थानीय राजस्व प्राधिकारी को दिया गया कर) केस अभिलेख/कार्य फाइल में रखी जानी चाहिए। इन लागतों को परियोजना/कार्य के तकनीकी अनुमान में शामिल किया जाना होता है।
17	परियोजना/कार्य की तीन चरणों में तस्वीर -पहले, दौरान और बाद में	कार्यान्वित परियोजना/कार्य के उचित सत्यापन और वैधता के लिए परियोजना/कार्य का तीन चरणों में फोटो ली जानी चाहिए। पहली फोटो कार्य शुरू करने से पहले, दूसरी कार्यान्वयन के

		दौरान ली जानी चाहिए और कार्य पूरा होने के बाद अंतिम फोटो ली जानी चाहिए। प्रत्येक फोटो को एक ही एंगल से लिया जाना चाहिए और उस पर तिथि के साथ भूमि का निशान अंकित होना चाहिए। फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाना चाहिए कि परियोजना/कार्य का नागरिक सूचना बोर्ड भी फोटो में आ जाए।
18	कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	परियोजना/कार्य पूरा होने के बाद जीआरएस/मेट/या किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसे तकनीकी कार्मिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र में कार्य से संबंधित बुनियादी जानकारी उसका कोड, कार्य की वास्तव में कार्य शुरु होने और समाप्त होने की तारीख, मजदूरी और सामग्री घटकों पर किय गया वास्तविक व्यय, परिसंपत्ति की सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने की तारीख होनी चाहिए।
19	मस्टर रोल मूवमेंट स्लिप	मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का समय पर भुगतान महात्मा गांधी नरेगा मजदूरों का हक है। मस्टर रोल मूवमेंट स्लिप मस्टर रोल के तैयार होने से लेकर अंतिम भुगतान तक की प्रक्रिया को विशिष्ट तिथियों और जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी के साथ ट्रैक करेगी। यह उस प्रक्रिया को ट्रैक और उजागर करने में मदद करेगा जो मजदूरी भुगतान में देरी करता है।

20	जियो टैग की गई परिसंपत्तियों की फोटो (कम से कम एक चरण)	मंत्रालय ने सभी महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियों की तीन चरणों में जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी है। कार्य की शुरुआत में, बीच में और कार्य पूरा होने पर। महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियों की जियो टैग की हुई कम से कम एक तस्वीर केस अभिलेख/कार्य फाइल में लगानी होगी।
21	कार्य की सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति	महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा अनिवार्य है। वर्तमान में, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यान्वित सभी कार्यों हेतु एक विशेष अवधि के लिए ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। जिस कार्य के लिए केस रिकार्ड/कार्य फाइल तैयार की गई है उस कार्य की यदि सामाजिक लेखापरीक्षा की जाती है, तो सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उस कार्य से संबंधित केस अभिलेख/कार्य फाइल में होनी चाहिए।
22	राज्य विशिष्ट अन्य दस्तावेज	

उपरोक्त सूची सांकेतिक है संपूर्ण नहीं है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर केस अभिलेख/कार्य फ़ाइल में और दस्तावेज़ जोड़ सकते हैं। चूंकि अभिलेख ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाएगा, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी पसंदीदा भाषा में दस्तावेज रख सकते हैं। इसे निरीक्षण के दौरान सभी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां जैसे प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी, कार्य आदेश, सामग्री खरीद विवरण, मस्टर रोल, स्टॉक और जारी विवरण, कार्य के तीन चरणों के फोटो, एफटीओ, पूर्णता प्रमाण पत्र आदि को केस अभिलेख के हिस्से के रूप में व्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए।

7.12.6 किए गए कार्य के मूल्य की गणना करने और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा जांच मापन के बाद ही सभी भुगतान किए जाएंगे।

अध्याय-8

हकदारी VI - कार्य स्थलों पर सुविधाओं का अधिकार

अधिनियम की अनुसूची II, पैरा 23 : "कार्य स्थल पर बच्चों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, छाया की सुविधा और विश्राम की अवधि, मामूली चोंटें और किए जा रहे काम से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किया जाएगा।"

8.1 महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर कामगारों के लिए सुविधाएं

क) कामगार महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार हैं:

I. चिकित्सा सहायता
II. पीने का पानी
III. छाया

ख) अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 24 में समाज की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि: *"यदि किसी कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के साथ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से किसी एक को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा। उस प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा। इलाके में शोषणकारी परिस्थितियों में जीने वाली महिलाएं या बंधुआ मजदूरी करने वाली महिलाएं या तस्करी की शिकार या हाथ से मैला ढोने वाले कार्य से मुक्त कराई गई महिलाओं में सबसे अधिक अभावग्रस्त महिलाओं को बच्चों की देख-रेख के लिए रखा जाएगा।"*

ग) अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 25 से 28 में कामगारों को चोट लगने, दुर्घटना होने एवं मृत्यु होने के मामले में उनके हकों के बारे में बताया गया है।

I. पैरा 25, अनुसूची II- " *योजना के अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना के कारण और उसके रोजगार के दौरान यदि कोई व्यक्तिगत चोट लगती है, तो वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा।"*

II. पैरा 26, अनुसूची-II, "*जहां चोटग्रस्त कामगार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो, वहां राज्य सरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेगी जिसमें आवास, उपचार, औषधियां तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।*"

III. पैरा 27, अनुसूची II, " *यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना से और रोजगार के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे या उसके कानूनी वारिस को, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुग्रह राशि दी जाएगी।*"

IV. *पैरा* 28, अनुसूची II, " *यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले किसी बच्चे को दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट लगती है, तो वह व्यक्ति मुफ्त चिकित्सा उपचार का हकदार होगा; और उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या अपंगता के मामले में राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार कानूनी अभिभावकों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।*"

अध्याय-9

हकदारी VII एवं VIII- अधिसूचित मजदूरी दर पाने का अधिकार और 15 दिन के अंदर मजदूरी पाने का अधिकार

कामगार की हकदारी

महात्मा गांधी नरेगा, धारा6(1): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगीः

परंतु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगीः

परंतु यह भी कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रूपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होनी चाहिए।

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) में दिया गया है कि दैनिक मजदूरी दर का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में कार्य किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।
मस्टर रोल बंद किए जाने के पंद्रह दिनों के बाद मजदूरी के भुगतान में हुए विलंम्ब के लिए अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 29 के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

9.1 मजदूरी दर अधिसूचित करना

केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 6(1) का अनुपालन करेगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दरें अधिसूचित करेगी। राज्य अधिक मजदूरी दर अधिसूचित कर सकते हैं और राशि के अंतर का भुगतान अपने पास उपलब्ध निधियों से कर सकते हैं।

9.2 महात्मा गांधी नरेगा से मजदूरी अर्जित करने वालों के खाते

महात्मा गांधी नरेगा से मजदूरी अर्जित करने वालों के खाते कामगारों की सुविधा के अनुसार डाकघर/बैंक में खुलवाए जा सकते हैं और उनकी मजदूरी डाकघर/बैंक खाता जो भी हो, में जमा हो जाएगी।

9.3 मजदूरी का भुगतान

मजदूरी संबंधी किसी भी प्रकार का भुगतान तब तक नकद नहीं किया जाएगा जब तक भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो।

9.4 बिजनेस कोरेसपॉटेंड (बीसी)

जहां कहीं भी बैंक द्वारा बिजनेस कोरेसपॉटेंड (बीसी) नियुक्त कर दिए गए हैं, वहां इन बीसी द्वारा संचालित बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से मजदूरी संवितरित की जाएगी।

9.5 मजदूरी दरों की अनुसूची

राज्य सरकार मजदूरी को किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ेगी। इसका भुगतान विभिन्न प्रकार के कार्य एवं अलग-अलग मौसमों से संबंधित काम-काजी प्रभावोत्पादकता संबंधी अध्ययनों के बाद समय-समय पर संशोधित की गई मजदूरी दरों की ग्रामीण अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और कमजोर व्यक्तियों के लिए मजदूरी दरों की सूची अलग से तैयार की जाएगी ताकि उत्पादक कार्य में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।

9.6 अकुशल मजदूरी, अर्ध-कुशल मजदूरी और कुशल मजदूरी

विभिन्न अकुशल मजदूरों की मजदूरी दर इस प्रकार तय की जाएगी कि विश्राम के समय को जोड़कर यदि कोई वयस्क व्यक्ति आठ घंटे कार्य करता है तो वह निर्धारित मजदूरी दर के बराबर मजदूरी अर्जित करेगा। वयस्क व्यक्ति के कार्य के घंटों में छूट दी जाएगी लेकिन यह किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होगा। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मेट और अकुशल कामगारों के अलावा अर्द्ध-कुशल कामगारों की सेवाएं ले सकती हैं। ऐसे कामगारों को देय मजदूरी का निर्धारण परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने दिनांक 15.03.2021 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1206 (ई) द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल कमगारों के लिए राज्य-वार मजदूरी दर अधिसूचित कर दी है।

9.7 भुगतान प्रणाली की सहायक संरचनाएं

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत भुगतान प्रणाली की सहायक संरचनाएं : ई-एफएमएस, एनई-एफएमएस और पी-एफएमएस के जरिए।

9.7.1 इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) : ई-एफएमएस वित्तीय संस्थानों के भुगतान नेटवर्क अर्थात् एनईएफटी/आरटीजीएस/इलैक्ट्रॉनिक नकद अंतरण (ईसीएस)/आधार आधारित भुगतान प्रणाली(एपीबीएस)/संचय पोस्ट का उपयोग करके महात्मा गांधी नरेगा के कामगारों, स्टाफ और वेंडरों को ई-भुगतान (मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक व्यय) करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। इससे भुगतान में होने वाली देरी घट जाती है।

सभी स्थानों पर ई-एफएमएस लागू करने के प्रयास किए जा सकते हैं। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से शेष स्थानों पर ई-एफएमएस की व्यवस्था लागू नहीं करने के कारणों की समीक्षा करने और शीघ्रातिशीघ्र ई-एफएमएस व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक संभावित स्थान के लिए ई-एफएमएस की व्यवस्था इस प्रकार बढ़ाई जानी चाहिए कि कम से कम सामग्री एवं प्रशासन व्ययों के लिए ई-एफएमएस को लागू करना मजदूरी के लिए ई-एफएमएस को लागू किए जाने जैसा हो। इसके साथ ही मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक भुगतानों के लिए ई-एफएमएस के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को साथ लाने के प्रयास किए जाएं।

9.7.2 सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित किए जाने वाले सभी प्रकार के ई-भुगतान (निधि अंतरण आदेशों के माध्यम से) पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे हैं।

9.7.2.1 पीएफएमएस पर कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों का पंजीकरण

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां रिलीज करने के उद्देश्य से सही योजना कोड के अंतर्गत पीएफएमएस पर कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों का पंजीकरण अनिवार्य है। पीएफएमएस पर मनरेगा के लिए एक योजना कोड अर्थात मनरेगा-केंद्रीय अंश - 9219 है ।

पंजीकृत खातों को उस स्तर से एक स्तर ऊपर द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिस स्तर पर वे पंजीकृत हैं। जीपी लॉगिन द्वारा पीएफएमएस पर पंजीकृत ग्राम पंचायत खातों को ब्लॉक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; पीएफएमएस पर ब्लॉक लॉगिन द्वारा पंजीकृत ब्लॉक खाते को जिला द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

खातों की मैपिंग: पंजीकरण स्तर पर खातों की मैपिंग के लिए अनुरोध निम्नलिखित दस्तावेजों सहित एक स्तर ऊपर भेजे जाने की आवश्यकता है: -

- पंजीकरण स्तर से पत्र जिसमें खाते का विवरण और खाते का उद्देश्य/उपयोग का उल्लेख है।
- पीएफएमएस पर पंजीकृत खातों के स्क्रीन शॉट जिसमें यूनीक एजेंसी कोड का विवरण हो।
- कैंसल्ड चैक/पासबुक कॉपी या बैंक का पत्र जिसमें पीएफएमएस पर खातों के विवरण को अनुमोदित किए जाने का उल्लेख हो।

- पीएफएमएस की शुरुआत के समय खातों को अधूरा विवरण, गलत विवरण या गलत योजना कोड के साथ पीएफएमएस (पहले सीपीएसएमएस के रूप में जाना था) पर पंजीकृत किया गया था। ऐसे खातों को अन-मैप किया जाना चाहिए और सही योजना कोड के अंतर्गत केवल प्रासंगिक खातों को पंजीकृत करना होगा। खातों की अन-मैपिंग: अन-मैपिंग अनुरोध को मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध पत्र और निम्नलिखित एक्सेल प्रारूप में खातों के विवरण के साथ ईमेल किया जाना चाहिए:

राज्य	लेवल का नाम	योजना	एजेंसी का नाम	यूनीक कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या

9.7.3 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस): निधि प्रवाह प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने और निधियों को अप्रयुक्त रखे बिना अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप राज्यों द्वारा हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्र में एनई-एफएमएस को शुरू किया गया है। इसे चरण-दर-चरण बढ़ाया जाएगा। एनई-एफएमएस की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. मजदूरी घटक: महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरी घटक, जिसकी जवाबदेही पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, केंद्रीय सैक्टर स्कीम के रूप में संचालित किया जाएगा।

ख. इस घटक के अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के अनुसार रिलीज की जाएंगी (अर्थात इसे मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सृजित एफटीओ के आधार पर कामगारों के खातों में राज्य रोजगार गांरटी निधि (एसएजीएफ-एनई-एफएमएस के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा)।

ग. सामग्री एवं प्रशासनिक घटक: इसे राज्य समेकित निधि को रिलीज किए जाने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाता रहेगा।

9.8 विलंब के लिए मुआवजा: महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3 (3) के अनुसार, श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर और मस्टर रोल को बंद करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। यदि मस्टर रोल को बंद करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो काम मांगने वाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 29 के अनुसार मस्टर रोल बंद करने के सोलहवें दिन के उपरांत प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

9.8.1: नरेगासॉफ्ट में मस्टर रोल (एमआर) को बंद करने की तारीख और भुगतान आदेश (निधि अंतरण आदेश) तैयार करने की तारीख के आधार पर सत्यापन के बाद कुल देय मुआवजे की गणना करने का प्रावधान है: क. कामगार के खाते में मजदूरी के भुगतान के लिए एफटीओ अपलोड करने की तारीख ख. मस्टर रोल के बंद होने की तारीख ग. ऐसे विलंब की अवधि घ. कुल देय मजदूरी ड. मुआवजे की दर (प्रति दिन 0.05%)।

9.8.2 मुआवजे का भुगतान सत्यापन के बाद किया जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी विलंब के लिए मुआवजा देय होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर यह सुनिश्चित करेगा कि नरेगासॉफ्ट द्वारा गणना किया गया मुआवजा भुगतान करने योग्य है अथवा नहीं। इस मुआवजे की पूर्ति राज्य रोजगार गांरटी निधि (एसईजीएफ) से की जाएगी। इसकी वसूली विलंब के लिए जवाबदेह कर्मियों/एजेंसियों से की जा सकती है।

9.8.3 मुआवजा नहीं दिए जाने वाले अपवाद इस प्रकार हैं:

1. मुआवजा देय न होने पर।
2. प्राकृतिक आपदाएं।

9.8.4 कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मुआवजे के दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा, अर्थात मुआवजा देय होने के पंद्रह दिनों के अंदर, हो जाए और इस प्रकार के दावों को बिना किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के इकट्ठे करने की अनुमति नहीं होगी। अस्वीकृति वाले सभी मामलों में, कार्यक्रम अधिकारी अस्वीकृति का विस्तृत कारण बताएगा और भविष्य में जांच के लिए अपने कार्यालय में उसका रिकार्ड रखेगा। मुआवजे के भुगतान के लिए स्वीकृत सभी मामलों का निपटान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक नियमित रूप से इसकी निगरानी करेगा।

9.8.5 मुआवजा देय होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद मुआवजे के भुगतान में किसी तरह के विलंब को मजदूरी के भुगतान में विलंब की तरह माना जाएगा।

9.8.6 राज्य सरकार (विशेष रूप से जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी) विलंब से हुए मजदूरी भुगतान के मुआवजे के भुगतान के लिए इस प्रणाली को संचालित करने के लिए जवाबदेह होगी। इसका ब्यौरा नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाए ताकि देर से किए गए भुगतान के मामले में प्रत्येक कर्मी/एजेंसी की जवाबदेही तय की जा सके।

9.8.7 दिए गए मुआवजे की गणनाः दिए गए मुआवजे की गणना के लिए एसईजीएफ के अंदर एक अलग से खाता रखा जाएगा और ई-एफएमएस के अंतर्गत एमआईएस पर प्रदर्शित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी इस प्रणाली के अंतर्गत भुगतान की जा चुकी मुआवजे की राशि की वसूली प्रक्रियाओं के अंतर्गत, मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के लिए जवाबदेह कर्मियों/एजेंसियों से करेगा। वसूल की गई इस राशि को एसईजीएफ में डाला जाएगा।

9.8.8 समय से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के उपायः पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी का समय पर भुगतान करना महात्मा गांधी नरेगा की एक मुख्य चुनौती के रूप में सामने आई है। इसलिए व्यवस्थित समाधानों की आवश्यकता है ताकि मजदूरी का भुगतान समय पर भुगतान किया जा सके। राज्यों में सर्वरों

की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास करेगी। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे:

क. श्रम बजट समय से प्रस्तुत करना, इससे निधियों की रिलीज और राज्यों/जिलों में निधियों की उपलब्धता प्रभावित होगी।

ख. ई-एफएमएस को सभी प्रकार के व्ययों (अर्थात् मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक) की बुकिंग के लिए सर्व-व्यापी बनाना।

ग. इंटरनेट संपर्कता से संबंधित मामलों तथा अवसंरचना संबंधी अन्य कठिनाइयों की पहचान करना और तदनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर इन कठिनाइयों को दूर करने की कार्यनीति तैयार करना।

घ. पर्याप्त तकनीकी कर्मियों/बेयरफुट तकनीशियनों की नियुक्ति करना ताकि मस्टर रोल बंद करने के तीन दिन के अंदर प्राधिकृत कर्मियों द्वारा कार्य स्थल पर मापन किए जा सकें।

अध्याय-10

हकदारी-IX-महात्मा गांधी नरेगा में हुए व्यय की लेखा-परीक्षा कराने का अधिकार

महात्मा गांधी नरेगा नागरिकों को सभी कार्यों और हुए व्ययों की लेखा-परीक्षा कराने का अधिकार देता है। इसमें स्वतंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों के माध्यम से सामाजिक लेखा-परीक्षा, सभी दस्तावेजों की ऑन-लाइन और ऑफ लाइन जानकारी और दीवार लेखन के माध्यम से अपनी ओर से दी गई जानकारी की सुविधा शामिल है।

महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षाए जाने को बाध्यकारी बनाया गया है जो इस प्रकार है:

"(1) ग्राम सभा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी।

(2) ग्राम सभा ग्राम पंचायत में शुरू की गई योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षाएं करेगी।

(3) ग्राम पंचायत सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने के प्रयोजनार्थ ग्राम सभा सभी मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिकाएं, स्वीकृति अनुदेशों की प्रतियां और लेखा एवं कागजात संबंधी अन्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराएगी"।

केंद्र सरकार ने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के परामर्श से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित की है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के तौरतरीके और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

मंत्रालय ने सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को मजबूत बनाने और योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सी एंड एजी और लेखा परीक्षाओं के लिए संयुक्त कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानक बनाए हैं।

योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 से संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्देशों और सामाजिक लेखा परीक्षा के लेखांकन मानकों का पालन किया जाएगा।

10.1 सामाजिक लेखा परीक्षा कराना

10.1.1 स्वतंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई स्थापित करनाः

राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा-परीक्षाएं कराने के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा की सुविधा के लिए स्वतंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की पहचान/स्थापना करनी होती है। इससे राज्य सरकारों को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षाएं कराने की विशेष जवाबदेही के साथ कार्य करने वाली स्वंतत्र सोसाइटियां स्थापित करनी होती है।

10.1.2 सामाजिक लेखा परीक्षा एकक का शासी निकाय

प्रत्येक स्वंतत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई शासी निकाय के अधीन होगी जो नियमित आधार पर इकाई के निष्पादन की देख-रेख के लिए जवाबदेह होगी और यथा आवश्यक इकाई को सलाह और निदेश देगी। शासी निकाय के गठन में न्यूनतम निम्नलिखित शामिल होंगेः

क. प्रधान महा लेखाकार, सीएण्डएजी
ख. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग
ग. निदेशक, सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई
घ. पारदर्शिता एवं जन-जवाबदेही से संबंधित मामलों में कार्यरत लंबा अनुभव रखने वाले राज्य अथवा इसके बाहर कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 3 प्रतिनिधि। इनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
ड़. उन विभागों से अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो उनके कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा-परीक्षाएं करते हैं।
च. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग का प्रमुख सचिव शासी निकाय का अध्यक्ष न हो ताकि कार्यान्वयन एजेंसी से सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
छ. एसएयू की शासी निकाय की अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। निदेशक, एसएयू को शासी निकाय के संयोजक के रूप में काम करना चाहिए।
ज. कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों को शासी निकाय या कार्यकारी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए।

10.1.3 जिन क्षेत्रों में नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं कराई गई है उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 27 (2) के तहत योजना के लिए निधियों की रिलीज पर रोक लगा सकती है और तर्कसंगत समय-सीमा के अंदर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है।

10.1.4 स्टाफिंग- चयन और नियुक्ति

कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा एकक में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। इनमें एक पूर्णकालिक निदेशक, एक लेखा प्रभारी, और विभिन्न कार्यों जैसे कि सामाजिक लेखा परीक्षा करानेे, निगरानी, आईटी, क्षमता निर्माण और प्रलेखन के लिए समर्पित कर्मचारीी शामिल होंगे, इन्हें यहीं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में नैतिक मानकों की गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करने और सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों का पालन करने के लिए, प्रत्येक सामाजिक लेखा परीक्षा एकक पर्याप्त संख्या में राज्य, जिला और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति नियुक्त करेगा। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एसएयू के लिए भर्ती होने वाले कर्मियों के स्टाफिंग पैटर्न, योग्यता आदि का निर्णय राज्य सरकार द्वारा एसएयू के शासी निकाय के परामर्श से किया जाएगा।

10.1.4.1 निदेशक, एसएयू

क. निदेशक, एसएयू की योग्यता को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना है और उसका स्वरूप ऐसा हो कि उससे स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद मिले। निदेशक, एसएयू को लेखा परीक्षा के क्षेत्रों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ख. एक चयन समिति, जिसमें मुख्य सचिव या उसका नामांकित व्यक्ति; प्रधान महालेखाकार/स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा के महालेखाकार प्रभारी; ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव; राज्य द्वारा नामित प्रतिष्ठित सीएसओ प्रतिनिधि; और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि हो, उपरोक्त के आधार पर उस व्यक्ति का चयन करेगी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ग. निदेशक, एसएयू का न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष होगा और शासी निकाय के अनुमोदन से निदेशक, एसएयू की सेवाओं का विस्तार अधिकतम 5 वर्षों या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए किया जा सकता है। भर्ती के समय उसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह पदाधिकारी उसी एसएयू में निदेशक के पद के लिए पात्र नहीं होगा।

घ. यदि कोई राज्य लगातार तीन विज्ञापनों के बाद भी सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए एक निदेशक की भर्ती नहीं कर पाता है, तो राज्य सरकार के एक अधिकारी को सामाजिक लेखा परीक्षा के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति

के आधार (पूर्णकालिक) पर तैनात किया जा सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह अधिकारी ग्रामीण विकास/कार्यान्वयन विभाग से संबंधित नहीं है और उसका कार्यकाल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होगा, लेकिन तीन साल से अधिक नहीं होगा।

ङ. यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसएयू का बजटीय आवंटन किसी निदेशक, एसएयू की पूर्णकालिक सेवाएं लेने के लिए अपर्याप्त है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामाजिक लेखा परीक्षा के निदेशक के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दे सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी ग्रामीण विकास/कार्यान्वयन विभागों से संबंधित न हो और उसका कार्यकाल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होगा लेकिन तीन साल से अधिक नहीं होगा।

च. निदेशक एसएयू की सेवाओं को समय से पहले समाप्त करने का कोई भी निर्णय राज्य सरकार द्वारा शासी निकाय से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।.

10.1.4.2 राज्य और जिला स्तर पर संसाधन व्यक्तियों का चयन:

राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक लेखा-परीक्षा संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो सामाजिक लेखा-परीक्षा करने का अनुभव रखते हों और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते रहे हों। सामाजिक लेखा परीक्षा एकक द्वारा छंटनी के बाद तैयार की गई संभावित पात्र अभ्यर्थियों की सूची में से अंतिम अभ्यर्थियों कों चयन समिति द्वारा चयनित किया जाएगा, जिसके सदस्य इस प्रकार होंगे:

क. मुख्य सचिव अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति।
ख. महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन करने वाले विभाग का प्रधान सचिव।
ग. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा एकक (सदस्य-संयोजक)।
घ. सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए केंद्र से एनआईआरडी-पीआर का प्रतिनिधि, राज्य द्वारा नागरिक सोसायटी संगठन का प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय विभाग/डब्लयूसीडी/कानून विभाग का प्रतिनिधि।

10.1.4.3 ब्लॉक स्तर पर संसाधन व्यक्तियों का चयन:

राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा एकक इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करके ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य एसएयू द्वारा पब्लिक डोमेन में दिशानिर्देश अपलोड किए जाएंगे।

10.1.4.4 ग्राम संसाधन व्यक्ति:

ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वीआरपी) सहित एसएयू के एक पूर्णकालिक प्रमाणित ब्लॉक/जिला/राज्य संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में एक ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए ताकि उन्हें मदद मिल सके। एक पंचायत में सामाजिक लेखा परीक्षा में सहायता के लिए तैनात ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन व्यक्ति उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी सामुदायिक जवाबदेही फ्रेमवर्क के लिए स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों में से ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षकों के समुदाय संवर्ग को कार्य में लगाएंगे। यदि क्षेत्र में कोई भी एसएचजी नहीं है तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए वीआरपी के रूप में सक्षम व्यक्ति की तैनाती करेंगे। इन ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षकों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मेन्युअल के आधार पर 04 दिन का प्रशिक्षण एसआईआरडी/एसएयू द्वारा दिया जाएगा।

10.1.5 प्रशिक्षण - एसआरपी, डीआरपी और बीआरपी:

सभी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के संसाधन व्यक्तियों के लिए सामाजिक जवाबदेहिता और सामाजिक लेखा परीक्षाओं से संबंधित 30 दिन का प्रमाणन पाठ्यक्रम अनिवार्य है। राज्यों द्वारा नामित और टीआईएसएस/एनआईआरडी-पीआर द्वारा प्रमाणित अग्रणी पाठ्यक्रम समन्वयनकर्ता संसाधन व्यक्तियों को एसआईआरडी में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षित किए गए संसाधन व्यक्तियों के विवरण के साथ सभी प्रशिक्षण बैचों के पूरा होने के संपूर्ण आँकड़े दर्ज किए जाएं।

10.1.5.1 एसएचजी-ग्राम संसाधन व्यक्ति (एसएचजी-वीआरपी)- प्रशिक्षण

एसएचजी-वीआरपी का लक्ष्य एसएचजी के सदस्यों में से ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वीआरपी) का सामुदायिक कार्डर तैयार करना है जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा के कार्य में लगाया जाएगा।

सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा उनकी संबंधित ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिलों में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण के ब्यौरे अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने और दैनिक निगरानी में सहायता करने वाले प्रावधान नरेगासॉफ्ट में किए गए हैं।

तदनुसार, एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को प्रशिक्षण बैच के ब्यौरे के साथ-साथ प्रतिभागियों के ब्यौरे नरेगासॉफ्ट

में अपलोड करने की सलाह दी गई है। ये रिपोर्टें एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण की प्रगति और पंजीकृत बैचों के ब्यौरे की निगरानी करने में सहायक होगी।

10.1.6 वित्त:

10.1.6.1 प्रशासनिक व्यय के संबंध में राज्यों की 6% हकदारी से, 0.5% तक की हकदारी राज्य की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए रखी जाएगी। मंत्रालय सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के लिए निधियां संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से एसएयू के स्वतंत्र बैंक खाते में रिलीज करेगा। राज्य सरकार निधियों की प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के अंदर एसएयू के बैंक खाते में निधियों का अंतरण सुनिश्चित करेगी। एसएयू को राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेष रूप से महात्मा गाँधी नरेगा योजना के लिए पृथक बैंक खाता रखना है।

10.1.6.2 राज्य की ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराने की इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एसएयू का प्रस्तावित बजट तैयार करने की जिम्मेदारी निदेशक, एसएयू की होगी।

10.1.6.3 सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई संसाधन व्यक्तियों को भुगतानः राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा इकाईयां राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अपने संसाधन व्यक्तियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान करने के लिए प्राधिकृत होंगी। एसएयू द्वारा व्यय से संबंधित फाइलें कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से नहीं भेजी जाएंगी।

10.1.6.4 निधियों की रिलीज:

राज्य एसएयू सामाजिक लेखा परीक्षा और एसएयू प्रशासन के संचालन के लिए दो किस्तों में निधियां रिलीज करने के लिए आवेदन करेगा।

1. पहली किस्त

क. एसएयू वित्तीय वर्ष के पहले महीने के भीतर पहली किस्त के लिए आवेदन करेगा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रिलीज़ की गई कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग होने के बाद एसएयू को पहली किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर रिलीज की जाएगी:

i. मंत्रालय के दिनांक 06.06.2017 के पत्र संख्या एम-11014/4/2017-आरई-III द्वारा साझा किए गए प्रारूप के अनुसार निदेशक, एसएयू द्वारा

विधिवत रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाए गए पिछले वित्तीय वर्ष के अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र।

ii. कराई गई सामाजिक लेखा परीक्षाओं का व्यय विवरण और वास्तविक उपलब्धि।

iii. सामाजिक लेखा परीक्षा एकक के बैंक खाते का पिछले वित्तीय वर्ष का विवरण, जिसे बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो और एसएयू के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अपनी आधिकारिक मुहर द्वारा सत्यापित किया गया हो और उसमें उपयोग प्रमाणपत्र के अनुरूप प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल को) और अंतिम शेष (31 मार्च को) स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

iv. यदि उपयोग प्रमाणपत्र और बैंक विवरण में मिलान न हो तो एसएयू के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक मुहर से विधिवत प्रमाणित बैंक समाधान विवरण की भी आवश्यकता होगी।

ख. यदि, एसएयू पहली किस्त के लिए आवेदन 30 सितंबर के बाद करते हैं तो पहली किस्त की रिलीज़ के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे:

i. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मंत्रालय द्वारा साझा किए गए प्रारूप के अनुसार निदेशक, एसएयू द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाए गए अद्यतन अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र;

ii. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए मंत्रालय द्वारा साझा किए गए प्रारूप के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट और निदेशक, एसएयू द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र।

iii. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षित रिपोर्ट, जिसमें प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा, तुलन पत्र और लेखा परीक्षक की टिप्पणी शामिल हो।

iv. लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र में यथोल्लिखित प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, मंत्रालय से रिलीज़ हुई निधियों तथा व्यय का लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से पूर्ण मिलान होना चाहिए। मिलान न होने की स्थिति में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।

2. दूसरी किस्त

क. निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर कुल उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत उपयोग करने के बाद एसएयू को दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी:

(i) निदेशक, एसएयू द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित वर्तमान वित्तीय वर्ष (पहली किस्त) के निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र।

(ii) एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और निदेशक, एसएयू द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित निर्धारित प्रारूप के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र। यदि एसएयू ने अन्य योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा कराई है, तो मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए अलग उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(iii) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षित रिपोर्ट, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा, तुलन पत्र और लेखा परीक्षक की टिप्पणी शामिल हो।

(iv) लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र में यथोल्लिखित प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, मंत्रालय से रिलीज़ हुई निधियों तथा व्यय का लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से पूर्ण मिलान होना चाहिए। मिलान न होने की स्थिति में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।

(v) मंत्रालय द्वारा साझा किए गए प्रारूप के अनुसार कराई गई सामाजिक लेखा परीक्षाओं का व्यय विवरण और वास्तविक उपलब्धि

(vi) सामाजिक लेखा परीक्षा एकक के बैंक खाते का पिछले वित्तीय वर्ष का विवरण, जिसे बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो और एसएयू के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अपनी आधिकारिक मुहर द्वारा सत्यापित किया गया हो और उसमें उपयोग प्रमाणपत्र के अनुरूप प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल को) और अंतिम शेष (31 मार्च को) स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

(vii) यदि उपयोग प्रमाणपत्र और बैंक विवरण में मिलान न हो तो एसएयू के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक मुहर से विधिवत प्रमाणित बैंक समाधान विवरण की भी आवश्यकता होगी।

ख. यदि दूसरी किस्त के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अक्टूबर से पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो चालू वित्तीय वर्ष का अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस मामले में, दूसरी किस्त का 50 प्रतिशत एसएयू को रिलीज किया जाएगा और दूसरी किस्त का शेष 50 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष के अद्यतन अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउंटेंट और निदेशक, एसएयू द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद रिलीज किया जाएगा।

ग. यदि एसएयू मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा या किसी अन्य योजना के लिए राज्य सरकार से निधि प्राप्त करता है तो, एसएयू मंत्रालय से निधियों के लिए आवेदन करते समय मंजूरी आदेशों की प्रति प्रदान करेगा।

10.1.6.5

सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए निधियां जारी करने और महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने के संबंध में भारत सरकार के व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तें लागू होंगी।

10.1.7 कैलेंडर:

सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई को सभी ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा कराने के लिए राज्य ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से वर्ष की शुरूआत में एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना होता है। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु इस कार्यक्रम की एक प्रति सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं को परिचालित की जाएगी। इस कार्यक्रम को अपनी ओर से सार्वजनिक किया जाएगा।

10.1.8 सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया:

10.1.8.1 रिकॉर्ड रखने का प्रावधान: कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक की निश्चित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई को कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड प्रतिलिपियों के साथ उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सामाजिक लेखा परीक्षा कराने में सुविधा हो। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानकों के अनुबंध-II में सूचीबद्ध 7 रजिस्टर और दस्तावेज इन रिकॉर्डों में शामिल हैं।

10.1.8.2 वास्तविक सत्यापन: सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानक के अनुबंध-5 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षकों को वास्तविक सत्यापन करना चाहिए। वास्तविक सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानक के अनुबंध-2 के अनुसार होगी। सामाजिक लेखा परीक्षकों को घर-घर जाकर सर्वे करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है।

क. लाभार्थियों की रोजगार की पात्रता का सत्यापन:

सामाजिक लेखा परीक्षकों को सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानकों के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध रोजगार की पात्रता से संबंधित प्राथमिक अभिलेखों की जांच करनी चाहिए।

सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा में अपनी सेवा देने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा एकक द्वारा नियोजित संसाधन व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ग्राम पंचायत के जॉब कार्ड धारकों के संबंध में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन करें।

ख. कार्यों का सत्यापन:

सामाजिक लेखा-परीक्षक सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानकों के अनुबंध-4 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कार्यों के निष्पादन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगा। सामाजिक लेखा परीक्षक निर्मित परिसंपत्तियों की साइट का सत्यापन भी सुनिश्चित करेंगे। कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि और लाभार्थी भी सामाजिक लेखा परीक्षकों के साथ परिसंपत्ति की साइट पर जा सकते हैं।

10.1.8.3 सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों का मिलान करना:

सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए मुद्दों/शिकायतों को रिकॉर्ड की जाँच और लाभार्थियों के साथ बातचीत के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानक के अनुबंध-6 का संदर्भ लिया जा सकता है।

10.1.8.4 ग्राम सभा/वार्ड सभा:

सामाजिक लेखा परीक्षा संबंधी सत्यापन कार्य के निष्कर्षों पर चर्चा करने और कामगारों के अधिकारों और हकों की पूर्ति और निधियों के समुचित उपयोग के अनुपालन की समीक्षा के लिए भी सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।

10.1.8.5 दस्तावेज:

सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा के आयोजन के बाद, निदेशक, एसएयू यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम स्तर पर एसएयू संसाधन व्यक्ति सामाजिक लेखा

परीक्षा के निष्कर्षों के समर्थन में प्रासंगिक जानकारी संकलित करें।

क) सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें: सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें स्थानीय भाषा में तैयार की जानी चाहिए और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा पूरी होने की तारीख से 15 कार्यदिवसों में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों का सार सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए।

ख) एमआईएस में रिपोर्टें अपलोड करना: सामाजिक लेखा परीक्षा इकाईयों को सामाजिक लेखा परीक्षाओं के दौरान सत्यापन के लिए अपेक्षित रिपोर्टें डाउनलोड करने और उसके निष्कर्ष दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विकसित किए गए राष्ट्रीय एमआईएस का उपयोग करने के अनुदेश दिए गए हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा की बैठक के बाद 15 कार्यदिवसों की अवधि में सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा रिपोर्टें एमआईएस में अपलोड कर दी जाएं।

ग) डीपीसी और एसएयू को रिपोर्ट: सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा/वार्ड सभा पूरी होने के 15 दिनों के अंदर जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा एकक को सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10.1.9 अनुवर्ती कार्रवाई:

i. सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

ii. प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से कोई अधिकारी -

क) सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सुधारात्मक उपाय किए जाएं;

ख) गबन की गई या अनुचित तरीके से उपयोग की गई धनराशि की वसूली के उपाय करेगा और इस प्रकार वसूल की गई धनराशि की रसीदें या पावतियां जारी करेगा;

ग) मजदूरी के भुगतान में दुर्विनियोजन पाए जाने की तारीख से सात दिनों की अवधि में ऐसी धनराशि की वसूली करके वह राशि संबंधित कामगार के

खाते में जमा की जाएगी;

घ) सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूल की गई राशियों के लिए एक अलग खाते का रखरखाव करेगा;

ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त कार्रवाई (दांडिक और सिविल कार्यवाही या अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने सहित) उन व्यक्तियों या अधिकारियों या व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की जाएं, जिन्होंने अधिनियम के तहत योजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली राशि का गलत तरीके से उपयोग या गबन किया है। सामाजिक लेखा परीक्षा के आयोजन की तारीख से 6 महीने के भीतर इन कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए।

(iii) राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को शामिल करेगी।

10.1.10 की गई कार्रवाई रिपोर्ट:

ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक के एक महीने के अंदर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) सामाजिक लेखा परीक्षा की इकाई को प्रस्तुत की जानी चाहिए। बाद में की जाने वाली सामाजिक लेखा-परीक्षा के कम से कम 15 दिन पहले, कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी और पिछली बार लेखा परीक्षा करने वाले संसाधन व्यक्ति से सामाजिक लेखा परीक्षा में सहायता करने वाले संसाधन व्यक्ति को एटीआर की प्रति प्राप्त हो जानी चाहिए। क्षेत्रीय दौरों के दौरान, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या एटीआर में यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई वास्तव में की जा चुकी है। ग्राम सभा/वार्ड सभा की सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू होने पर पिछली रिपोर्ट की एटीआर और क्षेत्रीय सत्यापन के निष्कर्षों को मौजूदा सामाजिक लेखा परीक्षा की सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सबसे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण के तहत वसूल की गई राशि की नियमित निगरानी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तय किए गए मामलों की ट्रैकिंग और उनकी वसूली की प्रगति को आसान बनाने के लिए एक नई रिपोर्ट-रिपोर्ट आर.9.2.6. एमआईएस में वित्तीय दुर्विनियोजन वसूली रिपोर्ट जोड़ी जाती है। विवरण नीचे दिया गया है:

आर.9.2.6 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय दुर्विनियोजन वसूली रिपोर्ट									
क्रम सं#	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की कुल संख्या	समरूप वित्तीय दुर्विनियोजन राशि (रु.)	निर्णीत मामले	समरूप दुर्विनियोजन राशि निर्णय के अनुसार वसूल की जानी है (रु.)	निर्णीत मामलों की संख्या जिनके लिए दुर्विनियोजन राशि की वसूली की जानी है	वसूल की जाने वाली राशि (रु.)	निर्णीत मामलों की संख्या जिनके लिए वसूली की गई है	वसूल की गई कुल राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विवरण:

I. क्रम सं # - क्रम संख्या।

II. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र – राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम।

III. मामलों की कुल संख्या - सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा –सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के बाद रिपोर्ट किए गए वित्तीय दुर्विनियोजन से संबंधित मामलों/मुद्दों की कुल संख्या।

IV. समरूप वित्तीय दुर्विनियोजन राशि (रु.)- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एसएयू द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी मामलों की संगत वित्तीय दुर्विनियोजन राशि का योग।

V. निर्णीत मामले – सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा रिपोर्ट किए गए वित्तीय दुर्विनियोजन के मामलों की संख्या, जिसके लिए राज्य द्वारा निर्णय लिया जाता है (निकास सम्मेलन में)।

VI. समरूप दुर्विनियोजन राशि निर्णय के अनुसार वसूल की जानी है (रु.)- उन सभी मामलों की संबंधित वित्तीय दुर्विनियोजन राशि का योग जिनके लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य द्वारा निर्णय लिया जाता।

VII. निर्णीत मामलों की संख्या जिनके लिए दुर्विनियोजन राशि की वसूली की जानी है - वित्तीय दुर्विनियोजन से संबंधित मामलों/मुद्दों की कुल संख्या जिनके लिए राज्य द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, जहां वसूली की जाने वाली राशि

0 से अधिक है।

VIII. वसूल की जाने वाली राशि (रु.)– कुल राशि का योग, उन सभी संबंधित मामलों का, जिनके लिए राज्य द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, जहां वसूल की जाने वाली राशि 0 से अधिक है।

IX. निर्णीत मामलों की संख्या जिनके लिए वसूली की गई है – कुल मामलों की संख्या, जिनके लिए ऐसे वित्तीय दुर्विनियोजन मामलों के प्रति वसूली पूरी की गई है, जहां राशि 0 से अधिक है, जिसके लिए राज्य इकाई द्वारा निर्णय लिया जाता है।

X. वसूल की गई कुल राशि (रु.)– ऐसे वित्तीय दुर्विनियोजन के मामलों में राज्य द्वारा वसूल की गई कुल राशि, जहां राशि 0 से अधिक है, जिसके लिए राज्य इकाई द्वारा निर्णय लिया जाता है।.

10.1.11 आवधिक समीक्षा:

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग सामाजिक लेखा परीक्षा की मासिक समीक्षा करेंगे जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों में निर्धारित की गई अनियमितताओं और उनके समाधान के लिए कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रगति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

10.1.2 समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा

सभी कार्यों के लिए प्रतिमाह समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी। इस प्रयोजन हेतु सप्ताह के किसी भी निश्चित दिन, किए गए कार्यों के सभी दस्तावेजों और ग्राम पंचायत में किए गए व्यय की जांच करने का अधिकार स्व-सहायता समूहों, ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षकों, ग्राम निगरानी समितियों (वीएमसी) और अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों (वीओ) को होगा। कार्यक्रम अधिकारी मामूली मूल्य पर दस्तावेजों की प्रतियां, जहां कहीं भी आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम निगरानी समिति (वीएमसी) का चयन करेगी, जिसमें 5 महात्मा गांधी नरेगा कामगार शामिल होंगे। महात्मा गांधी नरेगा की महिला कामगार, अ.ज./अ.ज.जा. परिवारों के कामगार, वे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के अनुसार स्वतः वंचित परिवारों में शामिल हो रहे हैं, इस वीएमसी में शामिल होंगे। जहां महिला स्व-सहायता समूह वीएमसी की पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं वहाँ उन्हें पूर्वोक्तानुसार ग्राम सभा द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन करने के बाद ग्राम पंचायत की वीएमसी मान लिया जाएगा। वीएमसी माह में एक बार प्रत्येक कार्य स्थल का दौरा कर

सकती है। वीएमसी के सदस्यों को जांच कार्य करने के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन की मजदूरी के बराबर भुगतान किया जाएगा। यह वीएमसी ग्राम पंचायत के सभी सक्रिय कार्यों की समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी और इस बात की निगरानी करेगी कि प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य स्थलों पर मानकों का अनुपालन और इसी के साथ ही दस्तावेजों का रखरखाव भी किया जा रहा है या नहीं। वे इस बात की निगरानी भी करेंगें कि क्या अधिनियम के अनुसार कामगारों को उनके हक दिए जा रहे हैं। यह वीएमसी अपनी हस्ताक्षरित रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

10.2 लोकपाल:

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची- I की पैरा 30 में बताया गया है कि प्रत्येक जिले में एक ओम्बड्समेन होगा जो शिकायतें प्राप्त कर दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी जांच करके निर्णय लेगा। ओम्बड्समेन के संबंध में 21 जनवरी, 2017 को जारी किए गए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में नियुक्ति प्रक्रिया, आवेदन, कार्यकाल एवं कार्यकाल की समाप्ति, स्वायत्तता, पारिश्रमिक, शक्तियों एवं उत्तरदायित्व, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और ओम्बड्समेन की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए केंद्रीय सरकार के मानकों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जोकि अभी यथावत है।

सामाजिक लेखा परीक्षाओं के माध्यम से संज्ञान में लाए गए उन मामलों को, जिनमें हकदारी नहीं दी गई, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई ओम्बड्समेन को भेज देगी। ओम्बड्समेन, दिए गए मानकों के अनुसार, *अपनी ओर से* शिकायत दर्ज करने और उसके निपटान के लिए शिकायत दर्ज करने की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्णय देने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.3 शिकायत निवारण:

मनरेगा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार राज्य सरकारें नियमानुसार उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली का निर्धारण करेंगी, जिसके माध्यम से कामगार/नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद उन पर प्रतिक्रिया देख सकते हैं। यदि कोई शिकायत हो तो, राज्य के "सार्वजनिक सेवा प्रदायगी अधिनियम" के उपबंधों के अनुसार शिकायतों के निवारण की समय सीमा का पालन करना होगा। ऐसी प्रणाली से सार्वजनिक सूचना अभियानों जैसे रोजगार दिवस के माध्यम से कामगारों की हकदारी, प्रक्रियाओं और निपटान प्रणाली के संबंध में कामगारों को जानकारी प्राप्त

होनी चाहिए। शिकायतों को दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता के पास विविध मोड होने चाहिए, जिनमें लिखित शिकायतों के साथ-साथ टेलिफोन हेल्प लाइन नं. पर प्राप्त होने वाली शिकायतें शामिल हों। वैधानिक समय-सीमा के अन्दर निपटान की गई शिकायतों को शिकायत रजिस्टर (7 रजिस्टरों में से एक) में दर्ज किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखित में की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

10.4 सतर्कता

सभी राज्यों से अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं की पहचान करने और सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान निर्धारित की गई अनियमितताओं के साथ-साथ पहले से निर्धारित अनियमितताओं और जुर्म के लिए एक त्रिस्तरीय सतर्कता तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि दोषियों को दंड मिले तथा अनुचित ढंग से खर्च की गई निधियों की वसूली हो सके।

10.4.1 राज्य सरकार को एक राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए जिसमें एक सतंर्कता अधिकारी होगा जिसे शिकायतें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व, शिकायतों का सत्यापन और नियमित क्षेत्रीय दौरे करने का कार्य सौंपा जाएगा। राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ अधिकारिक मामले में सार्वजनिक लेखाकार अधिनियम के माध्यम से और अन्य के मामले में राजस्व वसूली अधिनियम के माध्यम से राशियों की वसूली शुरू करने; दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करने और जहां दांडिक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता हो उन मामलों में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जिला सतर्कता प्रकोष्ठ से सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत होगा। मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं और जुर्म को नियंत्रित करने के संबंध में सुझावों के साथ राज्य रोजगार गांरटी परिषद को वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं और जुर्म को नियंत्रित करने के संबंध में सुझावों के साथ राज्य रोजगार गांरटी परिषद को वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.4.2 एक जिला सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए और इसका अध्यक्ष जिलास्तरीय अधिकारी होना चाहिए जिसकी राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ के निदेशों के अनुसार कामकाज में सहायता के लिए एक अभियन्ता और एक लेखा

परीक्षक होना चाहिए। जिला सतर्कता प्रकोष्ठ स्वतः निरीक्षण कार्य करेगा और वसूली. अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगा और ऐसे गैर-सरकारी एवं सरकारी व्यक्तियों के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करेगा जिनके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण जिला स्तर पर होता है।

10.4.3 सतर्कता और निगरानी समिति: प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सदस्यों वाली ऐसी **सतर्कता एवं निगरानी समितियां** (वीएमसी) स्थापित की जानी चाहिए जिनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनमें आधी संख्या महिलाओं की हो। वीएमसी के सदस्यों का चयन अध्यापकों, आँगनवाड़ी कामगारों, स्वसहायता समूहों के सदस्यों, एसए संसाधन व्यक्तियों, प्रयोक्ता समूहों, युवा क्लबों, सिविल सोसाइटी के संगठनों आदि से किया जाए। वीएमसी कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम सभा द्वारा नियुक्त/नामित/चुनी जाएगी। वीएमसी के कार्यों में कार्यस्थल के दौरे, कामगारों के साथ चर्चा, दस्तावेजों का सत्यापन, कार्यस्थल संबंधी सुविधाओं का सत्यापन, कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, लागत का मूल्यांकन, कार्य के आदि से अंत तक की रिपोर्ट देना, कार्य की प्रकृति का गुणवत्ता परक मूल्यांकन शामिल होंगे। वीएमसी सभी कार्यों की जांच करे और कार्य रजिस्टर में इसके मूल्यांकन की रिपोर्ट दर्ज करे और सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम सभा को इसे प्रस्तुत करें। वीएमसी की रिपोर्टों को जन-दस्तावेज माना जाना चाहिए और मांग पर ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

10.5 सक्रिय अनिवार्य प्रकटीकरण:

राज्य सरकारोंं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कार्यस्थलोंं पर सीआईबी, ग्राम पंचायत, नोटिस बोर्ड और महात्मा गाँधी नरेगा की वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरणों सहित 'जनता सूचना प्रणाली' का उपयोग करते हुए सर्वसाधारण और स्टेकहोल्डरों को अपनी ओर से सूचना और दस्तावेजों का प्रकटीकरण किया जाए। मंत्रालय ने नागरिक सूचना बोर्ड के लिए सुझावात्मक फ्रेमवर्क जारी किए हैं, जिसका राज्य को प्रत्येक कार्य के लिए पालन करना आवश्यक है।

10.6 पारदर्शिता और जवाबदेही के न्यूनतम सिद्धांत:

मंत्रालय ने अधिनियम के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अनुपालनार्थ पारदर्शिता और जबावदेही के न्यूनतम सिद्धान्तों को अधिसूचित किया है।

10.6.1 सभी नागरिकों को उनके नाम से शुरू की गईं पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य प्रभावी रूप से करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रुप से सक्षम और सशक्त बनाने उद्देश्य से विभिन्न शर्तों की पूर्ति किए जाने की जरुरत है। इनमें हकदारी, निर्धारित समय सीमाओं, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, निर्धारित मानकों और दरों, निर्णयकारी प्रक्रियाओं, अपील शिकायत अथवा शिकायत निपटान की संभावना और यथोचित रूप से प्रत्याशित परिणामों की व्यापक समझ शामिल हैं।

10.6.2 पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी अवधारणाएं इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक और समावेशी प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित हों। कार्यक्रम की निगरानी करने का अधिकार देने और लाभार्थियों को अपने अधिकारों का दावा करने में सहायता करने के लिए सभी को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है।

10.6.3 सभी नागरिकों को जानकारी की उपलब्धता समान रूप से मिलनी चाहिए और किसी भी नागरिक की जानकारी के उपयोग करने अथवा सुनवाई के अधिकार पर रोक लगाने वाले प्रयास पर रोक लगनी चाहिए।

10.6.4 कुछ सीमांत समूहों को विशेष रूप से सशक्त बनाने और सुविधा देने की जरूरत हो सकती है ताकि वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके।

10.6.5 अपनी ओर से किए जाने वाले प्रकटीकरण अथवा सामूहिक रूप से की जाने वाली निगरानी के सभी मामलों में बाहरी एजेंसियों/व्यक्तियों/समूहों द्वारा सहायता दिए जाने की जरुरत है।

10.6.6 स्थानीय भाषा की अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए और अर्ध-साक्षर, निरक्षर और विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के साधनों एवं माध्यमों से कार्यक्रमों और सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में समस्त संगत जानकारी (अनिवार्य रूप से) अपनी ओर से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

10.6.7 दी गई जानकारी प्रमाणिक, अद्यतन एवं सावधिक हो और इस प्रकार प्रदर्शित की जाए कि उसे आसानी से समझा जा सके। इसके लिए विशेष प्रोफोर्मा और प्रपत्र तैयार किए जाने की जरूरत है।

10.6.8 संगत जानकारी ग्राम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत और जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

10.6.9 इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो सभी प्रकार के निर्णय सार्वजनिक रूप से सभी इच्छुक स्टेकहोल्डरों के सामने लिए जाएं। इसे सुनिश्चित करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि लिए गए निर्णय न केवल सही हों बल्कि सही दिखाई भी दें।

10.6.10 इसकी पहचान करते हुए कि, किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जानकारी उपलब्ध कराने और फीडबैक प्राप्त करने के दोनों तरीके भ्रष्ट अथवा रोके गए हो सकते हैं अतः लोगों से जानकारी के निर्बाध आदान-प्रदान को रोकने के कार्य को क्रमिक रूप से कठिन बनाने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों और रास्तों का उपयोग किया जाना चाहिए।

10.6.11 चूँकि, जहां तक संभव हो, संचार की सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त पद्धतियों विशेषतः ऐसी परंपरागत पद्धतियों जिनसे स्थानीय लोग भली-भांति परिचित हों, पर जोर देना चाहिए और नई एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकीयों से होने वाले फायदों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया विशेष रूप से प्रासंगिक हैं क्योंकि ग्रामीण परिवारों में इनकी व्यापकता देखी जा सकती है और एकसाथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच जानकारी के अभिनव, विश्वसनीय और शीघ्र आदान-प्रदान में ये उपयोगी सिद्ध होते हैं।

10.7 दस्तावेज का रखरखाव

किसी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित दस्तावेजी रखरखाव अत्यावश्यक है। स्पष्टता और सुगमता के लिए न्यूनतम दस्तावेजों का रखरखाव होना चाहिए ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सुगमता सुनिश्चित कर सकें तथा उन्हें दस्तावेजों और रजिस्टरों में ही उलझे न रहना पड़े। मंत्रालय

ने ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न राज्यों में रखे जाने वाले रजिस्टरों की औसत संख्या 22 से घटाकर 7 कर दी है।

7 रजिस्टरों का सरलीकृत प्रारूप राज्यों, ग्राम रोजगार सहायकों के प्रतिनिधियों और एनआईसी के साथ गहन विचार-विमर्श का परिणाम है। इन रजिस्टरों का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्मिकों का कार्य सुचारू हो सके और विशेष तौर पर कामगारों के हकों से संबंधित सूचना की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य के दोहराव को कम किया जा सके।

ये 7 रजिस्टर इस प्रकार हैं:-

रजिस्टर– I जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने) और परिवार के लिए रोजगार संबंधी रिपोर्टों के लिए रजिस्टर

रजिस्टर – II ग्राम सभा रजिस्टर

रजिस्टर – III कार्य की मांग, कार्य का आवंटन और मजदूरी के भुगतान संबंधी रजिस्टर

रजिस्टर – IV कार्य रजिस्टर रजिस्टर – V स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर रजिस्टर – VI शिकायत रजिस्टर

रजिस्टर – VII सामग्री रजिस्टर

रजिस्टर-I, IV, VI और VII को एमआईएस से ही प्रिंट करके पेस्ट किया जा सकता है जबकि रजिस्टर-II, III और V का रखरखाव लिखित रूप में किया जाना है। इन 7 रजिस्टरों में रोकड़ पुस्तिका, बही और स्टाक रजिस्टर आदि से संबंधित वित्तीय प्रशासन के रिकॉर्ड और रजिस्टर शामिल नहीं हैं। इन रजिस्टरों को राज्य अपनी वित्तीय नियमावली के अनुसार जारी रख सकते हैं।

इन 7 रजिस्टरों का लागू किया जाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुनिश्चित किया जाना होता है ताकि समवर्ती लेखा परीक्षा एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रयोजन के साथ-साथ प्रभावी बुक कीपिंग का उद्देश्य पूरा हो सके। ये रजिस्टर आम लोगों के साथ-साथ अधिकारियों की जांच, निरीक्षणों आदि के लिए हर समय उपलब्ध होने चाहिए।

अध्याय-11

सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) संबंधी कार्यकलाप

11.1 सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी)

आईईसी महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सभी दस हकदारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियों को कामगारों की हकदारी और उसकी उपलब्धता के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

11.2 आईईसी संबंधी कार्यकलापों के लिए व्यय

आईईसी संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्यों/जिलों व्यय की पूर्ति प्रशासनिक व्यय (राज्य निधियों का 6%) के लिए निर्धारित निधियों से की जा सकती है।

11.3 राष्ट्रीय आईईसी कार्यनीति

महात्मा गांधी नरेगा के लिए राष्ट्रीय आईईसी कार्यनीति के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के लिए सुझाए हुए मुख्य संदेश, जिन्हें विभिन्न लक्ष्य समूहों में प्रसारित किए जाने की जरूरत है, इस प्रकार हैं:

- महात्मा गांधी नरेगा अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
- वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुखी कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, छोटे और सीमान्त किसानों अथवा भूमि सुधारों लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की भूमि पर शुरू किए जा सकते हैं।
- काम की मांग किए जाने के दिन से पंद्रह दिन की अवधि में आवेदक को मजदूरी रोजगार उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।
- आवेदन प्रस्तुत करने अथवा काम की मांग करने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध न कराए जाने के मामले में कामगारों को बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है।
- मजदूरी का भुगतान कार्य पूरा होने के पंद्रह दिन के अंदर कर देना चाहिए।

- अनुमेय कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं।
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण पर जोर दिया जाता है।
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत "पर्यावरण के अनुकूल" और "सम्मानजनक" कार्य उपलब्ध कराया जाता है।
- महात्मा गाधी नरेगा से संबंधित कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यों से जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम का ध्यान रखा जाता है और इस प्रकार के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा दी जाती है तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखा जाता है।
- ग्राम सभा/वार्ड सभा मजदूरी की मांग करनेवालों के लिए अपनी बात रखने और कार्य की मांग करने का मुख्य मंच होता है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के लिए कार्यों की सूची और उनकी प्राथमिकता के निर्धारण की स्वीकृति ग्राम सभा/वार्ड सभा तथा ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है।

11.4 वार्षिक योजना की तैयारी

राज्यों को प्रत्येक वर्ष अपनी राज्य आईईसी योजनाएं बनानी होती हैं और नियमित अंतरालों पर मंत्रालय को रिपोर्टें भेजनी होती हैं।

11.5 संदेशों में एकरूपता

बेहतर परिणामों के लिए संदेशों में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने की जरुरत है। कार्यक्रम के उद्देश्य के आधार पर, एक मानक संदेश का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय, राज्य अथवा ग्राम स्तर पर करना चाहिए।

11.6 आईईसी नोडल अधिकारी का नामांकन

राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के आईईसी संबंधी कार्यकलापों की देखरेख करने के लिए राज्यों को राज्य आईईसी नोडल अधिकारी नामित करने होते हैं। राज्य आईईसी नोडल अधिकारियों के नाम और ब्यौरे मंत्रालय को बताने की जरूरत होती है। आईईसी संबंधी कार्यकलापों के व्यवसायिक कार्यान्वयन के लिए राज्य विकास दूर संचार के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दूर संचार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं।

11.7 प्रभावी आईईसी रणनीति के लिए एकीकरण

प्रभावी आईईसी कार्य नीति के लिए राज्यों द्वारा आईईसी उपकरणों के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा, रोजगार दिवस, नागरिक सूचना बोर्डों, वॉल पेंटिंग और जॉब कार्डों जैसे विभिन्न गैर परक्राम्यों को समेकित किए जाने की जरूरत है, जिनके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है और वे शिकायत निवारण के साथ-साथ निगरानी का भाग हो सकते हैं। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से योजना के प्रमुख संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए नागरिक सूचना बोर्ड, वॉल राइटिंग एवं जॉब कार्ड प्रमुख माध्यम बनाए जाने चाहिए। हकदारी के दस्तावेजीकरण के अलावा जॉब कार्ड योजना की प्रमुख विशेषताओं, पंजीकृत किए गए कामगारों के अधिकारों और हकों आदि जैसे संबंधित सूचना पैकेज को शामिल करते हुए जागरूकता सृजन करने का महत्वपूर्ण आईईसी उपकरण हो सकता है।

11.8 **अच्छे कार्यों और जानकारी का प्रचार-प्रसार**

मंत्रालय योजना के बारे में अच्छे कार्यों और जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए न्यूज मीडिया का उपयोग करने पर जोर देता रहा है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए राष्ट्रीय आईईसी संबंधी कार्यनीति में एक मीडिया एडवोकेसी कार्यनीति शामिल की गई है। राज्यों को राज्य और जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम कराने होंगे।

11.9 **एमआईएस में पुस्तकालय:** मनरेगा की प्रबंधन सूचना प्रणाली में एक पुस्तकालय दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग हैं

भाग I - पुस्तकें

भाग II - वीडियो

भाग III - प्रस्तुतीकरण

इन तीन भागों को आगे उप खंडों में विभाजित किया गया है:

क. **पुस्तकों के उप खंड** :

1. महत्वपूर्ण दस्तावेज
   i. अधिनियम
   ii.दिशानिर्देश/परिपत्र

iii.नियम/फ्रेमवर्क

2. प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज

i.कार्य नियमावली

ii.एसओपी/ प्रयोक्ता नियमावली

iii.प्रशिक्षण मॉड्यूल

iv.प्रकाशन

3. अनुसंधान अध्ययन

ख. **वीडियो के उप खंड** : इस खंड में मनरेगा प्रभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई डाक्यूमेन्टरी शामिल हैं और समाज में उन पहलों के प्रभाव को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है।

ग. **प्रस्तुतीकरणों का उप खंड** : यह खंड मनरेगा प्रभाग द्वारा तैयार किए जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरणों को कवर करता है, ताकि उनके निष्पादन और पहलों को दर्शाया जा सके।

11.10 जल संरक्षण की सफल कहानियों का वेबपेज: जल संरक्षण की सफल कहानियों का वेबपेज भी नरेगासॉफ्ट में शामिल गिया गया है, जो कि लैंडिंग पेज पर दर्शाया गया है। इस वेबपेज को बनाने को बनाने के उद्देश्य इस प्रकार हैं

जमीनी स्तर पर अभिनव जल संरक्षण कार्यों से प्राप्त अनुभवों का दस्तावेजी ब्यौरा तैयार करके उनका प्रचार-प्रसार करना।

इस वेबपेज के तीन खंड इस प्रकार हैं:

खंड1. दस्तावेज: इस खंड में जल संरक्षण पहलों के विषय में राज्यों और महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग द्वारा तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेज शामिल हैं।

खंड2. सफल कहानियां: इस खंड में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई जल संरक्षण की विभिन्न सफल कहानियां शामिल हैं।

खंड3. वीडिय़ो: इस खंड में जल संरक्षण की सफल कहानियों के महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न वीडियो शामिल हैं।

11.11 मशीनरी के अनुमेय उपयोग के आईईसी लिए

महात्मा गाँधी नरेगा की अनुसूची-1 के पैरा 22 में यह कहा गया है कि "जहाँ तक व्यवहार्य हो वहाँ तक कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले

कार्यों का निष्पादन श्रमिकों से कराया जाएगा और श्रमिकों का रोजगार छीनने वाली किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।" तथापि, कार्यों के निष्पादन से जुड़े कुछ ऐसे कार्यकलाप हो सकते हैं, जिनका निष्पादन श्रमिकों से नहीं कराया जा सकता है, जहाँ महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत संपन्न किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए मशीन का प्रयोग अनिवार्य हो जाए। वर्ष 2019-20 के वार्षिक मास्टर परिपत्र (एएमसी) के अध्याय 7, पैरा संख्या 7.1.3 में उन मशीनों की सुझावपरक सूची का उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित है कि वे ग्रामवासियों को मशीनों के अनुमेय प्रयोग की जानकारी देने के लिए आईईसी कार्यकलाप चलाएं। ये सूचनाएं ग्राम पंचायत भवन की दीवारों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

11.12 व्यक्तियगत लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ के लिए आईईसी

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत व्यक्तियगत लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों के विषय में आईईसी टेम्प्लेट भी दिनांक 11 मार्च, 2020 के पत्र सं. जे-1101/01/2019-आरई-I द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया, जिसका प्रयोग प्रचार पोस्टरों के लिए सदर्भ सामग्री के रूप में किया जाना था।

11.13 महात्मा गांधी नरेगा फेसबुक पेज और यू-ट्यूब चैनल

राज्य महात्मा गांधी नरेगा फेसबुक पेज (https://m.facebook.com/iecmgnrega) का व्यापक प्रचार (लाइक और जॉइन) और महात्मा गांधी नरेगा यू-ट्यूब चैनल (https://youtube.com/iecmgnrega) को स्बसक्राइब कराना सुनिश्चित करेगा।

अध्याय-12

प्रबंधन सूचना प्रणाली (नरेगा सॉफ्ट)

12.1 नरेगासॉफ्ट

मंत्रालय ने वर्क फ्लो आधारित एवं वेब समर्थित नरेगासॉफ्ट नामक ऐप्लीकेशन तैयार किया है, जो कि http://nrega.nic.in पर पोर्टल पर उपलब्ध है। नरेगासॉफ्ट में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं में सभी अंतरणों का ब्यौरा दर्ज करके उसे सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है। नरेगासॉफ्ट की इस सहायक संरचना से राज्यों के लिए समय पर रिपोर्टें भेजना आवश्यक हो गया है ताकि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की लगभग तात्कालिक स्थिति दर्शाने वाली जानकारियां सार्वजनिक (http://nrega.nic.in) की जा सकें, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। नरेगासाफ्ट 2006 मे प्रारंभ किया गया था।

12.1.1 भूमिका आधारित लॉगिन - नरेगासॉफ्ट के तहत आंकड़ा प्रविष्टि प्रक्रिया को और मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ता-आधारित लॉगिन की कार्यक्षमता विकसित और शुरू की गई है। कर्मचारियों को पंजीकृत और सत्यापित करने के बाद संबंधित भूमिकाओं के साथ मैप किया जाता है ताकि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टियां कर सकें। पहली बार लॉगिन करने, यूजर आईडी भूल जाने और पासवर्ड बदलने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़े ओटीपी द्वारा सुरक्षित किया जाता है। नरेगा सॉफ्ट में, 'स्टाफ रजिस्ट्रेशन' मॉड्यूल का उपयोग करके ग्राम पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारियों, ब्लॉकों, जिला पंचायतों, कार्यान्वयन एजेंसियों, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और राज्य डीबीए के लॉगिन उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करना अनिवार्य है। भूमिका-आधारित लॉगिन का उपयोग करके महात्मा गांधी नरेगा क्षेत्र के पदाधिकारियों की जवाबदेही में वृद्धि हुई है क्योंकि संवेदनशील लेनदेन लॉग किए जाते हैं और नरेगासॉफ्ट के डेटाबेस में ऑडिट ट्रेल बनाए रखा जाता है।

12.2 नरेगासॉफ्ट परिवर्तन प्रबंधन प्रणाली:

जब कभी नरेगासॉफ्ट में आ रही परेशानियों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई पत्र प्राप्त होता है और नए मॉड्यूल या रिपोर्ट या मौजूदा रिपोर्ट/मॉड्यूल में संशोधन के लिए अनुरोध किया जाता है तब समस्या का समाधान करने के लिए नरेगासॉफ्ट परिवर्तन प्रबंधन प्रणाली को और सुव्यवस्थित बनाया गया है। परिवर्तन के अनुरोध की प्राप्ति के बाद इसे मंत्रालय में आवश्यक अनुमोदन हेतु परिवर्तन अनुरोध प्रपत्र (सीआरएफ) में दर्ज किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही नरेगासॉफ्ट में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध को कार्यान्वित किया जाता है। इससे नरेगासॉफ्ट में परिवर्तन के लिए किए गए अनुरोधों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में मदद मिलती है।

एमआईएस माप पुस्तिका

किए गए कार्य के सभी माप सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत और जारी की गई माप पुस्तिका (एमबी) में दर्ज किए जाएंगे। इस माप पुस्तिका में दर्ज किए गए मापों को नरेगासॉफ्ट में दर्ज किया जाना आवश्यक है, ताकि किए गए कार्य का मूल्य निर्धारित किया जा सके।

किए गए कार्य के मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए नरेगासॉफ्ट

इस प्रयोजनार्थ की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टियां इस प्रकार है:

क. कार्यकलाप घटक :

1. कार्यकलाप का ब्यौरा
2. लंबाई
3. चौड़ाई
4. ऊंचाई
5. इकाई लागत

कुल लागत का परिकलन सिस्टम द्वारा किया जाएगा।

ख. मजदूरी घटक

ग. सामग्री घटक

1. सामग्री का नाम
2. मात्रा
3. इकाई मूल्य

4. कुल (स्वत: परिकलित)
5. मेट का नाम, इंजीनियर का नाम और इंजीनियर का पदनाम

तत्पश्चात मात्रा का परिकलन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। राज्यों से कहा गया है कि वे माप पुस्तिका की प्रविष्टियां एमआईएस में दर्ज करने को अनिवार्य बनाएं।

अध्याय-13

जियोमनरेगा – महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जीआईएस कार्यान्वयन

टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना महात्मा गांधी नरेगा का अहम उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और लोगों तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी केंद्र (एनआरएससी) के साथ साझेदारी करके महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग करने के लिए जियोमनरेगा का कार्यान्वयन शुरू किया है। इसमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए मोबाइल आधारित फोटो जियो-टैगिंग और जीआईएस आधारित सूचना प्रणाली जैसे प्रौद्योगिकीय उपायों द्वारा परिसंपत्तियों का व्यवस्थित डाटाबेस तैयार किया जाता है। जीआईएस आंकड़ों और मानचित्रों का उपयोग मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों के विश्लेषण और उनकी आयोजना के लिए भी किया जाएगा। उद्योग के लिए अनुकूल जियोस्पाशियल इन्फोर्मेशन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जियोस्पाशियल फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए एनआरएससी के भुवन जियोपोर्टल को अनुकूल बनाया गया है। निगरानी हेतु और डाटाबेस तैयार करने के लिए मंत्रालय तथा राज्यों को डाटाबेस उपलब्ध हैं।

प्रत्येक परिसंपत्ति के स्थान को दो फोटोग्राफ के साथ जियोटैग करना होता है। नरेगासॉफ्ट से लिए गए परिसंपत्तियों के आंकड़ों का उपयोग करने के लिए मानक वेब आधारित व्यवस्था बनाई गई है। आंकड़ों की प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नरेगासॉफ्ट तथा भुवन जियोपोर्टल के बीच आंकड़ों के सुचारू आदान-प्रदान के लिए प्रचालन प्रक्रिया बनाई गई है। अब तक मनरेगा योजना के तहत निर्मित 4.75 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियोटैग किया गया है।

जियोटैगिंग की जांच के लिए https://bhuvan-app2.nrsc.gov.in/mgnrega/mgnrega_phase2.php# खोलें और जियोटैग्ड एसेट्स की जांच के लिए सांख्यिकी पर क्लिक करें। अधिक चेक करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल बनाना होगा और वर्क कोड के अनुसार संपत्तियों की खोज करनी होगी और व्यय, उपयोग की गई जनशक्ति आदि के साथ संपत्ति की तस्वीर देखनी होगी।

जियो-मनरेगा को दो चरणों में कार्यान्वित किया गया है जिसकी सूची नीचे दी गई है:-

13.1 जियो-मनरेगा चरण-I (पूरी हो चुकी परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग)

इन पर लागू है: इसकी शुरुआत से अब तक पूरी की गई और 31 अक्तूबर, 2017 के पहले शुरू की गई सभी परिसंपत्तियां।

जियो-मनरेगा चरण-I को 1 सितंबर, 2016 से शुरू किया गया जो मनरेगा योजना के तहत पूरे किए गए सभी कार्यों पर लागू है।

13.1.1.1 जियोमनरेगा चरण-I के तहत परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में परिसंपत्तियों की निरंतर जियोटैगिंग करना, प्रत्येक परिसंपत्ति के दो फोटोग्राफ अपलोड करना और भुवन जियोमनरेगा पोर्टल पर संगत आंकड़े दर्शाना तथा सौंपी गई जिम्मेदारियां शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: -

क) कार्य पूरा करके उसे प्रमुख परिसंपत्ति के रूप में चिह्नित करने के बाद कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/पीआईए द्वारा नरेगासॉफ्ट पर परिसंपत्ति की आईडी स्वत: तैयार किया जाना/आईडी दिया जाना। पहले पूरे किए जा चुके कार्यों के मामले में परिसंपत्ति को चिह्नित करने तथा परिसंपत्ति की आईडी तैयार करने का एक अलग तरीका है। किसी परिसंपत्ति के साथ एक या एक से अधिक (माध्यमिक) पूरे किए गए कार्य जुड़े हो सकते हैं। इन जुड़े हुए कार्यों का उल्लेख करने के लिए प्रमुख परिसंपत्ति की आईडी का उपयोग किया जाएगा। परिसंपत्ति और कार्यों के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है।

ख) नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध परिसंपत्ति की आईडी और कार्यों के ब्यौरे

से संबंधित जानकारी नियमित रूप से एवं दैनिक आधार पर भुवन प्लेटफार्म पर ली जाती है।

ग) क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़े दर्ज करने तथा परिसंपत्तियों को दर्शाने और रिपोर्ट तैयार करने संबंधी साधनों के लिए केवल महात्मा गांधी नरेगा हेतु तैयार किए गए एन्ड्राइड आधारित मोबाइल ऐप का उपयोग करके भुवन मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग। इसमें मनरेगा स्पाशियल इन्यूमरेटर (एमएसई) द्वारा लिए गए फोटोग्राफ के साथ परिसंपत्ति का जीपीएस स्थान दर्ज करना शामिल है। उपर्युक्त जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस), तकनीकी सहायक (टीए) या ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर के किसी भी अन्य कर्मी को एमएसई के रूप में पदनामित करना होता है। एक ग्राम पंचायत के लिए एक एमएसई, एक ग्राम पंचायत के लिए अनेक एमएसई और अनेक ग्राम पंचायतों के लिए एक एमएसई हो सकता है। तदनुसार, इन एमएसई को मोबाइल अनुप्रयोग पर पंजीकृत किया जाना और जीएएस (जीआईएस परिसंपत्ति पर्यवेक्षक) द्वारा प्राधिकृत किया जाना होता है। एमएसई द्वारा की जाने वाली जियोटैगिंग को आसान बनाने के लिए विविध ग्राम पंचायतों के आंकड़े (एक ही ब्लॉक की 3 ग्राम पंचायतें) डाउनलोड करने और लाइन विभाग वार फिल्टर करने जैसे विकल्प जियामनरेगा मोबाइल अनुप्रयोग में दिए गए हैं।

घ) जीआईएस परिसंपत्ति पर्यवेक्षक (जीएएस) द्वारा मॉडरेशन/पुष्टि किया जाना। ये जीआईएस परिसंपत्ति पर्यवेक्षक (जीएएस) कार्यक्रम अधिकारी या ब्लॉक स्तर के अन्य अधिकारी होते हैं, जिन्हें जीएएस के रूप में पदनामित किया जाना होता है। एमएसई द्वारा दर्ज किए जाने वाले आंकड़ों या जानकारियों की पुष्टि करना इनकी जिम्मेदारी है। जीएएस को भुवन जियोमनरेगा पोर्टल पर पंजीकृत और राज्य जीआईएस नोडल अधिकारी (एसजीएनओ) द्वारा प्राधिकृत किया जाना होता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के एमएसई द्वारा अपलोड किए गए सभी जियोटैग, अपलोड किए जाने के 48 घंटे के भीतर मॉडरेट हो गए हों।

ङ) मॉडरेट और अनुमोदित किए गए आंकड़े भुवन वेब जीआईएस पर

भेजे जाते हैं, जहां इन आंकड़ों को भुवन जियोमनरेगा प्लेटफार्म पर सार्वजनिक किया जाता है।

च) किसी जिला स्तरीय अधिकारी को जिला जीआईएस नोडल अधिकारी (डीजीएनओ) पदनामित किया जाना होता है जिसकी जिम्मेदारी अपने संबंधित जिलों में जियोमनरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी करना और जियोटैगिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। डीजीएनओ का पंजीकरण भुवन पोर्टल पर किया जाना होता है।

छ) किसी राज्य स्तरीय अधिकारी को राज्य जीआईएस नोडल अधिकारी (एसजीएनओ) पदनामित किया जाना होता है, जिसकी जिम्मेदारी राज्यों में जियोमनरेगा के कार्यान्वयन में समन्वय करना होता है। एसजीएनओ के नाम और ब्यौरे की जानकारी मंत्रालय को दी जानी चाहिए। एसजीएनओ का पंजीकरण भुवन जियोमनरेगा पोर्टल पर किया जाना होता है।

13.1.2 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मियों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) के सेंटर फॉर जियोइन्फोर्मेटिक्स एप्लीकशन इन रूरल डेवलपमेंट (सीजीएआरडी) की जिम्मेदारी है, ताकि वे पदाधिकारी अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

13.1.3 जब 31 अक्टूबर, 2017 से पहले शुरू की गईं सभी परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग पूरी हो जाएगी तब जियो मनरेगा चरण-। पूरा होगा।

13.1.4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निम्नलिखित प्रस्तावों के अनुसार प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार चरण- ।की प्रगति की जानकारी प्रदान करनी चाहिए:

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जियोटैग नहीं की गई संपत्तियों की संख्या	जियो -टैग न की गई सम्पतियों की संख्या जिनके प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

			द्वारा कार्रवाई की गई है

13.2 जियो-मनरेगा चरण-।। (3 चरणों में जियोटैगिंग)

इन पर लागू: 01 नवंबर, 2017 को या इसके बाद शुरू किए गए सभी कार्य

जियो-मनरेगा चरण-।। 01 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। भुवन जियो-मनरेगा पोर्टल पर परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग, प्रत्येक संपत्ति के दो फोटोग्राफ अपलोड करने और संगत आंकड़े प्रदर्शित करने की समग्र प्रक्रिया के साथ-साथ सौंपी गई जिम्मेदारियां जियो-मनरेगा चरण-। और चरण-।। के लिए एक जैसी रहेंगी। तथापि जियो-मनरेगा चरण-।। के अंतर्गत 3 चरणों में जियोटैगिंग की जाती है अर्थात:

I. कार्य की शुरूआत से पहले;
II. कार्य के दौरान और
III. कार्य पूरा होने के बाद।

13.2.1 जियो-मनरेगा चरण-।। के तहत परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग की प्रक्रिया

जियो-मनरेगा चरण-।। के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नरेगा सॉफ्ट में निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं:-

I. **चरण-। की जियोटैगिंग (कार्य की शुरूआत से पहले):** यह कार्य तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी वाले उन कार्यों में किया जाएगा जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नरेगा सॉफ्ट में उपलब्ध हैं।
II. **चरण-।। की जियोटैगिंग (कार्य के दौरान)**: कार्य की अनुमानित लागत के 30 प्रतिशत को व्यय के रूप में दर्ज किए जाने के बाद उक्त कार्य जियो-मनरेगा भुवन मोबाइल अनुप्रयोग पर चरण-।। की जियोटैगिंग के लिए उपलब्ध होगा तथापि, यदि अनुमानित लागत के 60% को नरेगासॉफ्ट में व्यय के रूप में दर्ज कर दिया जाता है और जब तक चरण-2 के जियोटैग को भुवन में नहीं डाल

दिया जाता, तब तक कार्य पर आगे कोई व्यय दर्ज नहीं किया जा सकता है।

III. **चरण 3 की जियोटैगिंग (काम पूरा होने के बाद)**: काम पूरा हो जाने और उसे नरेगासॉफ्ट में बंद कर दिए जाने के बाद वह चरण 3 की जियोटैगिंग के लिए उपलब्ध होगा।

13.2.2 जियो-मनरेगा चरण-।। के अंतर्गत हटाने/सुधार करने और स्थान में बदलाव करने की प्रक्रिया

जियो-मनरेगा चरण-।। के अंतर्गत ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें राज्य द्वारा परिसंपत्ति के स्थान में बदलाव के अनुरोध किए गए हैं जिन्हें निम्नलिखित मामलों में दर्शाया गया है और तदनुसार समाधान तैयार किए गए हैं: -

मामला 1: चरण-। (पूर्व) के तहत जियोटैग किए गए कार्य के स्थान में बदलाव:

- ऐसा कार्य जिसका चरण-1 के लिए जियोटैग स्वीकार कर लिया गया है लेकिन चरण-2 के लिए जिसे अब तक जियोटैग नहीं किया गया है, वह कार्य जीएएस लॉगइन में दर्ज करने के लिए उपलब्ध होगा।
- जीएएस स्पष्ट कारण बताते हुए चरण-1 के जियोटैग को अस्वीकार करने के लिए कार्य को अंकित कर सकता है।
- डीजीएनओ के पास अपने लॉगइन में जीएएस द्वारा कारण बताते हुए किए गए अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार करने का प्रावधान है।

- जीएएस द्वारा अस्वीकार करने के लिए किए गए अनुरोध को डीजीएनओ द्वारा स्वीकार करते ही चरण-1 के जियोटैग को भुवन में अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी पावती नरेगा सॉफ्ट में साझा कर दी जाएगी। अब यह कार्य चरण-। की जियोटैगिंग के लिए उपलब्ध होगा।
- अस्वीकार करने की उपर्युक्त प्रक्रिया को किसी खास कार्य के लिए केवल एक बार ही अपनाने की अनुमति होगी।

मामला 2: कार्य के दौरान चरण-2 के तहत जियोटैग कैप्चर नहीं किया जा सका:

- ऐसा कार्य जिसका चरण-। के लिए जियोटैग स्वीकार कर लिया गया है लेकिन चरण-।। के लिए अब तक जियोटैग नहीं किया गया है, वह जीएएस लॉगइन में दर्ज करने के लिए उपलब्ध है।
- जीएएस स्पष्ट कारण बताते हुए चरण-। के जियोटैग को अस्वीकार करने के लिए कार्य को अंकित कर सकता है।
- डीजीएनओ के पास अपने लॉगइन में जीएएस द्वारा कारण बताते हुए किए गए अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार करने का प्रावधान है।
- जीएएस द्वारा अस्वीकार करने के लिए किए गए अनुरोध को डीजीएनओ द्वारा स्वीकार करते ही चरण-1 के जियोटैग को भुवन में अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी पावती नरेगा सॉफ्ट में साझा कर दी जाएगी। अब यह कार्य चरण-। की जियोटैगिंग के लिए उपलब्ध होगा।
- चरण-1 जियोटैगिंग के बाद कार्य चरण-।। की जियोटैगिंग के लिए उपलब्ध होगा।
- अस्वीकार करने की उपर्युक्त प्रक्रिया को किसी खास कार्य के लिए केवल एक बार ही अपनाने की अनुमति है।
- यही प्रक्रिया चरण-।।। की जियोटैगिंग के मामले में (बाद में), यदि आवश्यक हो, अपनाई जाए।

मामला 3: भुवन में कार्य के ब्यौरे संबंधी आंकड़े को साझा करने के बाद आंकड़े में सुधार:

- जियो-मनरेगा चरण-।। के अंतर्गत कार्य को हटाने/उसमें सुधार करने का प्रावधान भुवन-जियोमनरेगा पोर्टल के जीएएस लॉगइन में उपलब्ध है।
- जिस कार्य को चरण-। के लिए अभी तक जियोटैग नहीं किया गया है वह कार्य हटाने/उसमें सुधार करने के लिए उपलब्ध है।
- कार्य को हटाने/सुधार करते समय जीएएस को ऐसा करने का स्पष्ट कारण अवश्य दर्शाना चाहिए।
- भुवन में कार्य को हटाने/उसमें सुधार करने के बाद उसकी पावती नरेगा सॉफ्ट में भेजी जाती है।
- नरेगा सॉफ्ट में काम और सूचना में सुधार किया जा सकता है।

- सुधार करने/हटाने के बाद काम को अंकित करने और जियोटैगिंग के लिए फिर से भेजने का विकल्प नरेगा सॉफ्ट में उपलब्ध है।
- उपर्युक्त प्रक्रिया किसी खास काम के लिए केवल एक बार ही अपनाने की अनुमति है।

13.3 जियोमनरेगा के तहत छूट

पीएमएवाई(जी) कार्यों की जियोटैगिंग करना:

सभी पीएमएवाई(जी) कार्यों को जियोमनरेगा चरण-I और चरण-II के तहत जियोटैगिंग से छूट प्राप्त है क्योंकि सृजित परिसंपत्ति के जियोटैग के साथ-साथ पांच चरणों में उनकी तस्वीरें पीएमएवाई(जी) योजना के तहत पहले ही ली जा रही हैं।

चरण-II के तहत 50 हजार रुपए के बराबर या इससे कम के स्वीकृत राशि वाले कार्यों के लिए छूट:

मनरेगा योजना के तहत कुछ कार्यों को एक मस्टर रोल साइकिल अर्थात 7-15 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है जिनमें संपूर्ण व्यय को एक ही बार दर्ज किया जाता है। ऐसे मामलों में अनुमानित लागत के 30 प्रतिशत के व्यय के बाद चरण-2 की जियोटैगिंग के लिए कार्य उपलब्ध कराने हेतु नरेगा सॉफ्ट पर रोक के कारण चरण-2 (कार्य के दौरान) के लिए जियोटैगिंग के काम को पूरा करने की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। नरेगा सॉफ्ट पर चरण-I के जियोटैग की प्राप्ति के तत्काल बाद चरण-2 (कार्य के दौरान) जियोटैगिंग के लिए कार्य उपलब्ध होगा। नरेगा सॉफ्ट पर कार्य को 'पूर्ण' दर्शाए जाने के बाद चरण-3 (काम पूरा होने के बाद) की जियोटैगिंग के लिए काम उपलब्ध होगा।

13.4 भावी कार्य योजना

13.4.1 प्रारंभ से अब तक सृजित सभी नई और पुरानी परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग सुनिश्चित करना। यह कार्य चरणों में किया जा सकता है।

I. राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे हो चुके सभी कार्यों को उस कार्य के पूरा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जियोटैग किया जाए।

II. मनरेगा के अंतर्गत पहले ही पूरे हो चुके कार्यों को क्रमवार जियोटैग किया जाना चाहिए,

जिसमें 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15 और उससे पीछे वित्तीय वर्ष 2006-07 तक वित्तीय वर्ष-वार प्राथमिकता दी जाएगी।

13.4.2 जियोटैग की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण कार्य है। यह गुणवत्ता दो तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है। पहला तरीका सभी परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और दूसरा तरीका परिसंपत्ति का समुचित 'विवरण' सुनिश्चित करना है।

i. फोटोग्राफ की गुणवत्ता:

फोटोग्राफ की गुणवत्ता से परिसंपत्ति के आकलन की संभावना और परिप्रेक्ष्य प्रभावित होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फोटोग्राफ की गुणवत्ता का कुछ स्तर हो, जिससे परिसंपत्तियों का आगे और आकलन करने में मदद मिलेगी। मनरेगा के अंतर्गत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ लेते समय जिन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

- दिशा और कोण : फोटोग्राफ की दिशा और कोण इस प्रकार होने चाहिए कि संपूर्ण परिसंपत्ति या उस परिसंपत्ति का अधिकतम भाग फोटोग्राफ में दिखाई दे।
- फोटोग्राफ का अभिविन्यास : समान परिसंपत्तियों के लिए समान अभिविन्यास। उदाहरण के लिए सड़कें, नहर जैसी रेखिक संरचनाओं के फोटो में उनकी लंबाई दर्शाई जानी चाहिए।
- फोटोग्राफ सूर्य की ओर मुख करके नहीं लिया जाना चाहिए। फोटो लेते समय सूर्य परिसंपत्ति का फोटो लेने वाले की पीठ की ओर होना चाहिए।
- स्पष्ट फोटोग्राफ : सभी एमएसई (मनरेगा स्पाशियल इन्यूमरेटर) को फोटो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोहरे और वर्षा के समय फोटोग्राफ नहीं लेना चाहिए।
- नागरिक सूचना बोर्ड को फोटोग्राफ के साथ जोड़ना : परिसंपत्ति की कम से कम एक तस्वीर में परिसंपत्ति के साथ नागरिक सूचना बोर्ड की भी तस्वीर होनी चाहिए।

ii. परिसंपत्ति का नाम और विवरण:

परिसंपत्ति का ब्यौरा ग्राम पंचायत स्तर पर नियत परिसंपत्ति रजिस्टर (एफएआर) में रखा जाना चाहिए। परिसंपत्ति का विवरण आवश्यक है क्योंकि

इसी में परिसंपत्ति की श्रेणी, गुणवत्ता और स्थान का विवरण दर्शाया जाता है। इससे एमएसई को जियोटैग की जाने वाली परिसंपत्ति का निर्धारण करने में भी मदद मिलती है। फोटोग्राफ के विवरण और बनाई गई परिसंपत्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

iii. **जियोटैग की सटीकता:** जियोटैग की सटीकता 10 मीटर से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।

iv. **भूमिकाएं और जिम्मेदारियां**:

- जिला जीआईएस नोडल अधिकारी (डीजीएनओ) और राज्य जीआईएस नोडल अधिकारी (एसजीएनओ) को अपने जिलों और राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जियोटैग की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय जियोटैग की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए नियमित रूप से औचक जांच करेगा।

v. राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को स्थान विशेष पर कार्यों की आयोजना के प्रयोजनार्थ जियोमनरेगा प्लेटफार्म का प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रम बजट तैयार करते समय कार्यों के दोहराव से बचा जा सके।

vi. डीजीएनओ/डीपीसी (जिला कार्यक्रम समन्वयक) जियो मनरेगा के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

13.4.3 मंत्रालय मनरेगा योजना के तहत जियोटैग की गई परिसंपत्तियों का तीसरे पक्ष से सत्यापन करा रहा है ताकि सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में जियोमनरेगा के अंतर्गत संग्रहित किए गए जियोटैग आंकड़ों के आधार पर परिसंपत्तियों की भौगोलिक स्थिति में उनकी वास्तविक मौजूदगी की जांच की जा सके।

13.5 जनमनरेगा- नागरिक केंद्रित मोबाइल अनुप्रयोग

नागरिक जागरूकता किसी योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन का आधार है। मंत्रलय ने 19 जून, 2017 को 'जनमनरेगा'- एक नागरिक केंद्रित मोबाइल अनुप्रयोग (सीसीएमए) शुरू किया। इस अनुप्रयोग को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एंड्राइड ऐप nrega.nic.in/netnrega/Janmanrega.htm से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसे (More+Tab:http://rural.nic.in) से या गूगल प्ले पर

https://play.goole.com/store/apps/details?id=nic.hp.ccmgnrega से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह अनुप्रयोग अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध है।

13.5.1 इस अनुप्रयोग से किसी एंड्रॉयड मोबाइल फोन का प्रयोग करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भुवन मानचित्र इंटरफेस पर पहले से जियोटैग की गई मनरेगा योजना परिसंपत्तियों की विशेषताओं और दो फोटोग्राफ के साथ उन परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सकता है। नागरिक परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान है। इस ऐप की विशेषताएं निम्नानुसार हैं: -

i. **प्री-यूजर पंजीकरण**:

- पृष्ठभूमि
- मनरेगा के बारे में
- उद्देश्य
- स्टेकहोल्डर्स
- दस एन्टाइटलमेंट्स
- कार्य
- मित्रों को रेफर करना
- अलग-अलग भाषाओं में जाने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना।

ii. **पोस्ट-यूजर पंजीकरण**:

- परिसंपत्तियां ढूंढ़ना
- प्रयोग करने वाले के मौजूदा लोकेशन के आधार पर आस-पास की परिसंपत्तियों को ढूंढ़ना

•परिसंपत्ति के संबंध में जानकारी देना

13.5.2 मोबाइल फोन में ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद प्रयोग करने वाले को परिसंपत्तियां ढूंढ़ने के लिए, आस-पास की परिसंपत्तियों को देखने के लिए और किसी परिसंपत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए अपने को पंजीकृत करना होता है। किसी परिसंपत्ति से संबंधित जानकारी केवल तभी डाली जा सकती है जब प्रयोग करने वाला परिसंपत्ति के जियोटैग स्थान से बीस मीटर के भीतर हो। ऐप के बारे में वीडियो निम्नलिखित पर उपलब्ध कराया गया है: https://www.Youtube.com/watch?v=s91WUDifkA&feature=youtube.

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसी अपेक्षा है कि वे जॉबकार्डों, नागरिक सूचना बोर्डों, दीवार लेखनों और वेबसाइटों में इस ऐप का उल्लेख करके इसे लोकप्रिय बनाएं। मनरेगा योजना कर्मियों जैसे ग्राम रोजगार सहायकों और मनरेगा स्पाशियल इन्यूमरेटरों को इसे उपयोग करने की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें जन अभियान चलाने तथा ग्राम सभाओं और अन्य ग्रामीण जन समूहों में इस ऐप को दिखाने के सत्रों में शामिल किया जाना चाहिए।

13.6 एमआईएस रिपोर्ट आर 24.8 - जनमनरेगा उपयोग करने वाले के पंजीयन की व्यवस्था नरेगा सॉफ्ट में की गई है। जनमनरेगा ऐप की जानकारियां एमआईएस के रिपोर्ट सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।

अध्याय-14

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आधार प्लेटफार्म

14.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

महात्मा गांधी नरेगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सभी भुगतान बैंक/डाकघरों में खोले गए कामगारों के खातों में जमा किए जाते हैं बशर्ते कि विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय ने इस प्रावधान से छूट न दी हो। यह अंतरण या तो बैंक/डाकघर खातों के ब्यौरे से या लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े खाते से किए जा सकते हैं।

14.2 आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस)

राज्य एमआईएस में कामगारों के खातों के ब्यौरे को नियमित रूप से अद्यतन कर रहे हैं, लेकिन आधार आधारित भुगतान (एबीपी) करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा आधार सीडिंग और इसकी भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) मैपर में मैपिंग किया जाना आवश्यक है। आधार नंबर का इस्तेमाल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा।

14.3 आधार अधिनियम के प्रावधान

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभ और सेवा की लक्षित प्रदायगी अधिनियम, 2016 (2016 का 18)) की धारा 7 एवं 8 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

आधार अधिनियम की धारा 7: "केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सब्सिडी, लाभ अथवा सेवा, जिसके लिए व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है, प्राप्त करने की शर्त के रूप में किसी व्यक्ति से यह मांग कर सकती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से अपना प्रमाणीकरण कराए, अथवा आधार नंबर मिलने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा जिस व्यक्ति को आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति नामांकन हेतु आवेदन कराए।

परंतु यह कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति को सब्सिडी, लाभ अथवा सेवा की प्रदायगी हेतु निर्धारण के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य माध्यम दिए जाएंगे।"

आधार अधिनियम की धारा 8:"

(1) किसी अनुरोधकर्ता एजेंसी द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर अधिकरण आधार संख्या धारक की आधार संख्या का उसकी बायोमीट्रिक अथवा डेमोग्राफिक जानकारी के संबंध में प्रमाणन ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर और ऐसी पद्धति से करेगा जो कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों।

(2) अनुरोधकर्ता *एजेंसी*

क) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए तरीके के अनुसार प्रमाणन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी एकत्रित करने से पहले उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करे और

ख) यह सुनिश्चित करे कि व्यक्ति की पहचान की जानकारी केवल केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी को प्रमाणन हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाए।

(3) अनुरोधकर्ता एजेंसी अपनी पहचान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अधिप्रमाणन के संबंध में आगे उल्लिखित ब्यौरा विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से देगी*: -*

क) सूचना का स्वरूप जिसे अधिप्रमाणन के बाद साझा किया जा सकता*;*

ख) अधिप्रमाणन के दौरान प्राप्त जानकारी को जिन प्रयोजनों के लिए अनुरोधकर्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है*;* और

ग) अनुरोधकर्ता एजेंसी को पहचान की सूचना के प्रस्तुतीकरण के विकल्प।

(4) प्राधिकरण अधिप्रमाणन के प्रश्न का उत्तर सकारात्मक, नकारात्मक अथवा किसी कोर बायोमीट्रिक जानकारी को छोड़कर

ऐसी पहचान जानकारी को साझा करते हुए अन्य उपयुक्त उत्तर के साथ देगा।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 26 सितंबर, 2018 को रिट याचिका 494/2012 पर अपने अंतिम निर्णय में निम्नानुसार विचार दिया है:

जहां तक "(ख) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी, लाभों अथवा सेवाओं का मामला है, ये सरकारें यह अधिदेश दे सकती हैं कि ये सब्सिडी, लाभ और सेवाएं आधार संख्या रखने का प्रमाण (अथवा नामांकन हेतु आवेदन करने का प्रमाण, जहां आधार संख्या नहीं दी गई है) प्रस्तुत करने पर ही दी जाएंगी। अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे लाभों इत्यादि को प्राप्त करने के समय प्रमाणीकरण कराएगा। ऐसे विशेष संस्थान/निकाय जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त सब्सिडी, लाभ अथवा सेवा प्राप्त की जानी है, लक्षित प्राप्तकर्ता अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करेगा और उसे अपनी बायोमीट्रिक जानकारी भी उस एजेंसी को देनी होगी। इस जानकारी के प्राप्त हो जाने पर और इसके प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उक्त एजेंसी जिसे अनुरोधकर्ता इकाई (आरई) के नाम से जाना जाता है, वह प्राधिकरण से अनुरोध करेगी जो आधार संख्या के प्रमाणीकरण का कार्य करेगी। व्यक्ति की पहचान की पुष्टि हो जाने पर व्यक्ति सब्सिडी, लाभ अथवा सेवा प्राप्त करने का हक़दार हो जाता है। धारक द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए भी आधार संख्या का उपयोग किए जाने की अनुमति है।"

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित उपाय करेंगे:

क) मनरेगा के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणन पूरा करें।

ख) जिन लाभार्थियों ने आधार संख्या दे दी है लेकिन जिसकी पुष्टि नहीं की गई है, ऐसे मामलों की तेजी से जांच की जाए और उन्हें सत्यापित किया जाए।

ग) आधार आधारित प्रमाणीकरण की असफलताओं के समाधान के लिए, ऐसे व्यक्तियों के निर्धारण हेतु ऐसे मामलों में असफलता के कारणों का पता लगाने के बाद वैकल्पिक तरीके अपनाए जाएंगे।

14.4 आवश्यकताएं और व्यवस्थाएं

उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत कामगारों को सुविधाजनक और आसान तरीके से उनकी पात्रताएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा प्रभारी) सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगी:

क) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम करने के लिए आधार की आवश्यकता की जानकारी आवेदकों या लाभार्थियों को देने के लिए प्रचार माध्यमों और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्रों में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्रों में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

ख) यदि लाभार्थी आस-पास कोई नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन न करा पाए तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा प्रभारी) से यह अपेक्षित है कि वे सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं

उपलब्ध कराएं और आवेदकों/लाभार्थियों से अपने नाम तथा अन्य ब्यौरे जैसे कि जॉब कार्ड नंबर, पता, बैंक खाते का ब्यौरा, मोबाइल नंबर इत्यादि पोर्टल पर देकर नामांकन के अपने आवेदन का पंजीकरण कराने को कहा जा सकता है और ऐसे आवेदनों को ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में भी पंजीकृत किया जा सकता है।

14.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यनीति

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यनीति अपनाई जाएगी, जो कि इस प्रकार होगी:

i. महात्मा गांधी नरेगा कामगारों का आधार के अंतर्गत नामांकन कराना :

महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस (नरेगासॉफ्ट) में सभी सक्रिय कामगारों के आधार नंबर दर्ज किया जाना।

ii. यूआईडी आंकड़ों से जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन में असफल होने वाले सभी आधार नंबरों का कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दस्तावेजी सत्यापन किया जाना।

iii. सभी सक्रिय कामगारों के खातों की जानकारी संबंधित बैंक/डाकघर को देकर उन खातों का सत्यापन एवं पुष्टि कराना।

iv. सत्यापित किए गए आधार नंबर को बैंक/डाकघर खातों में दर्ज करना और उन्हें एनपीसीआई मैपर में दर्ज करना, जिसके बाद आधार आधारित भुगतान किए जाएंगे।

14.6 खातों के आधार आधारित भुगतानों (एबीपीएस) में परिवर्तन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

14.6.1 नरेगासॉफ्ट डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज करना : नामांकित किए गए सभी सक्रिय कामगारों के आधार नंबर डाटाबेस में दर्ज किए जाने चाहिए। ब्लॉक/ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों को विधिवत सत्यापन करने के बाद आंकड़े दर्ज करने होंगे। आंकड़े दर्ज किए जाने के कार्य की दैनिक प्रगति नरेगासॉफ्ट पर दर्शाई जाएगी और इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं को भी दी जाएगी।

14.6.2 जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता यह अभियान चलाएंगे। राज्य सरकार सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं को उनके अपेक्षित कार्य समझाने के लिए उनके साथ अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

14.6.3 ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी इस अभियान के प्रभारी होंगे। इस अभियान के संचालन के लिए ब्लॉक विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता की होगी।

14.6.4 ब्लॉक विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी आधार

नंबर एकत्र करने का कार्य संबंधित ग्राम रोजगार सेवक को सौंपेंगे।

14.6.5 नरेगासॉफ्ट पर ग्राम-वार रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें उन सक्रिय कामगारों के नामों की सूची दर्शाई गई है, जिनके आधार नंबर डाटाबेस में दर्ज नहीं हुए हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सूची को मुद्रित करके ग्राम रोजगार सेवक को उपलब्ध कराया जाए।

14.6.6 ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक कामगारों से उनके आधार नंबर एकत्र करेगा।

14.6.7 यह कार्य शुरू करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों के लिए अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला के दौरान ग्राम रोजगार सेवकों को यह कार्य समझाया जाएगा और उन्हें उन सक्रिय कामगारों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके आधार नंबर डाटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं।

14.6.8 ग्राम रोजगार सेवक आंकड़ों की प्रविष्टि से पहले ब्लॉक स्तर पर तुलना के लिए आधार पत्र या आधार कार्ड की जीरोक्स प्रति के साथ आधार ब्यौरा एकत्र करेगा।

14.6.9 ग्राम रोजगार सेवक को यह कार्य संतोषजनक ढंग से करना होगा।

14.6.10 हर सप्ताह के अंत में ग्राम रोजगार सेवक सप्ताह के दौरान एकत्र किए गए आधार नंबरों की सूची के साथ पूरी जानकारी ब्लॉक कार्यालय को देंगे। ये साप्ताहिक बैठकें सभी आधार नंबर दर्ज हो जाने तक आयोजित की जाती रहेंगी।

14.6.11 अधिप्रमाणन विफल होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा दस्तावेजी सत्यापन: मंत्रालय नरेगासॉफ्ट में दर्ज किए जाने वाले आधार आंकड़ों का जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त अधिप्रमाणन

प्रयोक्ता एजेंसी - अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी की सहायता से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दर्ज किए गए आधार नंबर सही हैं। जहां कहीं आधार नंबरों के साथ दर्ज किए गए रिकॉर्ड का जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन विफल हो जाता है वहां कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को गलतियों की जांच दस्तावेजों से करनी होगी। यह जांच कामगारों के वास्तविक आधार पत्रों से भी की जा सकती है। सत्यापन के लिए प्रतीक्षारत / लंबित मामलों की रिपोर्ट एमआईएस में होती है। प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी के लॉग-इन में ऐसे नंबरों की सूची उपलब्ध होती है। कार्यक्रम अधिकारियों को सक्रिय कामगारों के सत्यापन का यह कार्य पूरा करना होगा। यह कार्य नियमित रूप से किया जा सकता है।

14.6.12 खाता फ्रीज़ करने का अभियान : उन सभी बैंक खातों का बैंकों/डाकघरों से सत्यापन किया जाएगा और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन डाटाबेस में उन खातों की पुष्टि की जाएगी जिनमें भुगतान किए जा रहे हैं और इस पुष्टि के बिना कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। ऐसे सभी खातों की सूची कार्यक्रम अधिकारी के लॉग-इन में डाली जाएगी, जिनकी पुष्टि की जानी है (जिन्हें फ्रीज़ किया जाना है) और बैंक / डाकघर-वार सूची मुद्रित की जा सकती है।

14.6.13 एमआईएस में सहमति प्रपत्र ब्यौरे का अद्यतनीकरण : प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नरेगासॉफ्ट में महात्मा गांधी नरेगा कामगारों द्वारा दी गई सहमति के ब्यौरे का अद्यतनीकरण किया जाए।

14.6.14 बैंकखातों में आधार नंबर दर्ज किए जाने के कार्य में तेजी लाने की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) : आधार नंबर दर्ज करने और एबीपी में परिवर्तन के कार्य में तेजी लाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। इसमें मनरेगा कामगारों से आधार नंबर दर्ज करने संबंधी सहमति

पत्र प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और उन पत्रों का अद्यतनीकरण करने तथा बैंक खातों में आधार नंबर दर्ज करने की प्रक्रिया के चरण दर्शाए गए हैं। कार्यक्रम अधिकारी जिला स्तर पर ब्यौरे डीपीसी को देगा और डीपीसी एबीपीएस में रूपांतर के लिए अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) को निम्नलिखित देगा :-

क) विधिवत हस्ताक्षरित लाभार्थी सहमति पत्र

ख) लाभार्थी के आधार की प्रति

ग) नरेगा सॉफ्ट से प्राप्त दो सूची (क) पीडीएफ की हार्ड कापी और (ख) एलडीएम को ई-मेल किए जाने के लिए एमएस एक्सल फाइल में सॉफ्ट कापी।

बैंक खातों में आधार दर्ज करने की प्रक्रिया

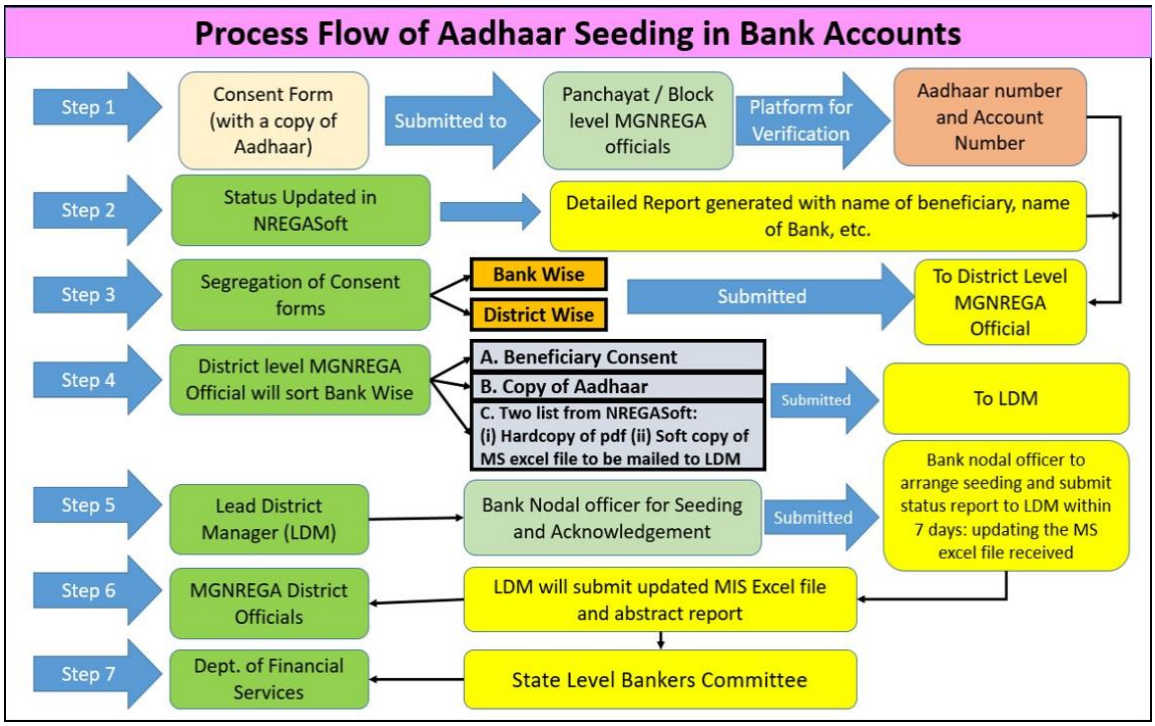

14.6.15 आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) : एपीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) प्लेटफार्म पर उपलब्ध बैंक खातों के संबंध में ही कार्य करता है। इस सिस्टम के अंतर्गत सभी अंतरण बैंक खाते में दर्ज किए गए कामगार के आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर में की गई मैपिंग के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से और लगभग तत्काल किए जाते हैं। भुगतान आदेश जारी होते ही नरेगासॉफ्ट वे फाइलें पीएफएमएस को भेजता है; पीएफएमएस आगे इन फाइलों को राज्यों के प्रायोजक बैंकों को भेजता है

फिर राज्यों के प्रायोजक बैंक एनपीसीआई के माध्यम से इन भुगतानों पर कार्रवाई करते हैं, खाते से धनराशि निकालते हैं और लाभार्थी के खाते में वह धनराशि जमा कर देते हैं। उसके बाद पीएफएमएस एक रिस्पान्स फाइल नरेगासॉफ्ट को भेजता है। यह पूरी प्रक्रिया कोर बैंकिंग सिस्टम में शामिल बैंक/डाकघरों के लिए टी+1 दिनों की समय-सीमा में हो जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से भुगतान में देरी के मामलों में कमी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सकती है।

14.7 एपीबीएस का स्वाचालन

मंत्रालय ने आगे दर्शाए गए कार्य पूर्ण करने वाला एपीबीएस शुरू करने के लिए केंद्रीय सर्वर के माध्यम से पूर्णत: स्वचालित सिस्टम स्थापित किया है:

क) डाटा बेस में आधार नंबर दर्ज कर लिए जाने के बाद सर्वर स्वत: 7 दिनों की अवधि में यूआईडी डाटा बेस से इसकी जांच करता है और पुष्टि वाले रिकार्ड को अस्वीकृत रिकार्ड से अलग कर देता है।

ख) अस्वीकृत रिकार्ड स्वत: कार्यक्रम अधिकारी को इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वह क्षेत्रीय स्तर पर इसकी पुन: जांच करे।

ग) कामगारों की सहमति के साथ पुष्टि वाले सभी रिकार्ड सीडिंग करने और डाटा एनपीसीआई मैपर में डालने के लिए बैंकों को भेजे जाते हैं।

घ) मैपर की जांच के बाद बैंक डाटा बेस में आधार से मैप किए गए खातों को एपीबी सिस्टम में परिवर्तित किया जाता है।

अध्याय-15

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत वित्तपोषण

15.1 निधियों की रिलीज

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 22 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति के फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को स्वीकृत श्रम बजट (एलबी), प्रारंभिक शेष, पिछले वर्ष की लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, और समग्र निष्पादन के आधार पर निधियां आमतौर पर दो खेपों में जारी की जाती हैं, जिनमें से एक ट्रैंच में एक से अधिक किश्तें होती हैं। राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को पहली खेप की पहली किश्त वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के के पहले पखवाड़े में जारी की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यक्रम प्रभाग की निधि जारी करने की प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाया गया है। तदनुसार तीन जांच सूचियां - (क), (ख) और (ग) तैयार करके राज्य/सं.रा. क्षेत्रों को परिचालित की गई हैं, जिन्हें आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा/प्रधान सचिव/सचिव, महात्मा गांधी नरेगा प्रभारी विभाग के हस्ताक्षर से निधियों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना होता है।

15.1.1 पहली खेप

पहली ट्रैंच की पहली किश्त को जिलों/राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के समायोजन और लंबित देयताएं, यदि कोई हैं, पर विचार करने के बाद अप्रैल, माह के पहले पखवाड़े में जारी किया जाएगा।

पहली खेप जारी करने के चरण

क) किसी राज्य के श्रम बजट की जांच हो जाने और उसे मंत्रालय तथा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार श्रम की मांग के श्रेणीवार (अर्थात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लाभार्थी) के जिला-वार और माह-वार अनुमान तैयार करेगी।

ख) पहली खेप जारी करने का अनुरोध संशोधित जाँचसूची क एवं ख, 5 अप्रैल तक के विगत वित्तीय वर्ष के अनंतिम यूसी के साथ भेजा जाना चाहिए।

ग) किसी वित्तीय वर्ष के शुरूआती 6 माह के लिए अपेक्षित निधियों या राज्य/सं.रा. क्षेत्र के श्रम बजट के 50%, जो भी कम हो और उसमें से एमआईएस के अनुसार राज्य/सं.रा. क्षेत्र के पास उपलब्ध प्रारंभिक शेष की राशि घटाते हुए शेष धनराशि के आधार पर पहली खेप की धनराशि का आकलन किया जाता है। लंबित देनदारी पर भी विचार किया जाएगा।

घ) चूंकि निधियों के जारी किए जाने का आधार एमआईएस रिपोर्टें होती हैं इसलिए यह आवश्यक है कि समस्त व्यय का ब्यौरा नरेगासॉफ्ट में दर्ज किया जाए। नरेगासॉफ्ट में व्यय का ब्यौरा दर्ज न किए जाने से राज्य के पास उपलब्ध शेष वास्तव में उपलब्ध धनराशि से अधिक होगा और पहली खेप की धनराशि में उतनी ही कटौती हो जाएगी।

ङ) श्रम बजट में प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए और इन्हें परियोजनाओं की अनुमोदित सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

च) राज्य निधि को पहली खेप आगे दर्शाए गए प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की प्रस्तुति की शर्त के अधीन जारी की जाती है:

I. इस आशय का प्रमाणपत्र कि वित्तीय वर्ष 2017 से पहले के वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के सभी जिलों के खातों की जांच व निपटान कर दिया गया है।

II. राज्य/जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों/सुझावों/सलाह/टिप्पणियों का संतोषजनक अनुपालन दर्शाने वाला प्रमाणपत्र।

III. वर्ष के दौरान निधियों का कोई दुरूपयोग/दुर्विनियोजन नहीं पाया गया है।

छ) राज्य नोडल एजेंसी के राज्य नोडल बैंक खाते में केंद्रीय शेयर और समान राज्य हिस्सेदारी प्राप्त होने के बाद।

ज) यदि राज्य को 30 सितम्बर तक मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है तो इस पर अप्रैल से लेकर प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की तारीख के दौरान किए गए कार्य निष्पादन के आधार पर विचार किया जाएगा और तद्नुसार निधियां जारी की जाएंगी।

झ) राज्यों को सामग्री, प्रशासन और अन्य परियोजनाओं के लिए धनराशि कार्यालययी ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगी। व्यय विभाग, भारत सरकार के दिनांक 23.03.2021

15.1.2

(क) पहली ट्रैंच के अंतर्गत किश्तें

पहली ट्रैंच के अंतर्गत किश्तों की मात्रा निम्नलिखित पर आधारित होगी -

i. किश्तें निधियों की उपलब्धता के आधार पर किसी समय पर दो माह के लिए जारी की जाएंगी।

ii. चालू वित्तीय वर्ष के श्रम बजट के अगले दो महीनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित श्रमदिवसों की संख्या किश्तों की धनराशि की गणना का आधार बनेगी।

iii. तथापि, पहली ट्रैंच के अंतर्गत जारी की गई निधि वर्ष के लिए श्रम बजट में स्वीकृत कुल श्रमदिवसों के 50 प्रतिशत के भीतर होगी।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष का समायोजन।

v. लंबित देनदारी, जिसमें राज्य का अधिक अंश शामिल होगा (एमआईएस के अनुसार)।

vi. राज्यों ने संपूर्ण राज्य अंश (संचयी) जारी कर दिया होगा।

vii. वेतन भुगतान के लिए धनराशि जारी करने हेतु किश्तों की राशि एवं संख्या संबंधी कार्यक्रम प्रभाग द्वारा वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार किया जायेगा।

(ख) दूसरी ट्रैंच

दूसरी ट्रैंच राज्य द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने और सभी निर्धारित शर्तों की पूर्ति किए जाने पर जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

द्वारा कुल उपलब्ध निधियों में से 75 प्रतिशत का उपयोग कर लिए जाने के बाद यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दूसरी ट्रैंच का प्रस्ताव 30 सितंबर के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षित यू.सी. की भी आवश्यकता होगी। दूसरी ट्रैंच के अंतर्गत जारी की जाने वाली निधियों की राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर निर्भर करती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभाग प्रमुख के पूर्व अनुमोदन से अनुमोदित श्रम-बजट के भीतर श्रेणीवार (अर्थात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लाभार्थी) के जिला-वार एवं माह-वार श्रम मांग के अनुमानों में संशोधन कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की दूसरी खेप की हक़दारी संशोधित अनुमान पर आधारित होगी।

राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों की दूसरी खेप के लिए प्रस्ताव वार्षिक श्रम बजट की 50 प्रतिशत उपलब्धि के कम से कम 15 दिन पहले प्राप्त हो।

दूसरी खेप जारी करने के चरण

I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला राज्य के पास उपलब्ध कुल निधियों में से 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेने और महात्मा गांधी नरेगा में यथानिर्धारित पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन कर लेने के बाद ही आशोधित जांच सूची क, ख और ग के साथ दूसरी ट्रैंच का समेकित प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

II. इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम की किसी भी निधि का विपथन नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियों का कोई भी गबन या दुर्विनियोजन नहीं किया गया और यदि ऐसा कुछ हुआ हो तो दोषियों को दंडित करने तथा गबन या दुर्विनियोजन की राशि की वसूली करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

III. यदि राज्य वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर के बाद दूसरी किस्त को जारी करने के लिए पात्र हो जाए तो वह राज्य इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि राज्य में सभी जिलों से लेखा परीक्षा रिपोर्टें (एआर) और उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त हो गए हैं तथा सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए हैं। समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी उस प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

IV. यदि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कोई देनदारी लंबित हो तो उसे पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तुलनपत्र में देनदारी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

V. प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए उपयोग प्रमाणपत्र में राज्य के

अग्रिम अंश या राज्य द्वारा लिए गए ऋणों को भी लंबित देनदारी के रूप में दर्शाया जाए।

VI. निधि जारी करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि लेखा परीक्षक की सभी लंबित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया गया है।

VII. केंद्रीय अंश की दूसरी खेप जारी करने के लिए पूर्वापेक्षाओं/दस्तावेजों की जांच सूची (प्रचालन दिशा-निर्देश, 2013 का अनुबंध 27)।

VIII. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अकुशल मजदूरी के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र को श्रेणीवार (अर्थात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लाभार्थी) तरीके से साझा कर सकते हैं।

15.2 प्रशासनिक व्यय

एक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुल व्यय के अधिकतम 6% का उपयोग प्रशासनिक व्यय के लिए किया जा सकता है।

15.3 शिकायतें और निधियों की रिलीज

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27(2) में यह कहा गया है कि 'इस अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं योजनाओं के संबंध में दी गई निधियों के संबंध में किसी विवाद या उन निधियों के अनुचित उपयोग के विषय में कोई शिकायत प्राप्त होने और ऐसे मामले के बारे में पृथमदृष्टया विश्वास होने पर केंद्र सरकार उस शिकायत की जांच स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी एजेंसी से करा सकती है और यदि आवश्यक हो निधियों की रिलीज को रोके जाने के आदेश और निर्धारित समय-सीमा में इसके सुचारू कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

इस अधिनियम की धारा 23 में जवाबदेही से संबंधित प्रावधानों सपठित धारा 27(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) आगे दर्शाए गए तरीके से लागू की जाती है:

15.3.1 शिकायतों संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया

मंत्रालय का महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग मंत्रालय को प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों की जांच करके उन्हें आगे दर्शाई गई श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा:-

क. याचिकाएं - इस योजना के कार्यान्वयन के विषय में सामान्य/गैर विशिष्ट कथन और इस योजना में सुधार से संबंधित सामान्य टिप्पणियां/सुझाव इस श्रेणी में आएंगे, जिनमें निम्नालिखित शामिल होंगे:

i. कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना
ii. मजदूरी दर बढ़ाना
iii. कार्यों इत्यादि की नई श्रेणी शामिल करना

ख. दिशा-निर्देशों की प्रक्रियाओं के उल्लंघन की शिकायतें - क्षमता विकास की कमी, कर्मचारियों की कमी, आयोजना की कमी इत्यादि जैसी कमियों के परिणामस्वरूप होने वाली अनियमितताएं इस श्रेणी में आएंगी। इनमें वे अभिकथन शामिल हैं, जहां कार्यों के समापन में देरी इत्यादि जैसी कोई आपराधिक मंशा नहीं होती है।

ग. अधिनियम के अप्रभावी कार्यान्वययन से संबंधित शिकायतें - इस श्रेणी में इस अधिनियम के आगे दर्शाए गए मुख्य उपबंधों का लंबे समय से और व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किए जाने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी:

i. कार्यों के चयन में ग्राम सभा/वार्ड सभा को शामिल न किया जाना
ii. सामाजिक लेखा परीक्षाएं न कराया जाना
iii. मजदूरी के भुगतान में देरी

घ. वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें - राजकोष को संभाव्य या वास्तविक क्षति से संबंधित कोई ऐसा अभिकथन, जिसमें आपराधिक मंशा शामिल हो, इस श्रेणी में आएगा। ये शिकायतें निम्नानुसार हैं:

i. योजना को गलत तरीके से क्षति पहुंचाने या किसी अन्य पक्ष को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने की मंशा से लागू वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना सामग्री खरीदना।
ii. निधियों का गबन/निधियों का दुर्विनियोजन, नकली मस्टर रोल बनाने, जाली प्रविष्टियां करने इत्यादि सहित वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ी करना।

कार्रवाई

1. श्रेणी (क) से संबंधित मामले राज्य सरकार को न भेजे जाएं और मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों, सरकार के नियमों एवं स्वीकृत नीति के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करेगा।

2. श्रेणी (ख) और श्रेणी (ग) से संबंधित मामलों को शिकायतें प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में राज्य सरकार को भेजा जाएगा। संबंधित राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वे मंत्रालय से पत्र की प्राप्ति की तारीख से 3 महीनों की अवधि में संबंधित स्थान पर की जाने वाली जांच के परिणाम के आधार पर अपनी विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. श्रेणी (घ) से संबंधित मामले भी शिकायतें प्राप्ते होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे कि वे शिकायतों की प्राप्ति की तारीख से 3 महीनों की अवधि में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तथापि, शिकायतों की गंभीरता के अनुसार मंत्रालय कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने की अवधि को कम करके उतनी समयावधि निर्धारित कर सकता है, जितना वह उपयुक्त समझे। विकल्प के रूप में, मंत्रालय यदि उपयुक्त समझे तो शिकायत की जांच किसी केंद्रीय टीम, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता या किसी तीसरे पक्ष से करा सकता है। ऐसे सभी मामलों में, जहां वित्तीय अनियमितताएं सिद्ध हो जाएं, सुनिश्चित किए जाने वाले उपाय इस प्रकार होंगे
   i. गबन की गई निधि/दुर्विनियोजित धनराशि इत्यांदि की वसूली
   ii. दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी,
   iii. दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही।
   iv. निर्वाचित पदाधिकारियों के संबंध में : (क) राज्य पंचायती राज अधिनियम या किसी अन्य संगत राज्य अधिनियम के अधीन निरर्हता/समाप्ति/वसूली की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और (ख) यदि विधिवत प्रक्रिया के बाद वसूली देय हो तो औपचारिक वसूली प्रमाण-पत्र या लिखित आदेश जारी करके वसूली के आदेश दिए जाने चाहिए।

4. श्रेणी (घ) से संबंधित मामलों में जहां राज्य सरकार भारत सरकार के निदेशानुसार कार्य न कर पाएं वहां भारत सरकार अधिनियम की धारा 27(2) के अधीन निधियां रोके जाने सहित उपयुक्त सुधारात्मधक कार्रवाई के लिए निर्णय सचिव (ग्रा.वि.) के अनुमोदन से ले सकती है।

15.3.2 राज्यों में शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना

राज्यो सरकारों को महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी शिकायतों की जांच के लिए शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए।

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में शिकायत करने वालों/अपनी आवाज उठाने वालों के साथ या जांच टीम के अधिकारियों को अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने से रोकने के लिए उन अधिकारियों के साथ बल प्रयोग किए जाने, उन्हें धमकी दिए जाने और

उनके साथ इसी प्रकार की कोई अन्य कार्रवाई किए जाने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि:

क) हिंसा करने, धमकी देने और बल प्रयोग करने जैसे कार्यों के विरूद्ध शीघ्र दाण्डिक कार्यवाही शुरू की जाए तथा सरकारी धन के दुर्विनियोजन और भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दों के विषय में पृथक दाण्डिक मामलों का पंजीकरण किया जाए।

ख) जिला प्रशासन शिकायतकर्ता/अपनी आवाज उठाने वाले और उसके परिजनों तथा विशेष लेखा परीक्षा / सामाजिक लेखा परीक्षा टीम के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए।

ग) कि संबंधित ब्लॉक/मंडल में राज्य सरकार की टीम विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा करे और उसके निष्कर्षों के आधार पर तत्काल वित्तीय वसूलियों के लिए उपयुक्त उपाय शुरू किए जाएं।

15.3.3 मंत्रालय को प्राप्त होने वाली और राज्यों को भेजी जाने वाली शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने से संबंधित प्रक्रिया के विषय में उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रिया के बावजूद इस अधिनियम की अनुसूची-। के पैरा 29 के उपबंध सीधे कार्यक्रम अधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता या राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली शिकायतों पर लागू होंगे।

अध्याय-16

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कौशल विकास एवं क्षमता-निर्माण

महात्मा गांधी मनरेगा योजना कर्मियों का क्षमता-निर्माण और मनरेगा योजना के कामगारों के कौशल विकास एक तरफ जहां इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए है वहीं दूसरी तरफ अकुशल रोजगार के चक्र को तोड़कर बाहर निकलने में मनरेगा कामगारों की मदद करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कर्मियों एवं कामगारों के क्षमता-निर्माण के लिए किए जा रहे उपायों में अन्य के अलावा - बेयरफुट तकनीशियन प्रशिक्षण, क्लस्टर फेसिलिटेशन प्रोजेक्ट (सीएफपी), उन्नति परियोजना, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, सक्षम पर तकनीकी व्यक्तियों का प्रशिक्षण, महिला एसएचजी, सामाजिक लेखा-परीक्षा ईकाइयों के संसाधन व्यक्तियों और एसएचजी से ग्राम संसाधन व्यक्तियों का क्षमता-निर्माण करना शामिल है। राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान एवं राज्य ग्रामीण विकास संस्थान साथ ही विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों के साथ समन्वय करके इन प्रशिक्षण/कौशल विकास कार्यों का उपयोग किया जा सके।

16.1 बेयरफुट तकनीशियन

बेयरफुट तकनीशियनों की पहचान, प्रशिक्षण, तैनाती और भुगतान के लिए दिशानिर्देश

16.1.1 'बेयरफुट तकनीशियन' एक शिक्षित व्यक्ति होता है, जिसे महात्मां गांधी नरेगा के स्थानीय कामगार परिवारों या मेटों/पर्यवेक्षकों में से निर्धारित किया जाता है और जिसे प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करते हुए सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे कि वह कार्यों के निर्धारण और अनुमान, कार्यों के लिए फील्ड में रूप-रेखा बनाना और महात्मा गांधी नरेगा की माप-पुस्तिका में किए गए कार्य की माप का रिकॉर्ड रखने के लिए

आवश्यक कौशल अर्जित करता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को बीएफटी के लिए एक नीति निर्धारित करनी चाहिए।

16.1.2 पात्रता: बीएफटी के चयन के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार होंगे :

क. वह 'सक्रिय' (वर्तमान वित्तीय वर्ष और विगत दो वित्तीय वर्षों में कार्य किया हो) कामगार परिवार/मेट/पर्यवेक्षक/जीआरएस में से एक होना चाहिए।

ख. वह कम से कम 10वीं तक की शिक्षित होना चाहिए और उसका नाम परिवार के जॉब कार्ड में होना चाहिए।

स्थानीय क्षेत्र से बीएफटी को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनु.ज.जाति और महिला अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

16.1.3 पहचान :

क. **ग्राम पंचायतों के कलस्टर की पहचान :** बीएफटी की सेवाओं की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी प्राधिकृत होगा। उपर्युक्त पैरा 16.1.1 में ऊपर उल्लिखित कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इनकी पहचान की जाएगी।

ख. **प्रशिक्षण के लिए बीएफटी की पहचान :** क्षेत्र की पहचान के बाद, चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जा सकता है।

i. राज्ये सरकार मनरेगा परिवारों में परियोजना को लोकप्रिय करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाविधि अपनाएगी।
ii. मौजूदा वर्ष के दौरान मनरेगा में कार्य करने वाले दिनों की संख्या अवरोही क्रम में करके ब्लॉक में सभी सक्रिय जॉब कार्ड परिवारों की सूची बनाई जाएगी।
iii. सक्रिय कामगार परिवारों के सभी इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के लिए चयन किया जाएगा। मेट/पर्यवेक्षकों/जीआरएस की

स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी विचार किया जाएगा भले ही उन्होंने मौजूदा वर्ष में अकुशल मनरेगा कामगार के रूप में कार्य न किया हो।

iv. अभ्यर्थियों का चयन: स्क्रींनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के लिए बीएफटी लक्ष्य का कम से कम 3 गुणा लक्ष्य।

v. अभ्यर्थी की गणितीय योग्यता और तर्क कौशल का निर्धारण करने के लिए उचित स्क्रींनिंग टेस्ट कराना।

vi. स्क्रीनिंग टेस्ट में 40 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।

vii. यदि अधिकतर अभ्यार्थी 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो मनरेगा योजना में कार्यों के दिनों की संख्या के आधार पर तैयार की गई सूची से नए सदस्यों का चयन किया जाएगा और बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा।

viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

16.1.4 कस्टयमाइज्ड मॉड्यूल : बीएफटी के मॉड्यूल में 12 लर्निंग यूनिट और 1 ट्रेनर गाइड होता है। लर्निंग यूनिट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण के दौरान ये 12 लर्निंग यूनिट बीएफटी को नि:शुल्कर उपलब्ध कराई जाएंगी।

16.1.5 प्रशिक्षण : ऐसे अभिज्ञात अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा कर लेने पर अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बीएफटी के रूप में नियुक्त करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रायोजित करेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासीय और 90 दिवसीय अवधि का है।

एनआईआरडी इस प्रक्रिया में मदद करेगा और एसआईआरडी/राज्य सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित किसी अन्य संस्था के साथ कार्य करेगा ताकि मंत्रालय की सहायता से प्रशिक्षण दिया जा सके। निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं:

क) राज्य सरकार निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षुओं को नामित करेगी;

- शिक्षा: बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टैक्नोलोजी/सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या वाटर रिर्सोस इंजीनियरिंग या वॉटर शेड मैनेजमेंट आदि में डिप्लोमा।
- प्रशिक्षण में अनुभव: प्रशिक्षण देने (कम से कम दो वर्ष) का पर्याप्त अनुभव।
- मनरेगा कार्यों की बेहतर जानकारी और मनरेगा कार्यों के कार्यान्वयन का विशेष अनुभव रखना।
- एसआईआरडी/किसी अन्य संस्था से नामांकन पर विचार किया जाए।

ख) मंत्रालय कस्टअमाइज्डं मॉड्यूल में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में मदद करेगा।

ग) एसआईआरडी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करना।

घ) कस्टरमाइज्डग मॉड्यूल के अनुसार एसआईआरडी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था में कम से कम दो प्रशिक्षकों के जरिए 90 दिन का प्रशिक्षण देना।

ङ) केंद्र सरकार डीडीयू-जीकेवाई मानकों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत वहन करेगी और एसआईआरडी को निधियां देगा।

च) संपूर्ण 90 दिनों की अवधि के लिए बीएफटी को 150 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा।

16.1.6 प्रमाण-पत्र : प्रशिक्षण पूरा करने पर भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) मूल्यांकन परीक्षा कराएगी और मूल्यांकन परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षुओं को एनएसक्यूएएफ लेवल-4 की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

16.1.7 रोजगार : राज्य सरकार बेयरफुट टैक्नीशियनों की तैनाती के लिए दिशानिर्देश बनाएगी जिसमें नियुक्ति की विस्तृत शर्तें होंगी। बीएफटी के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के निर्धारित कलस्टरों में बीएफटी को तैनात किया जाएगा।

बीएफटी की तैनाती से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति पर विचार किया जाएगा:

i. एनएसक्यू एफ लेवल-04 के अनुरूप एनएसडीसी-एएससीआई द्वारा जारी किए गए बीएफटी प्रमाण पत्र

ii. 10वीं पास का प्रमाणपत्र

iii. परिवार का मनरेगा जॉब कार्ड

16.1.8 रिपोर्टिंग और निगरानी :

बीएफटी उन जेटीए/टीए/जेई या किसी अन्य व्यक्ति को रिपोर्ट करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। राज्य अपने खुद के निगरानी प्रारूप तैयार कर सकते हैं जिनका उपयोग सुपुदर्गी/कौशलस्त्रों के संबंध में बीएफटी के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

16.1.9 नियुक्ति की शर्तें :

जैसा उचित समझा जाए बीएफटी के लिए अवधि, प्रतिपूर्ति, निष्पादन निर्धारण की शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

16.1.10 बीएफटी को सौंपे गए कार्य : बीएफटी का कार्य पांच गुणा है।

क. मनरेगा योजना के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों की पहयान के संदर्भ में मनरेगा योजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्य का क्षेत्र और प्रकृति का निर्धारण करने; मुख्य जानकारी (भूमि उपयोग, स्वातमित्व) एकत्रित करने आदि और ग्राम सभा में अभ्यावेदन करने के लिए टीए/जेई/एई की सहायता करना।

ख. तकनीकी सर्वे, अनुमानों को तैयार, ड्राइंग, डिजाइन आदि तैयार करके और निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचाय/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक तकनीकि दस्तावेजों को प्रस्तुत

करने के लिए मनरेगा योजनाओं के तहत तकनीकी सर्वे और कार्यों, आयोजना और अनुमान कार्यों का निर्धारण करने में टीए/जेई/एई की सहायता करना।

ग. कार्य अनुसूची जिसमें आवश्यक सामग्री और श्रम इनपुट होते हैं, को तैयार करने और कार्यों की सूची का अद्यतन करके ग्राम पंचायत की सलाह पर कार्य शुरू करने के लिए टीए/जेई/एई की सहायता करना।

घ. कार्यस्थल पर सभी उपयुक्त सुविधाएं दी गई हैं और समय से कार्यों का मापन सुनिश्चित करके कार्य पर्यवेक्षण/निरीक्षण, कार्य स्थंल के प्रबंधन में टीए/जेई/एई की सहायता करना।

ङ. मनरेगा योजनाओं के तहत रिकोर्डों और रजिस्ट्रों के रख-रखाव में सहायता करना।

16.1.11 भुगतानः जैसा भी उचित माना जाए बीएफटी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के भुगतान का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। चूँकि, बीएफटी कुशल व्यक्ति हैं इसलिए भुगतान कुशल श्रम के रूप में किया जाना चाहिए और इस कार्य के सामग्री घटक से पूरा किया जाना चाहिए। भुगतान की प्रक्रिया तकनीकी सहायकों (टीए) जैसी ही होगी।

16.2 उन्नति परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के आधार में उन्नयन करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार की स्थिति से संपूर्ण रोजगार की तरफ बढ़ सकें तथा इससे उनकी महात्मा गांधी नरेगा पर निर्भरता को कम किया जा सके।

16.2.1 इस परियोजना से सर्वाधिक जरूरतमंद महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार होगा। इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे परिवार जिसके एक वयस्क सदस्य (18-45 वर्ष आयु) को प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसने परियोजना के प्रारंभ होने के वर्ष के पूर्ववर्ती एक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा किया है। अभ्यर्थियों का पंजीकरण आधार पहचान के माध्यम से किया जाएगा।

16.2.2 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षण प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम प्रभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग के साथ कृषि मंत्रालय के किसान विकास केंद्रों के बीच तालमेल के माध्यम से आयोजित किए जाएंगें।

16.2.3 ऐसे परिवार जिनके एक अभ्यर्थी का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा, उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार मिलता रहेगा। पात्र परिवारों में 18-35 वर्ष आयु समूह का कोई पारिवारिक सदस्य डीडीयू-जीकेवाई के तहत पात्र होगा। विशेष समूहों के मामले में डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु समूह 45 वर्ष तक होगा। आरएसईटीआई और किसान विकास केंद्रों के लिए पात्र परिवारों का 18-45 वर्ष आयु समूह का सदस्य पात्र होगा।

16.2.4 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को परियोजना के दिशा-निर्देशों के अधीन परियोजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए स्टाईपेंड का भुगतान किया जाएगा।

16.2.5 परियोजना की विस्तृत दिशा-निर्देश "परियोजना यूएनएटीआई दिशानिर्देश दिसंबर 2019" को ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस दिशानिर्देश को निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: (https://rural.nic.in/sites/default/files/nrega/Library/Books/Project_Unnati_Guidelines_Dec_2019.pdf).

16.3 क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी)

क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी) एक तीन वर्षीय परियोजना है जिसका लक्ष्य बेहतर समन्व्य, नियोजन और कार्यान्वयन के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के साथ तालमेल से विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों की पारस्परिक क्रियाओं का लाभ लेने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति के माध्यम से आकांक्षी जिलों/पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी की समस्या का समाधान करना है।

16.3.1 परियोजना के क्षेत्र/दायरा: सीएफपी में 117 आकांक्षी जिलों से अधिकतम 250 ब्लॉक तथा राज्यों द्वारा चयनित अन्य जिलों के पिछड़े क्षेत्रों से 50 ब्लॉक शामिल होंगे।

16.3.2 प्रचालनरत ईकाई: परियोजना की प्रचालनरत ईकाई ब्लॉक है। राज्य सरकार निर्धारित मानदंडों के आधार पर आकांक्षी जिलों और अन्य जिलों के पिछड़े क्षेत्रों से पिछड़े ब्लॉकों की पहचान करेगी।

16.3.3 प्रचालन: इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में विभिन्न स्तरों पर सीएसओ (ब्लॉकों में) अथवा सीधे एचआर एजेंसियों के माध्यपम से भर्ती किए गए आउटर्सोस स्टाफ के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए क्लस्टर ब्लॉक जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनआरएम (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) और आजीविका जैसे विभिन्न डोमेन में विशेषज्ञों की विशिष्ट टीम को रखा जाएगा।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परियोजना के विस्तृत दिशानिर्देश "क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देश 2019" हैं। यह दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: (https://rural.nic.in/sites/default/files/nrega/Library/Books/Cluster_FacilitationProject_Guidelines.pdf).

16.4 तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता-निर्माण/प्रशिक्षण

एनआईआरडी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राज्य तकनीकी संसाधन दल (एसटीआरटी), जिला तकनीकी संसाधन दल (डीटीआरटी) एवं ब्लॉक तकनीकी संसाधन दल (बीटीआरटी) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा कार्यान्वयन के मामले में निर्धारित तकनीकी विशेषज्ञों का संवर्ग तैयार करना है। राज्यों को डीटीआरटी एवं बीटीआरटी तैयार करने और तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार एसटीआरटी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मंत्रालय इसी तरह गणना किए गए अनुसार एनआईआरडी एवं पीआर के माध्यम से निधियां रिलीज करेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल को लगातार अद्यतन किया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, हैदराबाद और केंद्रीय भू-जल बोर्ड के साथ परामर्श से एनआरएम आधारित आयोजना और कार्य के डिजाईन के लिए 'सक्षम' मॉड्यूल

तैयार किया गया है। इनमें जीआईएस आधारित आयोजना के लिए भी संबंधित मॉड्यूल हैं। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में इस विषय पर तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता-निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

16.5 प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन एवं वार्षिक क्षमता-निर्माण योजना तैयार करने की आवश्यकता

जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में लगभग 4.30 लाख कर्मी प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। ऐसे कर्मियों का क्षमता-निर्माण कर्मियों की वास्तविक आवश्यकता के वैज्ञानिक मूल्याकंन के आधार पर किया जाता है जो कि उनके निर्धारित कार्य एवं भूमिका सहित उनके जॉब चार्ट पर आधारित होती है और यह प्रभावी क्षमता-निर्माण योजना तैयार करने के लिए मुख्य है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मियों का प्रशिक्षण आधारित मूल्यांकन करें और वार्षिक क्षमता-निर्माण योजना तैयार करे और उन्हें तदनुसार प्रशिक्षित करें। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास हेतु मंत्रालय के कार्यकलाप की आवश्यकता है तो वे इसके लिए सहायता मांग सकते हैं।

अध्याय-17

सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 2 (छ) में यह कहा गया है कि ‘‘कार्यान्वकयनकर्ता एजेंसी’ में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत या अन्य कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम शामिल हैं या योजना के अधीन किसी कार्य का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

17.1 सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका

सिविल सोसायटी संगठन निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन (सीएसओ) में प्रशासन को सहायता कर रहे हैं:

17.1.1 जागरुकता का प्रचार -प्रसार, मांग का पंजीकरण, ग्राम रोजगार दिवसों का आयोजन, कामगार जुटाना और उनकी क्षमताओं में सुधार करना।

17.1.2 राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और उप-ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास में सहायता प्रदान करना।

17.1.3 ग्राम पंचायत में ग्राम सभावार्ड सभा में परियोजनाओं की सूची के अनुमोदन में सहायता करना।

17.1.4 मंत्रालय ने निदेश दिया है कि इस अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन में सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल किया जाना और श्रम दिवस सृजित करने की

प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हें दिया जाना अवांछनीय है। यह सलाह दी गई कि सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका सुविधाकर्ता की होनी चाहिए।

17.2 विशिष्ट आईडी:

सहायक की भूमिका वाले सिविल सोसायटी संगठन स्व-प्रमाणित ब्यौरों के साथ नीति आयोग के एनजीओ-भागीदारी (एनजीओ-पीएस) पोर्टल में साईन-अप करना चाहिए और एक विशिष्ट आईडी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस विशिष्ट आईडी का उल्लेख एनजीओ द्वारा प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सभी पंजीकृत एनजीओ को पोर्टल पर प्रतिवर्ष अपना डाटाबेस अपडेट करना चाहिए।

17.3 सहयोगी सम्बद्धता:

पंजीकृत एनजीओ में से महात्मा गांधी नरेगा के राज्य कार्यक्रम समन्वायकर्ता एसपीसी)/आयुक्त पात्र संगठनों को शामिल करने के लिए पहचान सकते हैं। भागीदारी के फ्रेमवर्क में कार्यक्षेत्र, सुपुर्दगी योग्य, समयसीमाओं और वित्तीहय व्यवस्थाओं का स्पष्ट ब्यौत दर्शाया जाना चाहिए। सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य कार्यक्रम समन्वयकर्ता (एसपीसी)/आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा की है।

17.4 कार्यान्वयन संरचना:

कार्यान्वयन संरचना में सिविल सोसायटी संगठनों का इंटरफेस बेहद आवश्यक है ताकि सिविल सोसायटी संगठन सभी स्तंरों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। सहयोग की ऐसी व्यवस्था में प्रशासन और सामाजिक संगठन दोनों की जवाबदेही शामिल होनी चाहिए।

17.5 समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)

समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और ग्राम संगठन (वीओ) जैसे स्व-सहायता समूह, वॉटरशेड समितियां इत्यादि जमीनी स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए नितांत आवश्यक हैं। सहयोग करने वाले समुदाय आधारित संगठनों के कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

17.5.1 मिशन अंत्योयदय सहित आयोजना प्रक्रियाओं में पंचायती राज संस्थाओं की सूक्ष्म स्तरीय आयोजना में सहायता करना।

17.5.2 ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षक और स्वयंसेवकों की पहचान में मदद करके सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में सहायता करना।

17.5.3 ग्राम पंचायत के कामकाज में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ कार्यस्थल पर संवर्ती सामुदायिक निगरानी कार्य करना।

17.5.4 जन समूह के रूप में मांग के पंजीकरण और शिकायत निपटान के समन्वय के लिए श्रमिक समूहों के गठन में सहायता करना। झारखण्ड में नरेगा सहायता केन्द्र मॉडल एक उदाहरण है।

अध्याय-18

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पुरस्कार

18.1: महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पुरस्कार:

महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिए जाते हैं। पुरस्कारों की अंतिम श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

महात्मा गांधी नरेगा पुरस्कार (श्रेणियाँ: राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत)		
क्र.सं.	राज्य स्तर पर पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की सं.
1	वर्ष 2019-20 के दौरान सुशासन पहलों के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला राज्य	3
2	वर्ष 2019-20 के दौरान समय पर भुगतान उत्पादन (टी + 8) के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला राज्य	3
3	वर्ष 2019-20 के दौरान कार्य पूरा होने की दरों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला राज्य	3
4	वर्ष 2019-20 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से तालमेल और आजीविका लिंकेज के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला राज्य	3
5	वर्ष 2019-20 के दौरान शिकायतों के निवारण के लिए प्रणाली की स्थापना में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला राज्य	2
6	वर्ष 2019-20 के दौरान अस्वीकृत लेन-देन को वापिस शुरू करने की प्रणाली की स्थापना में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला राज्य	2
	कुल	16
7	बैंक के लिए पुरस्कार वर्ष 2019-20 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत समय पर मजदूरी भुगतान के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला प्रायोजक बैंक	1
8	वर्ष 2019-20 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला जिला	15

9	वर्ष 2019-20 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला ब्लॉक	*5*
10	वर्ष 2019-20 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायत	*5*
	कुल	***42***

18.2 पुरस्कारों की रूपरेखा: महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट पर किए गए पुरस्कारों के लिए समग्र रूपरेखा और योजना: nrega.nic.in पर अपलोड की जाएगी।

अध्याय-19

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुसंधान

महात्मा गांधी नरेगा विश्व का सबसे बड़ा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को शुरू हुए एक दशक से भी अधिक समय बीत गया है। बीते वर्षों में नागरिक, सामाजिक संगठनों, नीति निर्माताओं, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों इत्यादि सहित विभिन्न स्टेधकहोल्ड्रों ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच की है। मनरेगा के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के विषय में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से किए गए अनुसंधान कार्य कार्योपरांत मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन के दौरान सुधार दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नितांत आवश्यक रहे हैं। मंत्रालय ने समीक्षा-I और II के दो संकलनों में 60 से अधिक ऐसे अध्ययनों का संकलन और मेटा-विश्लेषण किया है जो महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अनुसंधान अध्ययनों की लागत का वहन मनरेगा के अंतर्गत राज्य के 6% प्रशासनिक व्यय के माध्यम से किया जाता है। मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसंधान/शौक्षिक एजेंसियों के पारदर्शी चयन हेतु राज्य-विशिष्ट प्रक्रियाविधियां अनुसंधान अध्ययन शुरू कराने के लिए कराई जाती हैं।

19.1 अनुसंधान और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए दो तरफा कार्यनीति:

मनरेगा के लिए अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए दोहरी कार्यनीति अपनाई गई है। पहले तो प्रत्येक राज्य को अपने कार्यक्षेत्र और निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दो चुनिंदा विषयों पर अनुसंधान अध्ययन शुरू करने होंगे। दूसरे एनआईआरडी एवं पीआर, मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

कार्यक्षेत्र और उद्देश्य : इन अनुसंधान अध्ययनों के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है:

क) अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता और दक्षता का मूल्यांकन करना।

ख) नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यान्वनयन संबंधी रूकावटों का समीक्षात्मक निर्धारण करना तथा उपयुक्त सिफारिशें करना।

ग) बेयरफुट टेकनीशियन जैसी नई पहलों और परियोजनाओं का आकलन करना।

घ) पानी की कमी वाले ब्लॉकों में जल शक्ति अभियान के दौरान किए गए कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन।

ङ) गंगा नदी की जलधारा के निकट स्थित 57 जिलों में पारंपरिक जल निकायों के पुनरूद्धार के पूरे किए गए कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन।

च) नदी पुनरूद्धार जैसी अपेक्षाकृत बड़ी राज्या पहलों के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिकीय तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें से कुछ पहलों का आकलन करना

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के निष्पादन का आकलन करना

ज) सर्वोत्तम कार्यों तथा मापे जाने योग्य मॉडलों का दस्तावेज संबंधी ब्यौरा तैयार करना।

अध्याय-20

मुख्य कर्मी एवं उनकी भूमिका

महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 18 के अनुसार, "राज्य सरकार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वय और कार्यक्रम अधिकारी को यथा आवश्यक जरूरी स्टाफ एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। मनरेगा के लिए पेशेवरों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य एवं केंद्रीय स्तर" पर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है।''

20.1 ग्राम पंचायत स्तर

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेवारियां शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये जिम्मेवारियां ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी रूप से निभायी जाएं इसलिए 'रोजगार गारंटी सहायक' अथवा 'ग्राम रोजगार सहायक' (जीआरएस) अथवा स्थानीय भाषा में कोई समकक्ष पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। जीआरएस को मनरेगा योजना के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए और उनके कार्य पंचायत सचिव से अलग होने चाहिए। जीआरएस की जिम्मेवारियां निम्नानुसार हैः

क) आवधिक रोजगार दिवस आयोजित करके जागरूकता सृजित करना;
ख) यह सुनिश्चित करना कि सभी वंचित परिवार एवं समुदायों का मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य हेतु उनकी इच्छा जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है।
ग) जॉब आवेदनों, आवेदकों इत्यादि के लिए कार्य के आवंटन हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब-कार्डों का वितरण, तारीख युक्त प्राप्तियों का प्रावधान सुनिश्चित करना।
घ) ग्राम सभा बैठकें एवं सामाजिक लेखा-परीक्षाएं आयोजित कराने में मदद करना।
ङ) आयोजना एवं कार्यों के निष्पादन में समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य सुनिश्चित करना।
च) कार्यस्थल पर निर्धारित मस्टर रॉल में मेट के माध्यम से अपने आप प्रत्येक दिन श्रमिकों की उपस्थिति रिकॉर्ड करना।
छ) भुगतान करने के लिए भरे हुए मस्टर रॉल का समयानुसार प्रस्तुतीकरण।
ज) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के प्रत्येक समूहों के लिए कार्यस्थल पर ग्रुप

मार्क आउट दिए जाएं ताकि कामगार प्रत्येक दिन मजदूरी दर कमाने के लिए दिए जाने वाले आवश्यक आउटपुट के विषय में जान सके।

झ) यह सुनिश्चित करना कि सभी मेट कार्यस्थल पर समय से आएं और केवल कार्यस्थल पर ही निर्धारित मस्टर रॉल में रॉल काल/उपस्थिति लें।

ञ) ग्राम पंचायत स्तर पर 7 रजिस्टरों, केस रिकॉर्ड, जैसे मनरेगा योजना संबंधी सभी दस्तावेजों का रखरखाव करना और यह सुनिश्चित करना कि ये दस्तावेज जन संवीक्षा हेतु आसानी से उपलब्ध है। कामगारों का जॉब-कार्ड भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

ट) चिकित्सा सुविधा, पेयजल एवं शेड जैसी कार्यस्थल सुविधाएं सुनिश्चित करना। यदि किसी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और उनकी संख्या 5 या इससे अधिक है तो शिशुगृह (क्रेच) उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए ऐसी एक महिला कामगार की नियुक्ति की जानी होगी। उस महिला को अकुशल कामगार को दी जाने वाली प्रचलित मजदूरी दर के समकक्ष मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। व्यय को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा।

ठ) मनरेगा योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग को सरल बनाना।

ड) "जीआरएस" जनमनरेगा की विभिन्न विशेषताओं को सुनिश्चित करेगा जो कि पंचायत में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नागरिक केंद्रित मोबाईल एप्लीकेशन है। इस एप को निम्नलिखित लिंक (http://nrega.nic.in/netnrega/janmanrega.htm) से डाउनलोड किया जा सकता है।

ढ) जीआरएस ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित नियोजन सुनिश्चित करेगा और जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत योजना के संबंध में अन्य पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभा के सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श करेगा।

20.2 तकनीकी सहायक

तकनीकी सहायक (टीए) ग्राम पंचायत को कार्यों की पहचान करने और कार्यों का मापन कराने में ग्राम पंचायतों की सहायता करेंगे। टीए को संभावित श्रम की मांग के आधार पर गांवों को एक क्लस्टर के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। टीए जीपी, सीएफटी एवं पीओ को रिपोर्ट करेगा।

तकनीकी सहायक ऐसा सुविज्ञ होना चाहिए जिसे मनरेगा प्रक्रियाओं की समझ हो और जो विभिन्न मनरेगा कार्यों के साथ अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए।

वह वाटरशेड विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि, बागवानी इत्यादि से संबंधित कार्यों के अनुमान और मापन में प्रशिक्षित होना चाहिए। तकनीकी सहायक की मुख्य जिम्मेवारियां निम्नलिखित होंगीः

क) कार्य के संबंध में ग्राम सभा प्रस्ताव के अनुसार कार्यों के प्रकार की पहचान।
ख) मानक निर्धारित टैम्पलेट में कार्यों के लिए अनुमानों की तैयारी।
ग) मस्टर रॉल बंद हो जाने के बाद तीन दिनों के भीतर शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए साप्ताहिक आधार पर मापन की जानकारी प्राप्त करना।
घ) कार्य की गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार रहना।
ङ) मापन पुस्तकों का रखरखाव।
च) मापन एवं कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में मेट, बीएफटी और जीआरएस का मार्गदर्शन करना।
छ) मेट, बीएफटी एवं जीआरएस की तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करना।
ज) ग्राम पंचायत की जीआईएस आधारित आयोजना बनाने के लिए जिम्मेवार है।
झ) ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित योजनाओं की उचित तैयारी सुनिश्चित करना। जीआईएस योजनाओं से अपेक्षित है कि वे ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनाओं के अनुमेय कार्यों को आवश्यक मात्रा में करने के लिए पर्याप्त हों।
ञ) तकनीकी सहायक क्षेत्र सर्वेक्षण के साथ-साथ भुवन पोर्टल के विषयगत मानचित्रों के अनुसार जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत नियोजन के लिए जिम्मेदार होगा। ड्राफ्ट के साथ-साथ अंतिम अनुमोदित जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने के पश्चात वह पीआरआई और ग्राम सभा के सदस्यों के साथ योजना पर चर्चा करेगा।
ट) यह सुनिश्चित करना कि मनरेगा योजना की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद जीपी की जीआईएस आधारित योजना से कार्यों की सूची का चयन किया जाए।

20.3 ब्लॉक स्तर

ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) की रैंक तक के कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) को ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी एक पूर्ण-कालिक समर्पित अधिकारी होगा जो ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए कार्य करेगा।

पीओ की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि जो कोई भी कार्य हेतु आवेदन करता है उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त करना है। पीओ के अन्य मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

i. संवीक्षा के बाद ग्राम पंचायतों से प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों का ब्लॉक प्लान में समेकन और इसे जांच एवं समेकन हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
ii. ब्लॉक योजना के भीतर कार्यों से सृजित होने वाले रोजगार अवसरों का ब्लॉक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य की मांग के साथ मिलान।
iii. कार्य की मांग का मूल्यांकन करने के लिए बेसलाईन सर्वेक्षण सुनिश्चित करना।
iv. कार्यों का निर्धारण एवं आयोजना, आयोजना में सहायता करना, व्यवहार्यता, कार्यस्थल का चयन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों का निष्पादन।
v. ब्लॉक में ग्राम पंचायतो एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण।
vi. सभी श्रमिकों को मजदूरी का शीघ्र एवं निष्पक्ष भुगतान एवं यदि रोजगार समय पर नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करना।
vii. प्राप्त, रिलीज किए गए और उपयोग में लाए गए संसाधनों के उपयुक्त खातों का रखरखाव।
viii. ब्लॉक के भीतर शिकायतों का समाधान करना। कार्यक्रम अधिकारी शिकायत रजिस्टर में प्रत्येक शिकायत की प्रविष्टि करेगा और तारीखयुक्त एवं संख्या वाली पावती जारी करेगा। पीओ के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली शिकायतों को पीओ द्वारा निपटाया जाएगा या फिर शिकायतकर्ता को सूचना देने के 7 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच के बाद संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा।
ix. मनरेगा विशेष गणक अधिकारी (एमएसई) का पंजीकरण एवं जियो-टैगिंग के लिए फोटोग्राफ का संतुलन।
x. यह सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक जानकारी और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के रिकॉर्ड जैसे 7 रजिस्टर, जीएस प्रस्ताव, केस रिकॉर्ड, विगत सामाजिक लेखा-परीक्षाओं संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट, रजिस्टर कराई गई समस्या अथवा शिकायतों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
xi. सामाजिक लेखा-परीक्षाएं आयोजित करना और सुनिश्चित करना और आवश्यक कार्रवाई के संबंध में अनुपालन करना।
xii. यह सुनिश्चित करना कि ऐसे किसी दस्तावेज को जिसकी आवश्यकता सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई (एमएयू) को सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं कराने के लिए है, उन्हें अपेक्षित प्रारूप में उचित रूप से मिलान किया गया है; और इसे ग्राम सभा की बैठक की तय तारीख से कम से कम 15 दिन पहले ही सामाजिक

लेखा-परीक्षा कराने में मदद करने के लिए एसएयू को फोटोकॉपी सहित उपलब्ध कराया गया है।

xiii. नए खाते खोलने, आधार सीड़िंग करने और श्रमिकों को नियमित एवं समयबद्ध भुगतान करने के लिए बैंकों एवं डाकघरों के साथ संपर्क।

xiv. ब्लॉक में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में मदद करने में शामिल सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ औपचारिक मासिक बैठकें आयोजित करना।

xv. ब्लॉक में ग्राम पंचायत की जीआईएस आधारित योजना तैयार करने के लिए सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना।

xvi. ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में नागरिक केंद्रित मोबाईल एप्लीकेशन जनमनरेगा को लोकप्रिय बनाना। निम्नलिखित लिंक से एप को डाउनलोड किया जा सकता हैः (http://nrega.nic.in/netnrega/janmanrega.htm)।

xvii. पीओ डीपीसी के लिए जवाबदेह है। उसके अधीन पीओ एवं स्टाफ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेवार होगा और मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य हेतु उत्तरदायी होगा।

20.4 जिला स्तर

राज्य सरकार डीपीसी नियुक्त करती है जो या तो जिला पंचायत (डीपी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर (डीसी) अथवा अन्य किसी उपयुक्त रैंक का जिला-स्तरीय अधिकारी हो सकता है। डीपीसी जिले में मनरेगा, 2005 में किए गए प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा।

डीपीसी निम्न कार्य करेगी:

i. अपने कार्यों को करने में डीपी की मदद करेगा।

ii. ब्लॉक पंचायत योजनाएं प्राप्त करेगा और डीपी द्वारा अनुमोदन हेतु जिला योजना में समावेशन हेतु अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों सहित उन्हें समेकित करेगा।

iii. परियोजना की सूची को समयबद्ध स्वीकृति देगा।

iv. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जोड़ी गई नई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले सुधार हेतु प्रस्तुत किया जाए और संबंधित जीएस द्वारा प्राथमिकता निर्धारित की जाए।

v. डीपीसी यह सुनिश्चित करेगा कि मनरेगा योजना के श्रम बजट के राष्ट्रीय

संसाधन प्रबंधन घटक को जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) का आवश्यक रूप से हिस्सा बनाया जाए।

vi. बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ तालमेल के लिए संभावित मार्गों का निर्धारण करना।

vii. भुगतान हेतु एफटीओ की समयबद्ध प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना।

viii. यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी हक़दारियों के अनुसार मजदूरी की मांग करने वालों को कार्य दिया जाए।

ix. मनरेगा योजना कार्यों के संबंध में पीओ एवं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के निष्पादन की समीक्षा, निगरानी एवं पर्यवेक्षण।

x. चल रहे कार्यों के आवधिक निरीक्षण आयोजित कराना और कराने के लिए प्रेरित करना एवं मस्टर रॉल का सत्यापन कराना।

xi. यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मामले में जहां प्रथम दृष्ट्या दुर्विनियोजन अथवा वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य है उन मामलों में प्राथमिकता सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाए।

xii. पूरे जिले में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां नियुक्त करते समय यह ध्यान में रखें कि 50% मूल्य वाले कार्यों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां ग्राम पंचायत हों।

xiii. अनुसूची-II में शिकायत निपटान के संबंध में दिए गए उत्तरदायित्व को निभाना।

xiv. जिले में मनरेगा योजना के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान आयोजित करना।

xv. जिले में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना।

xvi. राज्य सरकार को आर्थिक प्रगति एवं अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करना।

xvii. यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक लेखा-परीक्षा सभी ग्राम पंचायतों में 6 माह में एक बार की जाती है और सामाजिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।

xviii. यह सुनिश्चित करना कि जे.सी. जारी करना, कार्य हेतु आवेदनों की रिकोर्डिंग, कार्य का आवंटन, मजदूरी पर्ची निकालना एवं निधि अंतरण आदेश (एफटीओ), किए गए कार्य से संबंध प्रविष्टियां, मजदूरी का विलंब से भुगतान और बेरोजगारी भत्ता सहित सभी लेनदेन केवल नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किए जाते हैं।

xix. यह सुनिश्चित करना कि कार्यों की सूची के ब्यौरे, जीपीएस कोऑर्डिनेट, कार्यान्वयन की स्थिति, तीन विभिन्न चरणों में कार्यों के फोटोग्राफ, पूरी की गई परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग को प्रत्येक आवश्यक चरण में नरेगा सॉफ्ट/भुवन में दर्ज किया जाता है। कार्य के पूरा होने से संबंधित जानकारी को

जितना जल्दी हो दर्ज किया जाना चाहिए किंतु किसी भी मामले में कार्य पूरा होने के 30 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए।

xx. यह सुनिश्चित करना कि मनरेगासॉफ्ट में सभी आवश्यक प्रविष्टियां संबंधित विभागों सहित सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है।

xxi. जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित योजनाओं की उचित तैयारी सुनिश्चित करना। जीआईएस योजनाओं से अपेक्षित है कि वे ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनाओं के अनुमेय कार्यों को आवश्यक मात्रा में करने के लिए पर्याप्त हों।

xxii. यह सुनिश्चित करना कि मनरेगा योजना की उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद जीपी की जीआईएस आधारित योजना से कार्यों की सूची का चयन किया जाए।

xxiii. जिले के सभी ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में नागरिक केंद्रित मोबाईल एप्लीकेशन जनमनरेगा की लोकप्रियता सुनिश्चित करना।

अध्याय-21

सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट (एसईसीयूआरई)

सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट (एसईसीयूआरई)

एसईसीयूआरई (सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट), सॉफ्टवेयर पीआरआईसीई (प्रोजेक्ट इंफोरमेशन एण्ड कॉस्ट एस्टीमेशन) का संशोधित रूप है जिसका उपयोग पीडब्ल्यूडी, केरल सरकार में अनुमान तैयार करने और उसे मंजूरी देने के लिए उपयोग किया गया था। मनरेगा स्टेट मिशन केरल और एनआईसी दोनों ने मिलकर महात्मा गांधी नरेगा की आवश्यकता के अनुसार एसईसीयूआरई सॉफ्टवेयर को विकसित किया और इसका उपयोग अनुमान तैयार करने के लिए केरल द्वारा किया जा रहा था।

मंत्रालय द्वारा अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दरों की सूची में विविधता और समानता को ध्यान में रखते हुए मनरेगा मजदूरी के निर्धारण पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 01 मई, 2017, 28 जून, 2017 और 27 जुलाई, 2017 को आयोजित तीन बैठकों में उपर्युक्त विषय पर चर्चा की। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एनआईसी केरल द्वारा तैयार की गई कार्य आकलन संबंधी प्रक्रियाविधि को दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाएगा जिससे कि त्रिवेन्द्रम, केरल में कार्यशाला में इस संबंध में उनके विचार प्राप्त किए जा सकें। बैठक में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी मनरेगा कार्यों का आकलन तैयार करने के लिए एसईसीयूआरई को अपनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया और राज्य विशिष्ट कार्यों तथा दरों के अनुरूप सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाएगा।

आकलन तैयार करने की प्रक्रियाविधि का कार्यक्षेत्र कार्य पर आधारित वेब अनुप्रयोग तैयार करना था जिसमें आकलन तैयार करना और अनुमान तैयार करने के प्लेटफॉर्म (एसईसीयूआरई) पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लिए एएस और टीएस पर्ची तैयार करना शामिल था। ये आकलन राज्य/जिला या ब्लॉक के लिए डाले गए मदों की मानक

दरों पर आधारित थे और विभिन्न प्रकार के कार्यों के मानकीकृत विशेष उल्लेख से जुड़े थे। एसईसीयूआरई प्लेटफॉर्म पर अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और ऑनलाइन मंजूरी (टीएस/एएस) दी जा रही है। एसईसीयूआरई प्लेटफॉर्म से वेब सेवाओं के जरिए मनरेगा सॉफ्ट में क्रियाकलाप के ब्यौरे, एएस तथा टीएस के ब्यौरे डाले जा रहे हैं (मैन्युअल रूप से किसी भी ब्यौरे की प्रविष्टि नहीं की जाती)।

21.2 सिक्योर के लाभ

1. समय की बचत करने वाली प्रक्रिया:

जब आकलन मैन्युअली रूप से तैयार किए जाते थे, उस समय आकलन तैयार करने की कोई मानक रूप-रेखा नहीं थी। अब तक नया आकलन तैयार करना, एक जैसे आकलन की पुनरावर्ती अथवा किसी आकलन में सुधार करना अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। भौतिक रूप से आकलन तैयार करने की प्रक्रिया में गलती होने की भी संभावना रहती थी। एसईसीयूआरई के जरिए रूप-रेखा का प्रावधान करके इस प्रक्रिया को मानक रूप दे दिया गया है और इसके साथ ही आकलन तैयार करने तथा रिकार्ड रखने की संपूर्ण प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। अनुमान तैयार होते ही एसईसीयूआरई सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी भी दी जा सकती है। तैयार किए गए आकलन को मंजूरी देने वाले विभिन्न प्राधिकरणों के पास भौतिक रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह यह मंजूरी देने की प्रक्रिया को और तेज बनाता है।

2. ढूंढ़ने में आसान:

कार्य अनुमान ऑनलाइन तैयार किए जाते हैं और वे एसईसीयूआरई प्लेटफार्म पर सभी उपयोग करने वालों के लॉगइन में उपलब्ध हैं जिसे प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी समय देखा जा सकता है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता किसी भी मनरेगा योजना कार्य के आकलन की स्थिति देख सकता है।

3. पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि:

स्थानीय बाजार दरों (एलएमआर) की प्रविष्टयों में सुधार करने/बदलाव करने, एसओआर तैयार करने, अनुमान तैयार करने से लेकर अनुमान को स्वीकृति देने/अस्वीकृत करने

तक के प्रत्येक स्तर पर अनुमान तैयार करने वाले और उसे मंजूरी देने वाले का ब्यौरा रखा जा रहा है और उसे किसी भी समय देखा जा सकता है। इससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनती है तथा आकलन की प्रक्रिया में सभी स्टेकहोल्डरों की जवाबदेही बढ़ती है।

4. रिपोर्ट और विश्लेषण:

सिक्योर में कई रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं जैसे सार, सामान्य सार, क्रियाकलाप सार, विस्तृत अनुमान जिनका उपयोग तैयार किए गए परिवर्तनशील अनुमान का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।

21.3 हितधारक तथा अपेक्षित कौशल

इस प्रक्रिया में निम्नलिखित हितधारक शामिल हैं:

क. राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ: राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित और निगरानी करने की होगी। राज्य प्रकोष्ठ में एक दल की जिम्मेदारी एनआईसी के साथ समस्याओं को दूर करने की होगी। सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले राज्य प्रकोष्ठ के अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। सिक्योर के प्रयोक्ता प्रबंधन के तौर-तरीके निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य नरेगा प्रकोष्ठ की होगी।

ख. जिला स्तर: जिला स्तर पर ऐसे सभी प्रयोक्ता जो आकलन तैयार करने और उसे मंजूरी देने (जहां कहीं अनुमोदन देने वाला प्राधिकारी जिला स्तर पर हो) का हिस्सा हैं उन्हें महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी स्तरों और प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। राज्य के मनरेगा योजना का प्रभारी आयुक्त इस सॉफ्टवेयर को उपयोग करने से पहले सभी अधिकारियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा।

ग. ब्लॉक स्तर: ब्लॉक स्तर पर ऐसे सभी प्रयोक्ता जो आकलन तैयार करने और उसे मंजूरी देने (जहां कहीं अनुमोदन देने वाला प्राधिकारी ब्लॉक स्तर पर हो) का हिस्सा हैं उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों का आकलन तैयार करने और उन्हें मंजूरी देने

की प्रक्रिया से जुड़े सभी स्तरों और प्रक्रियाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और इंटरनेट सरफिंग का ज्ञान होना चाहिए। डीपीसी, इस साफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले ब्लॉक से सभी अधिकारियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। उन्हें इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

घ. ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत में ऐसे सभी प्रयोक्ता, जो आकलन तैयार करने और उसे मंजूरी देने का हिस्सा हैं (जहां कहीं मंजूरी देने वाला प्राधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर हो) उनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने का अनुभव होना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले सभी उपयोग करने वालों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पीओ, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले ग्राम पंचायत के सभी अधिकारियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। उन्हें अनुमान तैयार करने की प्रणाली तथा सिस्टम में मंजूरी देने से जुड़ी प्रक्रिया की अच्छी समझ होनी चाहिए।

21.3.1 आवश्यक सिस्टम

एसईसीयूआरई के लिए आवश्यक बुनियादी सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर सिस्टम है। यह सॉफ्टवेयर हर तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, आईओएस इत्यादि के लिए अनुकूल है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी इत्यादी जैसे किसी भी ब्राउजर के जरिए इस तक पहुंचा जा सकता है।

21.4 सिक्योर का सिहांवलोकन

21.4.1 कार्य की निरंतरता (नरेगा सॉफ्ट से सिक्योर और सिक्योर से भुवन तक)

जब प्रस्तावित कार्य को नरेगा सॉफ्ट में डाला जाता है तब उसे वेब सर्विसेस के जरिए एसईसीयूआरई प्लेटफॉर्म में भेजा जाता है। तत्पश्चात कार्य को लॉगइन करने के बाद एसईसीयूआरई में आकलन तैयार करने वाले के खाते में उपलब्ध कराया जाता है। आकलन तैयार करने वाले को ऑनलाइन आकलन तैयार करना होता है और स्थल मानचित्र, स्थल का संगत चित्र और फोटोग्राफ डालना होता है (कार्य शुरू होने से पहले)।

आकलन तैयार होते ही आकलन तैयार करने वाले को उसे पहले स्तर की मंजूरी के लिए भेजना चाहिए (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित कार्य की निरंतरता के आधार पर तकनीकी या प्रशासनिक मंजूरी के लिए)। पहले स्तर की मंजूरी मिलने के बाद इसे दूसरे स्तर की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है (तकनीकी या प्रशासनिक मंजूरी के लिए)। दूसरे स्तर की मंजूरी के बाद सभी कार्यकलाप, कार्य के एएस/टीएस ब्यौरे वेब सर्विसेस के जरिए नरेगासॉफ्ट में भेजे जा रहे हैं। नरेगासॉफ्ट में सभी आवश्यक आंकड़े होते हैं और डीपीआर स्वत: ही चली जाती है। नरेगासाफ्ट से संग्रहीत कार्य को भुवन में भेजा जा रहा है और जियोटैगिंग के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

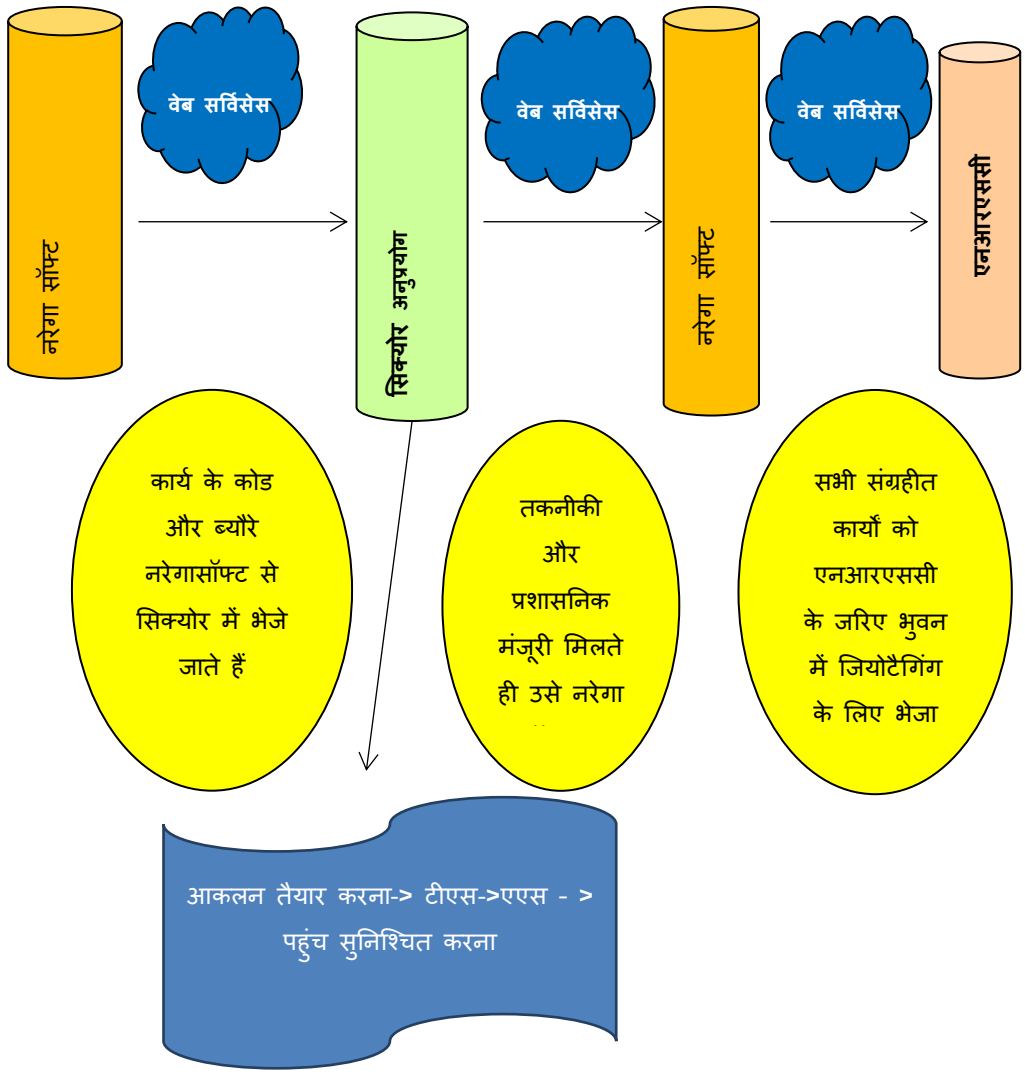

21.4.2. प्रयोक्ता पहुंच का स्तर

1. ग्राम पंचायत स्तर के प्रयोक्ता:

ग्राम पंचायत स्तर के मान्यता प्राप्त अभियंता/ओवरसियर/तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता/निर्माण सहायक/ सहायक अभियंता/पंचायत सचिव/सरपंच (ग्राम प्रमुख)।

2. ब्लॉक स्तर के प्रयोक्ता:

ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी/सहायक अभियंता/मान्यता प्राप्त अभियंता/तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता।

3. जिला स्तर के प्रयोक्ता:

डीपीसी (जिला कार्यक्रम समन्वयक), कार्यकारी अभियंता/जिला स्तरीय अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता।

4. राज्य स्तर के प्रयोक्ता:

आयुक्त/निदेशक मनरेगा, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता।

5. प्रशासन प्रयोक्ता:

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य एवं जिला प्रशासन प्रयोक्ता।

21.5 सिक्योर में कार्यकलाप

21.5.1 वेब सर्विसेस के जरिए महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस से प्राप्त कार्य

कार्यों की सूची की मंजूरी के बाद, कार्य का नाम और कार्य का कोड जैसे कार्य से संबंधित ब्यौरे महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस से एसईसीयूआरई में प्राप्त किए जाते हैं जो आकलन तैयार करने के लिए प्रयोक्ताओं को लिए उपलब्ध होंगे।

21.5.2 प्रयोक्ता प्रबंधन

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्य की निरंतरता के अनुसार दी गई जिम्मेदारी और शक्ति के अनुरूप आकलन तैयार करने/मंजूरी देने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए अलग-अलग स्तरों पर प्रयोक्ता बनाए जा सकते हैं।

21.5.3 एलएमआर/एसओआर/विनिर्देशन तैयार करना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला या ब्लॉक स्तर के लिए एक जैसा एसओआर या अलग-अलग एसओआर रख सकते हैं। कुछ स्थानीय सामग्रियां भी हो सकती हैं जिनका उल्लेख सामग्री की मानक सूची में नहीं किया गया हो और जिनका उपयोग कार्य के निष्पादन के लिए किया जा सकता है और उन्हें आकलन तैयार करते समय स्थानीय सामग्री/बाजार दर के रूप में दर्ज किया जा सकता है। सिक्योर में नया एलएमआर दर्ज करने, एसओआर तैयार करने का प्रावधान है।

21.5.4 आकलन तैयार करना

नरेगासॉफ्ट एमआईएस से प्राप्त प्रत्येक कार्य के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला पंचायत स्तार पर कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा ऑनलाइन आकलन तैयार किए जाते हैं। ये आकलन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट एसओआर विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर तैयार के जाते हैं। विस्तृत आकलन, चित्र, रेखाचित्र, आंकड़ा विश्लेषण, सामग्री सूची, कार्यस्थल का फोटोग्राफ भेजा जाता है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट कार्य की निरंतरता के अनुसार तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी दी जा सके।

21.5.5 पुनर्गणना

जब कभी स्थानीय बाजार की दर/एसओआर बदलते हैं, तो पहले से ही तैयार कर लिए गए और मंजूरी की प्रक्रिया के अधीन आकलन की एएस/टीएस मंजूरी प्राप्त करने से पहले पुनर्गणना करनी होगी। यदि बदलाव भौतिक रूप से किए जाते हैं, तो समय लगने वाली प्रक्रिया है, एसईसीयूआरई इस प्रक्रिया को सिस्टम में एक क्लिक के साथ आसान बना देता है। यह संशोधित एलएमआर/एसओर प्रविष्टियों के अनुसार आकलन की स्वत: ही पुनर्गणना कर देगा।

21.5.6 ऑनलाइन अनुमोदन

तकनीकी मंजूरी और प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए पदनामित व्यक्ति उनके स्तर पर सौंपे गए आकलन की जांच कर सकते हैं और उसे अनुमोदन दे सकते हैं।

21.5.7 आकलन खोजना

खोजने की विशेषता अधिकारियों को अभियंता द्वरा तैयार किए गए आकलनों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और उसकी हिस्ट्री को फाइल कर सकते हैं।

21.5.8 प्रशासन

प्रयोक्ता तैयार करने, कार्यालय प्रबंधन और एलएमआर/एसओआर के आंकड़े की प्रविष्टि, राज्य विशिष्ट आंकड़ों की प्रविष्टि तथा समाचार और सरकारी आदेश डालने के तौर-तरीके का प्रबंधन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मनरेगा प्रकोष्ठों द्वारा किया जाएगा।

21.6 आकलन तैयार करना

21.6.1 एलएमआर/एसओआर/विनिर्देशन तैयार करना

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास राज्य के लिए अथवा जिले/ब्लॉक-वार दरों की सूची रखने का विकल्प है।

दरों की सूची के विभिन्न शीर्ष निम्नानुसार हैं:

1) प्लांटों का किराया प्रभार

2) श्रमिक (अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल)

3) सामग्रियां (मानकीकृत सामग्रियों की बाजार दर + स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री)

4) वाहन नियमावली

- ✓ सूची में उपलब्ध सामग्रियों की दरों को राज्य, जिला अथवा ब्लॉक के अनुसार बदला जा सकता है।
- ✓ तीन अकुशल श्रमिक अर्थात 0113 चौकीदार, 0114 बेलदार, 0115 कुली की दरों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये दरें वित्तीय वर्ष

के लिए राज्यों की अधिसूचित मजदूरी दर से स्वत: ही ले ली जाएंगी।

- ✓ स्थानीय सामग्री/बाजर दर के लिए भी स्थान है जिन्हें आवश्यकतानुसार दर्ज किया जा सकता है।

21.6.2 एसओआर अद्यतनीकरण/एलएमआर की प्रविष्टि का कार्य प्रवाह

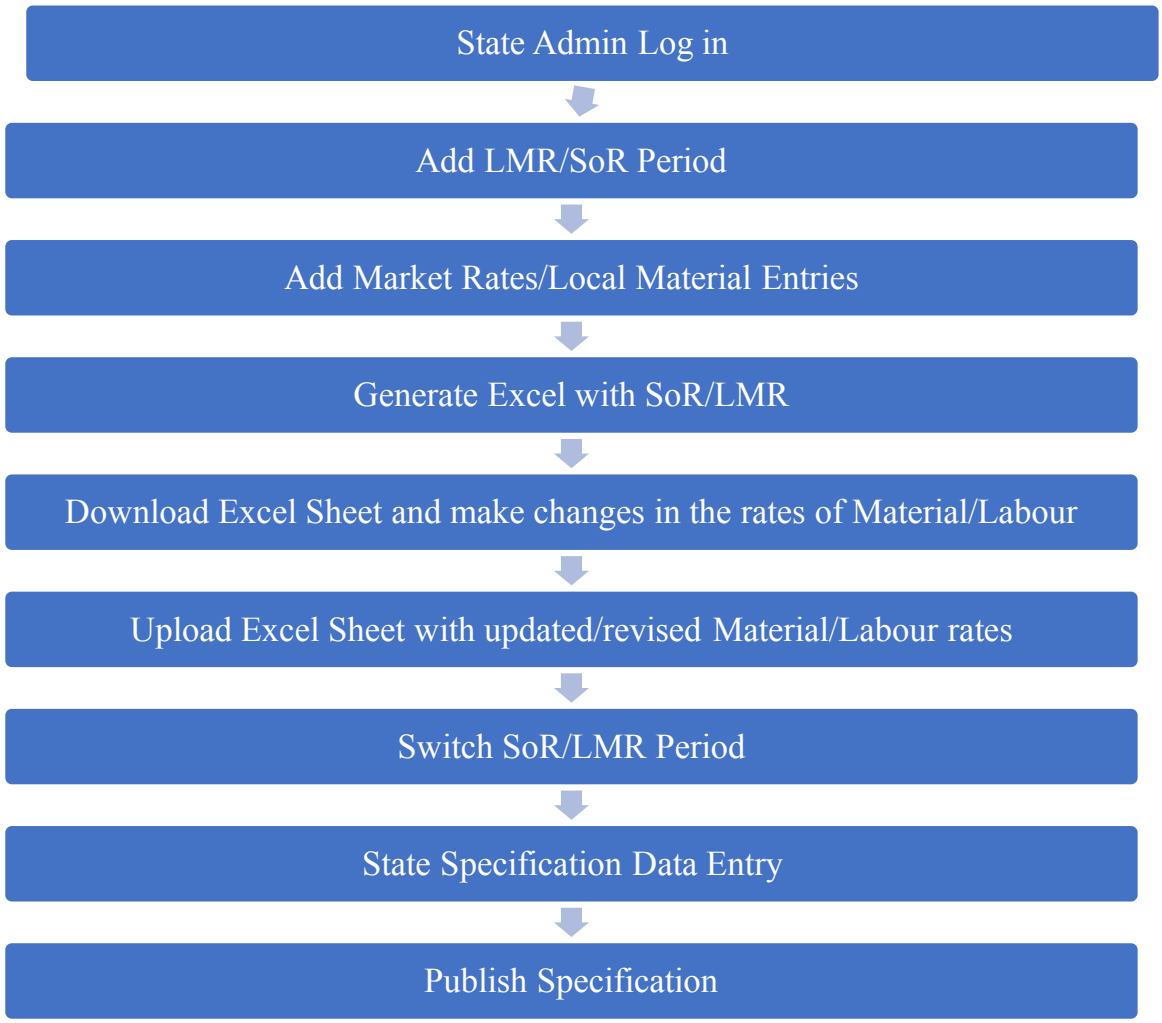

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि:

1. एलएमआर/एसओआर को एक बार अपलोड कर दिए जाने के बाद सामग्री की दरों को एसओआर के लिए निर्धारित की गई अवधि के पूरा होने तक अद्यतन नहीं किया जा सकता।

2. विनिर्देशन को एक बार डाल दिए जाने, प्रकाशित कर दिए जाने और आकलन में उपयोग करने के बाद उसे अप्रकाशित संपादित नहीं किया जा सकता अथवा हटाया नहीं जा सकता।

21.6.3 आकलन तैयार करना

मशीनरी, श्रमिक और सामग्री की दरों से संबंधित प्रविष्टि कर दिए जाने और विनिर्देशन तैयार कर दिए जाने के बाद आकलन तैयार करने वाला क्रियाकलाप जोड़कर और कार्य की माप करके आकलन तैयार कर सकता है। राज्यों द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आकलन तैयार करने वाले से लेकर अंतिम स्तर पर इसे मंजूरी देने वाले की प्रक्रिया एसईसीयूआरई में उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों की आवश्यकता के अनुसार आकलन तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। आकलन तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया निम्नानुसार है:

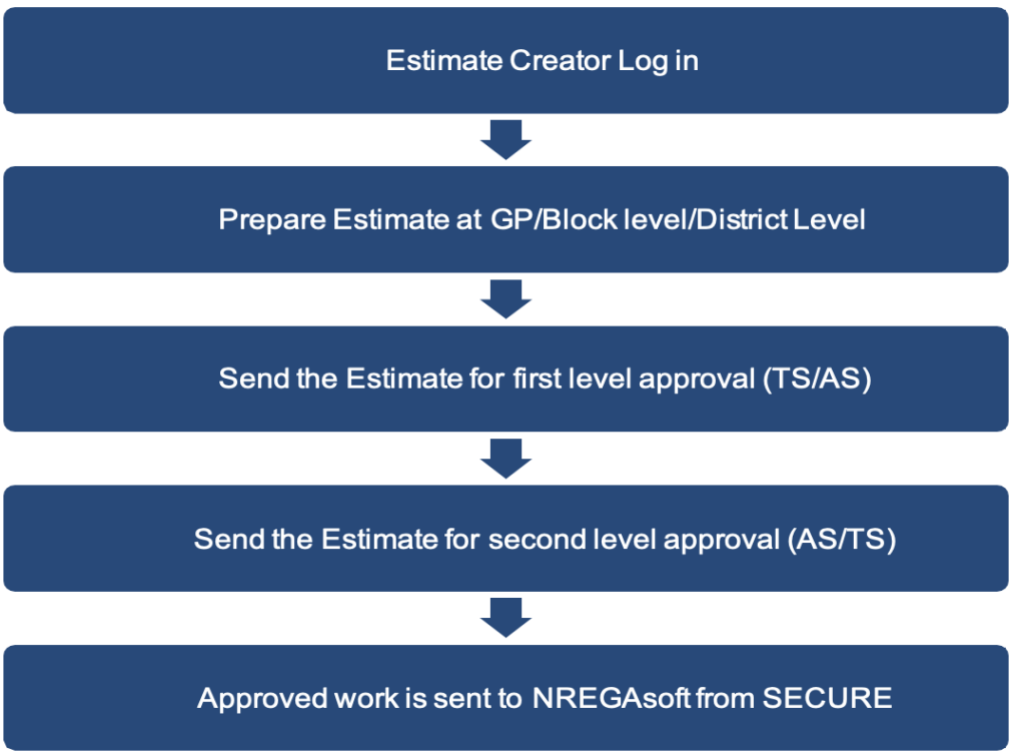

आकलन तैयार करने वाले के लिए नमूने का विकल्प भी उपलब्ध है। यह नमूना राज्य प्रशासन स्तर पर तैयार किया जाता है। आकलन के नमूने को नॉर्मल एण्ड फ्रीज नमूने के रूप में बदला जा सकता है। आकलन तैयार करते समय नॉर्मल नमूनों को संदर्भ के लिए लिया जा सकता

है और उपयोग करते समय कार्य की आवश्यकता के अनुसार उन्हें बदला भी जा सकता है जबकि फ्रीज नमूने, राज्य प्रशासन द्वारा तैयार किए गए मानक नमूने के आकलन नमूने हैं और इनका उपयोग उनमें बिना कोई बदलाव किए आकलन तैयार करने वाले द्वारा सीधे किया जा सकता है। आकलन तैयार करने के लिए संग्रहीत नमूने में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये नमूने जानकारी के आधार के रूप में कार्य करते हैं और इसका उपयोग आकलन तैयार करने वाले द्वारा कई बार किया जा सकता है। ये नमूने आकलन तैयार करने की प्रक्रिया को अप्रशिक्षित अभियंताओं के लिए भी आसान बना देते हैं।

21.6.4 पिछले वर्ष से चल रहे कार्यों का आकलन

प्राय: कई ऐसे कार्य होते हैं जो पिछले वित्त वर्ष में शुरू किए गए होते हैं लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत से पहले पूरे नहीं किए जा सके। भारत सरकार के राजपत्र द्वारा प्रकाशित चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल से पहले लागू मनरेगा की नई अकुशल मजदूरी दर के आधार पर फिर से ऐसे कार्यों के आकलन की गणना करनी होती है। सामग्री/अर्द्धकुशल/अकुशल/श्रम घटक को बदला नहीं जाएगा। एसईसीयूआरई में 'मूव टू स्पिल ओवर' बटन का उपयोग करके पिछले वर्ष से चल रहे कार्यों का फिर से आकलन करने की सुविधा उपलब्ध है जिसे राज्य से कार्य की निरंतरता के प्रकार के अनुसार दूसरे स्तर की मंजूरी देने वाले स्तर पर क्रियाशील बनाया जाएगा।

दो ऐसे मामले हैं जिनमें आकलन तैयार करने वाले के लॉगइन में एक बटन क्रियाशील हो जाएगा

क यदि कार्य का प्रकार पहले एएस और उसके बाद टीएस (एएस-टीएस) है, तो टीएस अनुमोदित फोल्डर में मूव टू स्पिल ओवर बटन काम करना शुरू कर देगा।

ख यदि कार्य का प्रकार पहले टीएस और उसके बाद एएस (टीएस-एएस) है तो एएस अनुमोदित फोल्डर में मूव टू स्पिल ओवर बटन काम करना शुरू कर देगा।

21.6.5 परियोजना निगरानी प्रणाली - पीएमएस

एसईसीयूआरई की परियोजना निगरानी प्रणाली की प्रक्रियाविधि परियोजना से संबंधित सभी प्रश्नों और मुद्दों की ऑनलाइन जानकारी रखने, संभावित समस्याओं का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय करने की है। इससे परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन करने तथा निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने में मदद मिलती है।

21.6.6 नरेगासॉफ्ट पर रिपोर्ट

एमआईएस में आर.24 रिपोर्ट उपलब्ध है जो विभिन्न चरणों में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कार्यों की संख्या की स्थिति को दर्शाती है।

21.6.7 पिछले वर्ष के कार्य की प्रक्रिया विधि

प्रथम मंजूरी वाले पिछले वित्त वर्ष के कुछ कार्य हो सकते हैं जिन्हें चालू वित्त वर्ष में शुरू करने की जरूरत है। इन कार्यों के आकलन के लिए अकुशल कामगारों के लिए मनरेगा की अधिसूचित संशोधित मजदूरी दर के साथ फिर से गणना करना होता है। इस तरह के कार्य 'स्टेट एडमिन' लॉगइन पर उपलब्ध होंगे, जिसमें राज्य प्रशासन पहली मंजूरी (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित कार्यों की निरंतरता के आधार पर तकनीकी या प्रशासनिक) को निरस्त कर सकता है। पिछले वर्ष के कार्यों के लिए पहले अनुमोदन को निरस्त करने की शक्ति को प्रत्यायोजित करने का प्रावधान भी राज्य लॉगइन पर उपलब्ध है। स्टेट एडमिन अनुमान निर्माता लॉगिन तक रद्द करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इस तरह जिन कार्यों की मंजूरी निरस्त की गई है, वे आकलन तैयार करने वाले के संबंधित लॉगइन में फिर से गणना के लिए उपलब्ध होंगे। जिन कार्यों की मंजूरी निरस्त की गई है, वे एस्टीमेट क्रिएटर 'ड्राफ्ट एस्टिमेट्स' फोल्डर में उपलब्ध होंगे।

21.6.8 पुल वर्क्स मॉड्यूल

नरेगासाफ्ट में कार्य कोड बनाने के बाद, कार्य वेब सेवाओं के माध्यम से स्वचालित रूप से सिक्योरसाफ्ट को भेजे जाते हैं। कार्य एस्टीमेट सर्जक के लॉगिन में दिखाई देते हैं। कभी-कभी जब अनुमानों के लिए कार्यों की तत्काल आवश्यकता होती है, तो उपयोगकर्ता सिक्योर में उपलब्ध कार्य 'पुल वर्क्स' मॉड्यूल का उपयोग करके काम को पुल (पुन: प्राप्त) कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में उपयोगकर्ता निर्धारित वेबसर्विस ट्रांसफर से पहले सिक्योरसाफ्ट में नरेगासाफ्ट में उपलब्ध महात्मा गांधी नरेगा कार्यों को पुल (पुन: प्राप्त) कर सकता है। उपयोगकर्ता को मॉड्यूल में ग्राम पंचायत कोड या ब्लॉक कोड दर्ज करना होगा और मॉड्यूल नरेगासाफ्ट से

सिक्योरसाफ्ट द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी उपलब्ध कार्यों को पुल (पुन: प्राप्त) कर लेगा। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्टेट एडमिन लॉगइन में पुल (पुन: प्राप्त) किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

21.6.9 आकलन मॉड्यूल का संशोधन

स्वीकृत कार्य की आवश्यकता या साइट की स्थिति में परिवर्तन के मामले में, कार्य अनुमान बदल जाएगा और इसमें संशोधित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में अनुमानों को संशोधित किया जाता है और संशोधित अनुमानों पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ऐसे मामलों में, कार्य अनुमान जो सिक्योर के माध्यम से अनुमोदित हैं अनुमान के संशोधन के मॉड्यूल का उपयोग करके संशोधित अनुमान के लिए संशोधित और पुन: अनुमोदित किए जा सकते हैं। अनुमोदित अनुमान के संशोधन के लिए प्रक्रिया चरण निम्नानुसार है:

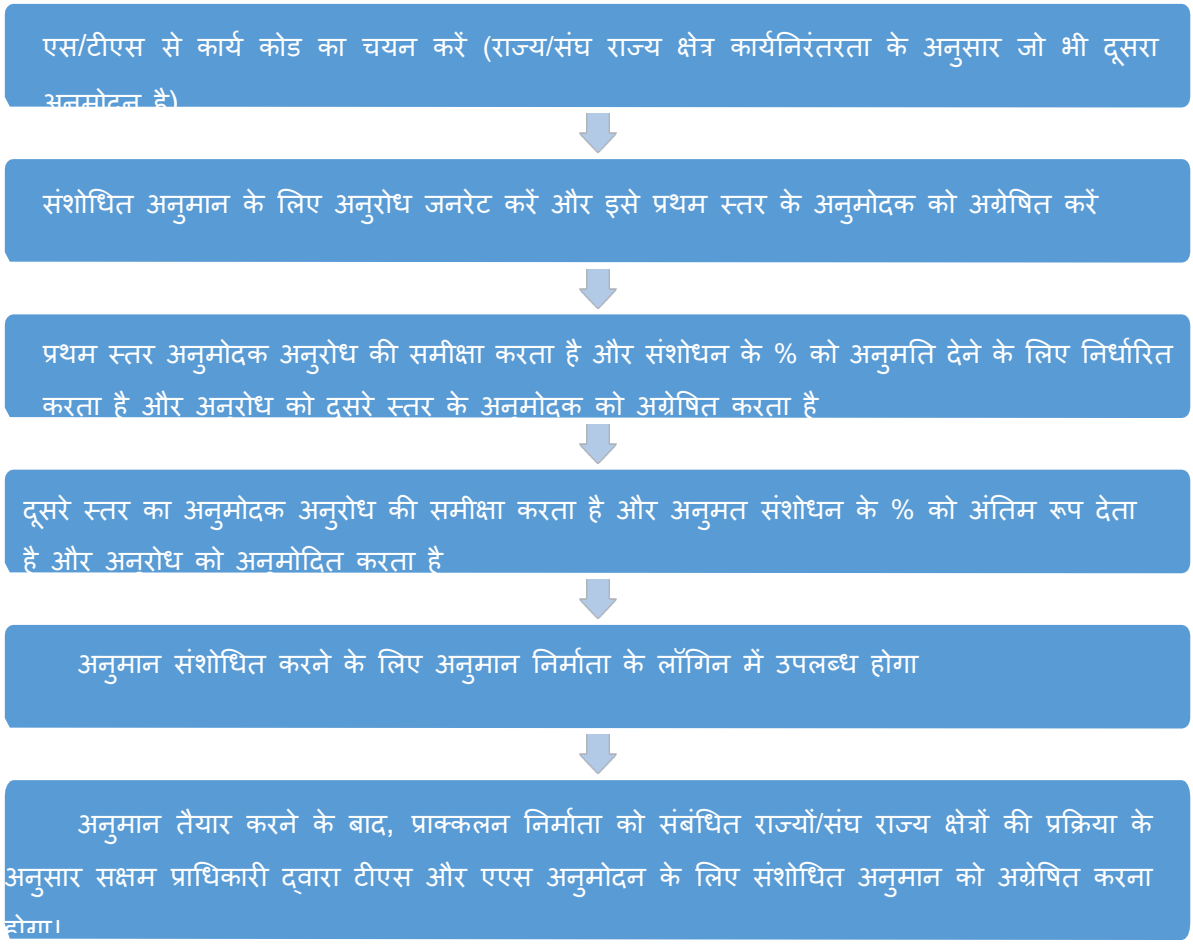

इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि:

1. एक बार चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित अनुमानों को मॉड्यूल का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है।

2. वर्तमान प्रावधान के अनुसार, केवल सकारात्मक % संशोधन की अनुमति है अर्थात, अनुमान को इस तरह से संशोधित किया जा सकता है कि संशोधित अनुमानित राशि मूल अनुमान से अधिक हो और यह मूल अनुमान राशि से कम नहीं हो सकती है।

3. अनुमान तैयार करने वाला मूल अनुमान की मदों को संपादित कर सकता है और अनुमान में नई मद जोड़ सकता है।

संशोधित टीएस और एएस अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद संशोधित अनुमान के ब्यौरे स्वचालित रूप से वेब सेवाओं के माध्यम से सिक्योर से नरेगासॉफ्ट तक साझा किए जाएंगे और संशोधित डीपीआर को फ्रीज कर दिया जाएगा। संशोधित डीपीआर को फ्रीज करने के बाद संशोधित मंजूरी विवरण जियोटैगिंग के लिए एनआरएससी-भुवन को साझा किया जाएगा।

अध्याय-22

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मनरेगा योजना के तहत कार्यों की योजना बनाना

महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और एनआरएम संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) आधारित योजना पर जोर दे रहा है। भूमि का व्यवस्थित विकास, वाटरशैड सिद्धांतों (चोटी से घाटी तक) का अनुपालन करते हुए, वर्षा जल का उपयोग करना और आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियों का सृजन करना मनरेगा योजना कार्यों का केन्द्र बिंदु होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन आधारित नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता है। व्यापक योजना और निर्णय लेने के लिए स्थानिक विश्लेषण और प्रतिनिधित्व अधिक महत्वपूर्ण है।

इस आलोक में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की योजना बनाने के लिए उन्नत तकनीकों अर्थात भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग (आरएस) का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र नियोजन में जीआईएस और आरएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यकर्ताओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया है। तत्पश्चात, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति ब्लॉक 4 ग्राम पंचायतों के लिए सेच्युरेशन मोड में जीआईएस आधारित योजनाएं तैयार करने और जीआईएस आधारित समेकित योजना से कार्यों की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया था। अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों की जीआईएस आधारित योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जीआईएस आधारित योजना शुरू करने वाली ग्राम पंचायतों को नरेगा सॉफ्ट पर निर्धारित किया जाना है ताकि जीआईएस आधारित नियोजित कार्यों की जानकारी हासिल की जा सके।

युक्तधारा: योजना बनाने का पोर्टल

युक्तधारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरों द्वारा विकसित एक भू-स्थानिक योजना पोर्टल है, जिसे 23 अगस्त 2021 को पूरे भारत में महात्मा गांधी नरेगा गतिविधियों की ग्राम पंचायत स्तर योजना की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया था। एनआरएससी ने प्राकृतिक स्रोतों के साथ-साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एल्गोरिदम दोनों को शामिल करते हुए सूचीबद्ध जियोटैग का विश्लेषण किया है। इसके बाद एक नियोजन पोर्टल की प्राप्ति होती है जो सभी महात्मा गांधी नरेगा कार्यविधियों के लिए अभी और उसके बाद बहु विषय-आधारित उपयुक्तता निर्णयों की आवश्यकता का समाधान करता है। इस विकास के लिए क्षमता निर्माण के साथ-साथ नई गतिविधियों की योजना बनाने में जीआईएस के सिद्धांतों को पूरा किया गया है ताकि हितधारकों को जीआईएस के महत्व और कार्यों को वैज्ञानिक रूप से आवंटित करने के लिए भुवन आधारित उपकरणों की भूमिका का एहसास हो सके।

अब तक 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.03 लाख ग्राम पंचायत नरेगा सॉफ्ट में तैयार की जा चुकी है। मंत्रालय ने युक्तधारा पोर्टल में तैयार की गई शेष ग्राम पंचायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है।

युक्तधारा योजना पोर्टल का एक वेब लिंक :https://bhuvan-app2.nrsc.gov.in/planner/plannerhome.php उपलब्ध कराया गया है।

जीआईएस विश्लेषण की सुविधा के लिए विशेष रूप से महात्मा गांधी नरेगा के तहत एनआरएम योजना के मामले में स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा और इसके विश्लेषण जैसी जानकारी/डेटा की आवश्यकता है। गैर-स्थानिक जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रतिनिधित्व ज्यादातर सारणीबद्ध और पाठ्य स्वरूपों में होता है और विभिन्न परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उपयोगी होता है। नियोजन के स्थानिक घटक के लिए सूचना का संग्रह, विश्लेषण और मानचित्रों के माध्यम से उसके प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मनरेगा योजना के तहत आयोजना प्रक्रिया को निम्नानुसार समझाया गया है:-

22.1 जीआईएस आधारित योजना बनाने की प्रक्रिया

जीआईएस आधारित योजना बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण डेटासेट आवश्यक है :-

22.1.1 जानकारी एकत्र करना

(क) स्थानिक आंकड़े:

1. टोपो-शीट और भू-कर संबंधित मानचित्र
2. दूर संवेदी डाटा सेट/इमेज
3. स्थलाकृति संबंधी डाटासेट
4. लैंड यूज/लैंड कवर डाटासेट्स
5. भू-विज्ञान
6. वाटरशेड और जल निकासी संबंधी सूचना

ये सभी उपरोक्त जानकारी और मानचित्र एनआरएससी के भुवन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(ख) गैर-स्थानिक सूचना

1. सामाजिक- आर्थिक प्रोफाइल (स्रोत: जनगणना)
2. मनरेगा योजना प्रोफाइल (स्रोत: नरेगासॉफ्ट)
3. पूरे हो चुके और जारी कार्य (स्रोत: नरेगासॉफ्ट)
4. प्राकृतिक संसाधन प्रोफाइल (स्रोत: राजस्व निरीक्षक/पटवारी)
5. प्राकृति संसाधन पर आधारित आजीविका प्रोफाइल (स्रोत: राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट)

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

फसल क्षेत्र सूचना:

पशुधन की गणना:

सिंचाई सुविधाओं की स्थिति-भूजल

22.1.2 संभावित कार्य स्थलों की पहचान और ग्राम पंचायतों के प्रमुख क्षेत्र और कार्यों का विकास के लिए स्थानिक और गैर-स्थानिक सूचना के साथ परामर्शी प्रक्रिया

विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़े को चर्चा के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा।

(क) जीआईएस आधारित समेकित कार्ययोजना के लिए विशेष बल वाले क्षेत्रों का संकलन

मुख्य क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना होता है ताकि ऐसे कार्य चुने जा सकें जिससे गरीब और कमजोर लोगों की आजीविका बढ़ाने के मामले में मापने योग्य परिणाम वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन होता हो। योजना बनाने वाला दल ग्रामसभा के सदस्यों के साथ अब नीचे दी गई सारणी के अनुसार कार्यों को संकलित और सारणीबद्ध करेगा:

मनरेगा योजना के तहत जीआईएस आधारित समेकित कार्ययोजना के लिए विशेष बल वाले क्षेत्र			
क्र.सं.	कार्य/श्रेणी	आवश्यक पहलें	प्राथमिकता (01 से 5 स्केल)

(ख) निजी परिसंपत्तियों के लिए लाभार्थियों का निर्धारण

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 5 के अनुसार सभी व्यक्तिगत लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि निजी परिसंपत्तियों की आवश्यकता का आकलन किया जा सके। इसके बाद निर्धारित की गई निजी परिसंपत्तियों को जीआईएस आधारित समेकित कार्य योजना में शामिल किया जा सके। सभी नियोजित व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को जमीनी स्तर पर मान्य किया जाना चाहिए। इसलिए, प्रस्तावित साइट स्थानों को सत्यापित करने के लिए एक जीपीएस/डिफरेंशियल-जीपीएस (डीजीपीएस)/जीआईएस मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा और पहचाने गए संभावित कार्यों के निर्देशांक (देशांतर और अक्षांश) एकत्र किए जाएंगे। इसके बाद प्रस्तावित कार्यों को निम्न तालिका के अनुसार सारणीबद्ध किया जाएगा:

	मनरेगा योजना के तहत प्रस्तावित जीआईएस आधारित समेकित कार्ययोजना								
#	ग्राम पंचायत	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	स्थापना लागत	माप (लंबाई/क्षेत्र)	देशांतर	अक्षांश	कार्यान्वयन का वर्ष	संभावित परिणाम

	का नाम			(मजदूरी+ सामग्री)					

जीपीएस का उपयोग करके एकत्र किए गए प्रस्तावित कार्यों के निर्धारित स्थानों के साथ एक मानचित्र के रूप में जीआईएस के मसौदे पर आधारित कार्ययोजना को उपग्रह से लिए गए चित्र या किसी आधार मानचित्र में डाला जाएगा।

(ग) जीआईएस के मसौदे पर आधारित समेकित कार्य योजना तैयार करना

जीआईएस आधारित समेकित कार्ययोजना से ऐसी अपेक्षा है कि वह मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों के तहत ग्राम पंचायत की आवश्यकता को पूरा करने वाली हो। योजना के तहत निर्धारित किए गए कार्य एक वर्ष में उन्हें कार्यान्वित करने की ग्राम पंचायत की क्षमता से कहीं अधिक हो सकते हैं। निर्धारित किए गए कार्यों को अनिवार्य रूप से चरणों में किया जाए ताकि आगामी 03-04 वर्षों में ग्राम पंचायतों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

22.2 ग्राम सभा में जीआईएस आधारित समेकित कार्य योजना के प्रारूप और इसके कार्यान्वयन पर चर्चा

जीआईएस के मसौदे पर आधारित कार्य योजना को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा और योजना को अंतिम रूप देने के लिए उनके सुझाव नोट किए जाएंगे। ग्रामसभा के सुझावों को शामिल करने के बाद ग्राम पंचायत की संशोधित जीआईएस आधारित समेकित कार्ययोजना को ग्रामसभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। समेकित कार्ययोजना और कार्य की प्राथमिकता को ग्रामसभा द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद एक वर्ष के लिए कार्य शुरू करने हेतु वार्षिक कार्य योजना (कार्य सूची) तैयार की जाएगी। जीआईएस आधारित इस समेकित कार्य योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी ताकि आवश्यक बदलाव किए जा सकें। ग्राम पंचायत की पूरी योजना नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड की जानी है।

निर्धारित किए गए कार्यों को इस तरह चरणों में बांटा जाना चाहिए जिससे कि अगले तीन-चार वर्षों में ग्राम पंचायतों की जरूरतें पूरी हो जाएं। राज्य को योजना में निर्धारित किए गए कार्यों से कार्यसूची बनानी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किए गए कार्य, जो किसी

अप्रत्याशित कारण से शुरू नहीं हो सके, उन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में नरेगा सॉफ्ट पर कार्यान्वयन के वर्ष को अपडेट करके लिया जा सकता है।

22.3 जीआईएस आधारित योजना का ग्राम सभा में दस्तावेज तैयार करना

ग्राम पंचायत स्तर पर एक फाइल रखी जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- **अध्ययन क्षेत्र (मानचित्र)**

ब्लॉक, जिला और राज्य को रेखांकित करते हुए ग्राम पंचायत को अध्ययन क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाला एक मानचित्र

- **ग्राम प्रोफाइल**

यह ग्राम की वर्तमान स्थिति को दर्शाएगा जिसमें आबादी, व्यय, गांव के प्रमुख मुद्दे इत्यादि का उल्लेख होगा। इसमें ग्राम पंचायत से ली गई वे तस्वीरें होंगी जो वर्तमान स्थिति को दर्शाती हों।

- **जीआईएस आधारित योजना (मानचित्र)**

जीआईएस आधारित योजना मानचित्र का स्वरूप है जिसमें उपग्रह से लिए गए चित्र अथवा किसी आधार मानचित्र में डाले गए कार्यों के निर्धारित स्थान होते हैं।

- **निर्धारित किए गए कार्यों की सूची**

शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची और उनकी श्रेणी तथा भू-निर्देशांक (देशांतर और अक्षांश)

- **उपर्युक्त सभी आंकड़ों/योजना को मनरेगासॉफ्ट में डाला जाना चाहिए।**

22.4 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा कार्यकर्ताओं को समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की इच्छानुसार आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ई-सक्षम मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध है। राज्य को समय-समय पर फील्ड स्टाफ को उन्नत तकनीकी उपकरणों पर प्रशिक्षण देना चाहिए और जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एक पूल बनाना चाहिए।

22.5 प्रगति की निगरानी

जीआईएस समर्थित ग्राम पंचायतों में कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति का भी समय-समय पर आकलन किया जाना चाहिए। राज्यों/जिलों को कार्यों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए ताकि वर्षों के नियोजित चरणों में ग्राम पंचायतों को संतृप्त किया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र के रूप में क्षेत्र अधिकारी ऐप की शुरुआत की। क्षेत्र अधिकारी ऐप में राज्य, जिला स्तर, सभी तकनीकी इंजीनियरों और जीपी स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा निगरानी के 3 स्तर हैं। प्रत्येक राज्य में विभिन्न अधिकारियों के लिए सुचारू कार्यान्वयन और पंजीकरण/नामांकन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आवेदन पत्र डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है। https://ruraldiksha.nic.in/areaofficerwebnew/login.aspx

राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस) वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू हुई। एनएमएमएस ऐप के जरिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय में उपस्थिति लेने के साथ-साथ श्रमिकों की जियो-टैग की गई तस्वीर को दिन में दो बार, एक सुबह 11 बजे या उससे पहले और दूसरी दोपहर 2 बजे के बाद ली जान सकती है। ये तस्वीरें और उपस्थिति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होती हैं। यह ऐप कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने में सहायता करता है और पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है।

अनुबंध 1-

महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनुमेय कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य	मुख्य श्रेणी	एनआरएम / गैर-एनआरएम	एनआरएम उप श्रेणी	कृषि / तत्संबंधी	जल संबंधी	जल संबंधी उप श्रेणी
1	व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी भवनों का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम				
2	व्यक्तियों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम				
3	समुदाय के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
4	समुदाय के लिए ग्राम पंचायत / पंचायत भवन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
5	समुदाय के लिए खाद्यान्न भंडारण भवन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि / तत्संबंधी		
6	समुदाय के लिए किचन शेड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
7	समुदाय के लिए भारत निर्माण सेवा केंद्र भवन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
8	समुदाय के लिए आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
9	समुदाय के लिए ग्राम पंचायत / पंचायत भवन की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				

10	समुदाय के लिए खाद्यान्न भंडारण भवन की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि / तत्संबंधी		
11	समुदाय के लिए रसोई शेड की मरम्मत और रखरखाव	(सी)	गैर-एनआरएम				
12	समुदाय के लिए भारत निर्माण सेवा केंद्र भवन की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
13	समूह के लिए कृषि उत्पादन भंडारण भवन का निर्माण	(सी)	गैर-एनआरएम		कृषि / तत्संबंधी		
14	समूह के लिए एसएचजी / संघ भवन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
15	व्यक्तियों के लिए अर्थन पेरीफेरल/फार्म/ फील्ड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी		
16	व्यक्तियों के लिए पेबल पेरीफेरल/फार्म/ फील्ड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी		
17	व्यक्तियों के लिए स्टोन पेरीफेरल/फार्म/ फील्ड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी		
18	व्यक्तियों के लिए अर्थन कंटूर बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
19	व्यक्तियों के लिए पेबल कंटूर बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
20	व्यक्तियों के लिए स्टोन कंटूर बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			

21	व्यक्तियों के लिए अर्थन ग्रेडेड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
22	व्यक्तियों के लिए पेबल ग्रेडेड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
23	व्यक्तियों के लिए स्टोन ग्रेडेड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
24	समुदाय के लिए अर्थन पेरीफेरल/फार्म/ फील्ड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी		
25	समुदाय के लिए पेबल पेरीफेरल/फार्म/ फील्ड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी		
26	समुदाय के लिए स्टोन पेरीफेरल/फार्म/ फील्ड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी		
27	समुदाय के लिए अर्थन कंटूर बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
28	समुदाय के लिए पेबल कंटूर बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
29	समुदाय के लिए स्टोन कंटूर बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
30	समुदाय के लिए अर्थन ग्रेडेड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			

31	समुदाय के लिए पेबल ग्रेडेड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
32	समुदाय के लिए स्टोन ग्रेडेड बंड का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
33	समुदाय के लिए अर्थन ग्रेडेड बंड की मरम्मत एवं रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
34	समुदाय के लिए पेबल ग्रेडेड बंड की मरम्मत एवं रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
35	समुदाय के लिए स्टोन ग्रेडेड बंड की मरम्मत एवं रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण			
36	समुदाय के लिए सहायक नहर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
37	समुदाय के लिए शाखा नहर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
38	समुदाय के लिए छोटी नहर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
39	समुदाय के लिए छोटी उप नहर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
40	समुदाय के लिए वाटरकोर्स का निर्माण	(बी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य

41	समुदाय के लिए सहायक नहर की लाइनिंग	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
42	समुदाय के लिए शाखा नहर की लाइनिंग	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
43	समुदाय के लिए छोटी नहर की लाइनिंग	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
44	समुदाय के लिए छोटी उप नहर की लाइनिंग	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
45	समुदाय के लिए वाटर कोर्सेज नहर की लाइनिंग	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
46	समुदाय के लिए सहायक नहर का पुनरूद्धार	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
47	समुदाय के लिए शाखा नहर का पुनरूद्धार	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
48	समुदाय के लिए छोटी नहर का पुनरूद्धार	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
49	समुदाय के लिए छोटी उप नहर का पुनरूद्धार	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
50	समुदाय के लिए सहायक नहर की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य

51	समुदाय के लिए शाखा नहर की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
52	समुदाय के लिए छोटी नहर की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
53	समुदाय के लिए छोटी उप नहर की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
54	समुदाय के लिए वाटर कोर्स कैनल की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	जल	सिंचाई संबंधी कार्य
55	समुदाय के लिए बाढ़ / डाइवर्जन चैनल का निर्माण	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
56	समुदाय के लिए बाढ़ / डाइवर्जन चैनल का पुनरूद्धार	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
57	समुदाय के लिए बाढ़ / डाइवर्जन चैनल की मरम्मत एवं रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
58	समुदाय के लिए सिल्विपास्चर घास के मैदानों का विकास	(ए)	एनआरएम	भूमि सुधार	कृषि / तत्संबंधी		
59	व्यक्तियों के लिए सिल्विपास्चर घास के मैदानों का विकास	(बी)	एनआरएम	भूमि सुधार	कृषि / तत्संबंधी		
60	व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि / परती भूमि का समतलीकरण/ सही आकार देना	(बी)	एनआरएम	भूमि सुधार	कृषि / तत्संबंधी		

61	व्यक्तियों के लिए चौर या जल भराव क्षेत्रों वाली भूमि की निकासी	(बी)	एनआरएम	निकासी	कृषि / तत्संबंधी	जल	निकासी
62	समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतीकरण / सही आकार देना	(ए)	एनआरएम	भूमि सुधार	कृषि / तत्संबंधी		
63	समुदाय के लिए चौर भूमि का विकास	(ए)	एनआरएम	भूमि सुधार	कृषि / तत्संबंधी		
64	समुदाय के लिए परती भूमि का विकास	(ए)	एनआरएम	भूमि सुधार	कृषि / तत्संबंधी		
65	सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार	(ए)	एनआरएम	निकासी	कृषि / तत्संबंधी	जल	निकासी
66	सामूदायिक जल भराव भूमि की निकासी	(ए)	एनआरएम	निकासी	कृषि / तत्संबंधी	जल	निकासी
67	समूहों के लिए आजीविका कार्यकलाप के लिए वर्कशेड का निर्माण	(सी)	गैर-एनआरएम				
68	व्यक्तियों के लिए ब्रशवुड चेक डैम का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
69	व्यक्तियों के लिए अर्थन एनीकट चैक डैम का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
70	व्यक्तियों के लिए बोल्डर चेक डैम का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण

71	व्यक्तियों के लिए चिनाई / सीसी चेक डैम का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
72	व्यक्तियों के लिए गेबियन चेक डैम का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
73	समुदाय के लिए ब्रशवुड चेक डैम का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
74	समुदाय के लिए अर्थन चैक डैम का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
75	समुदाय के लिए बोल्डर चेक डैम का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
76	समुदाय के लिए चिनाई / सीसी चेक डैम का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
77	समुदाय के लिए गेबियन चेक डैम का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
78	समुदाय के लिए अर्थन चेक डैम की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
79	समुदाय के लिए बोल्डर चेक डैम की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
80	समुदाय के लिए मेसनरी/सीसी चेक डैम की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण

81	समुदाय के लिए गैबियन चेक डैम की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
82	व्यक्तियों के लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
83	व्यक्तियों के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
84	व्यक्तियों के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
85	व्यक्तियों के लिए बरकेले कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
86	समुदाय के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
87	समुदाय के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
88	समुदाय के लिए बरकेले कंपोस्ट पिट का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
89	समुदाय के लिए कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
90	समुदाय के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना की मरम्मत और रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		

91	समुदाय के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना की मरम्मत और रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
92	समुदाय के लिए बरकेले कंपोस्ट पिट की मरम्मत और रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
93	समुदाय के लिए कंपोस्ट पिट संरचना की मरम्मत और रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
94	समुहों के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण	(सी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
95	समुहों के लिए नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण	(सी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
96	समुहों के लिए बरकेले कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण	(सी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
97	समूहों के लिए कंपोस्ट पिट का निर्माण	(सी)	एनआरएम	मृदा स्वास्थ्य	कृषि / तत्संबंधी		
98	समुदाय के लिए श्मशान घाट का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
99	श्मशान घाट की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
100	समुदाय के लिए पुलिया / आर-पार निकासी अवसंरचनाओं का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
101	समुदाय के लिए पुलिया / आर-पार निकासी अवसंरचनाओं की मरम्मत / रख-रखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				

102	समुदाय के लिए तटीय सुरक्षा के लिए स्टोर्म वाटर ड्रेन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
103	समुदाय के लिए मध्यवर्ती और लिंक स्टोर्म वाटर ड्रेन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
104	समुदाय के लिए डाइवर्जन स्टोर्म वाटर ड्रेन का निर्माण	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
105	समुदाय के लिए तटीय सुरक्षा के लिए स्टोर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
106	समुदाय के लिए मध्यवर्ती और लिंक स्टोर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत एवं रख-रखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
107	समुदाय के लिए डाइवर्जन स्टोर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत एवं रख-रखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि / तत्संबंधी	ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
108	समुदाय के लिए ओपन/ कवर्ड ग्रे वाटर / स्टोर्म ड्रेन का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
109	समुदाय के लिए ओपन/ कवर्ड ग्रे वाटर / स्टोर्म ड्रेन की मरम्मत और रख-रखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
110	व्यक्तियों के लिए इरिगेशन ओपन वेल का निर्माण	(बी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	ज ल	सिंचाई संबंधी कार्य
111	समुदाय के लिए इरिगेशन ओपन वेल का निर्माण	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	ज ल	सिंचाई संबंधी कार्य
112	समुदाय के लिए इरिगेशन ओपन वेल के पैरा पेट एवं प्लेटफार्म की मरम्मत और रख-रखाव	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	ज ल	सिंचाई संबंधी कार्य

113	समुहों के लिए इरिगेशन ओपन वेल का निर्माण	(ए)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि / तत्संबंधी	ज ल	सिंचाई संबंधी कार्य
114	व्यक्तियों के लिए फिश ड्राइंग यार्ड का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि / तत्संबंधी		
115	समुदाय के लिए फिश ड्राइंग यार्ड का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि / तत्संबंधी		
116	समुदाय के लिए फिश ड्राइंग यार्ड की मरम्मत और रख-रखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि / तत्संबंधी		
117	व्यक्तियों के लिए किनारों पर बागवानी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
118	व्यक्तियों के लिए तटीय किनारों पर बागवानी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
119	व्यक्तियों के लिए किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
120	व्यक्तियों के लिए समुद्र तट पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
121	व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि के किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
122	व्यक्तियों के लिए किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		

123	व्यक्तियों के लिए समुद्र तट पर वानिकी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
124	व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि के किनारों पर वानिकी वृक्षों को लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
125	व्यक्तियों के लिए शेल्टर बेल्ट वृक्षों को एक सीध में लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
126	व्यक्तियों के लिए तटीय शेल्टर बेल्ट वृक्षों को एक सीध में लगाना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
127	व्यक्तियों के लिए खेतों में बागवानी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
128	व्यक्तियों के लिए बागवानी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
129	व्यक्तियों के लिए मैदान में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
130	व्यक्तियों के लिए कृषि वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
131	व्यक्तियों के लिए मैदान में वानिकी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
132	व्यक्तियों के लिए वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		

133	व्यक्तियों के लिए खेतों में सिरीकल्चर वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
134	व्यक्तियों के लिए सिरीकल्चर वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
135	व्यक्तियों के लिए खेतों में बायो ड्रेनेज वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	निकासी	कृषि / तत्संबंधी	जल	निकासी
136	व्यक्तियों के लिए बायो ड्रेनेज वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	निकासी	कृषि / तत्संबंधी	जल	निकासी
137	व्यक्तियों के लिए खेतों में शेल्टर बैल्ट वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
138	व्यक्तियों के लिए कोस्टल शेल्टर बैल्ट वृक्षों का बॉउण्डरी ब्लॉक प्लांटेशन	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
139	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों को नहर के किनारों पर लगाना	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
140	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का बॉउण्डरी लाइन प्लांटेशन	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
141	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों को तटीय सीमाओं पर लगाना	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
142	समुदाय के लिए कृषि वानिकी वृक्षों का बॉउण्डरी लाइन प्लांटेशन	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		

143	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों को नहर के किनारों पर लगाना	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
144	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों का बॉउण्डरी लाइन प्लांटेशन	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
145	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों को सड़क के किनारों पर लगाना	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
146	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों को तटीय सीमा पर लगाना	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
147	समुदाय के लिए शेल्टर बैल्ट वृक्षों का बॉउण्डरी लाइन प्लांटेशन	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
148	समुदाय के लिए शेल्टर बैल्ट वृक्षों को सड़क के किनारों पर लगाना	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि / तत्संबंधी		
149	समुदाय के लिए समुद्र तट के साथ तटीय बेल्ट वृक्षों का वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
150	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
151	समुदाय के लिए समुद्र तट के साथ बागवानी ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
152	समुदाय के लिए फील्ड ब्लॉक में बागवानी वृक्षों का वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
153	समुदाय के लिए बागवानी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		

154	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
155	समुदाय के लिए तट के साथ कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
156	समुदाय के लिए खेतों में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
157	समुदाय के लिए कृषि वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
158	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
159	समुदाय के लिए तट के साथ वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
160	समुदाय के लिए मैदान में वानिकी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
161	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
162	समुदाय के लिए खेतों में रेशम उत्पादन वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
163	समुदाय के लिए रेशम उत्पादन वृक्षों का वेस्टलैंड ब्लॉक वृक्षारोपण	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
164	समुदाय के लिए सरकारी भवन परिसर में जैव-निकासी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(डी)	एनआरएम	निकासी	कृषि/तत्संबंधी	जल	निकासी
165	समुदाय के लिए खेतों में जैव-निकासी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(डी)	एनआरएम	निकासी	कृषि/तत्संबंधी	जल	निकासी
166	समुदाय के लिए वेस्टलैंड में जैव-निकासी वृक्षों का ब्लॉक वृक्षारोपण	(डी)	एनआरएम	निकासी	कृषि/तत्संबंधी	जल	निकासी
167	समुदाय के लिए वानिकी वृक्षों का उपयोग करते हुए समुद्र तट के साथ वनीकरण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		

168	व्यक्तियों के लिए वानिकी वृक्षों का उपयोग कर वेस्टलैंड का वनीकरण	(ए)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
169	व्यक्तियों के लिए मिट्टी के गली प्लग का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
170	व्यक्तियों के लिए स्टोन बोल्डर गली प्लग का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
171	समुदाय के लिए मिट्टी गुली प्लग का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
172	समुदाय के लिए स्टोन बोल्डर गुली प्लग का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
173	समुदाय के लिए मिट्टी गुली प्लग की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
174	समुदाय के लिए स्टोन बोल्डर गुली प्लग की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/तत्संबंधी	जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
175	व्यक्तियों के लिए नर्सरी में वृद्धि करना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
176	समुदाय के लिए नर्सरी में वृद्धि करना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
177	समूहों के लिए नर्सरी में वृद्धि करना	(बी)	एनआरएम	वृक्षारोपण	कृषि/तत्संबंधी		
178	व्यक्तियों के लिए मिनी अन्त:स्रवण टैंक का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण

179	समुदाय के लिए मिनी अन्त:स्रवण टैंक का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
180	समुदाय के लिए मिनी अन्त:स्रवण टैंक की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
181	व्यक्तियों के लिए कृषि तालाबों का निर्माण	(बी)	एनआरएम	सिंचाई संबंधी कार्य	कृषि/त त्संबंधी	ज ल	सिंचाई संबंधी कार्य
182	समुदाय के लिए मत्स्यपालन तालाबों का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी	ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
183	सामुदायिक जल संचयन तालाबों का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
184	समुदाय के लिए मत्स्य पालन तालाबों की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी	ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
185	समुदाय के लिए सामुदायिक जल संचयन तालाबों की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
186	समुदाय के लिए मत्स्य पालन तालाबों का नवीकरण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी	ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
187	समुदाय के लिए सामुदायिक जल संचयन तालाबों का नवीनीकरण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
188	समुदाय के लिए स्थायीकरण तालाब का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				

189	समुदाय के लिए स्थायीकरण तालाब की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
190	व्यक्तियों के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
191	समुदाय के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
192	समुदाय के लिए बिटुमिन टॉप रोड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
193	समुदाय के लिए बजरी रोड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
194	समुदाय के लिए इंटर-लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक / टाइल्स रोड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
195	समुदाय के लिए डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
196	समुदाय के लिए मिट्टी मुर्रम रोड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
197	समुदाय के लिए खरंजा (ईंट / पत्थर) रोडों का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
198	समुदाय के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
199	समुदाय के लिए बिटुमिन टॉप रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
200	समुदाय के लिए बजरी रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
201	समुदाय के लिए इंटर-लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक / टाइल्स रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
202	समुदाय के लिए डब्ल्यूबीएम रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				

203	समुदाय के लिए मिट्टी मुर्रम रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
204	समुदाय के लिए खरंजा (ईंट / पत्थर) रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
205	समुदाय के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
206	व्यक्तियों के लिए बोरेवेल पुनर्भरण के लिए रेत फ़िल्टर का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
207	व्यक्तियों के लिए खुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फ़िल्टर का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
208	समुदाय के लिए बोरवेल पुनर्भरण के लिए रेत फ़िल्टर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
209	समुदाय के लिए खुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फ़िल्टर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
210	समूहों के लिए खुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फ़िल्टर का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
211	व्यक्तियों के लिए मवेशी आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
212	व्यक्तियों के लिए बकरी आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
213	व्यक्तियों के लिए सूअर पालन आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
214	व्यक्तियों के लिए कुक्कुट पशुधन आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
215	समुदाय के लिए मवेशी आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
216	समुदाय के लिए बकरी आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		

217	समुदाय के लिए सूअर पालन आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
218	समुदाय के लिए कुक्कुट आश्रय का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
219	समुदाय के लिए मवेशी आश्रय की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
220	समुदाय के लिए बकरी आश्रय की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
221	समुदाय के लिए सूअर पालन आश्रय की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
222	समुदाय के लिए कुक्कुट आश्रय की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
223	समुदाय के लिए सोकेज चैनल का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
224	व्यक्ति के लिए सोखता गड्ढ़े का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
225	समुदाय के लिए सोखता गड्ढ़े का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
226	समुदाय के लिए वायर क्रेट (गैबियन) छोटे रास्ते का निर्माण	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
227	समुदाय के लिए पत्थर के छोटे रास्ते का निर्माण	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण
228	समुदाय के लिए मिट्टी के छोटे रास्ते का निर्माण	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		जल	भूमि एवं जल सरंक्षण

229	समुदाय के लिए वायर क्रेट (गैबियन) के छोटे रास्ते की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
230	समुदाय के लिए पत्थर के छोटे रास्ते की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
231	समुदाय के लिए मिट्टी के छोटे रास्ते की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
232	व्यक्तियों के लिए लेवल बेंच टेरेस का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी		
233	व्यक्तियों के लिए अपलैंड बेंच टेरेस का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी		
234	समुदाय के लिए लेवल बेंच टेरेस का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी		
235	समुदाय के लिए अपलैंड बेंच टेरेस का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण	कृषि/त त्संबंधी		
236	व्यक्तियों के लिए एकल इकाई शौचालयों का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
237	समुदाय के लिए आंगनवाड़ी बहु इकाई शौचालयों का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
238	विद्यालय के लिए बहु इकाई शौचालयों का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
239	व्यक्तियों के लिए छितरे हुए ट्रेंच का निर्माण	(बी)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण

240	समुदाय के लिए छितरे हुए ट्रेंच का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
241	समुदाय के लिए सतत कंटूर ट्रेंच का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
242	समुदाय के लिए जल अवशोषण ट्रेंच का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूमि एवं जल सरंक्षण		ज ल	भूमि एवं जल सरंक्षण
243	व्यक्तियों के लिए अज़ोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
244	समुदाय के लिए अज़ोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
245	समुदाय के लिए अज़ोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
246	व्यक्तियों के लिए तरल बायोमेनर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
247	समूहों के लिए तरल बायोमेनर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(सी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
248	समुदाय के लिए तरल बायोमेनर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(बी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
249	समुदाय के लिए तरल बायोमेनर के लिए बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम		कृषि/तत्संबंधी		
250	समुदाय के लिए भूमिगत डाइक का निर्माण	(ए)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
251	समुदाय के लिए तटबंध का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
252	समुदाय के लिए गांव / ग्रामीण हाट का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				

253	समुदाय के लिए गांव / ग्रामीण हाट की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
254	समुदाय के लिए चक्रवात आश्रय का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
255	समुदाय के लिए चक्रवात आश्रय की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
256	समुदाय के लिए खेल मैदान का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
257	समुदाय के लिए खेल मैदान की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
258	समुदाय के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए चारदीवारी का निर्माण	(डी)	गैर-एनआरएम				
259	समुदाय के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए चारदीवारी की मरम्मत और रखरखाव	(डी)	गैर-एनआरएम				
260	समुदाय के लिए भवन सामग्री का उत्पादन	(डी)	गैर-एनआरएम				
261	सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं	(ए)	एनआरएम	भूजल पुनर्भरण		ज ल	भूजल पुनर्भरण
262	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	(डी)	गैर-एनआरएम				

एनआरएम: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

सिंचाई: सिंचाई संबंधित कार्य

निकासी: जलनिकासी एवं अन्य कार्य मृदा स्वास्थ्य: मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्य

एलआर: भूमि संबंधित कार्य

जीडब्ल्यूआर: भूजल पुनर्भरण संबंधित कार्य

एसडब्ल्यूसी: भूमि एवं जल संरक्षण कार्य

पीएलएनटी: वृक्षारोपण एवं संबंधित कार्य

कृषि/तत्संबंधी: कृषि और तत्संबंधी कार्य